

राजस्थान टिन्नेन्सरी एक्ट, १९५५

(समस्त आवश्यक नियमों सहित)

सुरेशचन्द्र एच. मावुर

प्रकाशक :

== : राज पंचायत प्रकाशन : ==

धामाली मार्ग, पोडा रास्ता,

जयपुर (राज०)

मर्वाधिकार सुरक्षित

अप्रामिफृत अनुवाद

मुद्रक

== : पोद्दार प्रिन्टर्स : ==


धी वालों रास्ता, दाई की गली,

ज य पु र (राज०)



शुभकामना

मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्री सुरेशचन्द्र एच माथुर द्वारा लिखित राजस्थान टिनेसी एक्ट का 1968 संस्करण हिन्दी में प्रकाशित हो रहा है।



श्री माथुर को राजस्व, न्याय एवं विधि विभागों में काम करने का दीर्घ अनुभव है तथा वे हिन्दी एच अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार पूर्वक विधि पुस्तकें लिख चुके हैं जिनकी सम्बन्धित क्षेत्रों में समुचित प्रशंसा हुई है।

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान टिनेसी एक्ट में हुए आदिनांक संशोधनों का समावेश कर लिया गया है और विभिन्न धाराओं के प्रावधानों का स्पष्टीकरण सरल भाषा में करने के साथ साथ विभिन्न हाईकोर्टों एवं राजस्व मंडलों के निर्णयों के आधार पर सुबोध टिप्पणी भी दे दी गई है।

प्रकाशन कार्य में हिन्दीकरण के लिए राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में ऐसे प्रयत्नों का स्वागत किया जाना चाहिये। विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाने पर श्री माथुर जमे सुयोग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें पाठ्य-पुस्तकों का रूप ले सकती हैं।

श्री माथुर उनके परिश्रम व लगन के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हुआ आशा करता हूँ कि यह पुस्तक राजस्व अधिकारियों, वकीलों एवं विधि अध्यापकों व छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी प्रमाणित होगी।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५

विषय-सूची

संख्या विषय पृष्ठ

अध्याय १

प्रारम्भिक

१.	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ	२
२.	विलोपित	२
३.	निरसन	२
४.	विलोपित	३
५.	परिभाषाएं	३
६.	अधिकार इत्यादि रखने वाले व्यक्तियों में उनके पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों का सम्मिलित होना	१६
७.	अधिनियम का राज्य सरकार पर लागू होना	१६
८.	एजेन्ट के मार्फत कार्य करने की शक्ति	१६

अध्याय २

सुदकारत

९.	सुदकारत अधिकार	२०
१०.	उत्तराधिकार और हस्तान्तरण	२०
११.	सुदकारत को किराए पर दिये जाने पर प्रतिबन्ध	२१
१२.	सुदकारत का अद्वयत्व	२१
१३.	पुनर्ग्रहण अथवा सम्मूलन होने पर सातेदारी अधिकारों का होना	२२

अध्याय ३

आसामियों की श्रेणियाँ

१४.	आसामियों की श्रेणियाँ	२३
१५.	सातेदार आसामी	२३
१५-क.	राजस्थान नहर क्षेत्र में सातेदारी अधिकारों का प्रोदभूत न होना	२५

१५क. चम्बन प्रोजेक्ट क्षेत्र में गातेदारी अधिकारों का कुछ मामलों में प्रोदभूत न होना	२६
१५ख. घासू, घजमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में गातेदारी आगामी	२६
१६. भूमियों जिनमें गातेदारी अधिकारों का दुरुा नहीं होवे	२७
१६क. सुदकारन के आगामी	२८
१७. गैर गातेदारी आगामी	२८
१७क. मानिक	२९
१८. विलोपित	२९

अध्याय ३--का

कतिपय शिक्षमी आगामियों तथा सुदकारन के आगामियों को मुआवजे का भुगतान होने पर अधिकार प्रदान किया जाना

१९. कतिपय सुदकारन के आगामियों को शिक्षमी आगामियों को अधिकार प्रदान किया जाना	२९
२०. मुआवजे के दावों का पेश किया जाना	३२
२१. विलोपित	३३
२२. विलोपित	३३
२३. खातेदारी अधिकारों के लिए मुआवजा	३३
२४. सुधारों में अधिकारों के लिए मुआवजा	३३
२५. नालबट के बंदने मुआवजे के प्रदा की संगणना	३४
२६. मुआवजे का गठन	३५
२७. मुआवजे के भुगतान का तरीका	३५
२८. विलोपित	३६
२९. विलोपित	३६
३०. कुछ विशिष्ट मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिए विशेष उपबन्ध	३६
३०क. बचाव तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों का निपटारा	३६

अध्याय ३--खा

अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

३०खा. परिभाषाएं	३७
३०गा. अधिकतम क्षेत्र का विस्तार	३७
३०घा. धारा ३०गा. के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र निश्चित करने के लिए कतिपय अन्तरालों को न माना जाना	३७
३०डा. अधिकतम क्षेत्र जो धारण किया जा सकता है तथा भावी अवाप्तियों पर प्रतिबन्ध	३८
३०चा. धारा ३० डा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों का आवंटन	३९

	३०छा. धारा ३० डा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों के लिए एवं उनमें किए हुए सुधारों में अधिकारों के लिए मुआवजा	३६
१६	३०जा. धारा ३० डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर मार सम्बन्धी उपबंध	४०
२७	३०भा. सामान्य प्रकार के अपवाद	४१
२८	३०बा. धारा ३०आ. में अन्तर्विष्ट कोई बात	४१

अध्याय ३-गा.

आसामियों के प्राथमिक अधिकार

	३१. रहने के मकान का अधिकार	४३
	३२. लिखित पट्टे (लीज) तथा उसकी दूसरी पद्धत का अधिकार	४४
	३३. पट्टों (लीजों) का रजिस्ट्रेशन के स्थान पर प्रमाणीकरण	४४
	३४. मजूराने श्रमवा वेगार का प्रतिषेध	४५
	३५. लगान से भिन्न भुगतान का प्रतिषेध	४६
२६	३६. सामग्री का उपयोग	४६
३२	३६भा. नालबट में अधिकार की अवाप्ति	४६
३३	३७. न्यायालय की प्रक्रिया से जन्मी, कुर्बी तथा विक्रय पर रोक	४७

अध्याय ४

अवतरण, अन्तरण, चिनिमय तथा विभाजन

३४	३८. आसामियों का हित	४८
३५	३९. बसीयत	४८
३६	४०. आसामियों का उत्तराधिकार	४९
३६	४१. शासक के हित की अन्तरणता	५०
३६	४२. बिक्री, दान (गिफ्ट) तथा बसीयत पर सामान्य प्रतिबन्ध	५०
३६	४३. बन्धक	५१
३६	४३भा. अधिनियम के लागू होने से पूर्व किए गए कृषि-भूमि के बन्धकों के सम्बन्ध में उपबन्ध	५३
	४४. वास्त या शिकमी वास्त के लिए देने का अधिकार	५४
	४५. वास्त तथा शिकमी वास्त के लिए देने पर प्रतिबन्ध	५४
३७	४६. अपवाद स्थिति में भूमि का वास्त पर या निजमी वास्त पर दिया जाना	५५
३७	४६भा. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों द्वारा वास्त या शिकमी वास्त पर दिये जाने के लिए विशिष्ट उपबंध	५६
३७	४७. शिकमी पट्टे से उत्तराधिकारी का पावन्दा होगा	५६
	४७भा. धारु, बजमेर तथा मुनेर क्षेत्रों में कनिष्ठ अन्तरणों के सम्बन्ध में उपबन्ध	५६
३६	४८. भूमि का चिनिमय	५७

४६. पबकरी के लिए विनिमय	५७
४६क। अनुपूर्वित ज़ातियों अथवा अनुपूर्वित ज़ा-ज़ातियों द्वारा विनिमय के लिए विनिष्ट उपवास	५८
५०. विनिमय हो जाने पर आगामियों के अधिकार	५८
५१. अन्य भूमियों के विनिमय में घायट्टित भूमियों में अधिकार	५८
५२. अधिार घनिलेग में विनिमय पर प्रविष्टि	५९
५३. भूमि क्षेत्र का विभाजन	५९
५४. कतिमय मामलों में भूमि क्षेत्रों की विधि	६०

अध्याय ५

समर्पण, परित्याग तथा अवसान

✓ ५५. समर्पण	६१
५६. भूमिधारी की नोटिस	६१
५७. लगान वृद्धि की दशा में समर्पण	६२
५८. समर्पण को रद्द करने हेतु दावा	६३
५९. समर्पित भूमि क्षेत्र का कब्जा लिया जाना	६३
✓ ६०. परित्याग	६३
६१. परित्यक्त माने गये भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने के पहिले की प्रक्रिया	६४
६२. उन आसामियों के अधिकार जिनके बारे में यह अनुमान कर लिया गया हो कि उन्होंने अपने भूमि क्षेत्र परित्याग कर दिये हैं	६५
✓ ६३. कृषि-अधिकार का कब अवसान होगा	६६
६४. अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना	६८

अध्याय ६

सुधार

६५. सुधार करने का सरकार का अधिकार	६८
६६. सुधार करने का खातेदार आसामियों का अधिकार	६८
६७. सुधार करने का भूमिधारियों का अधिकार	६९
६८. अनुमति तहसिलदार द्वारा कब दी जा सकेगी और कब उसके लिए हंकार किया जा सकेगा	७०
६९. भूमिधारी तथा आसामी दोनों की इच्छा एक ही सुधार करने की होने की स्थिति में उपवास	७०
७०. अन्य आसामियों का सुधार करने का अधिकार	७०
७१. सुधार करने पर प्रतिबन्ध	७०
७२. सम्पूर्ण लगान का दायित्व	७१
७३. हानि के लिए मुआवजा	७१

५७	७४. सुधार के लिए मुआवजा	७१
	७५. मुआवजे की रकम	७२
५८	७६. अन्य भूमियों को लाभ पहुँचाने वाले सुधार-कार्य	७३
५८	७७. सुधार की लागत का रजिस्ट्रेशन	७४
५८	७८. सुधार सम्बन्धी विवाद	७४

अध्याय ७

वृक्ष

	७९. आसामी का वृक्ष लगाने का अधिकार	७५
	८०. इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान वृक्षों में आसामी का अधिकार	७६
	८१. अनधिकृत वृक्षों में स्थित वृक्ष	७६
६१	८२. वृक्षों का भूमि से पृथक्करण अन्तर्णीय नहीं होता	७७
६१	८३. वृक्षों को उन्मूलित रीति के सिवाय अन्यथा नहीं हटाया जा सकता	७७
६२	८४. वृक्ष कब और किसके द्वारा हटाये जा सकेंगे	७७
६२	८५. वृक्षों से सम्बन्धित विवाद	७८
६२	८६. अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियाँ	७८
६२	८७. विलोपित	७९

अध्याय ८

घोषणात्मक दावे

	८८. अधिकार की घोषणा किये जाने हेतु दावे	८०
	८९. कामतकारी-वर्ग आदि के लिए दावे	८१
	९०. भूमि के खुदकाश होने की घोषणा के लिए दावा	८२
	९१. अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए दावा	८३
	९२. कई भूमि-शेखों के सम्बन्ध में एक ही दावा	८४
	९२क. नियेयता के लिए दावे	८४

अध्याय ९

लगान का निर्धारण तथा उसमें परिवर्तन

७०	९३. लगान भुगतान करने का दायित्व	८५
७०	९४. प्रारम्भिक लगान	८५
७०	९५. लगान के सम्बन्ध में अनुमान	८६
७०	९६. अधिकतम नवद लगान जो सरकार बगुल कर सकेगी	८६
७१	९७. अधिकतम नवद लगान निर्धारित करने वाली शक्ती	८७
७१	९८. सू-राबख बन्दोबस्त में निर्दिष्ट हो जाने की दशा में अधिकतम लगान	८७

१९.	ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान बन्दोबस्त में निदिपत किया जा चुका हो, अधिक्तम लगान	८७
१००.	कतिपय दशाओं में उच्चतर अधिक्तम राशि	८७
१०१.	अधिक्तम राशि वर्तमान लगान दर से ऊपर वृद्धिकरण हेतु क्रियाशील नहीं होगी	८८
१०१क.	अधिकतम सम्बन्धी उपबन्ध उन भूमियों में लागू नहीं होंगे जिनमें फलदार वृक्ष हो तथा जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ हो	८८
१०२.	धनुरी करवी गई प्रतिशत रकम की धनुरी	८८
१०३.	कतिपय मामलों में जिनसे लगानों का नन्द लगानों में परिवर्तन	८८
१०४.	जिनसे लगान की उच्चतम दरें	८८
१०५.	जहाँ उपज में भूमिधारी योगदान देता हो वहाँ जिनसे लगान की दर उच्चतर होना	८९
१०६.	लगान का हिसाब कैसे लगाया जायगा	९०
१०७.	कतिपय स्थितियों में लगान की दरों का निश्चयन	९०
१०८.	लगान की दरों की भ्रवधि	९०
१०९.	लगान अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियाँ	९१
११०.	सकियों (हुल्को) का निर्माण तथा मृदा (मिट्टी) वर्गीकरण	९१
१११.	दरों के आधार	९२
११२.	प्रस्तावित दरों को, उनमें संशोधन करते हुए या बिना संशोधन के व्यवहार में लाया जाना	९२
११३.	विशिष्ट मामलों में दरों की व्यवस्था	९२
११४.	लगान-दरों के प्रकाशन तथा उनकी स्वीकृति की प्रणाली	९३
११५.	लगान का निश्चयन	९३
११६.	आशिक बेटखली या समर्पण की दशा में लगान का निश्चयन	९४
११७.	कतिपय मामलों में लगान के सम्बन्ध में विवाद	९४
११८.	लगान का प्रतर्वर्तन	९६
११९.	लगान चालू रहने की भ्रवधि	९७
१२०.	लगान के फेरफार की प्रणाली	९७
१२१.	लगान में वृद्धि किये जाने के आधार	९८
१२२.	वृद्धि की सीमाएं	९८
१२३.	वृद्धि के लिए वाद या प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आसामी की दलील	९९
१२४.	लगान में घटोतरी करने के लिए आधार	९९
१२५.	वृद्धि अथवा कमी बब से लागू होगी	९९
१२६.	कृषि सम्बन्धी आपत्तियों के समय लगान की छूट या स्थगन	१००
१२७.	परिमीमन-भ्रवधि की गणना करने में स्थगन काल छोड़ दिया जायगा	१००
१२८.	छूट दिये गये या स्थगित किए गए लगान की धनुरी नहीं की जायेगी	१००
१२९.	सट्टाल में लगान का पुनरीक्षण	१००

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

१३०.	लगान के भुगतान के मद्दे पैदावार को बचक रक्षना	१०१
१३१.	अध्यायी द्वारा भुगतान के विषय में अनुमान	१०१
१३२.	लगान के भुगतान का उपयोग	१०२
१३३.	लगान का भुगतान क्रिस्त भांति होगा	१०२
१३४.	मनो आर्डर की रसीद के विषय में अनुमान	१०२
१३५.	भाषामो का रसीद पाने का अधिकार	१०३
१३६.	रसीद का विवरण	१०३
१३७.	रसीद-वही छपाने और प्रदाय करने का दायित्व सरकार का होना	१०४
१३८.	सेवा विवरण प्राप्त करने का भाषामो का अधिकार	१०४
१३९.	लगान को तहसीलदार के न्यायालय में जमा कराया जाना	१०४
१४०.	जमा कराई हुई रकम का तहसीलदार द्वारा व्यवस्थान	१०४
१४१.	वाद के विचारार्थ-काल में लगान का न्यायालय में जमा कराया जाना	१०५
१४२.	वादों पर राक	१०६
१४३.	स्विनि क्रिसमें धाराएं १३६ से १४२ तक लागू नहीं होंगी	१०६
१४४.	पैदावार के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व	१०६
१४५.	जिन्गी लगान उपज के वास्तविक विभाजन के जरिये काबिज वसूली होना	१०७
१४६.	बाई गाड़ी-भाड़ा न दिया जाना	१०७
१४७.	कन्क्टर द्वारा, प्रचलित सूचियों की ताजिकता प्रकटित किया जाना	१०७
१४८.	विभाजन, अनुमान या कूते करने के लिए अधिकारी की निर्दुष्टि के निमित्त प्रार्थना पत्र	१०८
१४९.	ऐसे प्रार्थना पत्र के विषय में कार्य प्रणाली	१०९
१५०.	उपज के रूप में लगान को बचाया के लिए वाद	११०
१५१.	विरतो का नियत किया जाना	११०
१५२.	लगान का बच बचाया होना	१११
१५३.	बचाया के कारण गिरफ्तारी या निरोध का निषेध	१११
१५४.	बचाया वसूल करने का तरीका	१११
१५५.	सह भाषामो के विच्छेद वाद	११२
१५६.	बचावार्थों का संयोजन	११३
१५७.	बचाया के दावे में छिन्नी देने वाले न्यायालय द्वारा विदिति के कारण छूट	११३
१५८.	विवादों को बचावार्थों के लिए ग्राह	११४
१५९.	बनियत बचावार्थों को वसूली सू-राज्य को रूप में किया जाना	११४
१६०.	भुगतान में सामान्य इग्तारी की दगा में बचाया को वसूली	११४

अध्याय ११

बेदखली

१६१.	बेदखली अपिनियम के अनुसार होना	११६
१६२.	बेदखली होने पर बकाया की मांग की पूर्ति होना	११७
१६३.	विलोपित	११७
१६४.	बेदखली होने की दशा में मुपार वार्य के लिए प्रतिकर (मुआवजा)	११८
१६५.	प्रतिकर का भुगतान	११८
१६६.	बेदखली होने पर फसलो तथा वृक्षों सम्बन्धी अधिवार	११८
१६७.	नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा सामील	१२०
१६८.	रिहायशी मकानों से बेदखली नहीं होना	१२१
१६९.	बकाया के भुगतान के लिए और भुगतान न करने पर बेदखली के लिए नोटिस जारी करना	१२१
१७०.	नोटिस जारी होने के पश्चात् कार्य प्रणाली	१२२
१७१.	धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम व क्षण्डन	१२३
१७२.	उपस्थित होने पर, मुआवजे के लिए आसामी का दावा	१२४
१७३.	मुद्द दशाओं में वादो और प्रार्थना पत्रों पर रोक	१२४
१७४.	समान की बकाया की डिफ्री को निष्पादित करने में बेदखल किया जाना	१२५
१७५.	अवैध अन्तरण या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली	१२६
१७६.	धारा १७५ के अन्तर्गत डिफ्री अथवा आज्ञा	१२६
१७७.	हानिप्रद वार्य या दातं भग के कारण बेदखली	१३०
१७८.	धारा १७७ के अन्तर्गत डिफ्री या आज्ञा	१३१
१७९.	मुआवजे आदि के लिए वाद	१३२
१८०.	खुदकाश्त के आसामियों या गैर खातेदार आसामियों या शिकमी आसामियों की बेदखली के लिए अतिरिक्त उपबन्ध	१३२
१८१.	आवेदन पत्र और नोटिस	१३५
१८२.	नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् की कार्यवाही	१३६
१८२क.	धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रार्थना पत्रों के लिए समय की अवधि	१३७
१८२ख.	व्यक्तिगत काश्न के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना	१३७
१८३.	कतिपय प्रतिश्रमियों की बेदखली	१३७
१८४.	प्रवर्तन का समय	१३६
१८५.	डिफ्री या आज्ञा के निष्पादन का तरीका	१४०
१८६.	विमुपत	१४०
१८७.	अवैध बेदखली का प्रतिकार	१४०
१८७क.	धारा १८७ के उपबन्धों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना	१४२

अध्याय ११

बेदखली

१६१.	बेदखली अपिनियम के अनुसार होना	११६
१६२.	बेदखली होने पर बकाया की मांग को पूरित होना	११७
१६३.	विलोपित	११७
१६४.	बेदखली होने की दशा में सुधार कार्य के लिए प्रतिकर (मुआवजा)	११८
१६५.	प्रतिकर का भुगतान	११८
१६६.	बेदखली होने पर फसलो तथा वृक्षो सम्बन्धी अधिकार	११८
१६७.	नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा तारीख	१२०
१६८.	रिहायशी मकानों से बेदखली नहीं होना	१२१
१६९.	बकाया के भुगतान के लिए और भुगतान न करने पर बेदखली के लिए नोटिस जारी करना	१२१
१७०.	नोटिस जारी होने के पश्चात् कार्य प्रणाली	१२२
१७१.	धारा १७० के अन्तर्गत दी गई धाजा का परिणाम व लण्डन	१२३
१७२.	उपस्थित होने पर, मुआवजे के लिए धासामी का दावा	१२४
१७३.	कुछ दशासु में वादो और प्रार्थना पत्रों पर रोक	१२४
१७४.	लगान की बकाया की डिफ्री को निष्पादित करने में बेदखल किया जाना	१२५
१७५.	अवैध अन्तरण या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली	१२५
१७६.	धारा १७५ के अन्तर्गत डिफ्री अथवा धाजा	१२६
१७७.	हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली	१३०
१७८.	धारा १७७ के अन्तर्गत डिफ्री या धाजा	१३१
१७९.	मुआवजे आदि के लिए वाद	१३२
१८०.	खुदकाश के धासामियों या गैर खातेदार धासामियों या शिकमी धासामियों की बेदखली के लिए अतिरिक्त उपबन्ध	१३२
१८१.	आवेदन पत्र और नोटिस	१३५
१८२.	नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् की कार्यवाही	१३६
१८२क.	धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रार्थना पत्रों के लिए समय की अवधि	१३७
१८२ख.	व्यक्तिगत काश के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना	१३७
१८३.	कतिपय अतिरिक्तियों की बेदखली	१३७
१८४.	प्रवर्तन का समय	१३९
१८५.	डिफ्री या धाजा के निष्पादन का तरीका	१४०
१८६.	बिभुप्त	१४०
१८७.	अवैध बेदखली का प्रतिकार	१४०
१८७क.	धारा १८७ के उपबन्धों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना	१४२

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता

२०६.	विचाराधीन मामलों आदि के लिए व्यवस्था	१५०
२०७.	केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रार्थना पत्र	१५३
२०८.	सिविल प्रोसीजर कोड का लागू होना	१५४
२०९.	वादी को कोई ऐसी सहायता देना जिसे पाने का वह हकदार हो	१५४
२१०.	सद्भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाने की दलील पेश करने की दशा में कार्य-प्रणाली	१५५
२११.	सह मागियों द्वारा वाद इत्यादि	१५५
२१२.	व्यादेश तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध	१५६
२१३.	लगान को बकाया की डिक्ली के निष्पादन में लातेदार आसामी के हित का बेचा जाना	१५७
२१४.	इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों की परिसीमा	१५८
२१५.	देय न्यायालय शुल्क	१५९
२१६.	राजस्व न्यायालय के बैठक का स्थान	१६०
२१७.	विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों को साधारण शक्तियाँ	१६०
२१८.	राजस्व न्यायालयों की स्वामाविक शक्तियाँ	१६१
२१९.	राजस्व न्यायालय की प्रतिरिक्त शक्तियाँ	१६१
२२०.	न्यायालय जिनमें कार्यवाही दायर की जायेगी	१६१
२२१.	राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता	१६२
२२२.	जब तक इस अधिनियम द्वारा अनुमत न हो अपील नहीं होगी	१६२
२२३.	मूल डिक्रियों की अपीलों	१६२
२२४.	अपील में पारित डिक्रियों की अपीलें	१६३
२२५.	आज्ञाओं की अपीलें	१६३
२२६.	किसी अपील को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने की बोर्ड की शक्ति	१६४
२२७.	अधिनियमितता के कारण किसी डिक्ली या आज्ञा को पट्टा या उपान्तरित न किया जाना	१६४
२२८.	अपीलों के निमित्त परिसीमा	१६५
२२९.	बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन किये जाने की शक्ति	१६६
२३०.	बोर्ड को वाद भगवा भेजने की शक्ति	१६६
२३१.	हाई कोर्ट की बादो को भगवा भेजने की शक्ति	१६७
२३२.	रेकार्ड भगवाने तथा बोर्ड को निर्देश करने की शक्ति	१६८
२३३.	रेवेन्यू बोर्ड द्वारा मामलों का अन्तरण	१६९
२३४.	विलुप्त	१६९
२३५.	क्लकटर भयवा सवडिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण तथा उन्हें वापिस लिया जाना	१६९

२३६.	विनुप्त.	१६९
२३७.	कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण	१६९
२३८.	हाई कोर्ट द्वारा राजस्व अपीलों का अन्तरण	१६६
२३६.	स्वामित्व के अधिकार की दलील प्रस्तुत किये जाने की दशा में कार्य प्रणाली	१७०
२४०.	धारा २३६ के अन्तर्गत अपीलों के लिए परिमीमा तथा न्यायालय शुल्क	१७१
२४१.	स्वामित्व के अधिकार के प्रदन के निर्णय हेतु प्रमिलेस में सामग्री उल्लब्ध न होने की दशा में, अपीलों के बारे में प्रक्रिया	१७१
२४२.	सिविल न्यायालय में टिनेंसी के अधिकार की दलील पेश की जाने की दशा में प्रक्रिया	१७२
२४३.	अधिकारिता के प्रदन की हाई कोर्ट में निर्देशित करने की शक्ति	१७३
२४४.	अपीन में यह दलील पेश करना कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था	१७४
२४५.	प्राप्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने की दशा में कार्य प्रणाली	१७५

अध्याय १६

विविध

२४६.	राजस्व, साम इत्यादि की बकाया	१७६
२४७.	भुगतान किए हुए राजस्व की बकाया के लिए वाद	१७७
२४८.	इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद	१७८
२४९.	हिमाय का निबटारा करने के लिए वाद	१७८
२५०.	कुछ मामलों में पक्षों का संयोजन	१७८
२५१.	रास्ते तथा अन्य निजी मुष्काचार के अधिकार	१७६
२५२.	आसामों, अवैध रूप से ली गई रकमों के लिए प्रतिकर का हकदार होगा	१८०
२५३.	रसीद देने में विफलता	१८१
२५४.	इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का संरक्षण	१८१
२५५.	सबों प्राडि की बमूली	१८१
२५६.	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक	१८२
२५७.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	१८२
२५८.	कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति	१८३
२५९.	नियमों का पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होना	१८४
२६०.	अपवाद	१८४
	प्रथम अनुसूची	१८५
	द्वितीय अनुसूची	१८६
	तृतीय अनुसूची	१८७
	चतुर्थ अनुसूची	२०६

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

विषय सूची

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ	२०६
२. परिभाषाएं	२०९
३. राजस्थान राजस्व विधियों का संशोधन	२०९
४. राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य रूप भेद	२०६
५. राजस्थान राजस्व विधियों तथा उनके अन्तर्गत निमित्त नियमों आदि का विस्तार	२१०
६. अधिकारियों तथा प्राधिकारियों का निर्देश	२१०
७. अर्थ लगाने का नियम	२१०
८. कठिनशर्तों को दूर करने की शक्ति	२१०
९. निरसन तथा बचाव	२११
प्रथम अनुसूची	२११
द्वितीय अनुसूची	२११

टिनेन्सी (सरकार) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त शीर्षक व प्रारम्भ	२१४
२. व्याख्या	२१४

अध्याय २

३-७. धारा ५ के खण्ड (२८) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम	२१४
--	-----

अध्याय ३

धारा ३१ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम	
८. भाषामियों को रिहायशी मकान के लिए भूमि दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र	२१५

८६-१७. कृषि-श्रमिक या दस्तकार द्वारा रिहायशी मकान के लिए भूमि स्थल हेतु प्रावेदन-पत्र

२१६

अध्याय ४

अधिनियम की धारा ३२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

१८. पट्टों तथा उनकी प्रतिपत्तों के प्रपत्र	२१७
१९-२०. पंजियन के बदले पट्टों का प्रमाणीकरण	२१८
२१. प्रमाणीकरण का प्रपत्र	२१८
२२. व्यक्ति जो दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकेंगे	२१८
२३-२४. प्रविष्टियां जो भू-अभिलेख के निरोधक द्वारा की जायगी	२१९

अध्याय ४क

२४-क. एक्ट की धारा ५३ (१) के प्रयोजनार्थ न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण	२१९
--	-----

अध्याय ५

२५. अधिनियम की धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम	२१९
--	-----

अध्याय ५क

धारा ९८, ९९, १०० तथा १०४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५-क. जहां भू-राजस्व निर्दिष्ट किया जा चुका हो उस दशा में अधिकतम लगान	२२०
२५-ख. उन क्षेत्रों में जहां लगान निर्दिष्ट कर दिया गया है अधिकतम लगान	२२०
२५-ग. कतिपय मामलों में उच्चतर अधिनियम लगान	२२०
२५-घ. जिसी लगान की अधिकतम दर	२२०

अध्याय ६

२६. अधिनियम की धारा १२६ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम	२२१
२७-२९. व्यापक लगान-संयोजन की गिफारिश की जानी चाहिए इसका निर्णय करने के लिए सिद्धान्त	२२१
३०. सिद्धान्त जिनके अनुसार यह निर्णय किया जायगा कि स्थिति की हुई लगान-राशि बगून की जानी चाहिए प्रयत्न नही	२२२

निरीक्षण तथा छति का अनुमान

३१. परतलों की दशा पर निरन्तर निगरानी रखने की आवश्यकता	२२२
३२. विशेष जांच	२२३
३३. गैरों का वर्गीकरण तथा मुक्यात का अनुमान	२२३
३४. सामान्य क्षेत्र	२२४

३५.	प्रारम्भिक रिपोर्ट जो कमिश्नर को भेजी जायगी	२२५
३६.	कलक्टर को प्रारम्भिक रिपोर्ट पर कमिश्नर के आदेश	२२७
३७.	सुकसान का खसरा व रिलीफ खतोनी में इन्द्राज	२२७
३८.	निश्चित लगान देने वाले आसामियों के भूमि क्षेत्रों में सहायता की गणना	२२८
३९.	इन्द्राजों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच	२२९
४०.	एक-सी क्षति होने के कतिपय मामलों में रिलीफ खतोनी का आवश्यक न होना	२२९
४१.	शिकमी आसामियों को रिलीफ	२२९

अध्याय ७

अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

४२.	रसीद बहियां और तहसीलदार का उत्तरदायित्व	२२९
४३.	लेखा प्रपत्र	२३०
४४.	बहियों को जारी करने आदि के बारे में नियम	२३०

अध्याय ८

अधिनियम की धारा १३८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के हेतु नियम

४५.	आसामी कब लेखा-विवरण मांग सकेगा	२३०
४६.	फीस जो मांग के साथ दी जावेगी	२३१
४७.	भूमिधारी द्वारा लेखा-विवरण का भेजा जाना	२३१

अध्याय ९

अधिनियम की धारा १४८-१४९ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४८.	फसलों का विभाजन, अनुमान प्रथवा मूल्यांकन करने के लिए अधिकारी का नियत किया जाना	२३१
४९.	गुन्क (फीस)	२३१

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १६० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

५०.	प्रार्थना पत्र पर ग्याथालम शुल्क	२३१
-----	----------------------------------	-----

५१.	क्षेत्र जिसके बारे में प्रार्थना पत्र होना	२३१
५२.	अनुसूचियों जो प्रार्थना पत्र के साथ लगाई जायेंगी	२३२
५३.	प्रार्थना पत्र के साथ रसीद वही का प्रस्तुत किया जाना	२३२
५४.	प्रार्थना पत्र का सत्यापन	२३२
५५.	प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही	२३२
५६.	अनुसूची की कलक्टर द्वारा जांच	२३२
५७.	बमूली करने वाले कर्मचारी वर्ग	२३२
५८.	अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग	२३२
५९.	अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के खर्च की सीमा	२३२
६०.	रमोद दिया जाना	२३३
६१.	बमूली की बकाया की रकम का व्यवस्थापन	२३३
६२.	मुग़तान की गई रकम का इन्द्राज फंड बुक में किया जाना	२३३
६३-६४.	हिमाचल का मोलात	२३३

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

६५.	मुद्रकादन व गैर सातेदार आमागियों अथवा शिकमो आमागियों को वेदखत करने की प्रणाली	२३३
६६.	धारा १८० के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ न्यूनतम क्षेत्र का निर्धारण	२३४
	अनुसूची	२३५
	प्रपत्र क में ज	२३८

टिनेन्सी (राजस्व मंडल) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

१.	प्रारम्भ नाम तथा प्रारंभ	२४६
२.	परिभाषा	२४६

अध्याय १क

धारा ५ के खण्ड (१४) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

२क. उपवनो के अन्तर्गत सम्बन्धी नियम	२४६
२ख. विवरण जो दिया जाना चाहिए	२४६
२ग. हित अन्तरण की रिपोर्ट उपवन-धारी द्वारा किया जाना	२४७
२घ. उपवन की अवाप्ति की सूचना दिया जाना	२४७
२ङ. उपवन यदि अपने स्वरूप में न रहे तो रिपोर्ट किया जाना	२४७

अध्याय २

धारा १६-३० के प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने के लिये नियम

३. विलोपित	२४७
४. धारा २०(१) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण	२४७
५. धारा २०(२) के अन्तर्गत नोटिस का प्रपत्र	२४८
६. सुधारों का मूल्य निश्चित करने में प्रत्येक विचारणीय मामले	२४८
७. विलोपित	२४८
८. नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र	२४८
९. धारा ३६-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस	२४८
१०. धारा ३५-क (२) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण पत्र	२४८
११. नालबट के अधिकार की अवाप्ति का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'ड' में होगा	२४८

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८-५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

१२. आवेदन पत्र के साथ पेश होने वाले दस्तावेज	२४८
१३. नोटिस जारी किया जाना	२४९
१४. आपत्तियों का निबटारा तथा जाने की प्रक्रिया	२४९
१५. लगान का विभाजन	२४९
१६. विनिमय के प्रादेश देने में पालनीय सिद्धान्त	२४९
१७. नक्सा तैयार किया जाना	२५०

अध्याय ४

धारा ५३-५४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम
भूमि क्षेत्रों (होल्डिंग्स) का विभाजन

१८. भूमि क्षेत्र का मूल्यांकन	२५०
१९. विभाजन करने में पालनीय सिद्धान्त	२५०
२०. नक्शों का तैयार किया जाना तथा उप-विभाजित क्षेत्रों का सीमांकन	२५१
२१. विषय की दृष्टि में भूमि क्षेत्र को लेने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के दावे का निर्णय	२५१

अध्याय ५

धारा ६० से ६२ तक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम
लगान के भुगतान का प्रबंध

२२. धारा ६० के अन्तर्गत नोटिस	२५१
२३. उद्घोषणा जारी किया जाना	२५१
२४. उद्घोषणा की तामील करने की रीति	२५१
२५. धारा ६२ के आवेदन-पत्र का प्रपत्र	२५१

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित
करने के लिये नियम

२५-क. धारा ६६ या धारा ६७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र	२५२
२५-ख. पटवारी की रिपोर्ट	२५२
२५-ग. नगरपालिका से विचार विमर्श	२५२
२५-घ. आवेदन-पत्र का निपटारा	२५२
२५-ङ. परिस्थितियाँ जिनमें हकीकत ही जा सकती है	२५२
२५-च. परिस्थितियाँ जिनमें आवेदन-पत्र असवीकार किया जायगा	२५३
२६. आवेदन-पत्र की विषय वस्तु	२५३
२७. नोटिस जारी करना	२५४
२८. गुपार का निरीक्षण	२५४
२९. आपत्तियों का निपटारा और रकम का निश्चयन	२५४
३०. गुपार रजिस्टर	२५४

अध्याय ६क

अधिनियम की धारा ८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने लिये नियम

३०-क. धावेदन पत्र की विषय वस्तु	२५५
३०-ख. नोटिस जारी करना	२५५
३०-ग. भूमि क्षेत्र का निरीक्षण	२५५
३०-घ. आपत्तियों का निर्णय तथा मुआवजे का निश्चयन	२५५
३०-ङ. मुआवजे की रकम जमा करना	२५५

अध्याय ७

धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

३१. लाइसेन्स	२५६
३२. विशेष लाइसेन्स	२५६
३३. सामान्य लाइसेन्स	२५६
३४. विच्छोषित	२५७
३५. लाइसेन्स फीस	२५७
३६. लाइसेन्स जारी करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें	२५७
३७. लाइसेन्स की शर्तें	२५७
३८. लाइसेन्स का निरीक्षण	२५८
३९. लाइसेन्स रद्द किया जाना	२५८
४०. लाइसेन्स का समर्पण	२५८

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४१. लगान की दरों का प्रकाशन	२५८
४२-४३. तहसीलदार द्वारा जांच एवं निश्चय	२५८

अध्याय ९

धारा १३९-१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

४४-५६. लगान का तहसील में जमा कराना	२५९
------------------------------------	-----

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने
के लिए नियम

५७. फसल काटने के समय प्रचलित भावों को एक नकशा तैयार करना

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६६, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७
तथा १७८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

५८. आवेदन पत्र की विषय वस्तु	२६१
५९. आवेदन पत्र का सत्यापन	२६२
६०. नोटिस	२६२
६१-६२. भूमि क्षेत्र के इस भाग का निश्चयन जिससे आसामी बेदखल किए जाने की है	२६२
६२-क. धारा १७७ के अन्तर्गत किसी मामले में भाग निश्चित करना	२६३

अध्याय १२

अधिनियम की धारा १८०-१८२ को क्रियान्वित करने के लिये नियम
सुदकारित या गैर खातेदार आसामी अथवा
शिकमी आसामी की बेदखली

७३-७४. आवेदन का प्रपत्र	२६३
७२. सगान का विभाजन	२६५

अध्याय १३

७३-७६. अधिनियम की धारा १७९-१८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित
करने के लिए नियम

२६५

अध्याय १४

अधिनियम की धारा २१३ के प्रावधानों को क्रियान्वित
करने के लिए नियम

८०. आसामी की भूमि का मूल्यांकन	२६६
८१. भूमि के शिकमी भाग में निहित-हित का विक्रय	२६६
८२. विक्रय की घोषणा	२६७
८३. विक्रय का स्थान	२६७

अध्याय १५

अधिनियम की धारा २३६ तथा २४२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

८७.	आदेशिका-शुल्क प्रश्न उठाने वाले पक्ष द्वारा दिया जाना	२६७
८८.	पक्षों को नोटिस	२६८
८९.	सिविल न्यायालय को प्रेषण	२६८
९०.	रजिस्टर मुकदमे में इन्द्राज	२६८
९१.	कागजात का मत्पी 'क' और मत्पी 'ख' में वर्गीकरण	२६८
९२.	सिविल न्यायालय द्वारा प्रेषण	२६८
९३.	प्रेषण रजिस्टर में इन्द्राज	२६८
९४.	प्रेषण रजिस्टर	२६९
९५.	प्रेषण फाइल	२६९
९६.	प्रेषण को माहवारी नक्शों में बताया जाना	२६९

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

९७.	शपथ-पत्र के अनुसार शपथ लेना	२६९
९८.	फीस	२६९
९९.	व्यक्तियों तथा स्थानों का पूरा विवरण दिया जाना	२६९
१००.	व्यक्ति जो शपथ ले सकते हैं	२७०
१०१.	शपथ पत्रों के प्रपत्र	२७०
१०२.	जानकारी में होने वाले सभ्यो प्रपत्रों का बताया जाना	२७०
१०३.	शपथ लेने वाले की सहिदान	२७०
१०४.	पदानिदीन स्त्री द्वारा शपथ-पत्र	२७१
१०५.	शपथ के प्रपत्र	२७१
	प्रपत्र	२७१
		२७२-२६२

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५

(एक्ट संख्या ३, सन् १९५५)

(राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक १४ मार्च, १९५५ को प्राप्त हुई)

आमुख

वृषि-भूमियों के वृषिकरण से सम्बन्धित कानून को समेकित तथा संतोषित करने और भूमि की उन्नति के कुछेक उपायों व तत्सम्बन्धी मामलों को व्यवस्था करने के लिये अधिनियम ।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के छठे वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

टिप्पणी

१. आमुख:— आमुख निरसन्देह अधिनियम का एक भाग होता है परन्तु उसका उपयोग अधिनियमित करने वाले भाग का स्पष्टीकरण करने के लिए किया जाता है न कि उसका नियंत्रण करने के लिए । आमुख का प्रयोजन सामान्य रूप में उस उद्देश्य को बनाना होता है जिसके लिए कि अधिनियम पारित किया जाता है, परन्तु उमम उन सब मामलों का उल्लेख कर दिया जाय जिनकी पूर्ति के लिए वह अधिनियम बनाया गया था ।

२. समेकन एवं संशोधन:—समेकित एवं संशोधन करने वाले अधिनियम का श्रुति निकालते समय न्यायालय को पुराने निर्णयों पर विचार करने का भी अधिकार है । यदि अधिनियम के किसी खण्ड का न्यायालय द्वारा कोई अर्थ निकाला जाने के पश्चात् उसी रूप में पुनः अधिनियमित किया जाता है तो यही समझा जायगा कि विधान मंडल ने उस अर्थ को अंगीकार कर लिया है ।

३. प्रारंभ की तारीख:—यह अधिनियम १५ अक्टूबर १९५५ में राजस्व विभाग की अधिमूचना सं० एफ १ (१०) रे० ११३/५५ ता० १५ अक्टूबर १९५५ द्वारा प्रमादगीन किया गया था ।

४. विस्तार:—यह अधिनियम अब सुमत्त राजस्थान राज्य में लागू है जिसमें आन्ध्र प्रदेश एवं सुनेल क्षेत्र भा १५ जून १९५५ से सम्मिलित हैं । इस विषय में राजस्व (स) विभाग की अधिमूचना संख्या एफ. १ (२८१)/रे०/६१/५६ दिनांक २७ मार्च १९५८ राजस्थान राजपत्र भाग ४(ग) ता० ८-५-१९५८ में पृष्ठ २५ पर प्रकाशित हुई थी ।

+ (३) कृषि-भूमियों के कृषि-करण सम्बन्धी कोई रीति या रिवाज जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, राज्यों के पुनर्गठन से पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य—सिरोज क्षेत्र को छोड़कर के किसी भाग में, प्रथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के समय, आव्र, अजमेर प्रथवा सुनेल क्षेत्र में, प्रवृत्त हो, तथा विधि का बल रखती हो, यदि उक्त रीति या रिवाज इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध प्रथवा असंगत हो तो, जहां तक विरुद्ध अथवा असंगत है, उस सीमा तक क्रियाशील नहीं रहेगी।

+ + (४) उक्त प्रारम्भ के समय विद्यमान तथा क्रियाशील कृषिभूमियों के कृषिकरण सम्बन्धी किसी प्रकारनाम के उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से विरुद्ध प्रथवा असंगत हैं, उन व्यावृत्तियों (सेविज) के अधीन रहते हुए जिनका इस अधिनियम में अन्वय प्रथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ में प्रावधान है, नूतन हो जायेंगे और उक्तवर्ण विरुद्ध प्रथवा असंगत होने की सीमा तक क्रियाशील नहीं रहेंगे।

- ४. विलोपित—X

टिप्पणी

घालू कार्यवाहियों पर विद्युत् का प्रभाव:— धारा २०६ (१) के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय और किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए सब दावे, मामले, अपीलें, आवेदन पत्र, निदेश (रेकॉर्ड) और कार्यवाहियां जो उन बातों में सम्बन्धित हैं जिनका समावेश इस अधिनियम में किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ किए हुए समझे जावेंगे। अतः राजस्थान आसामी संग्रहण अध्यादेश १९५६ (धारा पी. टी. घो.) के नीचे राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियां अत्र इस अधिनियम के अनुसार की जावेंगी।

परिभाषा:— इस अधिनियम में जब तक प्रयोगवा प्रथवा अर्थव्यक्ति न हो:—

(१) "कृषि वर्ष"—से धनिप्राय १ जुलाई से प्रारम्भ होकर आगामी ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष से होगा।

टिप्पणी

ग्रिगेरियन कलेंडर का वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक का गिना जाता है जब कि कृषि वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का माना जाता है।

(२) "कृषि"—में उद्यान-कार्य सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

कृषि का मूल अर्थ भूमि जोतने में है और इस अर्थ में कृषि करने से सम्मान्य धनिप्राय सात सप्ताह एवं फल (मनुष्यों के लिए) और पशुओं के लिए चारा उगाने के

+ देनाए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + उपरोक्त

X देनाए राजस्थान अधिनियम संख्या ३ सन् १९५८

लिए भूमि जोतने से है। इसमें यागवानी और उदान कर्म भी सम्मिलित हैं।

(३) "कान्तवार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति में होगा जो ग्रामिण घण्टा वसु वालन में स्वयं अपने आप घण्टा नोकरों या आमातियों के द्वारा पूर्णांग; अथवा मुख्य घण्टा जीवन निर्वाह करता है;

(४) "सहायक कनक्टर" से अभिप्राय राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन आर्डिनेंस १९४९ के अन्तर्गत घण्टा तत्समय प्राण विगो अन्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त किए गए सहायक कनक्टर से होगा;

(५) "विस्वेदार" + + से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति में होगा जिसे राज्य के किसी भाग में कोई गांव अथवा गांव का कोई भाग विस्वेदारी पुरानुसार दिया जाता है तथा जो अधिकार घमिलेन (मिसल हकीयत) में विस्वेदार घण्टा स्वामी के रूप में दर्ज किया जाता है और उसमें अत्रमर क्षेत्र का खेकटदार सम्मिलित होगा;

(६) "बोर्ड" + से अभिप्राय राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेंस १९४९ के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत राज्य के लिये स्थापित तथा गठित राजस्व मण्डल से होगा;

टिप्पणी

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेंस १९४९ की धारा १९ के नीचे मुकदमे सुनने को जिन अतिरिक्त कमिश्नरों को नामादित किया गया था वे बोर्ड के अधीनस्थ न्यायालय नहीं माने जा सकते। अतः धारा १९ के नीचे सीधे गये मामले का पुनरीक्षण करने की अधिकारिता बोर्ड को नहीं है।

(६-क) "अधिकतम क्षेत्र" + + से, सम्पूर्ण राज्य में वही भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी हेतियत में धारित भूमि के प्रसंग में, अभिप्राय भूमि के इस अधिकतम क्षेत्र से होगा जो कि उक्त व्यक्ति के प्रसंग में धारा ३०-गा के अन्तर्गत नियत किया जा सके;

(७) "कनक्टर" से अभिप्राय, राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन आर्डिनेंस १९४९ के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त किये गये कनक्टर या अतिरिक्त कनक्टर से होगा;

(८) विनियमित + + +

१. डिवसनेरी ऑफ सॉ—एन्डरसन

१. किचोरसिंह V राजस्व मंडल राजस्थान, 1953 R.L.W. 21

+ + उपरोक्त

+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

+ + + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२

Clubs

(६) "क्लब्स" में छोटे बूझ, झाड़ियों, पौधे, तथा बेलें जैसे गुलाब की भाड़ियां, पान की बेलें, मेंहदी की भाड़ियां, केले तथा परीने सम्मिलित होंगे परन्तु उनमें चारा व प्राकृतिक उपज सम्मिलित नहीं होगी।

टिप्पणी

"क्लब्स" शीपक के नीचे स्वल्पायु वाले पौधों की गिनती केवल दृष्टान्त रूप में की गई है न कि सर्वांग रूप में। 'सम्मिलित है' के प्रयोग का अभिप्राय यही है कि परिभाषा अपने महत्त्व रूप में समझी जावे और उसका विषय क्षेत्र थोड़ा विस्तृत करके उसमें ऐ-१ पौधे ले लिए जावें जो सामान्यतः उनमें सम्मिलित नहीं मन्ने जाते।

ESTATE

(१०) "भू-सम्पत्ति" में अभिप्राय जागीरदार ^{द्वारा} धारित जागीर-भूमि या जागीर-भूमि में हित से होगा और उसमें विस्वेदार × [" "] या जमीनदार द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित सम्मिलित होगा;

ESTATE - HOLDER

(११) "भू-सम्पत्ति-धारक" से अभिप्राय तत्कालीन भू-सम्पत्ति के किसी धारक यथा जागीरदार × [" "] विस्वेदार या जमीनदार से होगा,

EXISTING JAGIR LAW

(११-ब) "विद्यमान जागीर कानून" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अधिनियम, अध्यादेश, आनियम, नियम, आदेश, मन्त्र, अधिमूवना या उप-नियम में होगा और इसमें:—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में उक्त जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त तथा विधि-बन् रचने वाली बोर्ड रीति या रिवाज, और

GRANT

(ख) जागीर भूमियों का अनुदान करने वाले अथवा उनके अनुदान को मान्यता प्रदान करने वाले किसी आदेश अथवा नियम में अन्तर्विष्ट प्रतिबंध तथा शर्तें, सम्मिलित होंगी।

FRAGMENT

(११-ग) 'अपभ्रंश' से अभिप्राय भूमि के ऐंसे टुकड़े में होगा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम से क्षेत्रफल में कम हो;

GRANT

+ + (१२) 'अनुदान' में अभिप्राय राज्य के किसी भाग में भूमि धारण करने या भूमि में हित रखने के अनुदान अथवा अधिकार में होगा और वह व्यक्ति जिसे उक्त अधिकार दिया जाय उसका अनुदान-सहीना कहा जायेगा;

GRANT

१. बंगाल प्रान्त Vs श्रीमती हिंगल कुमारी, AIR 1946 Cal. 217

× देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६

+ देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

+ + देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + + (१३) "अनुदान लगान-दर पर अनुदान"—से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में] ऐसे लगान पर किये गये अनुदान से होगा जो स्थायित्व, लगान-दर के अनुसार संगणित उनके लगान से गुप्त हो तथा जिसमें अनुदान की घाती के अनुसार, अध्याय ९ के अंतर्गत हेर फेर न किया जा सके; और ऐसे अनुदान घाती को "अनुदान लगान दर पर अनुदान घाती" कहा जायगा जिस अभिव्यक्ति में मुनेल क्षेत्र का रियायत घोषणा भी सम्मिलित माना जायगा।

(१४) "उपवन धारी"—से अभिप्राय जब तक उपवन अपने स्वरूप में स्थित रहे, सातेदार घातामी अथवा मुद-कास्त-धारी से होगा।—जो कि अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या इसके किसी भाग पर उपवन रखता हो और विहित रीति से उमें वागजात में उपवन दर्ज किया हुआ हो;] ×

टिप्पणी

जिस भूमि पर पेड़ लगे हो उस पर काव्ज व्यक्ति को जो उपवनधारी होने का दावा करे साबित करना होगा कि उसने उपवन उस भूमि पर लगाया है जो उमें उपवन लगाने को दी गई थी।

(१५) "उपवन-भूमि"—से अभिप्राय (राज्य के किसी भाग में) भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े से होगा जिस पर वृक्ष ऐसी सख्या में लगे हुए हों कि जो उक्त भूमि को अथवा उसके किसी अधिकांश भाग को किसी अन्य कृषि-प्रयोजन के लिये मुख्यतया काम में लाने से रोकते हो अथवा पूर्णतः बंद जाने पर रोकेंगे और तरुकेण लगाये गये वृक्ष उपवन के रूप में होंगे;

टिप्पणी

१. विषय—जिस उपवन भूमि के लिए लगान दिया जाता है वह एक विशिष्ट भूमि क्षेत्र है जिस पर पेड़ इतने पास २ लगे होते हैं कि भूमि का उपयोग सिवाय उपवन लगाने के और किसी काम के लिए नहीं किया जा सकता। यदि पेड़ छोटे ही तो मामूली रीति की जा सकती है परन्तु उनके बड़े होने पर खेती में रुकावट होती है। परन्तु जब पेड़ केवल भूमिखण्ड की सीमा पर लगे हो और-उसके बड़े भाग पर खेती होने में रुकावट नहीं डालते तो उम भूमि खण्ड को उपवन भूमि नहीं कहा जा सकता।

२. भूमि का विशिष्ट टुकड़ा:—उपवन भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े पर होना चाहिए इसका अर्थ सम्भवतः यह है कि बिखरे हुए पेड़ जैसे कि सड़क के किनारे के पेड़ उपवन का निर्माण नहीं कर सकते।

३. उपवन का नष्ट होना - इस बात का निश्चय करने के लिए कि उपवन के लक्षण मिट गये हैं या नहीं यह देखना आवश्यक है कि क्या उस भूमि के टुकड़े के अधिकांश-भाग का उपयोग किसी अन्य काम के लिए किया जा सकता है। उपवन नष्ट हो जाने पर

१. काशी V अग्रुवार्ड, 18 R. D. 13

+ + + देखिए राजस्थान अधिनियम सख्या २७ सन् १९५६ तथा २ सन् १९५८
 × देखिए राजस्थान अधिनियम सख्या २७ सन् १९१६

उपवन-धारी खातेदार कागजदार रह जाता है।^१

(१६) "उच्च न्यायालय" से अधिप्राय राजस्थान उच्च न्यायालय से होगा;

(१७) ^{PLANTING} "भूमि-क्षेत्र" से अधिप्राय भूमि के एक या अधिक खण्डों से होगा जो कि एक पट्टे, बदन, या अनुदान के अधीन अथवा ऐसे पट्टे, बदन या अनुदान के न होने की दशा में, एक धारणाधिकार के अधीन घृत हो या हों और उसमें, इजारेदार या ठेकेदार के प्रयोग में इजारे अथवा ठेके का शर्त सम्मिलित होगा;

+ परन्तु, किसी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं भी, एक पट्टे, बदन, अनुदान या धारणाधिकार के अधीन घृत भूमि के सभी खण्ड चाहे उन्हें वह स्वयं जोतता हो, या किराये पर या शिकमी-किराये पर देता हो, अथवा ३-खा के प्रयोजनार्थ, उसका भूमि-क्षेत्र भाने बाँटेंगे और, जहाँ-जहाँ भूमि-एक-से-अधिक-व्यक्तियों द्वारा सह-आवासियों अथवा मह-भागियों को हैसियत में घृत हो, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक का अंश उसका पृथक भूमि-क्षेत्र माना जायगा चाहे उसका वस्तुतः बटवारा हुआ हो या न हुआ हो;

टिप्पणी

यदि भूमि क्षेत्र में बढोती गन्नें: गन्नें: हों तो व भूमि क्षेत्र का भाग होनी है।^१
अधिकारी के कट्टे की भूमि को 'भूमि क्षेत्र' नहीं माना जा सकता।^२

(१८) "इजारा अथवा ठेका" से अधिप्राय लगान की वसूली के लिये दिये गये फार्म या पट्टे में होगा; यह शर्त जिसके सम्बन्ध में इजारा अथवा ठेका है "इजारा अथवा ठेका शर्त" कहलायेगा तथा "इजारेदार अथवा ठेकेदार" से अधिप्राय उस व्यक्ति में होगा जिसे इजारा अथवा ठेका दिया जाय;

टिप्पणी

इजारा या ठेका में अध्याय १३ के अनुसार लगान वसूली के पट्टे में अधिप्राय है। इजारा या ठेका एक संविदा को प्रगट करता है। ठेकेदार का मतकार नहीं होता।^३

(१९) "सुधार" से अधिप्राय, धारणा की भूमि-क्षेत्र के प्रयोग में, निम्नलिखित में होगा:—

—(क) धारणा द्वारा अपने स्वयं के अधिवास के लिये भूमि-क्षेत्र में बनाया गया रहने का मकान या उसके द्वारा अपने भूमि-क्षेत्र में बनाया या स्थापित किया गया पशुओं का बाड़ा, मशर-घर, या कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये कोई अन्य निर्माण;

(ख) ऐसा कोई कार्य जिससे उक्त भूमि-क्षेत्र के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हो और जो उक्त

२. सप्रीमकोर्ट V कामताप्रसाद A.I.R 1932 Oudh 281

३. सुप्रीमकोर्ट V रामराम, 11 R. D 215

४. सप्रीमकोर्ट V रामा प्रताप बहादुर, 6 R. D.—272

५. धारा ५ (४३)

+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

प्रयोजन से गुणागत हो जिसके लिए वह भूमि-क्षेत्र गिराये पर दिया जाय;

ओर, इस सण्ड के पूर्ववर्ती उपयोगों में संशोधन रहते हुए, उद्योग—

(१) वृषि सम्पत्तियों प्रदातृओं के लिये पानी के सप्लाय, प्रदाय अथवा वितरण के लिये बंधो, तालाबों, कुओं, पानों व नालों तथा अन्य माधनों, का निर्माण,

(२) भूमि से जलोत्साराण के लिये, अथवा बाँधों, मिट्टी की बटाई या पानी से होने वाली अन्य प्रकार की किसी धाति से उसकी रक्षा करने के लिये, साधनों का निर्माण,

(३) भूमि का पुनर्घट्टार करना, साफ करना, घेरा बाँधना, समतल करना या ऊँचा करना,

(४) भूमि-क्षेत्र के ठीक पास ऐसी भूमि पर जो गाय की आबादी में न हो, भूमि-क्षेत्र के सुविधाप्रद अथवा लाभप्रद उपयोग के लिए अधिवास के लिये अपेक्षित मकान,

(५) उपरोक्त कार्यों में से किसी का नवीनीकरण अथवा पुनर्निर्माण या उनमें ऐसे परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन जो नितान्त मरम्मत के ढंग के न हों, सम्मिलित होंगे; —

लेकिन ऐसे पस्थायी हुए, पानी के नाले, बंध, बाँड़े या अन्य कार्य जो आतामियों द्वारा बेती के साधारण ऋतु में बनाये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;

टिप्पणी

— उक्त उपधारा में 'सुधार' के अंतर्गत जो बातें गिनाई गई हैं वे दृष्टान्त रूप में हैं न कि पूरी सूची के रूप में। जो भी कार्य किसी खाते के मूल्य में तात्त्विक परिवर्द्धन करता है और जो उस उद्देश्य में सुसंगत है जिसके लिए कि खाता दिया गया था, 'सुधार' है परन्तु क्षणिक प्रकृति के निर्माण सुधार नहीं कहला सकते। यह आवश्यक नहीं है कि सुधार उसी खाते पर हो जो कि उनसे लाभान्वित हो।^१ यदि कोई कानूनकार ब्रेदखली के पश्चात् पेड उगाता है तो उसे 'सुधार' नहीं समझा जा सकता।^२ 'सुधार' कर लेने के पश्चात् भी किसान खाते का पूरा लगान देने का दायी है।^३ साधारणतः किसान किसी भी प्रकार का सुधार कर सकता है परन्तु उसे उस उद्देश्य के असंगत किसी काम के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है।^४

उपरोक्त उपधारा के प्रावधान के बाहर निर्माण करना सुधार नहीं है। खातेदार कानूनकार अपने खाते में कोई सुधार कर सकता है—परन्तु उसका यह अधिकार इस उपधारा में परिभाषित 'सुधार' तक ही सीमित है। उसके अन्वया निर्माण करने पर यह राजस्व भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ११(क)-के साथ पठित धारा ६१-के अंतर्गत सण्ड का भागी होगा।

१. केशव प्रसाद Vs रामराज, 13 R. D. 612

२. चरणसिंह Vs मूया, 1944 R. D. 77

३. धारा ७२

४. बिन्दा प्रसाद Vs विहारी तिवारी, A. I. R. 1936 Oudh 816

(२०) (किसीपित) +

(२१) "जागीरदार" में अधिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति में होगा [+ + जो राज्य के किसी भाग में जागीर-भूमि अथवा जागीर-भूमि में कोई हित धारण करता हो और] किसी विद्यमान जागीर-कानून के अन्तर्गत जागीरदार के रूप में मान्यता-प्राप्त हो तथा उसमें जागीरदार से जागीर-भूमि का अनुदान-ग्रहीता सम्मिलित होगा;

JAGIRLAND

X (२२) "जागीर-भूमि" से अधिप्राय राज्य के किसी भाग में ऐसी भूमि से होगा जिसमें अथवा जिसके सम्बन्ध में जागीरदार को नू-राजस्व या किसी अन्य राजस्व के विषय में अधिकार होते हैं और उसमें—

(क) प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य—सौराज क्षेत्र को छोड़कर—में द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट धारणाधिकारों में से किसी पर धृत भूमि;

(ख) बम्बई मर्ज्ड टेरीटरीज एण्ड एरियाज (जागीस एवोनीशन) एक्ट १९५३ (बम्बई एक्ट २६ सन १९५४) की धारा २ की उप-धारा (१) के सण्ड (६) में परिभाषित जागीर के रूप में आवृत्त क्षेत्र में धृत-भूमि; यदि कोई हो,

(ग) अजमेर एवोनीशन ऑफ इण्टरमीडियरीज एण्ड लेण्ड रिफार्म एक्ट १९५५ (अजमेर एक्ट ३, सन् १९५५) की धारा २ की उपधारा (१) के सण्ड (५) में परिभाषित नू-सम्पदा (एस्टेट) के रूप में अजमेर क्षेत्र में धृत भूमि, यदि कोई हो, अर्थात् इस्तमरारी नू-सम्पत्ति के रूप में, अथवा जागीर भूमि, मुआफ़ी, या मुजारा के रूप में अथवा किसी अवयवस्व-इस्तमरारदार या गैर-सनदी इस्तमरार द्वारा धृत भूमि, और

(घ) मध्य भारत एवोनीशन ऑफ जागीस एक्ट सम्बन् २००८ (मध्य भारत एक्ट २८, १९४१) की धारा २ की उप-धारा २ के सण्ड (७) में परिभाषित जागीर-भूमि के रूप में मुनेत्र क्षेत्र में धृत भूमि यदि कोई हो;

X X (ङ) भूमि के स्वामी द्वारा धृत भूमि या भूमि में हित ✓

सम्मिलित होगी;

REVENUE

(२३) "सुदकारित" में अधिप्राय राज्य के किसी भाग में किसी नू-सम्पत्ति-धारी द्वारा स्वयं कानून की गई भूमि से होगा और उसमें—

[१] ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बन्दोबस्त कागजात में सुदकारित, सीर, हुवाला, निजी-जोत-पर-सेत के रूप में उस समय जबकि उक्त कागजात तैयार किये गये थे प्रयुक्त कानून के अनुसार दर्ज की गई हो, और

[२] उक्त प्रारम्भ के पश्चात्, राज्य के किसी भाग में, तत्समय प्रयुक्त किसी कानून के

+ देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९६६

+ + देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९६८

X उत्तराखण्ड

X X देगिए राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४

अन्तर्गत, गुदकाशन के रूप में प्रायश्चित्त भूमि
सम्मिलित होगी;

टिप्पणी

इस उपधारा को उपधाग (२५) के साथ पढ़ना चाहिए। गुदकाशन में अभिप्राय भू-सम्पत्तिधारक द्वारा स्वयं वास्तु की गई भूमि में है। परन्तु इस अधिनियम के नीचे इग गब्द की परिभाषा विस्तृत रूप दी गई है जिसमें भू-सम्पत्तिधारक के परिवार व नवद पारिश्रमिक पर नौकरों इत्यादि से कराई गई वास्तु भी सम्मिलित है। परिभाषा अपने आप-में-पूर्ण है। गुदकाशन या अधिकार अहमत्तान्तरणीय है मिला अदना बदली अथवा जागीरदार की भू-सम्पत्ति के विभाजन से अथवा गुजारे के लिए बन्धीय के लिए।^१

(२४) "भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि-बायीं अथवा तदधीन (Subservient) अन्य बायीं या उपवा या चरागाह के लिये पट्टे पर दी जाय या पारण की जाय तथा उसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकानों या बाटों की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित होगी जो सिंचाई के लिये अथवा सिंचाई या तत्समान अन्य उपज उगाने के लिये काम में लिया जा सके परन्तु उसमें प्रावादी-भूमि सम्मिलित नहीं होगी; उसमें भूमि से, जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी तौर पर सबद्ध वस्तुओं से होने वाले साम सम्मिलित होंगे;

टिप्पणी

अभिव्यक्ति "कृषिकार्यों" की परिभाषा इस अधिनियम में बही नहीं दी गई है। 'कृषि' का अर्थ भूमि जानने से है जिसमें जमीन तैयार करना, बीज बोना, फसल उगाना व काटना और मवेशी पालना इत्यादि की कला या विज्ञान सम्मिलित है।^२ इस अधिनियम में 'कृषि' में 'उद्यान कार्य' भी आता है।^३ आया कोई भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही है अथवा नहीं यह तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले को परिस्थितियों से सम्बद्ध है। परन्तु कोई भूमि-क्षेत्र केवल इसीलिए 'भूमि' कहलाया जाना बन्द नहीं-हो जायगा कि वह वर्ष के कुछ भाग में पानी में डूबा हुआ है और पटवारी के कागजों में उसे तालाब लिख दिया गया है।^४

उपवन भूमि और चरागाह—उपवन की भूमि तो 'भूमि' है परन्तु 'उपवन धारी' इस परिभाषा में वास्तुकार नहीं है। जो भूमि अशतः चराई के काम आती है परन्तु मुख्यतः ऐसी घास उगाने के जो कि छपर पर ढाली जाने के लिए अधिक उपयोगी है

१. धारा १०(२)

२. वेवस्टर गब्द कीत

३. धारा ४ (२)

४. गरदार द व. राममरोरे, 1944 R.D. 69

वह चरागाह है।^१ परन्तु बंजड़ आवश्यक रूप से चरागाह नहीं है यदि उसे इस तरह काम में नहीं दिया जाता।^२

जल मग्न भूमि इसमें प्रयुक्त 'तत्समान अन्य उपज' से स्पष्ट है कि जो वस्तु उगाई जाय वह भूमि में उत्पन्न हो। मछली पानी में रहती है परन्तु यह भूमि की उपज नहीं होती। अतः भूमि के जिस भाग में मछलियाँ पाली जाती हो वह 'भूमि' नहीं है।^३

(२५) भूमि जिसमें खुद ने काश्त की हो—से उसके समस्त व्याकरण सम्बन्धी दयान्तरो तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित, अभिप्राय उस भूमि से होगा जो खुद किसी व्यक्ति के निमित्त—

[१] उसके खुद के धर्म से या

[२] उसके कुटुम्ब के सदस्यों के धर्म में, या

+ [३] उसकी व्यक्तिगत या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की देखरेख में भाड़े के मजदूरों से अथवा नौकरों से जिन्हें मजदूरी नकद में या जिन्स में दी जाती हो परन्तु फसल के धर्म के रूप नहीं

काश्त की गई हो।

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा में जो विधवा हो, या अशक्त हो, या किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक निर्याम्यता से ग्रस्त हो या भारतीय सेना, नौ सेना, या हवाई सेना का सदस्य हो या जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था या विद्यार्थी हो तथा आयु में पच्चीस वर्ष से कम हो, भूमि, उक्त रूपेण व्यक्तिगत देखरेख के अभाव में भी खुद के निमित्त काश्त की हुई समझी जायेगी।

§ (२५-बी) "नू-स्वामी" से अभिप्राय राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड लैंड एक्वी-जीशन आक्ट लैंड घोर्नर्स एस्टेट्स एक्ट, १९६३ (राजस्थान अधिनियम ११ सन् १९६४) की धारा २ के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित नू-सम्पत्ति को, अपनी व्यक्तिगत या निजी सम्पत्तियों के विषय में प्रसंविधा के अनुसार किए गए धीरे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिम रूप से अनुमोदित सम्पत्तियों के अधीन और अनुमाद, धारण करने वाले, राजस्थान की प्रसंविधानान्तर्गत रिमासती के नरेश से है: *LANDFOLD-63*

× (२६) "भूमि धारी"—से अभिप्राय, राज्य के किसी भाग में, उस व्यक्ति से होगा जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसे लगान देय है, या जिसे व्यक्त अथवा गमिन सन्विदा के अन्तर्गत में, लगान देय होगा और उसमें—

१. सलता प्रसाद V. बस्त्रोसिंह 14 R.D. 208

२. महादेव VS. धन्तप्रसाद 1948 R.D. 369

३. बरमेस्वरसिंह VS. शटेनाम, ILR. 1950 All. 1215

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रति स्थापित।

§ राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निश्चित।

× राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ एवं ११ सन् १९६४ द्वारा यथा संशोधित।

✓[१] भू-गणति-धारी,

- [२] अनुसूच समान-दर पर समुदाय-प्रहीता,

[३] उप-पट्टे की दशा में, मुम्त आतामी जिग्ने भूमि निगमी-किराये पर उठाई हो अथवा जगका बंधक-प्रहीता: [२.]

[४] अध्याय ६ तथा १० के प्रयोजनायं हजारदार या ठेकेदार: और

[५] साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति जो प्रगुष्ट धारी (मुफोरियर होस्टर) है, उन व्यक्तियों के प्रसङ्ग में जो भूमि सीधे उनसे लेकर या उनके अधीन धारण करते हैं;

टिप्पणी

इस परिभाषा की मुख्य बात भूमि को किरामे या उप किरामे पर देने का अधिकार है।

इसमें अनिकामक सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसे दोनों में कोई भी अधिकार नहीं है।

∴ (२५ का) "भूमि विहीन व्यक्ति"—से अभिप्राय एक व्यवसायी-पुरुष से होगा जो स्वयं भूमि में काश्त करता है अथवा जिससे युक्तियुक्त रीति से काश्त करने की भाशा की जा सकती है परन्तु जो अपने स्वयं के नाम से अथवा अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से भूमि नहीं धारण करता है अथवा एक भ्रष्टण्ड (fragment) रखता है;

∴ (२६ खा) "भारत की सेना, नौ-सेना अथवा हवाई सेना सदस्य"—अथवा "भूमिपुत्र की सहायक सैन्य बल का सदस्य" में "राजस्थान आर्म्ड कास्टेबुलरी" का सदस्य सम्मिलित होगा;

+ (२६ का-का) "मालिक"—से अभिप्राय कोई जमीनदार या बिस्वेदार जो, राजस्थान जमीनदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट १९५९ के अन्तर्गत अपनी भू-सम्पत्ति के राज्य सरकार में निहित हो जाने पर, अपने द्वारा घुट खुद काश्त भूमि का उक्त एक्ट की धारा २६ के अन्तर्गत मालिक हो जाता है;

(२७) "अधिवासित भूमि"—से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो किसी प्रासामी को तत्समय पट्टे पर दी गई हो एवं उसके अधिवास में हो और उसमें खुद-काश्त भूमि सम्मिलित होगी, तथा "अधिवासित भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो अधिवासित नहीं है;

(२८) "गोचर भूमि"—से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो गांव या गावों की मवेशी को चराने के काम में आती हो या जो इस अधिनियम के अन्तर्भ होने के समय बन्दोबस्त कागजात में गोचर भूमि दर्ज हो या तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार गोचर-भूमि के रूप में सुरक्षित रखी गई हो;

टिप्पणी

'गोचर भूमि' का अर्थ क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। इनमें वह भूमि भी सम्मिलित है जो

∴ राजस्थान अधिनियम सत्या ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट

∴ राजस्थान अधिनियम सत्या १२ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट

+ राजस्थान अधिनियम सत्या ३५ सन् १९६० द्वारा निविष्ट

अंशतः चरागाह के काम आती है चाहे उसमें अधिकांशतः ऐसी घास उगती हो जो पशुओं के चारे के काम में आने की अपेक्षा छप्पर बनाने के काम अधिक आती हो।^{PAY}

(२९) "भूगतान" जिसमें उनके व्याकरणाय समस्त रूपान्तर तथा मराठीय प्रभिव्यक्तियों समाविष्ट हैं, में, जब राज-व के प्रसंग में प्रयोग किया जाय, "दे देना" जिसमें उसके व्याकरणाय समस्त रूपान्तर तथा मराठीय प्रभिव्यक्तियों समाविष्ट हैं, सम्मिलित होगा;

(३०) "विहित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियुक्तियों के द्वारा विहित से होगा;

(३१) 'पंजीयित' से अभिप्राय इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेन्ट्रल एक्ट १६ मन् १९०८) के अन्तर्गत पंजीयित से होगा और उसमें इस अधिनियम की धारा ३३ के अन्तर्गत "प्रमाणीकृत" सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा में उन दस्तावेजों की गणना की गई है जिन्हें पंजीयन कराना अनिवार्य है वरना वे व्यवहार की गहादन के रूप में स्वीकार नहीं हो सकते। इस अधिनियम की धारा ३३ में श्रृषि सम्बन्धी पट्टों का पंजीयन एच्छिक रखा गया है परन्तु उनका 'प्रमाणीकरण' (इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अफसर या व्यक्ति द्वारा) कराया जाना आवश्यक रखा गया है जिसके बिना उन्हें साक्षी में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(३२) "लगान" से अभिप्राय जो भी कुछ भूमि के उपयोग अथवा अधिवास अथवा भूमि में किसी अधिकार के लिये नकद में या जिस में अथवा अंशतः नकद और अंशतः जिस में देय है, से होगा और जब तक प्रतिकूल आशय प्रकट न हो उसमें 'सायर' सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

लगान वह वस्तु होती है जो लिए या दिए जाने योग्य हो। वह नकदी या जिम के रूप में या अंशतः नकदी या जिस रूप में दी जा सकती है। भूमि की उपज में अंश की अदायगी अथवा फलों या सब्जी का अंश देना लगान के उदाहरण हैं।^१ चूंकि 'सायर' तो या दो नहीं जा सकती अतः उन्हें किसी प्रकार का लगान नहीं माना जा सकता।^२ 'सायर' लगान होता है जब तक कि अन्यथा नहीं बनाया जाय। 'लाग' को लगान नहीं माना जा सकता परन्तु रूम जमीनदारी विशेष रूप से पट्टे में सम्मिलित होता है। 'लगान' होता है।^३ लगान और राजस्व में अन्तर है। लगान सदैव भूमि से सम्बन्धित होता है क्योंकि उसके उपयोग के लिए होता है।^४

१. मल्ला प्रसाद V.S. कन्नूरी मिह, 14 R.D. 238

२. बनवीर प्रसाद V.S. भीम सेन, I.R.D. 132

३. मुहम्मद इजाज V.S. भूजा, 1944 R.D. 467

४. दुनीचन्द V.S. टल्लू, 1943 R.D. 854

५. राधा मोहनराय का मुहम्मद AIR 1941 Calcutta 143

+ (३३) × × विनियम ।

(३४) 'राजस्व' से अभिप्राय भू-राजस्व में होगा अर्थात् वाषिष्ठ मांग जो भूमि के वा
भूमि में किसी हित के या भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी लेगे राज्य सरकार को सीधे
देय हो और उसमें प्रतिहस्ताक्षित भू-राजस्व सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

'राजस्व' की परिभाषा पूर्ण है। उससे तात्पर्य सरकार को सीधी ही जाने वाली
वाषिष्ठ मांग है जो भूमि में किसी प्रकार के हित या उपयोग के लिए हो। वह सम्पत्ति
पर पहला प्रभार (चार्ज) है।^१

§(३४-का) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
१९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६) को पारा २०-का के अन्तर्गत उक्त प्राधिकारी
के रूप में नियुक्त किये गये अधिकारी से होगा;

(३५) "राजस्व न्यायालय" से अभिप्राय ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से होगा जो कृषि-
पट्टेदारियों, लाभो, तथा भूमि सम्बन्धी अन्य मामलों अथवा भूमि में किसी अधिकार या हित,
के विषय में ऐसे दावों या अन्य कार्यवाहियों को, जिनमें उक्त न्यायालय या प्राधिकारी से न्याया-
नुकूल कार्य करना अपेक्षित हो, ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो; उसमें बोर्ड तथा उसका
प्रत्येक सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी, बलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर, सहायक बलक्टर
तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी जब कि वह उक्तरूपेण कार्य कर रहा हो, सम्मिलित
होगा;

टिप्पणी

पृथक राजस्व न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य लगान सम्बन्धी मुकदमों की कार्य-
वाही का शोध रूप बनाए रखना है। जिससे कि लगान वसूली में विवक्षित न हो। यदि तृतीय
अनुसूची में वर्णित मुकदमों से राजस्व न्यायालय अपनी अधिकारिता नहीं समझे तो उससे
सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।^२

§(३६) "राजस्व पदाधिकारी" से अभिप्राय ऐसे पदाधिकारी से होगा जो राजस्व तथा
लगान के कार्य में अथवा राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड रखने में नियत किया हुआ हो;

टिप्पणी

जागीर कमिश्नर एवं अतिरिक्त जागीर कमिश्नर राजस्व पदाधिकारी नहीं है।
(१९६३-आर आर डी. ३१२)।

(३७) "सागर" से वह सब सम्मिलित है जो कुछ पट्टाधारी (सेमी) या अनुशासारी

१. मन्दा सा V.S. गुलाबसिंह, AIR 1936 All 184

२. गुम्दरलाल VS. कन्यायत हुसैन, 1924 R.D. 529

+ राज० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विद्युत् ।

§ राज० अधिनियम संख्या ८ सन् १९५६ द्वारा विविष्ट ।

(लाइसेंस) द्वारा, अधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे— घास, फूस, लकड़ी, ईंधन, फल, लाभ, गोद, लूंग, पाला, पत्तो, सिंघाड़ा या तत्सदृश कोई वस्तु अथवा ऐसा कूड़ा कंकट जैसे— भूमि पर बिल्ली हुई हड्डियां या गोबर इकट्ठा करने के अधिकार के लिये, अथवा मछली पकड़ने के अधिकार के लिये या वन सम्बन्धी अधिकारों के लिये अथवा कृत्रिम साधनों से सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी का उपयोग के लिये, भुगतान किया जाना हो;

टिप्पणी

१ विषय—सायर की उपरोक्त परिभाषा मं पूर्ण न होकर दृष्टान्त रूप में है। उपज इकट्ठी करने के लिए दी जाने वाली सायर तथा उपवन-भूमि अथवा चरगाहा-भूमि के लिए की जाने वाली भ्रदायग (भुगतान) का अन्तर समझ लेना चाहिए। परचात् वनी भ्रदायगियां 'लगन' (Rent) होती हैं, पहां की पत्तियां काटने मात्र में ही कृषि-अधिकार रथ पित नहीं हो जाता और आवेदक धारा १८७.खा-का संरक्षण मांग सकता है।

२ सायर और लगान—यदि कोई व्यक्ति उपवन के स्थान पर एक पेड़ इस गर्त पर लगावे कि उसे काटने की सूरत में वह आधी लकड़ी देगा तो वह एक प्रकार का लाइसेंस होता है और उसका लकड़ी लेने का दावा राजस्व न्यायानय में होगा।^१ उपवन के फल व घास इकट्ठा करने के लिए दी जाने वाली भ्रदायगों (भुगतान) तो सायर होती है परन्तु मकान बनाने के प्रयोजनार्थ दी गई भूमि का लगान सायर नहीं है।^२

लगान भूमि के उपयोग व अधिवास के लिए किया जाने वाला भुगतान है और सायर अधिवासित भूमि से उपज एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला भुगतान है। अतः सायर की परिभाषा का सार यह है कि वह उस भूमि की आय से होने वाला भुगतान है जो उस आम करने वाले व्यक्ति को नहीं है परन्तु भूमि धारी को है।^३ अध्याय १० के प्रयोजनार्थ 'लगान' में सायर सम्मिलित है परन्तु अध्याय ११ के प्रयोजनार्थ नहीं है। लाइसेंस से सायर वसूली का दावा दीवानी न्यायालय में होगा।^४

+ (२७-बी) "अनुसूचित जाति" से अभिप्राय संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश १९५० के भाग १ के भीतर कोई भी जाति, प्रजाति, या जन जाति से अथवा जातियों या जन जातियों के सदस्य अथवा तदन्तर्गत समूहों से होगा;

+ (२७-सी) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्राय संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश १९५० के भाग १२ के भीतर कोई भी जन-जातियों या जनजाति-समुदायों से अथवा जन-जातियों या जनजाति-समुदायों के भाग से या तदन्तर्गत समूहों से होगा;

1. रिट्नाल vs. मोती 1953, R.L.W. (R.S) 3.
2. सचला कुंवर vs. रामगदाय राय, 1935 R.D. 381.
3. अमीर असो vs. वेन्दुनमेट बोर्ड भारत, 1944 R.D. 275.
4. मोहनुरीन vs. जगमोहन, 1941 R.D. 585.
5. बहोरी vs. सन्मीदेवी, 1933 R.D. 451.

+ राज० प्रपि० संख्या २८ एन १९५६ द्वारा निरिक्त।

(३८) "बन्दोबस्त" से अभिप्राय लगान या राजस्व [जयवा दोनों] के बन्दोबस्त या पुनर्बन्दोबस्त से होगा और उसमें राजस्थान सेंट्रल गवर्नी गीटगमेंट एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट, १९५३ १९५३) के अन्तर्गत सरकारी बन्दोबस्त सम्मिलित होगा;

(३९) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य [जैसा कि स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, १९५६ (सेप्टुल एक्ट ३७, सन् १९५६) की धारा १० द्वारा गठित है] × से होगा;

(४०) "सर्वे डिवीजनल आफीसर" से अभिप्राय राजस्थान टैरीटोरियल डिवीजन ऑफिसर १९४६ के अध्याय तत्समय प्रवृत्त अध्याय किसी बानून के अन्तर्गत एक या अधिक सर्वे-डिवीजनो के प्रभारी सहायक कलेक्टर से होगा;

(४१) "शिकमी आसामी" से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जाने वाले] × ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से लेकर भूमि खारू करता है और जिसके द्वारा लगान, व्यक्त या गभित सविदा के अभाव में, देय है;

टिप्पणी

१. विषय-धारणाधिकार (Tenure) रखने वाले व्यक्ति और उसके अधीनस्थ उप-धारणाधिकार रखने वाले का सम्बन्ध भूमि धारी और आसामी का होता है^१ और ज्योंही प्रकृष्ट हित समाप्त हो जाता है वह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। एक बार जो व्यक्ति शिकमी आसामी घोषित हो जाता है वह हमेशा वसा ही बना रहता है। मृत्यु आसामी की वेदखली से शिकमी आसामी अपने आप मुख्य आसामी नहीं बन जाता जब तक कि भूमि धारी भूमि का प्रबन्ध उसके साथ न करले।^२

यदि भूमि धारी अपने आसामी की जोत में से भूमि लेना है तो उसकी म्यिति शिकमी आसामी की हो जाती है परन्तु यदि वह अपने आसामी की सहमति के बिना भूमि पर कब्जा कर लेता है तो वह शिकमी आसामी न होकर अतिक्रमी (ट्रेसवार्सर) हो जाता है।

२. शिकमी आसामी—उप किरायेदारी का तात्पर्य भूमि को किसी शिकमी-आसामी को निश्चित लगान पर देना है।^३ किसी व्यक्ति को अपना साभोदार बना लेना उप किरायेदारी में नहीं आता।^४

शब्द 'आसामी' में 'शिकमी आसामी' आता है। अतः एक शिकमी आसामी भी उन सब अधिकारों व देयताओं का हकदार है जिनका कि आसामी स्वयं हकदार होता है। यद

• राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

× राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

१. प्रभुलनाथ vs. सन्तोष कुमार, AIR 1940 P.C. 187.

२. जोया vs. गजाधरसिंह, 1943 R.D. 428.

३. प्यारेलाल vs. राममरोहे, 2 R.D. 450.

४. सूदनसाह vs. दोजी, 1954 R.L.W. (R.S) 7.

किसी शिकमी आसामी को अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है तो वह भी धारा १८७ अथवा १८७-खा के संरक्षण का हकदार है।

(४२) "तहसीलदार" से अभिप्राय राजस्वान टेरीटोरियल डिवीजनस आर्डिनंस १९४९ के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत नियुक्त किये गये तहसीलदार से होगा ;

+ (४३) "आसामी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिसके द्वारा लगान देय है अथवा, किसी व्यक्ति या गणित संविदा के अभाव में, देय होगा और उसमें, सिवाय उस दशा के जबकि विपरीत आशय प्रकट हो,

(क) आबू क्षेत्र में स्वामी आसामी या संरक्षित आसामी [× × ×]

(ख) अजमेर क्षेत्र में, भूतपूर्व स्वामी आसामी या अधिवासी आसामी या वंश परम्परागत आसामी या अनधिवासी आसामी या भू-स्वामी या काश्तकार,

(ग) मुजेल क्षेत्र में, भूतपूर्व स्वामी आसामी या पक्का आसामी, या साधारण आसामी,

(घ) सह-आसामी,

(ङ) उपवन-धारी,

(च) ग्राम सेवक,

× (ब च) किसी भू-स्वामी से धारण करने वाला आसामी,

(छ) मुदकाश्त का आसामी,

(ज) टिनेंसी के अधिकारों का बंधक प्रहोता, और

(ग) शिकमी आसामी,

सम्मिलित होंगे परन्तु 'अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-प्रहोता' या इजारेदार या ठेकेदार या अनिधामी (trespasser) सम्मिलित नहीं होंगे ;

टिप्पणी

१. नियम—

इनके पूर्व कि कोई व्यक्ति अपने आपको आसामी कहलाने का दावा कर सके उसे यह बान प्रमाणित करनी चाहिए कि वह लगान (Rent) देना है अथवा किसी व्यक्ति अथवा अव्यक्त संविदा के अभाव में लगान का भुगतान करेगा।

जहां कोई लगान नहीं दिया जाता वहां आसामी की स्थिति नहीं होती। चूंकि लुटभार्टे कोई लगान नहीं देता अतएव उसे आसामी नहीं माना जाता।^१ इन परिभाषा में टिनेंसी का बंधवग्राही (Mortgagee of tenancy) सम्मिलित है।

+ राजस्वान अधिनियम सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित एवं ६ सन् १९५८ द्वारा संशोधित

× राजस्वान अधिनियम सन् ११ सन् १९९४ द्वारा निरिवृत्त

१. केस: Vs इन्वरीविह, 1952 R. L. W. (R. S.) 54

जहाँ किसी व्यक्ति को कभी आसामी की तरह स्वीकार नहीं दिया गया, जहाँ इस विषय में कोई संविदा नहीं हो तो उसे आसामी की भाँति दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।¹ कोई व्यक्ति आसामी सभी समझा जा सकता है जब कि उस पर आसामी की लागू होने वाले बानून के सभी प्रावधान बिना किसी अपवाद के लागू होने हों। इसी कारण से एक देव भूमि को आसामी नहीं समझा जा सकता।² कोई भी कारिन्दा अपने भूमि धारी का आसामी हो सकता है।³ जो व्यक्ति अपनी गेवालों के बदले में भूमि धारण करते हैं वे आसामी होते हैं।⁴

भूमि के उपाधि धारक स्वामियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आसामी बना देने से वे आसामी नहीं माने जा सकते—वह तो एक प्रकार से लगान का अभिहृतान्त मात्र है।⁵

२. सवून का भार—

आसामी होने का सवून देने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि इस दावत दावा करता है। अधिकार अभिलेख के इन्द्राज आसामी होने की संविदा को साबित करने में बहूत महत्व रखते हैं। परन्तु केवल खसरे के इन्द्राज ही निश्चामक सवून नहीं माने जा सकते।

संयुक्त परिवार के पक्ष में भी आसामी की हैसियत उत्पन्न की जा सकती है। किसी को आसामी बनाना तो संविदा द्वारा किया जा सकता है और संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा आसामी होने का दावा करने से पूर्व यह साबित होना चाहिए कि भूमि धारी ने सब सदस्यों को भूमि-क्षेत्र में रखने में सहमति दी थी। कोई पुत्र भी—रिवार का वर्ता हो सकता है।⁷

(*) + (४४) "अतिक्रमी" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि का प्राधिपत्य, बिना अधिकार प्राप्त किये, ले लेता है या रखता है या भूमि पर अन्य व्यक्ति को जिसे उक्त भूमि घटा विधि पट्टे पर दी गई है, आधिपत्य करने से रोकता है;

+ (४५) "ग्राम सेवा अनुदान" से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जाने वाले] ऐसे अनुदान से होगा जो ग्राम-समुदाय के लिये या ग्राम प्रशासन के सम्बन्ध में किसी निःशुल्क सेवा के बदले में या उसके पारिश्रमिक के रूप में, या तो लगान-मुक्त, या

2. गुलाब हुसेन Vs फाइनल हक, 1940 R. D. 158

3. श्री ठाकुरजी महाराज Vs शांति देवी, 1947 R. D. 298

4. जयंती प्रसाद Vs फकीरा, 1949 R. D. 414

5. कृष्णसिंह Vs पीपला, जोधपुर का मुकदमा फंसला हुआ 24-12-51 को राजस्व बोर्ड से

6. आदित्य नारायणसिंह Vs जगो, 1939 R. D. 3

7. मोरा Vs परता, जयपुर का मुकदमा संवत् २००८ का।

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित

अनुसूक्त लगान दर पर [या अन्य निबन्धनों पर] दिया जाय और ऐसे अनुदान का प्रहीना "शाम सेवक" कहलायेगा;

(४६) "जमीनदार" से अर्थात् ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे, राज्य के किसी भाग में, कोई गांव या किसी गांव का भाग, जमीनदारी प्रथा के अनुसार बन्दोबस्त में दिया जाय और जो अधिकार अभिलेख (मिगल हकीयत) में जमीनदार के रूप में दर्ज किया जाय और उसमें, मुनेन क्षेत्र के प्रथम में, यदि कोई हो, मध्य भारत जमीनदारी एबोनोशन एक्ट सम्बत २००८ (मध्य भारत एक्ट १३, सन् १९५१) की धारा २ के नष्ट (क) में परिभाषित स्वामी (Proprietor) सम्मिलित होगा;

(४७) "नालवट" से अर्थात् किसी कुए के स्वामी को, उस कुए की सिंचाई के लिये उपयोग करने के बदले, किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या क्रिस में किये जाने वाले मुगतान से होगा।

६. अधिकार इत्यादि रखने वाले व्यक्तियों में उनके पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों का सम्मिलित होना—इस अधिनियम में, उस व्यक्ति के दायित्व हेतु जो भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व या हित रखता है, प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त व्यक्ति के अधिकार, स्वत्व, या हित के विषय में उसके पूर्वाधिकारी तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित समझे जायेंगे;

टिप्पणी

इस धारा ने शब्द 'पूर्वाधिकारियों' और 'उत्तराधिकारियों' के बार बार प्रयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं रखी है। अधिकार, स्वत्व या हित भूमि में सम्बन्धित होने चाहिए। इस धारा में अधिकार, स्वत्व या हित के अभिहस्तांकित भी सम्मिलित हैं।

७. अधिनियम का राज्य सरकार पर लागू होना—भाषामयों द्वारा सीधे राज्य सरकार से लेकर भूत भूमि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के उपबन्ध, जब तक कि प्रकटतया अन्यथा विहित न हो, इस भांति लागू होंगे मानो राज्य सरकार तहसीलदार के मार्फत कार्यवाहक भूमिपारी हो।

८. एग्जेंट के मार्फत कार्य करने की शक्ति—(१) सिवाय उसके जैसा कि विहित प्रक्रिया यहिता १९०८ (केन्द्रीय अधिनियम ५, सन् १९०८) में अन्यथा उप बंधित हो, उस अधिता द्वारा प्राणित कार्यवाहियों के विषय में, कोई बात जो इस अधिनियम के अनुसार भूमिपारी या आत्तामी द्वारा की जानी अपेक्षित अथवा अनुमत है, विहित रीति से प्राणित उक्त एग्जेंट द्वारा की जा सकेगी और विपरीत आशय के आशय के अभाव में, भूमिपारी तथा आत्तामी के बीच होने वाले समस्त व्यवहार में, उक्त एग्जेंट अपने स्वामी के प्राणिकार के अन्तर्गत कार्य करते हुए समझा जायेगा।

(२) उक्त एग्जेंट पर तामील की गई आदेशिकाएँ तथा उन्हें दिये गये नोटिस समस्त प्रयोजनों के लिये इस भांति प्रभाव युक्त होंगे मानो वे भूमिपारी या आत्तामी, यथास्थिति, पर

सामील की गई थी या दिये गये थे और बिना पञ्चकार पर सादेनिबाएँ सामील किये जाने या उसे नोटिस दिये जाने सम्बन्धी, दस अधिनियम के समस्त उपपत्र, उक्त एक्ट पर सादेनिबाएँ सामील किये जाने या नोटिस दिये जाने के बारे में सामू होंगे।

टिप्पणी

इस धारा में एक भूमि धारी और आसामी को पुनः अभिवर्तियों (ऐजेंटों) के द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐ- अभिवर्तियों को विहित रीति से नियुक्त किया जाना चाहिए। पिता के जीवन में पुत्र के बिना समुचित प्राधिकार के आसामी बना लेना अमान्य है। परन्तु संयुक्त परिवार में दत्ता स्वयं भूमि धारी की स्थिति में होता है न कि केवल भूमि धारी का अभिप्राय। उसे लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।¹

अध्याय २

खुदकाश्त

× ६. खुदकाश्त अधिकार—“खुदकाश्त अधिकार” से अभिप्राय उस अधिकार से है जो इस अधिनियम द्वारा तैयार [सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा] खुदकाश्त पारियों को प्रदान किया गया है।

टिप्पणी

यह आवश्यक नहीं है कि जमींदार अपने हाथ में ही खेती करे। वह अपने नौकरों अथवा किराये के मजदूरों के द्वारा खेती करवा सकता है; और उसकी भूमि को उसकी खुद काश्त में समझा जायगा। किसी देव मूर्ति का मैनेजर उमका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुद काश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।²

जो व्यक्ति सीधे राज्य से भूमि धारण करता है वह खुदकाश्त का आसामी न होकर “आसामी” की श्रेणी में आता है।³

धारा १३ के अनुसार खुदकाश्त करने वाले जागीरदारों की जागीरों का राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिए जाने पर वे आदिदार आसामी बन जायेंगे।

× १०. उत्तराधिकार और हस्तान्तरण—(१) खुदकाश्त अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो किसी [भू-सम्पत्ति धारी] की भू-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

1. मुखदेसिंह Vs बटलू, 1945 R. D. 314

× राज० अधि० २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित एवं परिवर्तित।

1. रामभोती Vs साइलीजी महाराज, 1945 R. D. 405

2. निदाननाथ Vs राजस्थान राज्य 1963 R. R. D. 71

(२) खुदकास्त अधिकार विनियम या खुदकास्त के विभाजन अथवा जीवन निर्वाह के प्रयोजनार्थ दान (गिफ्ट, बखशीश) में दिये जाने के अतिरिक्त अन्यथा हस्तान्तरण नहीं है ।

x परन्तु इसमें अन्वयित बोर्ड बात खुदकास्त अधिकार के ऐसे हस्तान्तरण पर बोर्ड प्रभाव नहीं डालेगी जो [आयू, इन्वेस्ट तथा मुनेल क्षेत्रों में] + राजस्थान राजस्व विधिया (विन्माग) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के पूर्व, इस उद्देश्य द्वारा अनुज्ञप्त रीति में अन्यथा विनियम किया गया हो ।

(३) विनियम की दशा में, प्रत्येक पक्ष को उस भूमि पर जो उसे विनियम में मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उनके द्वारा विनियम में दी गई भूमि पर प्राप्त है ।

टिप्पणी

अभिप्राय "जो किसी भूमि-सम्पत्तिधारी की भूमि-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनना है" से अभिप्राय उस उत्तराधिकार में है जो कि जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व की जागीर के विषय में था, उदाहरणार्थ भूमिपूर्व जोधपुर राज्य में बड़े पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के कानून के अनुसार अथवा अन्य रिवाज के अनुसार ।

इस अधिनियम की धारा ४० के अनुसार जहाँ बिना बनीयत मरने वाले दूसरे आमामियों के सातेदारी अधिकार उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार मिलते हैं, खुदकास्त करने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकार इस धारा के अनुसार मिलते हैं । दूसरे शब्दों में खुदकास्त धारी के मरने पर उसके अधिकारों का अन्वरण उन व्यक्ति को होगा जो कि जागीरदार की भूमि-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा ।

११. खुदकास्त की किराए पर दिये जाने पर (letting) अनिश्चय—बोर्ड खुदकास्त सिवाय उसके जैसाकि धारा ४५ व ४६ में उल्लिखित है किराये पर नहीं दी जायेगी ।

टिप्पणी

धारा ४५ के अन्तर्गत खुदकास्तधारी अपनी भूमि को अथवा उसके किसी भाग को एक समय में ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिए दूसरों को किराए पर नहीं दे सकती । धारा ४६ के अन्तर्गत शब्द (क) से (जे) के भागों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

१२. खुदकास्त का अन्वयित—(१) भूमि खुदकास्त नहीं रहेगी—

[१] भूमिधारी या उत्तराधिकारी न रहने पर, या

[२] धारा १० की उप-धारा (२) का उल्लंघन करते हुए उमका हस्तान्तर दिये जाने पर, या

[३] जब कि भूमि धारा ११ का उल्लंघन करते हुए किराये पर दे दी जाय, या

[४] जब कि उसमें सातेदारी अधिकार, खुदकास्त-धारी ने निम्न विषयों धर्मा की,

x रात्र० अधि० २, मन् १९५८ द्वारा बना मशीनित एवं परिवर्धित

+ रात्र० अधि० ४६ मन् १९५८ द्वारा बना मशीनित ।

इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत प्रोचभूत हो जाय, [अथवा] ×

× [५] जबकि खुदकास्त धारी धारा १३ के अन्तर्गत खातेदार प्राप्तामी बन जाय ।

(२) जब भूमि धारा १० की उप-धारा (२) के उत्पन्न में हस्तांतरण करदी जाय तो हस्तांतरिती उस भूमि का खातेदार प्राप्तामी बन जायेगा ।

टिप्पणी

इस धारा में खुदकास्त अधिकारों के अन्तर्गत का उल्लेख है । जब खुदकास्त के अधिकारों का अन्तर्गत हो जाता है तो भूमि खुदकास्त भूमि नहीं रह जाती । खुदकास्त का उत्तराधिकार धारा १० (१) द्वारा नासित है । खुदकास्त की समाप्ति पर अर्थात् कोई उत्तराधिकारी न रहने पर भूमि सरकार में निहित हो जाती है । एक बार खुदकास्त के अधिकार समाप्त हो जाने पर वापिस उत्पन्न नहीं हो सकते ।

१३. पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन-ऋ होने पर खातेदारी अधिकारों का होना—किसी भू-सम्पदा का, सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में प्रयुक्त किसी खाते के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण [अथवा उन्मूलन] हो जाने की दशा में, भू-सम्पत्ति-धारी जो खुदकास्त रखता है, उसका खातेदार प्राप्तामी बन जायेगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत खातेदार प्राप्तामी पर आरोपित हैं ।

धरे [परन्तु वह जमीनदार अथवा बिस्वेदार जो खुदकास्त भूमि धारण करता है, राजस्वान जमीनदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत उसकी भू-सम्पत्ति का उन्मूलन हो जाने पर, उक्त खुदकास्त भूमि का मालिक बन जायेगा और इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत खातेदार प्राप्तामी को प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार एवं आरोपित सभी उत्तर-दायित्वों के अधीन, रहेगा ।]

टिप्पणी

इस धारा के परन्तुक को परन्तुक का नाम गलत दिया गया है । उसे या तो उप-धारा (२) बनाया जाना चाहिए था अथवा उसके उपबन्धों को मुख्य धारा में ही ठीक तरह से प्रविष्ट करना चाहिए था । यहाँ ध्यान देने की बात केवल यही है कि खुदकास्त भूमि के पुनर्ग्रहण के पश्चात् खुदकास्त धारक अपने आप ही खातेदार नहीं बन जाता उसे ऐसा अधिकार मिलने से पूर्व उसे जागीर कमिश्नर को अपनी खुदकास्त भूमि की सूची देनी होती है और वह यह विकल्प बताना होता है कि वह उसे धारण करने का इरादा रखता है ।

बड़ी को चरागाह नहीं मानी जा सकती । जबकि उसे जमायन्दी में खुदकास्त के रूप में नहीं दिखाया जावे तो उसे खुदकास्त भी नहीं माना जा सकता ।^१

× राज० अधि० २, सन् १९५८ द्वारा यथा परिवर्तित ।

ऋ राज० अधि० ४६ सन् १९५८ तथा ३५ सन् १९६६ द्वारा यथा संशोधित ।

1. स्टेट V. धमरसिंह 1965 RRD 261.

अध्याय ३

आसामियों की श्रेणियाँ +

१४. आसामियों की श्रेणियाँ— इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आसामियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी, अर्थात्—

(क) सातेदार आसामी

÷ (कक) मालिक, धीर

(ख) खुदकास्त के आसामी धीर

(ग) गैर सातेदार आसामी

● १५. सातेदार आसामी - (१). धारा १६ तथा धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहने हुए प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के किमी आसामी या खुदकास्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, किमी आसामी या खुदकास्त के आसामी (या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६) की धारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का प्राप्ति] के प्रतिरिक्त आसामी की हैसियत में प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिकॉर्म्स एण्ड रिज्यूयशन ऑफ ज़ागोर्से एक्ट १९५२ (राज. एक्ट ६, सन् १९५२) के, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उप-बन्धों के अनुसरण में भूमि में सातेदारी अधिकार अर्जित करता है, सातेदार आसामी होगा, धीर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [× × ×] इस अधिनियम द्वारा सातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा ;

परन्तु कोई सातेदारी अधिकार इस धारा के अन्तर्गत ऐसे किसी आसामी को अर्जित नहीं होगा जिसे गंगू केनाल, भाकरा, चम्बल अथवा जवाई प्रोजेक्ट क्षेत्र या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आधुनिकित्व किसी अन्य क्षेत्र में अस्थायी तौर पर भूमि पट्टे पर दी जाय या दे दी गई है ।

(२) उप-धारा (१) में किमी बात के अन्तर्बिष्ट होते हुए, सन्तर्गत सातेदारी अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोदभूत नहीं होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व "अधिक भन्न उपजाओ आन्दोलन" को अग्रसर करते हुए या किसी विशेष अदेश के अन्तर्गत, या किन्हीं निदिष्ट घातों के अधीन, या किन्हीं वैधानिक या गैर वैधानिक नियमों के अनुसरण में,

+ राज० अधि० ४६, सन् १९५८ द्वारा विलुप्त ।

÷ राज० अधि० १५, सन् १९६० द्वारा निविष्ट । . .

.. राज० अधि० ५, सन् १९५७ द्वारा पुनः संस्थापित ।

● धारा १५ में राज० अधि० ६, सन् १९५८, ३३ सन् १९५७, २ सन् १९५८, ५ सन् १९५७ एवं ४६ सन् १९५८ द्वारा संशोधन, परिवर्तित किए गए हैं ।

भूमि किराये पर दी गई थी और त्रिगणे, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त घोषणा के तर्जुम की प्राप्ति में चूक की हो अथवा उक्त किमी आदेश, धर्म या नियम का भंग किया हो।

(३) उप-धारा (२) में उल्लिखित कोई व्यक्ति, इन अधिनियम के प्रारम्भ में तीन वर्षों के भीतर, और वर्षवार पैसा म्यादातय मुक्त भुगतान करने पर, अधिकांश रकम देने के सहायक कन्वक्टर को यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुए आवेदन कर सकेगा कि अपने अपने द्वारा संपूत भूमि में उप-धारा (१) के अधीन गांठदारी अधिकार धरित्र बन लिये हैं।

(४) उक्त आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक धारा पर प्रस्तुत किया जा सकता है, यथा:—

- (क) कि उसके द्वारा संपूत भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किराये पर दी गई थी;
- (ख) कि उक्त भूमि उसे उप-धारा (२) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के आधार पर नहीं दी गई थी;
- (ग) कि उक्त भूमि जब उसे किराये पर दी गई थी तब वह इन परिस्थितियों से अवगत नहीं कराया गया था;
- (घ) कि उसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, कोई चूक या भंग इस प्रकार की जैसी कि उप-धारा (२) में निर्दिष्ट है, नहीं की थी।

(५) सहायक कन्वक्टर, उपधारा (३) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाने पर, विहित रीति से जाच करेगा और आवेदक को सुनवाई का मुक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा, यदि वह आवेदन-पत्र को प्रस्वीकार नहीं करता है तो, यह घोषणा करेगा कि आवेदक अपनी भूमि का, उप-धारा (१) के उपबंधों के अनुसरण में तथा उनके अधीन रहते हुए, खानेदार आसामी हो गया है।

टिप्पणी

धारा १६ व धारा १८० (१) (घ) के साथ पठित इस धारा में यह बनाया गया है कि सिवा उक्त आसामियों व खुद काश्त के आसामियों के उन सब व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को भूमि पर काब्जिये थे। दूसरे शब्दों में उपआसामियों एवं खुद काश्त के आसामियों का खातेदारी अधिकार नहीं मिलेगा उनको धारा १९ के नीचे आवेदन-पत्र देना पड़ेगा।

'आसामी' शब्द में केवल वास्तविक आसामी ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि रूप से सम्मिलित होने वाले आसामी भी हैं। ऐसे आसामियों को केवल विधि की समुचित प्रक्रिया द्वारा ही बंदरान किया जा सकता है। एक खेती न करने वाले आसामी का उपआसामी,

आसामी नहीं है और इसलिए उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।¹ जहाँ यह प्रमाणित हो जाय कि आसामी के अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है वहाँ खातेदारी अधिकार मिलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।²

अभिव्यक्ति "जो आसामी को हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय" की परिभाषा इहाँ नहीं दी गई है परन्तु 'भूमि' 'आसामी' 'लगान' की परिभाषाओं से यह प्रर्थ निकलता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि-धारी भूमि लगान पर दे दे और ऐसा करने का प्रयोजन कृषि या उससे सम्बन्धित कार्य हो और इसके लिए वह व्यक्ति भूमि धारी को तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार निर्धारित लगान भूमि को काम में लाने या उन पर बांविज रहने के लिए है, तो यह कहा जायगा कि उस व्यक्ति को आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया गया है।³ इसके प्रमाण का भार आसामी पर है। केवल लगान देने से ही आसामी नहीं बन जाता।

खातेदारी अधिकार तभी मिलेंगे जब कि आसामी उस व्यक्ति द्वारा आसामी की हैसियत से स्वीकार किया गया हो जिसे भूमि लगान पर देने का अधिकार हो।⁴

जागीरों के पुनर्ग्रहण से पहले कई जागीरदारों ने अपने सम्बन्धियों को भूमियों के आसामी या मुख्य आसामी बना दिया था परन्तु जब तक वह प्रमाणित नहीं हो जाय कि ऐसे सम्बन्धी स्वयं काय्य करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। जागीरदारों के आबंटित खातेदार नहीं हैं।⁵

§ १५-क. राजस्थान नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भूत न होना—(१) इस अधिनियम की [धारा १३ में] या धारा १५ की उप-धारा (१) में या तत्समय प्रयुक्त अन्य किसी विधि में, या किसी लीज, पट्टा, या अन्य दस्तावेज में, किसी बात के अन्वित होने हुए, राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि, जो चाहे किन्हीं भी निबंधनों पर लीज पर दी गई हो, इन अधिनियम की उपरोक्त धारा १५ की उपरोक्त उप-धारा के परन्तुक के अर्थ में अस्थायी रूप से लीज पर दी गई भूमि जायेगी और किसी भी उक्त भूमि में, जो उपरोक्त रीति से लीज पर दी गई हो, कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे अथवा कभी प्रोद्भूत हुए नहीं समझे जायेंगे।

परन्तु उप-धारा (१) में कोई बात ऐसे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी अथवा लागू नहीं होगी बिना खातेदारी अधिकार, राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट २७, सन् १९५४) की धारा ७ द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में निमित्त राजस्थान कोलोनाइजेशन

1. रघुवीर V. देसीमिह, 14 R.S. 77

2. हलारायण V. राजेश मंडन, 1966 R.R.D. 31 (c)

3. एम. एन. मनोमान V. राज्य, 1961 R.R.D. 141

4. रामगोपाल V. काशीप्रसाद, 18 R.D. 322

5. रत्ना v. स्टेट, 1963 R.R.D. 65

§ राजस्थान अधिनियम ३५ सन् १९५८, ४६ सन् १९५८ एवं ७ सन् १९६० द्वारा यथा संशोधित।

(उत्पन्न जमीनी) कर्जागत १९५५, या किसी अन्य स्टेटमेंट अति कर्जागत अथवा अन्यको प्रोत्तरेण एव मेक धारक गवर्निमेंट भौद्ध्य अथवा राजस्थान लैंड रिफार्मिंग एण्ड रिजर्वेशन कं. कर्जागत १९५७ (राजस्थान एक्ट ९, सन् १९५२) के अन्तर्गत, राजस्थान नहर क्षेत्र सुधारण के धारण के लिये विविध नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रोदभूत होंगे।

(२) कोई व्यक्ति जो यह धारा पढ़ता हो कि यह उस धारा (१) में उल्लिखित सिं भूमि में लातेदारी अधिकार रखा है, तथा उक्त। उक्तयोग करना है यों कि वह भूमि उने इ धारणनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्वामी के मं में किताब पर दी गई थी, उक्त प्रारम्भ के पार बां में उक्त तथा पञ्जीग तथा पैगा ग्यावालय मुक्त पदा करने पर, अतिकारिता करने वाले ग्रहाण कर्जागत को, तदधिकार घोषणा की जाने की प्रार्थना कर्तो हू, आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर मीर और इग आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में धारा १५ की उप-धारा (५) के उप-बंध लागू होंगे।

+ १५-क. धारण प्रोत्तरेण क्षेत्र में लातेदारी अधिकारों का कुछ मामलों में प्रोदभूत होना — (१) किमी क्षेत्र, कर-निर्धारण परषा, पट्टा, या अन्य दस्तावेज में किसी बात में अतिरिक्त हो हू, अथवा विधार् प्रोत्तरेण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जो कि भूमि धारण करना कमी भी लातेदारी अधिकार प्रोदभूत हू, नही समझे जायेंगे।

(२) उप धारा (१) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी अथवा उ पर लागू नहीं होगी जिसे, इग अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहिले से ही, भूतपूर्व पोट्टा स्टेट, य भूतपूर्व वू दे स्टेट के दिनेगी (वास्तवकारी) कानूनों के अन्तर्गत वसानुगत (heritable) तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे अथवा जिसे इग अधिनियम की धारा १३ या धारा १९ के अन्तर्गत, अथवा राजस्थान कोलोनाइजे उन (कम्बल प्रोत्तरेण गवर्नमेंट सैण्ड्स अलॉटमेंट एण्ड सेल) क्तग १९५७ के अन्तर्गत तथा उनके अनुसरण में, अथवा राजस्थान लैंड रिफार्मिंग एण्ड रिजर्वेशन कं. जागीस एक्ट १९५२ (राजस्थान अधिनियम ९, सन् १९५२) या राजस्थान जमीनदारी तथा बिन्देदारी उन्मूलन अधिनियम १९५६ (राज० अधिनियम ८, सन् १९५९) के किसी उपबंध के अन्तर्गत तथा तदनुसरण में, खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो गये हो।

टिप्पणी

इस धारा की उप-धारा (१) में शब्द "लातेदारी अधिकार" के पदवात् शब्द 'प्रोदभूत नहीं होंगे' और जोड़ने में ही उसका अभिप्राय स्पष्ट होना है।

सुरनविल गिकमी आसामी को खातेदार माना गया है।^१

ॐ १५-ख. आयू, अजमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में लातेदार आसामी—प्रत्येक व्यक्ति जो, राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पूर्व, अजमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में गिकमी-आसामी या सुदकारण के आसामी को छोड़कर अन्यरा भूमि का आसामी है, उप-धारा (१) के परन्तुक में तथा धारा १५ की उप-धारा (२) से (५)

+ राजस्थान अधिनियम १२ सन् १९६५ द्वारा निविष्ट
१. कितानलान v. स्टेट, 19०3 R. R. D. 72
६ राज० अधि० २ सन् १९५८ तथा ६ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित।

क में तथा धारा १५-क में अन्तर्विष्ट उप-बंधों के अधीन रहते हुए, और धारा १६ में तथा धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के भी अधीन रहते हुए, खातेदार आसामी होगा तथा इन अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा उस पर आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

परन्तु यदि किसी उक्त व्यक्ति ने, इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त अधिकारों से अधिक कोई मान (स्टेटस) या सम्पत्ति अथवा तदुपरि आरोपित दायित्व से अधिक कोई दायित्व, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, विधिपूर्वक उसे प्रदत्त अधिकार के अनुसरण में, अथवा विधि के अनुसरण में, अर्जित कर लिया हो तो, वह इस अधिनियम में तत्त्विक किसी बात के होते हुए भी, उत्तररूपेण अर्जित मान (स्टेटस) या सम्पत्ति को धारण एवं उपयोग करता रहेगा और उत्तररूपेण आरोपित दायित्व के अधीन बना रहेगा।

टिप्पणी

धारा १५-ख. की उप-धारा (१) अधिनियम की धारा १५ के समान है।

+ १६. भूमियाँ जिनमें खातेदार अधिकारी प्रोद्भूत नहीं होंगे—इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियमिनि में किसी बात के होने हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्रोद्भूत नहीं होंगे—

[१] गोचर भूमि;

[२] नदी-तल अथवा तानाव की भूमि जो आकस्मिक या कभी-कभी कृषि के लिये प्रयुक्त हो;

[३] सिंचाई अथवा तटबंध उपज पैदा करने के लिये प्रयुक्त जल-मग्न भूमि;

[४] भूमि जो, बदल बदल कर की जाने वाली कृषि या अस्थायी कृषि के लिये प्रयोग में आती हो;

[५] भूमि जिसमें ऐसे भाग लगे हों जिनका स्वामी सरकार हो तथा जिनकी देयमाल राज्य सरकार द्वारा की जाती हो;

[६] किसी सार्वजनिक अभिप्राय या सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि;

[७] भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय या तत्पश्चात् किसी समय में निक पड़ाव स्थलों के लिये निमत करदी जाय;

[८] किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि;

[९] देयके अथवा नहर की सीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;

[१०] किसी सरकारी घन के सीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;

[११] अनुनिर्माण आदेशों के स्थान,

[१२] विभाग संस्थाओं द्वारा कृषि में विभाग के लिये तथा मंत्र के संदेशों के लिये पार्ल
अथवा प्राप्त की गई भूमि,

[१३] सरकार के विरती कृषि पार्ल या पार्ल के पार्ल की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि;

[१४] भूमि जो, किसी गोश या भाग पार्ल के गोशों के लिये पार्ल के पानी में जलाशय में या
टांके में पानी जाने के लिये अथवा रानी गई हो या कन्वर्टर की राय में, तदनु
भाष्यरूपक है :

परन्तु राज्य सरकार, नासकीय राजपत्र में, अधिमूचना के द्वारा, यह घोषणा कर
सकती है कि ऐसी कोई भूमि जिसमें बदल बदल कर अथवा अस्थायी रूप से कृषि की जाती है
उक्त कृषि के लिये उपलब्ध नहीं रहेगी और तदुपरान्त उक्त भूमि खातेदारी अधिकार प्रदान लिये
जाने के निमित्त उपलब्ध होगी और राज्य सरकार, ऐसी ही अधिमूचना के द्वारा, यह घोषणा
कर सकती है कि किसी भूमि में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय स्थान बदल बदल
कर या अस्थायी रूप से कृषि नहीं की जाती थी, उक्त प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय ऐसी
तारीख से जो उक्त अधिमूचना में निर्दिष्ट की जाय, स्थान बदल बदल कर या अस्थायी कृषि के
लिये रहेगी तदुपरान्त वह भूमि उक्त कृषि के लिये उपलब्ध होगी ।

टिप्पणी

इसकी पिछली धारा और इस अधिनियम की कुछ अन्य धारार्ये और राजस्थान
भूमि सुधार एवं आर्गीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, १९५२ की कुछ धारार्ये आसामियों को
खातेदारी अधिकार प्रदान करती है । यह धारा एक प्रकार का अपवाद है और इसमें उन
भूमियों की सूची दी गई है जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होगे । ऐसी भूमि बेची
नहीं जा सकती ।^१

+ १६. क—खुदकास्त के आसामी—प्रत्येक व्यक्ति जिसे, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय
या तत्पश्चात किसी समय, राज्य के किसी भाग में भू-सम्पत्ति-धारक द्वारा, खुदकास्त, विविधत्
पट्टे पर दे दी गई हो (letout या दी जाय, उक्त खुदकास्त वा आसामी होगा :—

परन्तु, भू-सम्पत्ति-धारक के अपनी खुदकास्त का धारा १३ के अधीन खातेदार आसामी
बन जाने पर, उक्त खुदकास्त वा आसामी शिकमी-आसामी हो जायेगा जो उक्त खातेदार
आसामी के अधीन तथा उससे लेकर भूमि धारण करेगा ।

॥ १७. मंत्र खातेदार आसामी राज्य के किसी भाग में भूमि का प्रत्येक आसामी, जो

1. बाजी समोउल्लाह v. राजस्थान राज्य, 1961 R.L.W. (R.S.) 112

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ व ४६ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित ए
परिवर्द्धित ।

॥ राज० अधि० २ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित ।

याउतार आसामी, खुदकास्त के आसामी या शिकमी आसामी से भिन्न हो, गैर सातेदार आसामी होगा ।

× १७-क. मालिक-प्रत्येक जमीनदार या विस्वेदार जिसको भू-सम्पत्ति राजस्थान जमीन-दारी तथा विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित है, उस अधिनियम की धारा २६ के अर्थात् अन्तर्गत, उक्त निहित (Vesting) की तारीख को उसके अधिवास की खुदकास्त-भूमि के सम्बन्ध में, मालिक होगा ।

+ १८. विलोपित—

अध्याय ३-का ÷

कतिपय शिकमी आसामियों तथा खुदकास्त के आसामियों को, मुआ-यजे का भुगतान होने पर, अधिकार प्रदान किया जाना ।

१६. कतिपय खुदकास्त के आसामियों को शिकमी आसामियों को अधिकार प्रदान किया जाना—(१) प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय—

- (क) तत्समय चालू वापिक रजिस्ट्रों में उपवन-भूमि से भिन्न भूमि के खुदकास्त के आसामी अथवा शिकमी-आसामी के रूप में दर्ज किया गया था, या
- (ख) उक्त रूपेण दर्ज नहीं किया गया था परन्तु उपवन-भूमि से भिन्न भूमि का खुद-कास्त का आसामी या शिकमी आसामी था,

राजस्थान टिमेंसी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ की तारीख को कि इस अध्याय में एतरास्वान् नियत तारीख के रूप में उल्लिखित की गई है, से, इस अध्याय में अन्तर्दिष्ट अन्य उपकरणों के अधीन, उसके द्वारा पूरा भूमि के ऐसे भाग का जो कि धारा १८ की उप-धारा (१) के गण्ड (क) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक नहीं है अथवा उक्त धारा की उक्त उप-धारा के गण्ड (घ) के अन्तर्गत जिस अधिकतम क्षेत्र से भेदवनी का नामी है, उसके अधिक है, याउतार-आसामी हो जायगा और उक्त भूमि के उक्त भाग में बिना हरे मुधारों में भी उक्त अधिकार प्रोद्भूत हो जायेंगे;

परन्तु याउतारी अधिकार अथवा मुधारों में अधिकार उक्त रूपेण प्रोद्भूत नहीं होंगे यदि—

- [१] उक्त भूमि का उक्त भाग धारा ४६ में संगणित व्यक्तियों में से किसी से लेकर धारण किया हुआ है, या

× राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा निरिष्ट ।

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६ द्वारा विमुक्त ।

÷ राज० अधि० ७ सन् १९५९ द्वारा यह अध्याय निरिष्ट किया गया ।

- [२] उसमें उक्त अधिकार धारा १५ की उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत या धारा १५-क. के अन्तर्गत या धारा १५-ख के अन्तर्गत या धारा १६ के अन्तर्गत, प्रोद्भूत नहीं होते हैं, या
- [३] उक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तथा नियत तारीख से पूर्व, दम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में विधिवत् समर्पण या परित्याग के कारण अथवा उन उपबन्धों के अनुसरण में किसी राक्षम राजस्व न्यायालय की डिक्ली या आदेश द्वारा या तदन्तर्गत वेदखल कर दिया जाने के कारण, उक्त खुदकास्त का आसामी या शिकमी-आसामी नहीं रहा हो।

∴ (१-का) उप-धारा (१) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट अधिवादी के अधीन रहते हुए, उस उप-धारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान टिनेसी (संशोधन) अधिनियम १९६१ के प्रारम्भ की तारीख, जो इस अध्याय में एतत्पश्चात् 'नियत दिन' के रूप में उल्लिखित है, से, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धृत भूमि के उस भाग का खातेदार आसामी हो जायेगा जिसमें उसने उप-धारा (१) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किये हैं बशर्ते कि नियत दिन के पहिले, धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (क) अधिवा लड (घ) के अन्तर्गत उसे वेदखल किये जाने की कार्यवाही धारा १८०-ग. द्वारा विहित समयावधि के भीतर प्रारम्भ नहीं की गई हो अथवा कोई उक्त कार्यवाही जो तत्पूर्व प्रारम्भ की गई हो, उस दिन विचाराधीन नहीं रही हो।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक खुदकास्त-आसामी तथा शिकमी आसामी जो यह दावा करता हो कि उस उप-धारा में बर्णित अधिकार उसे उसके संपूर्ण भूमि-क्षेत्र में या उसके किसी भाग में "नियत तारीख" को प्रोद्भूत हो चुके थे, उस तारीख से दो वर्ष के भीतर तथा पञ्चवीस नये पैसे न्यायालय मुल्क भुगतान करने के पश्चात्, उस सहायक कलक्टर को जो अधिकारिता रखता हो, एक आवेदन-पत्र यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करने हुए प्रस्तुत करेगा कि उक्त अधिकार उसे ऊपर कहे अनुसार प्रोद्भूत हो गये थे और ऐम आवेदन-पत्र के विषय में धारा १५ की उप-धारा (५) के उपबन्ध लागू होंगे तथा उक्त खुदकास्त-आसामी तथा शिकमी-आसामी तब तक अपनी भूमि या किसी भाग का, जैसी भी सूरत हो, खातेदार आसामी हुआ नहीं माना जायेगा जब तक कि उसने उक्तलूपेण प्राप्ति घोषणा प्राप्त न करली हो।

(३) जिन भूमि में उसे उप-धारा (१) अधिवा उप-धारा (१-का) के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो उसके बारे में—

(क) खुदकास्त का प्रत्येक आसामी, उस भू-सम्पत्ति-धारक के प्रसङ्ग में जिसने उक्त खुदकास्त किराये पर उठाई हो, तथा

(ख) प्रत्येक शिकमी-आसामी—

[१] राज्य सरकार के प्रसंग में, यदि उसका मुख्य-आसामी उस भूमि को जो उसने

निजमी विराये पर उठाई है राज्य सरकार से लेकर धारण करता था, प्रपवा

[२] भू-सम्पत्ति-धारक के प्रमर्ग में, यदि उक्त मुख्य-आसामी उक्त भूमि को किसी भू-सम्पत्ति-धारक से लेकर धारण करता था,

“नियत तारीख” से उन सब अधिकारों का हकदार तथा उन समस्त उत्तरदायित्वों के प्रभोन, होगा जो इन अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त तथा उस पर आरोपित किये गये हैं।

(४) प्रत्येक खुदकास्त-आसामी या शिकमी-आसामी, जिसे उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (१-आ) के अन्तर्गत अधिकार प्रोदमूत हो जायें, अपने भूमि-धारी को इस अघ्याय के उप-बन्धों के अनुसरण में निश्चित किया गया मुआवजा भ्रदा करने को बाबद्ध होगा :

परन्तु, उक्त आसामी या शिकमी-आसामी, ‘नियत तारीख’ से तीन वर्ष के भीतर, उस सहायक बल्बटर को जो अधिकारिता रखता हो तिमित में यह सूचना दे सकेगा कि वह उक्त मुआवजा भ्रदा करने पर अधिकार अजिन करना नहीं चाहता है, जिस स्थिति में उसे खातेदारी-अधिनार अत्रित नहीं होने प्रपवा वह मुआवजा भ्रदा करने के लिए बाबद्ध नहीं होगा और मया पूर्व खुदकास्त का आसामी या शिकमी-आसामी बना रहेगा।

टिप्पणी

१. उद्देश्य— धारा १६ से ३० उप-आसामियों और खुदकास्त के आसामियों को खातेदारी अधिकार अजित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए रखी गई है। इन अधिनियम में पूर्व उनके अधिकार अर. पी. टी. अ. १६१० द्वारा सुरक्षित थे और उनको किमी भी आधार पर वेदाल नहीं किया जा सकता था। इस धारा के द्वारा उप-आसामियों तथा खुदकास्त के आसामियों को निहित प्रक्रिया द्वारा खातेदारी अधिनार अथवा सुवागे में अधिकार का हकदार बनानी है।

२. खुदकास्त के आसामी अथवा उप आसामी—धारा १६ (क) में खुदकास्त के आसामी की परिभाषा दी गई है। वैसे धारा ५ (११) में उप आसामी की परिभाषा भी दी हुई है परन्तु इन धारा में जिस उप आसामी का उल्लेख है उसमें केवल खातेदार आसामी का उप आसामी अभिप्रेत है न कि गैर-खातेदार आसामी का। अतः उनको धारा १६ का लाभ नहीं मिल सकता। खुदकास्त के दर्ज शुदा उप आसामी को खातेदारी अधिकार केवल धारा १९ के नीचे मिल सकते हैं न कि धारा १५ के नीचे।

३. अथक प्रहीना (मुनंहिन)—यह धारा टिन्सेरी के बंधक प्रहीना पर लागू नहीं होती। धारा ५ (४६) में उसे एक आसामी की हैसियत प्रदान की गई है परन्तु ऐसा व्यक्ति अभी खातेदारी अधिकारों का अर्जन नहीं कर सकता—न तो इन धारा के अन्तर्गत न धारा १५ के अन्तर्गत।

४. अथक प्रहीनाओं के आसामी—ये दो प्रकार के होने हैं। पहले तो वे जो मानिकाला हकों के बंधक प्रहीना होने हैं और दूसरे टिन्सेरी अधिकारों के। इनमें ने

पहली श्रेणी वालों को धारा १५ के नीचे खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं जब तक कि बंधक की शर्तों में ही इसकी मनाही नहीं हो। दूसरी श्रेणी में यदि बंधक १५-५-५५ से बाद का है तो खातेदारी अधिकार मिलने का प्रश्न नहीं उठता। प्रथम श्रेणी के बंधक-ग्रहीता स्वयं भी गैर खातेदार कहलाते हैं अतः उनके आसामी खातेदार नहीं बन सकते।

४. उपधारा १ (i) (ii) का उपबंध—इसके अनुसार धारा ४६ में वर्णित व्यक्तियों की जमीनों में सुधारों में खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होंगे परन्तु यह धारा पूर्ववर्ती नहीं है। अतः धारा ४६ में जिन नियोग्यताओं का उल्लेख है वे आवेदन पत्र देने की तिथि को विद्यमान होनी चाहिए।

५. खण्ड (ख) "दर्ज नहीं किया गया"—जब खुदकास्त के आसामी को या उप-आसामी को वापिक रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं किया जाय तो उसे असिस्ट क्लर्क को प्रार्थना पत्र इस घोषणा के लिए देना चाहिए कि उसे ऐसे अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं।

६. मुआवजे का भुगतान—प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान धारा २७ के अनुसार किया जायगा। जब तक यह भुगतान नहीं किया जाता वह खाते पर चार्ज बना रहेगा।

७. खातेदारी अधिकारों का परकीकरण—जिस किसी आसामी या उप-आसामी को खातेदारी अधिकार अथवा सुधारों में अधिकार प्राप्त होते हैं वह उन्हें तब तक दूसरों को नहीं दे सकेगा जब तक कि मुआवजे की रकम पूरी नहीं चुका दी जाय।

८. मुआवजे के लिये दावे—संशोधन के पश्चात् इस धारा की उप-धारा (४) के अनुसार यह आवश्यक है कि खुदकास्त का आसामी या उप-आसामी को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा। परन्तु ऐसा उप-आसामी मुआवजा देकर खातेदारी अधिकार लेने से इनकार भी कर सकता है। उस सूरत में उसकी अपनी पिछली हैसियत बनी रहेगी।

९. आवेदन कहां दिये जायें—खुदकास्त के आसामी या उप-आसामी खातेदारी अधिकारों या सुधारों में अधिकार अर्जित करने के लिए क्षेत्र के असिस्ट क्लर्क को आवेदन पत्र देगे। न्यायालय शुल्क पचीस पैसे लगेगी। अपील रेवेन्यू अपेलेट आथोरिटी को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु राजस्व मंडल को पुनरीक्षण (रिवीजन) हो सकेगा।

धारा २०. मुआवजे के दावों का पेटा किया जाना—धारा (१) प्रत्येक व्यक्ति जो अपने द्वारा अपने किसी खुदकास्त-आसामी या शिबमी-आसामी को उठाई गई भूमि के बारे में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने अथवा उक्त भूमि पर विद्यमान सुधारों (मुआवजा तथा अन्य विचार्य कार्यों को छोड़कर) में अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के कारण मुआवजे का दावा करता हो, मुआवजे के अपने दावे का एक विस्तृत विवरण सब-डिवीजनल अधिकारी को विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रत्येक दावा—

धारा २०. राजस्वान अधिनियम सख्या ७ सन् १९५६ तथा ५ सन् १९६२ द्वारा यथा संचोधित।

[१] जहाँ ऐसे अधिकार धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रोद्भूत हुए हों, नियत दिन में चार वर्ष के भीतर; तथा

[२] जहाँ ऐसे अधिकार उस धारा की उप-धारा (२) के अन्तर्गत घोषणा के आधार पर प्रोद्भूत हुए हों, उक्त घोषणा से चार वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत किया जाएगा।

(२) सब द्वितीयक अधिकारी, उप-धारा (१) के अन्तर्गत दावे का विवरण प्राप्त होने पर,--

(क) उसकी एक प्रति सम्बन्धित सुदकार-प्रामामी अथवा शिकमी-प्रामामी को देगा और नोटिस के द्वारा उसमें दावे के विषय में आपत्ति, यदि कोई हो, नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, और

(ख) उसके द्वारा देय मुआवजे की रकम धारा २३, २४, २५ तथा २६ के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्दिष्ट करने की कार्यवाही करेगा।

२१. विलोपित।+

२२. विलोपित।+

× २३. उत्तरेदारों अधिकारों के लिये मुआवजा.—(१) सुदकार-प्रामामी या शिकमी-प्रामामी की सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के विषय में धारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के कारण भूमिधारी को धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम,

(क) उक्त भूमि के या उसके भाग के लिये पिछले बन्दोबस्त में स्वीकृत की गई लगान-दर, बढ़ा कि उस भूमि के सम्बन्ध में लगान निर्दिष्ट होगया हो, या

(ख) जहाँ उक्त भूमि या उसके भाग के सम्बन्ध में लगान निर्दिष्ट नहीं हुआ है, पिछले बन्दोबस्त में वाम पट्टी में तत्काल भूमि के लिये निर्दिष्ट की गई लगान-दर

की, परिचित भूमि की दशा में पट्टी गुना और गिचि भूमि की दशा में वीम गुना होगी।

(२) धारा २५ में अन्वयित उपबन्धों के अधीन रहने हुए, उक्त भूमि में जिनके सम्बन्ध में उपयुक्त शर्तों के अधिकार प्रोद्भूत हुए हों, नियत नियमों के या अन्य विचारों के धारे में अथवा उक्त सम्बन्ध उत्पन्न होने वाली किसी गिचि-मुविद्या के लिए अलग में कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

., २४. मुआवजों में अधिकारों के लिये मुआवजा—(१) सब द्वितीयक अधिकारी किसी मुआजा (बुधा या अन्य विचारों-तापन की छोटाार) जो कि भूमिधारी द्वारा अथवा भूमिधारी के सर्वे पर जिनके लिये वह मुआवजे का दावा करता हो, किया गया हो, के लिये या निर्दिष्ट

+ राजस्व विभाग अधिनियम संख्या ७ मन् १९५९ द्वारा विस्तृत।

× उत्तरांचल द्वारा संशोधित।

., राजस्व विभाग अधिनियम संख्या ७ मन् १९५९ एवं १९ मन् १९६१ द्वारा यथा संशोधित।

नीचे लिखी बातों को ध्यान में रगते हुए, करेगा—

(क) उस समय जबकि सुधार किया गया था उस सुधार की लागत,

(ख) उस लाभ की मात्रा जो कि उक्त भूमि की जगह धारा १६ की उप-धारा (१) [या उप-धारा (१-का)] के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, आगाम कृषि वर्ष जिसमें कि उक्त निदश्चयन किया जाय, से प्रगने दस वर्षों में वृद्धि करने का सम्भावना है, और

(ग) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जाये।

(२) धारा २५ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहने हुए, धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत खुदकाशत-आसामी या सम्बन्धित निकामी-आसामी द्वारा भूमि-धारी को, अथवा कब्जे की भूमि के उस भाग में अथवा उस भाग से सम्बन्धित जगह में उक्त धारा १६ की उप-धारा (१) [अथवा उप-धारा (१-का)] के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हों, किये गये सुधारों (कृषो अथवा अन्य सिंचाई कामों को छोड़कर) में अधिधारों के लिये देय मुआवजे की रकम, उन सुधारों के मूल्य, जो कि उप-धारा (१) [अथवा उप-धारा (२)] के अन्तर्गत निदश्चयन किया जाय, का चालीस प्रतिशत होगा।

+ २५ नालबट के बदले मुआवजे के अंश की सगणना—(१) जहां ऐसी किसी भूमि में जिसमें खातेदारी अधिकार [धारा १६ के अन्तर्गत] प्रोद्भूत हो हुआ हो, और भूमिधारी के भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उस कुए के सम्बन्ध में नालबट उगाहने का हकदार हो, सब विशेषतः अधिकारी, भूमिधारी को [उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा २३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत] देय मुआवजे की रकम में से उक्त अन्य व्यक्ति को देय अथ निदश्चयन करेगा।

(२) उक्त अंश का निदश्चयन करने के प्रयोजनार्थ, सब डिपोजिटल अधिकारी, नालबट के अधिकार का औसत-मूल्य नीचे लिखी रीति से मालूम करेगा, अर्थात्—

(क) जहां नालबट नवद में बसूल की जा रही है, उसके अधिकार के औसत मूल्य की सगणना उस कृषि वर्ष से जिसमें कि उक्त सगणना की जाय, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान बसूल की गई वार्षिक रकमों की औसत के आधार पर की जायेगी;

(ख) जहां नालबट उज के अंश के रूप में बसूल की जा रही है; उक्त मूल्य की सगणना उस कृषि-वर्ष से जिसमें कि उक्त सगणना की जाय, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान तत्सदृश उज के मूल्यों की औसत के अनुसार उक्त अंश के औसत नरुद-मूल्य के आधार पर की जायेगी।

(३) नालबट के अधिकार के सम्बन्ध में देय मुआवजा की रकम उपधारा (२) के अन्तर्गत निदश्चयन की गई उक्त अधिकार के औसत-मूल्य का दस गुना होगी, किन्तु अधिकतम रकम कुए के वर्तमान बाजार-मूल्य का ५० प्रतिशत होगी।

(क) विलोपित +

(ख) विनोपित +

(ग) दिवोपित +

∴ (५) धारा २६ के अन्तर्गत देय सम्पत्त मुद्रावजे की रकम उक्त भूमि तथा उमकी उ पर, तत्सम्बन्धी राजस्व तथा लगान के पश्चात्, प्रभार होगी और मुद्रावस्त-प्राप्तामी अथवा शिकमी-आसामी जो धारा १६ के अन्तर्गत मुद्रावस्त अधिकार या मुद्रारों में अधिकार प्र करता है, अपनी भूमि या किसी भाग को तब तक अलग नहीं कर सकेगा जब तक कि सम्पत्त मुद्रावजे की रकम पूर्णतः चुकाई नहीं दी जाय ।

परन्तु उक्त प्राप्तामी अथवा शिकमी-आसामी अपनी सम्पूर्ण भूमि को अथवा उसके वि भाग को धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसरण में मुख्यतः उक्त मुद्रावजे के भुगतान के निमित्त, कोई दूसरा प्रयोजन समुक्त हो अथवा न हो, परकीर्त कर सकेगा ।

२८. विलोपित .:

२९. विलोपित .:

३०. कुछेक विनिष्कृत मामलों में मुद्रावजे के भुगतान के लिये विशेष उपबन्ध—(१) जहाँ धारा १९ की उप-धारा (१) या उपधारा (१-ब) के अन्तर्गत अधिकारों के प्रोद होने के पहिले, कोई शिकमी-प्राप्तामी उस भूमि को जिसमें उसे उक्तहूपेण अधिकार प्रोद भूण है, उसे, ऐसे व्यक्ति से लेकर धारण किये हुए था जो—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा १५ के अन्तर्गत, या

(ख) राजस्थान राजस्व विधिया (विस्तार) अधिनियम १९५७ (राजस्थान अधि नियम २, सन् १९५८) के प्रारम्भ होने पर, धारा १५-ता. के अन्तर्गत खातेदार प्राप्तामी बन गया हो, लेकिन जिसे, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त भूमि का अन्तर करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, मुद्रावजे की रकम जो धारा २६ के अन्तर्गत निर्धारित की गई हो, उक्त व्यक्ति को तब तक देय नहीं होगी जब तक कि व उसने लिये उप-धारा (२) के अन्तर्गत हकदार न हो जाय ।

(२) उप-धारा (१) द्वारा विचारित मामलों में—

(क) भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये मुद्रावजा उक्त व्यक्ति को दे- होगा जो कि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व, उस भूमि का अन्तर करने का अधिकार रखता था, और

(ख) उक्त भूमि से सम्बद्ध मुद्रारों में अधिकार प्राप्त करने के लिये मुद्रावजा मुख्यतय उस व्यक्ति को देय होगा जिनने अथवा जिनके खर्च से वे मुद्रार किये गये थे ।

× [३०-बा. वचाव तथा विचाराधीन आवेदन-पत्रों का निपटारा—(१) इस अध्याय क कोड़े बात, धारा १६ के अन्तर्गत किसी आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में नियत दिन के पूर्व किये गये निर्णय तथा निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक निर्णय इस भांति विपरीत

∴ राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ द्वारा संशोधित व विलुप्त ।

— राजस्थान अधिनियम संख्या १२ सन् १९६१ द्वारा निविष्ट ।

× राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट

होगा मानो विधि पूर्ण तथा न्यायानुकूल रीति से किया गया हो ।

(२) उक्त तारीख पर विचाराधीन ऐसे ममस्त आवेदन-पत्र बिना किसी छाप्ता के अमि-
लेयाकार में भेज दिये जायेंगे ।]

✓ अध्याय ३-खा +

अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

३०-घा. परिभाषाएँ—इन अध्याय के प्रयोजनार्थ—

(क) "परिवार" से धर्मिप्राय एक परिवार से होगा जिसमें पति तथा पति, उनके बच्चे और उन पर धारित उनके पौत्र-पौत्रिणा और पति की विधवा मा जो उन पर धारित हों, और

(ख) "व्यक्ति" से एक आदमी के प्रमङ्ग में, उन आदमी का परिवार सम्मिलित होगा ।

३०-गा. अधिकतम क्षेत्र का विस्तार—ऐसे परिवार जिसमें पात्र या पात्र में कम सदस्य हों, का अधिकतम क्षेत्र तीस एकड़ (प्रामाणिक) भूमि होगी :

परन्तु जहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या पात्र में लघिक हो, उनके बारे में अधिकतम क्षेत्र प्रत्येक प्रतिरिक्त (additional) सदस्य के लिये पात्र एकड़ (प्रामाणिक) भूमि बढ़ा दिया जायगा, तथापि इन भाँति कि अधिकतम-क्षेत्र साठ एकड़ (प्रामाणिक) भूमि में धरिय न हो ।

स्पष्टीकरण—“प्रामाणिक एकड़” से अधिप्राय भूमि के ऐसे क्षेत्र से होगा जो, अपनी उत्पादन-शक्तता, स्थिति, मिट्टी, की विस्म, तथा अन्य विहित विवरणों की दृष्टि में, विहित रीति से ऐसा पाया जाय जिसमें प्रतिवर्ष दस मनु गेहूँ पैदा होना सम्भव हो, और ऐसी भूमि जिसमें गेहूँ पैदा नहीं हो सकता हो, के प्रमङ्ग में, उसकी अन्य सम्भावित उपज, प्रामाणिक एकड़ की संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ, विहित पैमाने के अनुसार निर्दिष्ट की जायेगी ताकि वह नवद मूल्य में दस मनु गेहूँ के बराबर हो सके :

परन्तु प्रामाणिक एकड़ों से अधिकतम-क्षेत्र निर्दिष्ट करने समय, चाही भूमि की उपज का नरद-मूल्य उसके बराबर बागानी भूमि की उपज के नरद-मूल्य के बराबर समझा जायेगा ।

३०-घा. धारा ३०-गा. के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र निर्दिष्ट करने के लिये, पतिपय अन्तरणों की न माला जाला—(१) किसी व्यक्ति के प्रमङ्ग में धारा ३०-घा. के अन्तर्गत अधिकतम-क्षेत्र निर्दिष्ट करने के प्रयोजनार्थ, उनके द्वारा तारीख २५ फरवरी १९४० को या तदन्तरगत स्पष्टता में, अपनी सम्पूर्ण भूमि या किसी भाग का अन्तरण—

[१] विभाजन के रूप में, प्रदत्त

+ यह अध्याय राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६० द्वारा निरिच्छित किया गया ।

[२] ऐसे व्यक्ति, जो उक्त तारीख के पूर्व भूमि हीन-व्यक्ति या एव धनरक्षण की तारीख तक भूमिहीन-व्यक्ति बना रहा, के पक्ष में, न होकर अन्यथा ही ऐसा अन्तरण समझा जायेगा जिसका अभिप्राय इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करना हो, और उम्मीद न तो माना जायगा न ध्यान में रखा जायगा; और यह सिद्ध करने का मार कि कोई अन्तरण खण्ड [१] के अन्तर्गत या खण्ड [२] के अन्तर्गत आता है, अन्तरणवर्ती पर होगा।

परन्तु यदि ऐसे किसी अन्तरण के रूप में जैसा कि खण्ड [२] में वर्णित है, हस्तान्तरिती के लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि उसे अन्तर्गत कर दी गई है तो उक्त अधिर-भूमि का उक्तत्वेण किया गया अन्तरण इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ न तो माना जायगा न ध्यान में रखा जायगा।

परन्तु यह और है कि ऐसा कोई अन्तरण जैसा कि खण्ड [२] में वर्णित है यदि तारीख ६ दिसम्बर १९५६ के पश्चात् किया गया है तो उसे न तो माना जायेगा न ध्यान में रखा जायेगा।

(२) प्रत्येक ऐसा अन्तरण जैसा कि उप-धारा (१) में वर्णित है, इस अधिनियम में अथवा तत्समय सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के विरुद्ध, ऐसी किसी भूमि के विषय में जो उक्त अवतरण की विषय-वस्तु हो तथा धारा ३०-ड० के अन्तर्गत राज्य सरकार को आती हो, प्रभावशील नहीं होगा।

(३) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के होने हुए भी, उसमें उल्लिखित भूमि का हस्तान्तरिती, उक्त भूमि के अन्तरण-वर्ती से वह प्रतिकल-स्वरूप हयवा यदि कोई हो जो उम्मीद उक्त भूमि के निमित्त दिया हो, वापिस लेने का हकदार होगा और उसकी रकम राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ३०-छा के अन्तर्गत दिये मुद्रावर्ज पर प्रसार होगी।

(४) इस धारा की कोई बात, क्रमशः खुदकास्त-भूमि या आसामी की भूमि अथवा दोनों में से किसी के भाग के बंध रूप में किराये पर या शिकमी-किराये पर दिये जाने पर लागू नहीं होगी।

३०-डा. अधिकतम-क्षेत्र जो धारण किया जा सकता है तथा भावी अभावियों पर प्रतिबंध—(१) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस धारे में अधिसूचित तारीख से:—

- (क) उसके लिये अनुमत-अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि किसी भी हैसियत से तथा किसी भी धारणाधिवार के अन्तर्गत, चाहे किसी भी प्रकार का हो, धारण किये हुए नहीं रहेगा अथवा कच्चे में नहीं रखेगा, या
- (ख) ऐसी भूमि जो उम्मीद लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र में वृद्धि करे, धन, दान (गिफ्ट), बंधन, अमिहस्तावन, पट्टा (लीज) सम्पण अथवा या अन्यथा या अवनरण (devolution) अथवा वसीयत (bequest) से प्राप्त नहीं करेगा

परन्तु राज्य के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के मध्य में इस प्रकार विभिन्न विभिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त तारीख को, अपने लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि पर कब्जा रखता है या तत्पश्चात् उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अर्वाप्त (acquisition) से किमी भूमि का कब्जा प्राप्त करता है, उक्त कब्जे या अर्वाप्ति की यथा स्थिति, राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और उक्त अधिक भूमि को समर्पण करेगा तथा जिस तहसीलदार की स्थानीय सीमाओं में वह भूमि स्थिति हो उसको मुपुर्द कर देगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि एक में अधिक तहसीलों में धारण अथवा अर्वाप्त किये हुए हो तो उसे यह चुनने का विकल्प प्राप्त होगा कि उमके द्वारा भिन्न भिन्न तहसीलों में घृत कौन कौन भूमिया समर्पित की जानी चाहिए ताकि उसके पास उतनी भूमि तक ही रहे जितनी उसे अनुमत है :

परन्तु यह बातें धीर है कि पूर्वोक्त उपबंधों द्वारा अनुमत समर्पण इस परिधीमा के अधीन होगा कि जहाँ वह व्यक्ति जो इस उप-धारा के अन्तर्गत अधिक भूमि समर्पण करे ऐसी भूमिया धारण किये हुए है जिनमें से कुछ अधिभारित (encumbered) तथा कुछ अनधिभारित (not-encumbered) हैं तो, यथा आवश्यक, अधिभारित भूमिया, भारित भूमियों की अपेक्षा, पहिले समर्पण की जायेंगी ।

(३) कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर रिपोर्ट करने अथवा समर्पण करने में जेता कि उप-धारा (२) द्वारा अपेक्षित है, विफल रहता है वह, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने में दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा ।

(४) ऐसा व्यक्ति जो अपने लिये अधिकतम-क्षेत्र में अधिक भूमि को अपने कब्जे में बनाये रखता है, बिना प्रतिबन्ध प्रभाव डाले और उक्त दोष सिद्धि तथा जुर्माने के साथ, धर्मि नामों (trespasser) माना जायगा जिसे धारा १८३ की उप-धारा [१] के खण्ड (क) के अन्तर्गत म उक्त अधिक भूमि से वेदखल किया जा सकेगा तथा जो दायित्व देने का जिम्मेदार होगा :

परन्तु वे भूमिया जिनमें कोई व्यक्ति उक्त दोगेण वेदखल किया जायगा यथासक्य सकारित भूमिया होगी ।

(५) ऐसी समस्त भूमिया जो उप-धारा (२) के अन्तर्गत समर्पण के जरिये अथवा उपधारा (४) के अन्तर्गत वेदखली के जरिये राज्य सरकार को मिलें वे राज्य सरकार में पूर्णतः अधिभारित दता में निहित होंगी ।

३०-वा. धारा ३०-ए. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों का आधेदनः—धारा ३०-ए. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली समस्त भूमिया तहसीलदार द्वारा, सब दिवोजनन धारिणर के आदेशाधीन, धारण की जायेंगी तथा, धारा १५ की उप-धारा (१) में अन्तर्लिखित किमी बात के होते हुए भी, धारा ३०-वा. के उपबंधों के अधीन, भूमिहीन तथा अन्य ध्यगियों को, पाठे विहित पैमाने पर नुतनान किया जाय अथवा नहीं, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनावे गये निर्णयों में बटाई गई रीति से और अन्यथा उनके अनुसरण में, किराये पर ही जायेंगी ।

३०-ए. धारा ३०-ए. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों के लिये एवं उनमें किये हुए सुधारों में अधिधारों के लिये सुझावतः—(१) राज्य सरकार उन सब भूमियों के लिये जो उसमें

धारा ३०-डा. के अन्तर्गत विहित हों, उन्हें समर्पित करने वाले व्यक्तियों को मुद्रावजा देने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(२) उक्त प्रत्येक व्यक्ति, उक्त निहिति के समय घबघा तत्पश्चात् किसी समय, सब डिवीजनल आफिसर को मुद्रावजे के लिये अपने दाये का सबिन्तार विवरण-पत्र विहित प्रथम में तथा विहित रीति में प्रस्तुत करेगा।

(३) मुद्रावजे की रकम सब डिवीजनल आफिसर द्वारा, धारा २३, २४, २५ तथा २६ में बताई गई रीति से तथा उसमें वर्णित मिट्टान्तों के अनुसरण में, निश्चित की जायगी।

परन्तु धारा २३ की उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुद्रावजे की दर नीचे लिखे अनुसार होगा:—

(क) धारा ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि में से प्रथम २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का तीस गुना,

(ख) उक्त भूमि में से अगली २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का पच्चीस गुना, तथा

(ग) उक्त भूमि के अवशिष्ट भाग के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का बीस गुना :

परन्तु जहाँ ऐसी भूमि के संबंध में लगान निश्चित नहीं किया गया हो, उसके लिये स्वीकृत लगान-दर वह मानी जायगी जो पिछले बन्दोबस्त में निकटस्थ तत्समान भूमि के लिये स्वीकृत की गई हो।

(४) इन प्रकार निश्चित की गई मुद्रावजे की रकम, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में वर्णित रीति के अनुसार, धारा ३० डा. की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अपनी भूमि समर्पण करने वाले, अथवा उस धारा की उप-धारा (४) के अन्तर्गत अपनी भूमि से वेदचल किये गये व्यक्ति तथा उसके आसामियों, यदि कोई हो, के बीच में विभाजित की जायगी।

(५) अध्याय ३-का. में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अन्तर्गत निश्चित मुद्रावजे की रकम नबद में, या बौण्डो के रूप में, या अंशतः नबद तथा अंशतः बौण्डो में, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर निश्चित करे, भुगतान-योग्य होगी और धारा २७ की उप-धारा (१), (२) तथा (४) के एव धारा ३० के उपबन्ध मुद्रावजे के भुगतान के संबंध में लागू होंगे।

३०-जा धारा ३० डा के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर भार (encumbrance) संबंधी उपबंध:— (१) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा धृत भूमियों पर कोई भार विद्यमान हो, धारा ३० डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली समस्त भूमियों के संघ में धारा ३०-डा. के अन्तर्गत भुगतान योग्य सम्पूर्ण मुद्रावजे की रकम नीचे लिखे अनुसार उपयोग में लाई जायेगी, अर्थात्—

प्रथमतः, उन भूमियों के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में बाकी निश्चल रही नमस्त बकायाओं का भुगतान करने में;

द्वितीयतः, धारा ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों, पर विद्यमान सम्पत्ति भारों को हटाने में;

तृतीयतः, ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर, इसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र के मद्दे विद्यमान भारों को हटाने में, और

चतुर्थतः, मयविष्ट रकम, यदि कोई हो, उक्त व्यक्ति को दे दी जायेगी।

(२) यदि, उक्त, व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों पर धारोपित भारों की सम्पूर्ण रकम, उसे धारा ३०-डा. के अन्तर्गत सुपतान-योग्य मुआवजे की रकम से अधिक हो तो,

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर विद्यमान भार उन्हीं भूमियों से सम्बद्ध बने रहेंगे, और

(ख) धारा ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान भारों के ऐसे भाग जो मुआवजे की रकम में से न चुकाये जा सकें, भार-हक-धारी (encumbrance holder) द्वारा उक्त व्यक्ति को अन्य सम्पत्ति में बमूल किये जा सकेंगे।

३०-आ. सामान्य प्रकार के अपवाद—(१) धारा ३०-डा. की उप-धारा (१) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति पर,

[१] जो, उपर्युक्त धारा की उपर्युक्त उप-धारा के अधीन अधिमूर्चित तारीख पर, अपने लिये अनुमत अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण नहीं करता है, या

[२] जो, उक्त तारीख के पश्चात्, उक्त अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि को एक बार राज्य सरकार को समर्पित कर देता है या अधिकतम-क्षेत्र में अधिक भूमि ने राज्य सरकार द्वारा वेदखल कर दिया जाता है और अधिकतम-क्षेत्र की सीमा तक भूमि अपने कब्जे में रखता है, यद्यपि तरह-पेण धृत भयवा रखी गई भूमि यथा स्थिति, की उपज-क्षमता भविष्य में उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त तारीख के बाद में किये गये अपवाद उसके गच्च पर किये गये मुधारों के परिणामस्वरूप बच जाती है,

लागू नहीं होगी।

(२) यदि धारा ३०-डा. की उप-धारा (१) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अन्तर्गत घाने वाले किसी मामले में उसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि एक अखण्ड (fragment) मात्र रह जाती है तो, सब टिबीबनल आदिपर उस उप खण्ड को धारण करने वाले व्यक्ति को उसे अपने कब्जे में तब तक रखे रहने की अनुमति दे सकेगा जब तक कि उक्त अप खण्ड, किसी ऐसे सख्तगी भूमि-क्षेत्र के एकीकरण के प्रयोजनार्थ उपयोग में न लाया जा सके जो कि उक्त भूमि क्षेत्र के लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से आकार में छोटा हो।

३०-आ.—(१) धारा ३०-ड. में अन्तर्विष्ट कोई बात—

(क) उपवन, जो संरक्षित तथा रक्षित क्षेत्र बनाते हैं,

(ख) गन्ने के पार्ले जो सुपर कॉन्ट्रिब्यूटो द्वारा काम में लिये जाते हैं,

(ग) सहकारी कृषि-फार्म जितका प्रबन्ध दशतापूर्वक किया जा रहा हो, बताने कि ऐसे किसी फार्म या फार्मों में किसी सदस्य का हिस्सा उसके लिये अनुमत अधिकतम-दोन से अधिक नहीं होगा,

(घ) दशतापूर्वक प्रबन्धित विसिप्टीकृत (Specialized) अन्य फार्म जो विहित रीति से, डोर-अभिजनन, घोडा-अभिजनन, भेड-अभिजनन, ऊन-उत्पादन, तथा दुग्ध-पालाओं, के लिये रजिस्टर्ड किये हुए हो, +

(ङ) अन्य दशतापूर्वक प्रबन्धित फार्म जो यकचके (compact) दोन हैं तथा जिन्हें विभाजित करने से उपज में कमी होने की सम्भावना है, + और

+ (च) किसी मंदिर, मस्जिद, गुहद्वारा अथवा गोशाला द्वारा धारित, उसमें निहित, उनसे सम्बद्ध या उसके प्रवधाधीन भूमि या भूमि दोन,

पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे किसी फार्म या उप-वन जो किसी भी प्रकार तारीख १ मई १९५६ की या तत्पश्चात् अवाप्त (acquired) किया गया हो, में समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह धारत और है कि किसी उप-वन या फार्म पर इस उप-धारा के लागू होने के विषय में कोई भगडा हो जाने की दशा में, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ;

परन्तु धारत यह भी है कि इस उप-धारा के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे गन्ने के फार्म में समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नहीं होगी जिसमें राजस्थान टिनेसो (सशोधन) अधिनियम १९६० के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती पाच वर्षों तक लगातार गन्ने की खेती नहीं की गई हो ।

स्पष्टीकरण—पद “दशतापूर्वक प्रबन्धित” जो इस उप-धारा में फार्म के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, से अभिप्राय विहित रीति से प्रबन्धित उक्त फार्म से होगा ।

(२) राज्य सरकार, नासकीय राजपत्र में अधिमूचना के जरिये, किसी व्यक्ति, भूमि या भूमि-क्षेत्र (holding) को अथवा व्यक्तियों, भूमियों या भूमि क्षेत्रों के किसी वर्ग को धारा ३०-इ. की त्रियान्विति से छूट दे सकेगी यदि वह यह समझे कि क्रियान्विति की सम्बन्धित अथवा विसिप्टीकृत प्रकृति की दृष्टि से, या जहा औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी कार्य मिश्रित अभियान के रूप में हाथ में लिये जायें अथवा जिन्हीं अन्य युक्तिसंगत कारणों से, उक्त छूट (exemption) आवश्यक है ।

अध्याय ३-गा.+

आसामियों के प्राथमिक अधिकार

३१. रहने के मकान का अधिकार—(१) एक आसामी, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाये, उस गांव की आबादी में जिसमें, वह भूमि धारण करता है, बिना किसी मूल्य के अपने रहने के लिये मकान के लिये स्थान वा अधिकारी होगा।

परन्तु यदि वह एक से अधिक गांवों में भूमि धारण करता है तो वह उनमें से कोई एक गांव पसन्द कर सकता है जिसमें वह इस रिषायत का लान उठाना चाहे तथा उसे इस रिषायत का मान एक से अधिक गांवों में उठाने का हक नहीं होगा :

परन्तु यह बात धोर है कि यदि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है तो वह एक बावेदन-पत्र सहसूचनदार को देगा, जिसमें वह रहने के मकान के लिये जगह आवंटन करने को प्रार्थना करेगा।

स्पष्टीकरण—रहने के मकान में, मवेदी के लिये बाड़ा या छप्पर तथा बीज, भूसा (चारा) एवं वृषि के घोजार रखने का स्थान और जलाशय या टोंका बनाने के लिये भी स्थान, सम्मिलित होगा।

(२) जैसा ऊपर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९३६ (राजस्थान अधिनियम १९, १९६१ की धारा ६५, ६६, ६७, ६८ तथा १०२ में अन्वयित किसी विपरीत बात के होने हुए, भी कोई व्यक्ति-कर्मकार वा दस्तकार, जो किसी गांव की आबादी में दम बरं ना अधिक से स्थायी तोर पर रह रहा हो, को भी उस गांव की आबादी में रहने के लिये मकान का स्थान, बिना किसी मूल्य के अपने कब्जे में रखने का अधिकार प्राप्त होगा और उपधारा (१) के दूसरे परन्तुक में अन्वयित उपबन्ध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ—

- (क) "वृषिक कर्मकार" से धनिप्राय ऐसे व्यक्ति में होगा जो आसामी नहीं है परन्तु अपने निवास के गांव की सीमाओं में स्थित किसी आसामी के क्षेत्र या खेतों में मजदूर के रूप में काम करता है, और
- (ख) "दस्तकार" में सुहार, छाठी, मोची, कुम्हार, तथा बुनकर सम्मिलित होंगे।

टिप्पणी

(१) विषय—रहने के लिए मकान का अधिकार स्थायी अधिकार है और टिनेंसी के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। धारा १६८ के अंतर्गत आसामी अपने निवास के मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। उस अधिकार को हस्तान्तरित (मुं'तबिन) किया जा सकता है और यह उत्तराधिकार के योग्य है।

+ राजस्थान अधिनियम ५ सन् १९६० द्वारा विधित्त।

६ राज० अधि० १२ सन् १९६१ द्वारा पुनः संशोधित।

(२) प्रक्रिया—प्रावेदन-पत्र तहसीलदार को लिखे जायेंगे और अनुमूची ३ के भाग २ के मद ३८ के नीचे होंगे। इस अधिनियम के लागू होने के समय चालू मामले इसी धारा के अनुसार फैसल होंगे।^१ श्याम शुल्क २५ पैसे का लगेगा। मियाद कुछ नहीं है। अपील कलक्टर को होगी। दूसरी अपील नहीं हो सकेगी। अपील में दी गई कलक्टर की आज्ञा का पुनरीक्षण राजस्व मण्डल में होगा।

३२: लिखितपत्र (लीज) तथा उसकी दूसरी पड़त का अधिकार—(१) प्रथम आसामी प्राप्त भूमि-धारी से, इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत, विहित प्रथम में तथा विहित विवरण सहित, लिखित पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

(२) ऐसा पत्र जैसा कि उप-धारा (१) में वर्णित है आसामी को दे देने या भेज देने के पश्चात्, भूमिधारी आसामी से पत्र को दूसरी पड़त प्राप्त करने का हकदार होगा।

(३) यदि पत्र या दूसरी पड़त उस व्यक्ति को न मिले जो उसे इन धारा के अन्तर्गत प्राप्त करने का हकदार है तो वह ऐसा पत्र या दूसरी पड़त यथास्थिति की प्राप्ति के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

(१) विषय—यह धारा पुराने और नये आसामियों पर लागू होती है। अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता को अपने परिवार के हित में अपनी भूमि लीज (पत्र) पर देने का अधिकार है।^२ भूमि क्षेत्र पर उप आसामी या अतिक्रमणकारी के होते हुए भी उसका पत्र दिया जा सकता।^३ केवल आसामी ही लिखित लीज के लिए दावा कर सकता है—अन्य कोई नहीं।

(२) प्रक्रिया—उस धारा के नीचे दावे अलिस्टेट कलक्टर के यहां होंगे। ५० पैसे न्यायालय शुल्क के लगेगे। मियाद कुछ नहीं है। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व मंडल को होगी—पुनरीक्षण नहीं होगा।

३३. पत्रों (लीजों) का, रजिस्ट्रेशन के स्थान पर प्रमाणीकरण—(१) इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेप्टल एक्ट १६, सन् १९०८) में अन्तर्बिष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पत्र के पक्षकार, पत्र की रजिस्ट्री कराने के स्थान पर उसे ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति से प्रमाणीकृत करा सकेंगे जो कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

(२) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी जांच जैसी कि विहित की जाय, करने के पश्चात्, पत्र (लीज) के दस्तावेज को विहित रीति से प्रमाणीकृत कर सकेगा—

परन्तु ऐसा कोई विवेक (instrument) प्रमाणीकरण के निमित्त ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह निष्पादन से चार महीने के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो :—

१. दपालसिंह v. मन्मूल, 1918 R.R.D. 73.

२. नाथूराम v. सातिगराम, 1938 A.W.R. 87.

३. कल्लन v. झड़, 1941 R.D. 1187.

परन्तु यह धर्त और है कि इस उप-पारा में अन्तर्विष्ट कोई बात राज्य सरकार द्वारा तकी धोर से मजूर किये गये पट्टों (लीजों) के विषय में लागू नहीं होगी;

(३) उक्तहृषेण प्रमाणीकृत विलेख इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेप्टुल एक्ट १६, १९०८) के अधीनगत रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा ।

टिप्पणी

(१) विषय—इस धारा के अन्तर्गत पट्टों (Lease) को रजिस्ट्री कराना वैकल्पिक था है परन्तु यदि पट्टे को न तो रजिस्ट्री कराई जाये और न प्रमाणीकरण तो उसे में ग्रहण नहीं किया जा सकता अलवत्ता उन्हें प्रासंगिक प्रयोजनों (Collateral use) के लिए स्वीकार किया जा सकता है ।^१

(२) रजिस्ट्री नहीं कराने का प्रभाव—न्यायालय में पेश किए गए राजीनामे की कराने की आवश्यकता नहीं है बस कि उसका समावेस न्यायालय की आज्ञा में ।^२ यदि राजीनामे के मामले से असम्बन्धित नए अधिकार उत्पन्न हो जाये तो आवश्यक है ।^३

(३) पट्टों (Lease) पर स्टाम्प—राजस्थान स्टाम्प लॉ (एक्ट १९५२ सूची २ के मद ३५ द्वारा कृपि सम्बन्धी पट्टों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया

(४) प्रक्रिया—पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन-पत्र अनुसूची ३ के भाग २ ८ का. से शासित होंगे और ऐसे अधिकारी के पास पेश होंगे जिसे सरकार नियुक्त याद तकमील की तारीख से ४ महीने की है और न्यायालय शुल्क २५५ में है । राज-पेंसी (गवर्नमेंट) हल्स १९५५ के नियम २० के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक न्यायालय एवं जो इन्सपेक्टर लेंड रेकॉर्ड के नीचे न हूँ ऐसे राजस्व अधिकारी से अधिकार में किए गए पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए अधिकारी नियुक्त किया है ।

४. मजूरने अध्या बेगार का प्रतिषेध— कोई भूमि-धारी, इस अधिनियम के बिन्हीं के अधीन रहते हुए, पट्टा मजूर करने के लिये कोई नजराना नहीं लेगा धयवा । कोई सेवा, मजूरों पर धयवा अध्या भूमिधारी के प्रति करने के लिये उत्तरदायी था और ऐसी कोई धर्त तत्परीत किसी कानून मा प्रथा के होने हुए भी, धूय

परन्तु, इस पारा, की कोई बात, राजस्थान, सु-राजस्व अधिनियम १९५६ (राज. १५, सन् १९५६) की धारा १०० या पारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये, नियमों के

धगेदार v. सरदार अली, 10 Bom. 1146

बिन्देखरी v. संतागह्राय, 20 All. 171

बमरुप्रिया v. शिवमंगल, 5 R.D. 339.

राजस्थान अधिनियम संख्या ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया ।

अनुसूचना में किसी व्यक्ति को धारित की गई भूमि के मूल्य की वसूली करने में + + [अथवा इस अधिनियम की धारा ३०-घा. के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अपेक्षित भुगतान की वसूली करने में, बाधक नहीं होगी।]

३५. लगान से भिन्न भुगतान का प्रतिषेध—किसी विगरीत घुषा अथवा मंविदा के होने हुए भी, कोई भुगतान चाहे किसी भी काम से दुकारा जाता हो या विदित हो, भूमि-क्षेत्र (holding) के लगान [या विधि द्वारा धारित] अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार के सिवाय, आसामी पर नहीं लगाया जायगा अथवा उससे वसूल नहीं किया जायगा।

३६. सामग्री का उपयोग—इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आसामी को अपने भूमि-क्षेत्र अथवा रहने के भवन के सबब में, अपने भूमि-क्षेत्र पर उसकी सतह के नीचे दबे हुए अथवा सुधार करने के लिये खुदाई करते समय पाये हुए, पत्थरों या अन्य सामग्री को ले जाने तथा उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त होगा।

—[परन्तु इस अधिकार का आसामियों द्वारा प्रयोग किया जाना, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों के अन्तर्गत नियमित किया जा सकेगा।]

३६-का. नालबट में अधिकार की अवाप्ति—'. (१) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से अथवा घातू, अजमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम १९५७ (राजस्थान अधिनियम २, सन् १९५८) के प्रारम्भ के पूर्व से, किसी भूमि जिसमें बुआ सलख हो, का खातेदार आसामी रहा हो अथवा उक्त प्रारम्भ के पश्चात् धारा १५ या धारा १५ खा. के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार अवाप्त कर लेता है और उक्त कुए के संबंध में नालबट वसूल करने का अधिकार भूमि-धारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से निहित हो तो, उक्त प्रथमतः वर्णित व्यक्ति सबडिवीजनल आफिसर को, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति में एक आवेदन-पत्र उक्त अधिकार की अवाप्ति के लिये, राजस्थान टिमेंसी (संशोधन) अधिनियम १९५६ के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु सब डिवीजनल आफिसर इस धारा के अन्तर्गत उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये हुए आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका इस विषय में समाधान हो जाय कि आवेदक के पास एक दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सब डिवीजनल आफिसर उस व्यक्ति को जिसमें नालबट वसूल करने का अधिकार उत्तररूपेण निहित है एक नोटिस देगा

+ + राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

× राजस्थान अधिनियम संख्या ४६ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट

— राज० अधि० ८ सन् १९६५ द्वारा जोड़ा गया।

.. राज० अधि० ७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया।

जिसके जरिये उसे सूचित किया जायेगा कि यदि वह भावेदन-पत्र का प्रतिवाद करना चाहता है तो नोटिस की प्राप्ति से ३० तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करे।

(३) वाहे भावेदन-पत्र का प्रतिवाद किया जाय या न किया जाय, ऐसे व्यक्ति सब-डिवीजनल आफिसर को एक विस्तृत विवरण-पत्र, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से नालवट के अधिकार के मर्दे मुआवजे के अपने दावे के बारे में प्रस्तुत करेगा।

(४) यदि भूमिधारी भावेदन-पत्र का प्रतिवाद करता है तो सब-डिवीजनल आफिसर, ऐसी जांच जैसी वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, उप-धारा (५) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए भावेदन-पत्र को या तो स्वीकृत करेगा या स्वीकृत करेगा।

(५) यदि सब-डिवीजनल आफिसर भावेदन-पत्र स्वीकृत करता है तो वह उक्त श्रवणित के लिये देय मुआवजे की रकम, धारा २५ के उपबंधों के अनुसरण में, निश्चित करेगा और धारा २७ तथा धारा ३० के उपबंध उक्त मुआवजे के बारे में लागू होंगे तथा उसके भुगतान को वासित करेंगे।

(६) इस धारा की कोई बात धारा २९ के अन्तर्गत कोई भावेदन-पत्र जो राजस्वान टिनेमी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ के पहिले प्रस्तुत किया गया हो, के सम्बन्ध में दिये जाने वाले नियम पर तथा उनके निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक नियम इस प्रकार प्रभावशील होगा मानो विध्यनुकूल तथा वैधरूप में किया गया हो।

(७) समस्त ऐसे भावेदन-पत्र जो उक्त प्रारम्भ के समय विचाराधीन हो, इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे और उनके सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन तीसरे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए है जिन्होंने ऐसी भूमि में या उसमें मंगलन कुओं में रकम लगा दी है जिनमें कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आसामी सातेदार आगामी हैं अथवा जिसे धारा १५ के नीचे सातेदारी अधिकार प्रकृत हो जायें। धारा १९ से २८ के उपबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू होने हैं जो मानचट लेने के हकदार हैं।

२. प्रक्रिया—नालवट में अधिकार प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर सब-डिवीजनल आफिसर को भावेदन पत्र देना होगा। उक्त प्रक्रिया धारा २० के अनुसार होगी। भूमि धारी कुओं के कारण मुआवजा लेने का हकदार नहीं है।

३. न्यायालय की प्रक्रिया से जन्मी, कुर्सी तथा विधय पर रोक—भूमि-क्षेत्र में आगामी के अधिकार विभी विभिन्न न्यायालय की प्रक्रिया में अन्न, कुर्सी भयवा विभीत नहीं किये जा सकते।

टिप्पणी

१. विषय—जागीरदार की सातेदारी की भूमि की कुर्सी नहीं हो सकती। फसलें

कुर्क की जा सकती है और उन्हें बेचा भी जा सकता है।¹ जहां सिविल न्यायानुयम से डिक्री धारा ८६ C.P.C. के नीचे कलक्टर को हस्तांतरित हो जाय और उसकी इजराय में कलक्टर कृपि सम्पत्ति बेच दे तो वह बेचान राजस्व कार्यवाही के शिलसिले में की गई समझी जायगी न कि सिविल कार्यवाही में।² जहां दिवाल की कार्यवाहियों में रिगिवर मुकर्र हो जाय तो उसे कृपि उपज एवं अन्य लाभो को कुर्क कराने का अधिकार है। केवल टिनेसी अधिकार ही कुर्की से मुक्त हैं।³

अध्याय ४

अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विमाजन

सामान्य

३८. आसामियों का हित—आसामी का अपने भूमि-क्षेत्र में हित, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में विहित है, दाय-योग्य (विरासतीय) है किन्तु अन्तरणीय नहीं है।

टिप्पणी

आसामी का अपने भूमि क्षेत्र में हित विरासत (उत्तराधिकार) के योग्य तो है परन्तु इस अधिनियम में बताया गए अनुसार के अतिरिक्त अन्तरणीय (मुतकिल किए जाने योग्य) नहीं है। इस विषय में धारा ४२ व ४३ का प्रावधान ध्यान में रखने योग्य है। धारा ४२ में बेचान और बख्शीश पर रोक का प्रावधान है और धारा ४३ में बंधक (रहन) पर। धारा ४५ व ४५ में जमीन किरातों पर देने का प्रावधान है।

आसामी-अधिकारों का अवतरण

३९. वसीयत—खातेदार आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में अपने हित को या हितार को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अ तिमच्छा-पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—पुरातन हिन्दू धर्म शास्त्र में हिन्दुओं के लिए वसीयत (उत्तरदान) का प्रावधान नहीं था परन्तु अब ऐसा प्रावधान निश्चयात्मक रूप में समाविष्ट हो चुका है।

२. वसीयतनामा कीन कर सकता है—प्रत्येक हिन्दू जिसका मरितरक ठीक हो और जो अ-वयस्क नहीं हो वसीयत कर सकता है। वसीयत किसके पक्ष में की जाय

1. रोशनलाल, V. मनोहरमिह, 1938 R.L.W. 337

2. चन्डलाल V. चन्डलाल, 1960 R.L.W. 456

3. कनवमन V. बन्द्योपाध्याय, 1266 R.D. 162

इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो उत्तराधिकार के अयोग्य है उसके पक्ष में भी वसीयत हो सकती है।¹

३. वसीयत का प्रारम्भ— इसके लिए कोई प्रारम्भ (फार्म) विहित नहीं है केवल उसमें मृत व्यक्ति की वसीयत विषयक इच्छा प्रकट हो जानी चाहिए।

४. स्वदेहाश्रयारी— इनको भी वसीयत का उतना ही अधिकार है जितना अन्ध साक्षिदार आसामियों को।

५. रजिस्ट्रेशन— इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९०८ की धारा १८ (ड) के अंतर्गत वसीयतनामा की रजिस्ट्री वैकल्पिक है और धारा १७ केवल गैर वसीयती निम्ननों पर ही लागू होनी है।²

६. मृत्यु का भार— मौखिक वसीयत को मान्य करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसे पेश करता है।³

४०. आसामियों का उत्तराधिकार— जब धामामी अन्तिमैच्छा-पत्र छोटे बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके मूषि-क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होगा जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अयोग्य था।

टिप्पणी

१. धारा का जर्द्दस्व— इस अधिनियम के पूर्व राजस्थान में विभिन्न रियासतों के कानून उत्तराधिकार के मामलों में आसामियों के व्यक्तिगत कानूनों को रूपान्तरित करते थे। इन धारा के कारण सारे राजस्थान में आसामी की मृत्यु के समय उस पर लागू होने वाला व्यक्तिगत कानून उसकी टिनेसी के अधिकारों के अवनरण पर लागू हो जायगा। उदाहरणार्थ जयपुर स्टेट टिनेसी एक्ट १९४५ की धारा १७ व १८ तथा मारवाड़ टिनेसी एक्ट १९४९ की धारा १४ व १५ में आसामियों के उत्तराधिकार का मुनिर्धारित क्रम प्राविहित कर दिया गया था। अब इस अधिनियम की इन धारा से वह क्रम समाप्त हो गया और आसामी पर उसकी मृत्यु के समय जो व्यक्तिगत कानून लागू हो उसी के अनुसार उनके कृषि सम्बन्धी टिनेसी अधिकारों का अवनरण होगा। इन अधिनियम के प्रभाव में धान से पूर्व जो आसामी मर गए उनके अधिकारों का अवनरण मन्वन्वित रिमायनों के तत्त्वियक कानूनों द्वारा होगा।

२. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ का प्रभाव— राजस्थान राजस्व बोर्ड के पूरी बेंच के निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ कृषि सम्बन्धी टिनेसी अधिकारों के अवनरण के विषय में कोई स्थानीय कानून नहीं हो वहाँ हिन्दू आसामियों के उत्तराधिकार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ लागू

1. कुलदेव नारायण v. सुभा, 1864 Marshall 357

२. मुरमोशम v. हरिदास, A.I.R. 1921 Nagpur 34

3. बेंटराव v. नामदेव, A.I.R. 1931 P.C. 285

होगा।¹ इसी निर्णय को बाद के एक अन्य निर्णय में स्वीकार किया जाकर यह निर्धारित किया गया कि वृषि सम्बन्धी टिनेसी के अवधारण के मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू होगा।²

आसामी-अधिकारों का अन्तर्गम

४१. खातेदार के हित की अन्तरणता—धारा ४२ तथा धारा ४३ में निश्चित शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित, उप-पट्टे (तब सीज) से मिन्न अन्य रीति से अन्तरणीय, होगा।

टिप्पणी

१. विषय— इस धारा में बनाया गया है कि धारा ४२ तथा ४३ में बताई गई शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित अन्तरणीय तो होगा परन्तु वह उप-पट्टे के द्वारा अन्तरित (मुक्तकिल) नहीं किया जा सकेगा। यह धारा केवल खातेदार आसामियों तक ही सीमित है।

२. अवैध अन्तरणों का प्रभाव— बिना विधिमान्य अन्तरण सम्पादित किए कोई आसामी अपना हित नहीं खो सकता। यदि अन्तरण (मुक्तकिली) अवैध है तो कब्जा अन्तरिती के पास चला जाने पर भी भूमि क्षेत्र में उसका अधिकार बना रहेगा और उसका कब्जा अन्तरिती (मुक्तकिल इलेह) की ओर से समझा जायगा। अवैध तरीके से मुक्तकिल करके वह लगान अदायगी के दायित्व से नहीं बच सकता।³

× [४२. बिक्री, दान (गिफ्ट) तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध—खातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री, दान (गिफ्ट) या वसीयत, शून्य होगी यदि—

(क) बिक्री, दान या वसीयत सर्वे नम्बर की नहीं है, सिवाय उम दशा के जब कि उक्त रूपेण बेचे गये, दान किये गये, या वसीयत किये गये सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल, धारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम-क्षेत्र से अधिक हो, किन्तु उस दशा में जो अन्त-अन्तरित क्षेत्र अपलण्ड (फंगमेण्ट) नहीं होगा।

परन्तु यदि उक्त रूपेण अन्तरित क्षेत्र किसी सस्पर्सी सर्वे नम्बर में विनोनीकृत हो जाता है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

परन्तु यह शर्त और है कि यदि बिक्री, दान, या वसीयत, सर्वे नम्बर में आसामी के सम्पूर्ण हित की है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा,

(ख) उक्त बिक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के

1. भोरा v/s गणेश, 1966 R. R. D 71

2. भगवान सहाम v/s रामनियास, 1966 R. R. D. 371

3. बन्नाम चौधरी v/s शीतलचन्द्र, A.I.R. 1932 Patna 330

× धारा ४२ राज० अधि० १२, सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो, अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नहीं हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो धारा १५ की उप-धारा (१) के परन्तुक में उल्लिखित प्रोजेक्ट क्षेत्रों में या धारा १५-या में बंखित राजस्थान नहर क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहिले ही ~~उत्पत्ती~~ दारी अधिारों का उपयोग कर रहा हो और उन व्यक्ति द्वारा किसी अथवा दान के जरिये राजस्थान टिनेसी (संशोधन) १९६० राजस्थान (अध्यादेश २ सन् १९६०) के प्रारम्भ के बाद किया गया कोई अन्तरण मूल्य तथा निष्प्रभावी होगा।]

टिप्पणी

१. विषय—कोई खातेदार अपना भूमि क्षेत्र किसी व्यक्ति को बेचान या बहसीग द्वारा अन्तरित कर सकता है, परन्तु जहाँ कोई व्यक्ति पहले से ही इनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हो जो उस पर लागू होने वाली उच्चतम सीमा (सीविंग) से अधिक हो तो वह बिना राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा के बेचान अथवा बहसीग द्वारा अधिक भूमि नहीं ले सकता। यह धारा केवल खातेदार आसामियों तक ही सीमित है। शब्द 'भूमि और 'भूमि में हित' समानार्थी है।^१

२. अधिनियम लागू होने से पूर्व के बेचान व अन्तरण—राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रिमासतों के टिनेसी कानूनों में भी खातेदार आसामियों द्वारा जमोन के विक्रम पर प्रतिबंध थे, उदाहरणार्थ मारवाड़ टिनेसी एक्ट की धारा १९ में। ऐसे प्रावधानों के विरुद्ध जमोन लेने वालों को इस अधिनियम की धारा १५ व १९ का लाभ नहीं मिल सकेगा।

३. बिना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र—यदि बेचान और सब प्रकार से ठीक है और अंतरितो का कब्जा हो जाय तो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा ५३-का के कारण रजिस्ट्री न कराने से ही विक्रय पत्र अवैध नहीं हो जायगा। बिना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र अन्तरण (इन्वॉल) की किस्म की माध्य के लिए साध्य में ग्रहण करने योग्य है।^२

४३. मन्धक—(१) खातेदार आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उसके भाग में अपने अधिकारों को भोग्यमन्धक के रूप में ऐसी अवधि जो दस वर्षों में अधिक न हो, के निम्न अन्तरित कर सकता है :

+ परन्तु कोई खातेदार आसामी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र अथवा उसके भाग में अपने अधिकारों को अन्तरण किसी ऐसे व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।

÷ (२) दस अधिनियम के प्रारम्भ के पहिले अथवा उप-धारा (१) में अन्तर्लिखित उपबन्ध

१. पट्टहिह vs/ गोरी, 1964 R. R. D. 301

२. बरपनमथी v/s गिरधारीहिह 1955 R. L. W. 472

+ राज० अधि० २८ सन् १९५९, व ५ सन् १९५७ द्वारा जोड़ा गया व संशोधित किया गया।

÷ राज० अधि० २७ सन् १९५९ द्वारा प्रतिस्थापित।

के अनुसरण में किया गया, निम्नी भूमि का भोग्यबंधक-बंधक विभाग में वर्गीकृत अधिधि की, या उससे निष्पादन की तारीख से बोत वर्ष की दोनों में जो भी कम हो, समाप्ति होने पर, बंधक-बन्तों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किये बिना सम्पूर्ण रूप में भरपाई किया हुआ समझा जायेगा तथा बन्धक-विलेख तदनुसार व्यवसायित हुआ समझा जायेगा और बन्धक प्रस्त भूमि मुक्त कर दी जायेगी और उसका कब्जा, समस्त अधि भाग (encumbrances) में अव्यक्त स्थिति में, बन्धककर्ता को दे दिया जायेगा।

× (३) यदि बंधक-ग्रहीता बंधक-प्रस्त भूमि को उत्तररूपेण वापिस नहीं देता है तो यह प्रतिभ्रमी समझा जायेगा और धारा १८३ की उप-धारा (१) के अनुसरण में बेहमल किया जा सकेगा।

∴ (४) [वह व्यक्ति जिसे धारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोदभूत हो गये हैं राज्य सरकार या भूमि बंधक बैंक, सहकारी संस्था, या अन्य कोई संस्था जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधि-सूचित की गई हो, से, ऋण लेने के प्रयोजनाय अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उससे किसी भाग में अपने अधिकारों को साधारण बंधक के रूप में गिरवी रख सकता है।]

§(५) विलोपित

±(६) खातेदार आसामी भी अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को, राजस्थान सेण्ट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लेण्ड मॉर्गेज बैंक या कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट ४, सन् १९५३) के अन्तर्गत तत्काल में रजिस्टर्ड हो या तत्काल में रजिस्टर्ड मानी गई हो, से ऋण लेने के प्रयोजनाय साधारण बंधक के रूप में अन्तरित कर सकता है।

(७) उप-धारा (६) के अन्तर्गत किये गये, समस्त बंधक राजस्थान को-ऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एक्ट १९५६ के उपबन्धों के द्वारा नियमित तथा शासित किये जायेंगे।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में खातेदार आसामी को अपने पूरे भूमि क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को भोग बंधक के रूप में (रहन-बिल-कब्जा) किसी बन्धकग्रहीता (मुदाहिन) को अधिक से अधिक १० वर्ष की अवधि के लिए अन्तरित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे जो बन्धक इस अधिनियम से पूर्व किए गए थे वे उनके सम्पादन की तारीख से २० वर्षों बाद समाप्त समझे जायेंगे।^१ इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यह अवधि १० वर्ष की कर दी गई है जिसके बाद भूमि-क्षेत्र खातेदार आसामी को बिना किसी अधिभार (encumbrances) के मिल जायेगी। यदि

× राज० अधि० संस्था ८ सन् १९५५ द्वारा सशोधित।

∴ राज० अधि० संस्था २७ सन् १९५६ निविष्ट।

७ राज० अधि० संस्था ७ सन् १९५६ प्रतिस्थापित।

∴ उपरोक्त द्वारा विन्युप्त।

± राज० अधिनियम संस्था ३८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

बन्धकग्रहीता इस अवधि के बाद भी अपना कब्जा बनाये रखे तो वह अतिक्रमी समझा जायगा और धारा १८३ के नीचे उसे वेदखल किया जा सकेगा। यह धारा खुदकास्त धारकों पर भी लागू है जिनकी खातेदारी अधिकार प्राप्त हों।

२— भोग बन्धक (रहन बिल कब्ज)—इसकी परिभाषा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ५८ (घ) में दी गई है। इन प्रकार के बन्धक की मुख्य विशेषता यह है कि बन्धक ग्रहीता अपनी रकम का दावा नहीं कर सकता। वह केवल अपनी रकम व ब्याज की वसूली तक सम्पत्ति पर कब्जा बनाए रख सकता है।^१ इस अधिनियम में ऐसे कब्जे की अवधि १० वर्ष की करदी गई है।

३— बंधक ग्रहीता की हैसियत—बन्धक ग्रहीता की हैसियत धारा ५ (४३) के अर्थान्तर्गत आसामी की है। भोग बन्धक ग्रहीता भी आसामी के सभी अधिकारों का उपभोग करता है। यदि उसे उस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध वेदखल कर दिया जाता है तो धारा १८७ के उपबन्ध लागू होंगे और उसे कब्जा वापिस दिलाया जा सकेगा।^२ बन्धक ग्रहीता को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।^३ उसे कतिपय प्रयोजनों के लिए ही आसामी समझा गया है।

४— बंधक मोचन (फुकुस रहन) का दावा—हार्डकोर्ट^४ व राजस्व बोर्ड^५ के निर्णयों के अनुसार ऐसे शत्रु राजस्व न्यायालय (अग्नि० क्लबटर) में होंगे और तृतीय अनुसूची भाग १ के मद ३५ के नीचे पेश होंगे।

+ ४३-का. अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये गये कृषि-भूमि के बन्धकों के सम्बन्ध में उपबन्ध—(१) धारा ४३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निम्नी आसामी के भूमि क्षेत्र के बंधक-भोग-बंधक से भिन्न-और ऐसे बंधक के पक्षकारों के अधिकार एवं देयताएँ, इन अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके निबंधनों में तथा उक्त प्रारम्भ से प्रचलित तत्सम्बन्धी कानून से शासित होती रहेंगी।

(२) ऐसा कोई अधिकार या देयता (liability), अधिकारिता युक्त सहायक क्लबटर के न्यायालय में नियत अवधि, यदि कोई हो, के भीतर, परिवर्तित व्यक्ति द्वारा, विहित न्यायालय-घुन्क देने पर, दायर किये गये वाद के जरिये प्रभावशाली कराया जा सकता है।

टिप्पणी

बन्धकों से सम्बन्धित दावे केवल राजस्व न्यायालयों में ही जाहे बन्धक उस अधि-

1. गुमेरमन रात्रमल v. रामबन्ट, 1965 R.R.D. 258.
1. धारमावरण v. सरजन, A.I.R. 1928 Lahore 35j.
2. बलदेव v. भेन्लाल, 1954 R.L.W. (R.S.) 47.
3. माजीराम v. गदाराम, 1961 R.L.W. (R.S.) 36.
4. थोबन्ट v. दोस्ताराम, 1952 R.L.W. 495.
5. कत्रोहीमन v. अमरा, 1953 R.L.W. (R.S.) 20.

+ राजस्थान अधिनियम संख्या ५ सन् १९५७ द्वारा निविष्ट एवं १२ सन् १९६१ और २ सन् १९५८ द्वारा संशोधित।

नियम से पहले किए गए हो या बाद में। विधान सभा का अधिप्राय सिविल न्यायालयों की अधिकारिता (Jurisdiction) पर रोक लगाना ही था।¹

४४. कास्त या शिकमी-कास्त (Sub-letting) के लिये देने का अधिकार-सुदवास्त-धारी कास्त के लिये तथा आसामी शिकमी-कास्त के लिये, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग को, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो कि दृग अधिनियम द्वारा अधिरोपित हैं, दे सकता है :

परन्तु उक्त रूपेण शिकमी-कास्त पर देने से आसामी अपने भूमि-धारी के प्रति अपनी देयताओं से बियो भी भाति मुक्त नहीं हो जायगा।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में सुदकास्त धारको की अपना भूमि-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग केवल किराये पर (कास्त के लिए) देने का अधिकार दिया गया है क्योंकि जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदार केवल सुदकास्त की जमीन का खातेदार आसामी रह जाता है।

२— उपबन्ध—शिकमी कास्त पर देने के बाद भी आसामी सम्बन्धित भूमि क्षेत्र का लगान भूमि धारक को देने का दायी है। यदि वह कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण उसे वेदखल किया जा सके तो उसका भूमि क्षेत्र जवन किया जा सकता है^२

४५. कास्त तथा शिकमी कास्त के लिये देने पर प्रतिबन्ध—(१) कोई सुदवास्त-धारी + [या भू-स्वामी] कास्त पर और कोई खातेदार आसामी अथवा उसका बचक-अहीता शिकमी-कास्त पर अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी भाग को, किसी एक समय पर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं देगा।

(२) जहा कोई पट्टा (लीज) या शिकमी-पट्टा (सब लीज) किसी भी अवधि के लिये उप-धारा (१) के अन्तर्गत एक बार मजूर कर दिया गया हो तो, उसी भूमि के सम्बन्ध में, कोई अग्रेतर पट्टा या शिकमी-पट्टा, यथास्थिति, प्रथमतः वर्णित पट्टे या शिकमी-पट्टे की समाप्ति के पश्चात् दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायगा।

(३) कोई गैर-खातेदार आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये शिकमी-कास्त के लिये नहीं देगा।

(४) कोई शिकमी-आसामी या सुदकास्त का आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को, धारा ४६ में वर्णित परिस्थितियों के सिवाय अन्यथा शिकमी-कास्त पर नहीं देगा।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी भूमि शिकमी-कास्त (Sub-

1. सेमा v. पीषा, 1965 R.R.D. 56.

2. देविये धारा 177.

+ राज० अधि० ११ मन् १९६४ द्वारा निरिष्ट।

letting) पर उठाने और खुदका का धारकों द्वारा अपनी भूमि किसी अन्य को कास्त पर उठाने (Letting) पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

२— भूमि धारक को शिकमी कास्त—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र को अपने ही भूमि धारक को शिकमी-कास्त पर दे सकता है परन्तु उस पर भी इस धारा द्वारा बर्णित प्रतिबन्ध लागू होंगे।¹

३— बंधकपद्धता द्वारा शिकमी कास्त पर देना—किसी टिनेंसी का बन्धक ग्रहीता आसामी की ही हैसियत रखता है अतः उस पर भी आसामी अथवा खुदका का धारक पर लगने वाले प्रतिबन्ध लागू होते हैं।²

४— उप-धारा (४)—आसामी के पास अन्तरण के योग्य अधिकार नहीं होते अतः धारा ४६ में बताई गई शर्तों के वह किसी दूसरे को आसामी बना नहीं सकता।³

४६. अपवाद स्थिति में भूमि का कास्त पर या शिकमी-कास्त पर दिया जाना—(1) धारा ४५ में, खुदका का धारी + या भू-स्वामी द्वारा कास्त पर दिये जाने तथा आसामी द्वारा शिकमी-कास्त पर दिये जाने पर अपिरोपित प्रतिबन्ध—

(क) वयस्क, या

(ख) पागल, या

(ग) मूर्ख, या

(घ) ऐसी लड़की जो, अविवाहिता है या जिसने विवाह बिच्छेद कर दिया गया है या जो पति से पृथक् कर दी गई है या विधवा है, या

(ङ) ऐसी व्यक्ति जो, नेत्रहीनता या अन्य शारीरिक निर्व्यवस्था या अशक्ति के कारण अपनी भूमि में कृषि करने से असमर्थ है, या

(च) ऐसी व्यक्ति जो सशस्त्र सेना का सदस्य है, या

(छ) ऐसी व्यक्ति जो बारागृह में अशक्त या बन्दी है, या

(ज) ऐसी व्यक्ति जिसकी आयु २५ वर्ष से अधिक नहीं है तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है ;

पर लागू नहीं होंगे ;

परन्तु जहां किसी भूमि को एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में धारण करने हुए हो उस दशा में इन धारा के उपबन्ध तक लागू नहीं होंगे जब तक वे सब व्यक्ति इगमें निश्चित प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार के न हों।

(२) कोई पट्टा या शिकमी-पट्टा जो उप-धारा (१) के उपबन्धों की अनुपस्थिति में अमान्य होगा, पट्टाधारी को मृत्यु हो जाने या उसके तदन्तर्गत निश्चित प्रकारों में से किसी के

1. अन्वाम धनी v. अयरविह, 7 R.D. 446.

2. अमरान v. देवतीप्रसाद, 1942 R.D. 312.

3. संतरमान v. श्रीहरण, 1965 R.R.D. 326.

+ राज० अधि० संख्या ११ सन् १९६८ द्वारा निश्चित

अन्तर्गत न रहने के पश्चात् दो वर्षों से अधिक अवधि के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा ।

टिप्पणी

१— विषय—पिछनी धारा में शिकमी-काश्त पर भूमि देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । यह धारा कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को उनसे मुक्त करती है । इसके अनुसार इसमें वर्णित व्यक्तियों द्वारा दी गई शिकमी-काश्त सम्बन्धित आसामी (जिगने शिकमी-काश्त पर जमोन दी है) के मर जाने अथवा जिस नियोग्यता के कारण शिकमी काश्त पर दी गई उसके हट जाने के बाद दो वर्षों से अधिक जारी नहीं रहेगी ।

२— नियोग्यता की जांच—जिस नियोग्यता (अवयस्कता, पागल पन इत्यादि) जिसके कारण आसामी या खुदकाश्त धारक अपनी भूमि दूसरे को काश्त पर देना चाहता है उसकी पूरी जांच तहसीलदार द्वारा की जानी चाहिए । ऐसी नियोग्यता इस अधिनियम के लागू होने के दिन विद्यमान रहनी चाहिए उसके बाद नहीं ।^१

+ ४६-का-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातीयों के सदस्यों द्वारा काश्त या शिकमी-काश्त पर दिये जाने के लिये विधिष्ट उपबंध—धारा ४४, ४५, तथा ४६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को काश्त, शिकमी-काश्त के लिये उक्त धाराओं के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं है ।

४६. शिकमी-पट्टे से उत्तराधिकारी का आबद्ध होना—किसी आसामी जिसने भूमि शिकमी-काश्त पर दी हो, के हित का उत्तराधिकारी, शिकमी-पट्टे के निर्बन्धनों से उस सीमा तक रहा तक कि वे इस अधिनियम के उप बंधों से असंगत न हों, आबद्ध होगा ।

टिप्पणी

यदि किसी आसामी ने अपनी भूमि का पट्टा (लीज) अनिश्चित अवधि के लिए कर दिया हो तो वह अपने उपकारतकार को बेदखल करने से निषिद्ध है परन्तु उसके हित का उत्तराधिकारी नहीं है । वह उप आसामी को बेदखल करा सकता है ।^२

— ४७-का. भावू, अजमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में कतिपय अन्तरणों के सम्बन्ध में उपबन्ध—(१) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधों में कृषि-अधिकारों के अन्तरण के विषय में अन्तर्विष्ट कोई बात, भावू, अजमेर, अथवा मुनेल क्षेत्रों में राजस्थान राज्य विधियों (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पूर्व विध्यनुकूल सम्पन्न किये गये भूमि अथवा किसी आसामी के भूमि-क्षेत्र के विषय, बंधन, पट्टे, शिकमी-पट्टे या अन्य अन्तरण पर लागू नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक

१. छीतर v. मु० घमनिया, 1964 R.R.D. 175.

१. जोरा V/s जारिया, 15 R.D. 136

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट ।

÷ राज० अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा विलुप्त ।

अन्तरण के पक्षकारों (पार्टियों) के अधिकार तथा देयताएँ, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किमी बात के होते हुए, उक्त अन्तरण के निर्वचनों (terms) में तथा उक्त प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवर्तन-शील तत्सम्बन्धी कानून से शासित होती रहेगी।

(२) धारा ४३-का की उप-धारा (२) के उपबंध, ऐसे प्रत्येक अधिकार अथवा देयता की क्रियावृत्ति पर, यथाविचन परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

रूपि-अधिकारों का विनिमय

४८. भूमि का विनिमय—(१) एक ही वर्ग के आसामी, ऐसी भूमियों का जो उन्होंने एक ही भूमिधारी से प्राप्त की हों, उस भूमिधारी की सहमति से विनिमय कर सकते हैं और ऐसी भूमियों का जो उन्होंने निम्न निम्न भूमिधारियों से प्राप्त की हों, ऐसे समस्त भूमि-धारियों की लिखित सहमति से विनिमय कर सकते हैं।

(२) भूमिधारी, आसामी की सहमति से, उसके भूमिधेय में सम्मिलित भूमि के विनिमय में उसे उस भूमि में निम्न भूमि दे सकता है जो उसे पट्टे पर दी गई है।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी जमीनों के विनिमय (अदला-बदली) का प्रावधान है। इस धारा को धारा ४६ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों के नीचे विनिमय होने पर आसामी का बदले में प्राप्त जमीन पर वैसा ही अधिकार हो जायगा जैसा कि बदले में दी गई जमीन पर था।

२. बंधक ग्रहीता और विनिमय—बंधक ग्रहीता बंधक रखी गई सम्पत्ति का विनिमय बिना सत्यकर्तारों की सहमति के नहीं कर सकता।^१

३. प्रथिया—विनिमय पूरा हो जाने पर सहायक क्लर्क को एक आवेदन-पत्र दिया जायगा और उसके पन्चात ही धारा ५२ के अन्तर्गत अधिकार-अभिलेख (मिसल हबीयन) में इन्द्राज किये जायेंगे।

४९. चर्चबंदी के सिधे विनिमय—(१) कोई छातेदार आसामी जो अपने उस क्षेत्र की चर्चबंदी कराया चाहता है जिसमें वह श्रमि करता है, अपनी भूमि के किसी भाग जिसमें वह श्रमि करता है, के विनिमय में किसी अन्य छातेदार आसामी द्वारा श्रमि भूमि लेने के लिए सहायक क्लर्क को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र को प्राप्त पर, यदि सहायक क्लर्क का विश्वास हीन से जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाय कि मुक्ति युक्त कारण विद्यमान हैं तो वह आवेदन-पत्र को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर सकता है तथा दूसरे आसामी को आवेदन द्वारा प्राप्त की गई ऐसी भूमि आवेदन कर सकता है जो मूल्य में समान जग भूमि के बराबर तथा उगी-सहार की हो, जो कि आवेदक को मिलेगी।

टिप्पणी

१. विषय—चकबन्धी कराने का अधिकार इस धारा में केवल गानेदार आमातियों को दिया गया है। अतः सूदकादत भारक भी इनका लाभ उठा सकते हैं। इस विषय का आवेदन पत्र सहायक कलक्टर को दिया जायगा परन्तु उसका समाधान हो जाने पर भी वह विनियम कराने के लिए बाध्य नहीं है। इसे इस विषय में स्वविवेक वाम में सारे का अधिकार है परन्तु इसका प्रयोग न्यायतः किया जाना चाहिए।

२. चकबन्धी के लिए विनियम—इस अधिनियम में चकबन्दी (Consolidation) की परिभाषा नहीं है परन्तु राजस्थान होल्डिंग्स (कंसोलीडेशन एण्ड प्रिवेशन आफ फ़ार्मेटेशन) एक्ट १९५४ की धारा ३(ग) में की गई परिभाषा से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची, भाग २ के मदन ० ८६ से शासित है। इसके लिए कोई मियाद नहीं है। न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा। आवेदन पत्र पर विचार केवल सहायक कलक्टर करेगा।

४. अपील एवं पुनरीक्षण—इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा की केवल एक अपील होती है जो २० अ० प्रा० की होगी। द्वितीय अपील नहीं होती अतः राजस्व थोड़े को पुनरीक्षण आवेदन पत्र किया जा सकेगा।

+ ४९-का. अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा विनियम के लिये विशिष्ट उपबंध—धारा ४८ तथा धारा ४६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किसी आसामी को जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है अपने भूमि क्षेत्र का विनियम, उक्त धाराओं में से किसी के अन्तर्गत, ऐसी भूमि से करने का अधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे व्यक्ति की भूमि में सम्मिलित है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का सदस्य नहीं है और धारा ४९ के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ना-मज़ूर किया जायगा।

५०. विनियम हो जाने पर आसामियों के अधिकार—धारा ४८ या धारा ४६ के अन्तर्गत भूमि का विनियम हो जाने पर आसामी को उक्त भूमि में जो उसे विनियम में मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उक्त भूमि में प्राप्त थे जो उसने विनियम में दो है।

५१. अन्य भूमियों के विनियम में आवंटित भूमियों में अधिकार—तत्समय प्रभावशील किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि अन्य भूमि के विनियम में आवंटित भूमि किसी लीज, बंधक या अन्य अधि-भार में बोजिल है तो, उक्त लीज, बंधक या अधि-भार का अन्तरण कर दिया जायगा और उसे उक्त अन्य भूमि के साथ या उसके ऐसे भाग जिसे सहायक कलक्टर निर्दिष्ट करे, के साथ, सबद्ध कर दिया जायगा और तदुपरान्त पट्टापारी, (लेसी) बंधक-ग्रहीता या अन्य अधि-भार सृजक (encumbrancer) का उस-भूमि में या उसके विरुद्ध कोई अधिकार-

हो रहेगा जिससे उक्त पट्टा, (लोज) बंधक या अन्य-ऋण-भार अन्तर्गत कर दिया गया हो :

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश सम्बन्धित, व्यक्तियों को मुनबार्ड का युक्ति युक्त बसर प्रदान किये बिना, पारित नहीं किया जायगा।

५२. अधिकार अभिलेख में विनिमय की प्रविष्टि— धारा ४८ या धारा ४६ के अन्तर्गत मि. वा. विनिमय हो जाने पर, अधिकार-अभिलेख में तत्सम्बन्धी समुचित प्रविष्टि की जायेगी।

कृषि-अधिकारों का विभाजन

५३. भूमि-क्षेत्र का विभाजन—(१) किसी भी भूमि-क्षेत्र का विभाजन इस भाँति नहीं किया जायगा जिससे कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले या जिले के भाग के लिये विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के भूमि-क्षेत्रों में बट जाय।

(२) किसी भूमि-क्षेत्र का विभाजन निम्न प्रकार किया जायगा—

[१] सह-आसामियों के बीच—

(क) भूमि-क्षेत्र के उक्त विभाजन; और

(ख) उन कई भागों पर जिनमें भूमि-क्षेत्र उक्तरूपेण विभाजित किया गया हो, लगान के बटवारे, के सम्बन्ध में इस्तेमाल नामा द्वारा; अथवा

[२] भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा जिन कई भागों में वह विभाजित किया जाय उन पर उस भूमि-क्षेत्र के लगान के बटवारे के प्रयोजनार्थ सह-आसामियों में से एक या अधिक सह-आसामियों द्वारा दायर किये गये दावे में मध्यम न्यायालय द्वारा पारित किसी अथवा आदेश के जरिये।

(३) भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा उसके लगान के बटवारे के प्रयोजनार्थ किये गये किसी करार नामे से भूमिपारी प्राकड नहीं होगा जब तक कि वह निम्न में उसके लिए अपनी सहमति न दे।

(४) एक या एक से अधिक भूमि-क्षेत्र के बटवारे के निमित्त प्रत्येक दावे में सम्बन्ध सह-आसामी तथा भूमिपारी पक्षकार बनाये जायेंगे। + [.....]

(५) एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे के लिये एक ही दावा रिया जा सकता है। यहाँ कि उसमें पक्षकार वे ही हों।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा के पीछे उद्देश्य यह है कि भूमि-क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार नहीं किया जाय कि उसके इनके छोटे २ टुकड़े हो जायें कि वे बेकार हो जायें।

२—भूमि-क्षेत्रों का विभाजन होता हो—इन धारा में इनके दो तरीके बताए गए हैं एक पक्षकार के द्वारा और दूसरे दावे के द्वारा।

३— भूमि धारक की सहमति—प्राइवेट विभाजन को ग्रामस्था में भूमि धारक की सहमति आवश्यक है जिससे कि लगान वसूली में कठिनाई नहीं हो। वेम एक-ही भूमि-धारक के सह-प्राप्तामी भूमि क्षेत्रों का प्राइवेट विभाजन कर सकते हैं परन्तु यदि भूमि धारक की लिखित सहमति नहीं ली जाती तो लगान वसूली के प्रयोजनार्थ यह संयुक्त भूमि क्षेत्र बना रहेगा।¹

४— रजिस्ट्री—सह प्राप्तामियों के बीच-अग्रजल-सम्पत्ति का विभाजन का लिखा जाना आवश्यक नहीं है। यदि कोई लिखित केवल पहले से हो चुके विभाजन की स्वीकृति मात्र है तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है परन्तु यदि कोई विभाजन केवल किसी दस्तावेज के द्वारा किया जाय तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।²

५— सवृत का भार—भूमि-क्षेत्र के विभाजन के दावे में यह साबित करने का भार वादियों पर है कि विवाद अस्त भूमि-क्षेत्र उनके व प्रतिवादियों के बीच-संयुक्त है। दावे की तारीख को भूमि-क्षेत्र का संयुक्त होना साबित हुए बिना दावे में डिक्री नहीं हो सकती।³

५४. कतिपय मामलों में भूमि-क्षेत्रों की बिन्नी—(१) जब कभी एक या अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की लिये किये गये किसी दावे में न्यायालय को यह मालूम हो कि उक्त बटवारे के हकदार व्यक्तियों के बीच बटवारे के परिणामस्वरूप ऐसे हिस्से हो जायेंगे जो धारा ५३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत विहित न्यूनतम क्षेत्र से कम हो तो, न्यायालय, भूमि-क्षेत्र या भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की कार्यवाही करने के बजाय उसे या उन्हें बेचने तथा बिन्नी-मृत्यु की उक्त व्यक्तियों के बीच बांटने का निर्देश देगा।

(२) जब किसी भूमि-क्षेत्र को उप-धारा (१) के अन्तर्गत बेचने का आदेश दिया जाय तो न्यायालय उस भूमि-क्षेत्र का मूल्यांकन किये जाने का आदेश देगा और उसे बेचने का प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रमानुसार नीचे लिखे व्यक्तियों के सामने रखेगा—

[क] भूमि-क्षेत्र के सह-प्राप्तामी को;

[ख] भूमि-क्षेत्र के शिकमी-प्राप्तामी को;

[ग] उस ग्राम-समुदाय के कृषिक या ग्रन्थ मजदूर या सेवक को जो गाव में स्थायी रूप से रहता हो,

[घ] किसी ऐसे व्यक्ति को जो भूमिधारी न हो तथा जो खेती करता हो व उस गाव में रहता हो;

→[ङ] भूमि-धारी को।

1. रामदास v शोहरत, 1948 R. D. 62.

2. कन्टूरमाई मण्डीमाई v बाई महालक्ष्मी, AIR 1923 Bom. 464.

3. मोहन v कन्टूर, 1949 R. D. 286.

→ राज० अधि० सख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु जहाँ एक ही वर्ग जो (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट वर्गों में से हो, के दो या दो से अधिक व्यक्ति उक्त हित को लेने का दावा करें तो उम दावेदार को प्राथमिकता दी जायेगी जो उम गांव में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल वाले भूमि-क्षेत्र में कृषि करता हो; और जहाँ दो या दो से अधिक दावेदार समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में कृषि करते हो तथा उक्त हित को लेने का दावा करें तो दावे का निर्णय विहित रीति से किया जायगा :

X [परन्तु यह और है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्य के भूमि-क्षेत्र की ऐसी विन्दी के मामले में खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में उल्लिखित वर्गों के प्रतिद्वन्दी दावेदारों में प्राथमिकता उम वर्ग विन्दी के दावेदारों को दी जायेगी जो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हों ।]

अध्याय ५

समर्पण, परित्याग तथा श्रवसान

५५. समर्पण—कोई आसामी जो किसी पट्टे या इकरारनामे द्वारा आसामी वर्ग में अपने भूमि-क्षेत्र पर प्राथमिकता बनाये रखने के लिये प्राबल आसामी नहीं है, एक मई को या तत्पूर्व, अपने भूमि-क्षेत्र को, चाहे वह गिकमी-नास्त पर दिया हुआ अथवा बन्धक दस्त हो या नहीं, कच्चा छोड़ते हुए एक लेख-पत्र जो प्राथमिकता रखने वाले तहसीलदार द्वारा प्रदत्त स्थानितियम बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रमाणित हो—के जरिये समर्पित कर सकता है ।

टिप्पणी

इस धारा में समर्पण के दो तरीके बनाए गए हैं—पहला तो भूमि-क्षेत्र का कच्चा छोड़ कर और दूसरा लिखत के द्वारा । ऐसा लिखत प्रमाणित होना चाहिए ।¹

५६. भूमिपारी को नोटिस—(१) धारा ५५ के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने के पहिले, वह आसामी जो उक्तक्षेत्र समर्पण करे अपने इरादे का कि वह समर्पण करना चाहता है एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिपारी को एक मई से कम से कम तीस दिन पहिले देगा और जब तक कि नोटिस भेज नहीं दिया जाय, वह आसामी समर्पण की तारीख से आसामी कृषि-उत्पन्न का लगान अपने भूमि-क्षेत्र के विषय में, अपने भूमिपारी को देने का भागी होगा :

परन्तु आसामी उत्तरक्षेत्र उम अवधि का लगान देने का भागी नहीं होगा त्रिमसे भूमि-क्षेत्र किमी अन्य आसामी को पट्टे पर दे दिया गया (let) हो या भूमि-पारी द्वारा स्वयं अपने निजी उपयोग में या कृषि के लिये काम में लिया गया हो ।

X राब० अधि० सख्या २८ मन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया ।
 १ राब० अधि० सख्या ५९ मन् १९५८ द्वारा संशोधित ।
 1. हरनादायल v. राबस बोर्ड, 1966 R.R.D. 31.

(२) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसमें कोई आसामी तथा उसका भूमिधारी सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग के समर्पण के विषये सहमत हो जाय।

+ [परन्तु यहाँ यह है कि उक्त महमति धारा ५५ में बतवाई गई रीति में प्रमाणीकृत की जाय।]

टिप्पणी

१— विषय—धारा ५५ व ५६ को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। समर्पण या तो कब्जा छोड़ कर किया जाना चाहिए या बाकायदा प्रमाणीकृत लिखत के द्वारा। जिस आसामी ने निश्चित अवधि के लिए भूमि ली है वह उस अवधि के पूर्व समर्पण नहीं कर सकता। यदि भूमि धारक की सहमति लेली जाये तो भूमि-क्षेत्र के एक भाग का भी समर्पण किया जा सकता है।^१ उसकी सहमति से निश्चित अवधि से पहले भी समर्पण हो सकता है।^२ समर्पण आसामी की अपनी मरजी से होना चाहिए।

२— बंध समर्पण—कब्जा छोड़ना समर्पण की आवश्यक शर्त है।^३ केवल समर्पण-पत्र की तकमील या नोटिस देने मात्र से समर्पण नहीं हो जाता।^{४-५} यदि कई सह-आसामी हों तो सबकी और से समर्पण होना चाहिए।^६

३— समर्पण भूमि धारक को होना चाहिए—धारा ५५ में यह नहीं बताया गया है कि समर्पण किसके पक्ष में होगा परन्तु यह कमी धारा ५६ में पूरी कर दी गई है कि केवल भूमि धारक के पक्ष में ही समर्पण होना चाहिए। एक मई तारीख निश्चित करने का उद्देश्य यह है कि भूमि बेकार नहीं पड़ी रहे और भूमि धारक को भी लगान का नुकसान न हो।

५७. लगान-वृद्धि की दशा में समर्पण—धारा ५५ तथा धारा ५६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जब किसी भूमि क्षेत्र के लगान-वृद्धि की डिग्री या आदेश पारित कर दिया जाय तो, उसका आसामी, डिग्री या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी इच्छा का कि वह लगान-वृद्धि की तारीख से भूमि-क्षेत्र का समर्पण करना चाहता है एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को भेजने के पश्चात्, तदनुसार अपने भूमि-क्षेत्र का समर्पण कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में आसामी समर्पण के पश्चात्पूर्ति समय के विषये अपने भूमि-क्षेत्र के सम्बन्ध में देय लगान का भागी होगा।

+ राज० अधि० सं० ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

1. झंगरसिंह v. बलजीतसिंह, 1937 R.D., 57.
2. कलबूदीन v. सजानसिंह, 1934 R.D., 171.
3. वट्टू v. चूनिया, 1959 R.D., 284.
4. कंवाई v. देवी, 1943 R.D., 430.
5. नरसिंह v. बरी, 1941 R.D., 1092.
6. ईसरीसिंह v. गंगाप्रसाद, 1884 I.R.D. 14.

५८. समर्पण को रद्द करने हेतु दावा—(१) कोई भूमिधारी जिसे धारा ५६ या धारा ५७ के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया हो, उक्त नोटिस को अमान्य घोषित किये जाने के निमित्त दावा दायर कर सकता है ।

(२) यदि ऐसा कोई दावा दायर नहीं किया जाय तो समर्पण के विषये भूमिधारी की स्वीकृति हुई समझनी जायगी ।

टिप्पणी

१— विषय—यदि कोई भूमि धारक आसामी द्वारा दिए गए समर्पण के नोटिस अथवा उसके समर्पण करने के अधिकार को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसे नोटिस को अर्पण घोषित कराने के लिए दावा ला सकता है । उसके ऐसा न करने पर उसकी सहमति मान ली जायगी ।

२— दावे के आधार—इस धारा में बताया गया है कि दावा केवल नोटिस को अर्पण घोषित कराने को पेश किया जायगा ।

३— प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक क्लर्क के न्यायालय में होगा और अनुसूची तृतीय भाग प्रथम के मद नं० ४ द्वारा नासित होगा । मियाद दावे की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की है । न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा । इसकी पहली अपील क्लर्क के पास होगी और दूसरी रा० अ० प्रा० को । पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा ।

५९. समर्पित भूमि-क्षेत्र का बच्चा लिया जाता—भूमिधारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत में समर्पित किये गये भूमि-क्षेत्र में प्रवेश करके उसे अपने बच्चे में ले सकता है ।

कृषि-अधिकारों का परिस्थापन

६०. परिस्थापन—(१) उपाधाय (२) तथा (३) के उप-बन्धों के अधीन रहने हुए, कोई आसामी जो कृषि करना बंद कर देता है और पट्टीय की छोड़ देता है, अपने भूमिसेत्र में अपना हित उस दशा में नहीं छोड़ेगा जब कि वह अपने भूमि क्षेत्र की ऐसे व्यक्ति के सुपुत्र करता है जो संपात के क्षण में होने पर उसके अनुसूचित का उत्तरदायी हो तथा इस प्रबंध का भूमिधारी की विविध नोटिस दे देता है ।

(२) यदि वह व्यक्ति जिसे उक्त उपरोक्त सुपुत्र की गई हो, ऐसा व्यक्ति है ।

(क) जिसकी, आसामी की मृत्यु हो जाने की दशा में आसामी का हित अक्षरित होगा, या

(ग) जिसे भूमिसेत्र का प्रबंध उस व्यक्ति के सामर्थ्य करना है जिसकी, आसामी की मृत्यु हो जाने की दशा में, आसामी का हित अक्षरित होगा,

तो, आसामी, धारण की ओर अर्पण समाप्त हो जाने पर, अपने भूमि-क्षेत्र में अपना हित को बँटेलक जब तक कि वह, उक्त अधिनियम की शर्त, अपने भूमि-क्षेत्र में पुनः कृषि करना आरम्भ न करे, और उक्त हित, उस व्यक्ति को अक्षरित हो जायेगा जिसे आसामी का हित, आसामी की मृत्यु हो जाने की दशा में अक्षरित होता ।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उक्तरूपेण गुणुदंगी का गई हो उप-धारा (२) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर जितने लिये आसामी अधिकारी-बागल पर दे सकना था, यह अनुमान किया जायगा कि आसामी ने अपना भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिया है जब तक कि वह उक्त अवधि के भीतर अपने भूमि-क्षेत्र में गुनः कृपि करना आरम्भ न करदे ।

(४) वह आसामी जो कृपि करना बंद प्रौर पञ्चोत का त्याग उप-धारा (२) के उपबंधों का अनुसरण न करते हुए अन्य रीति से, करता है, उसने बारे में यह अनुमान किया जायेगा कि उसने अपना भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिया है ।

टिप्पणी

✓ १— विषय—यदि कोई आसामी अपना भूमि-क्षेत्र बंध तरीके से नहीं छोड़ सकता है तो उसके अपने कृपि अधिकारों के परित्याग का एक मात्र प्रभावशाली तरीका परित्याग ही है ।^१ परन्तु यदि कोई आदमी अपना घर छोड़ दे और नहीं लौटे तो अनुमान यह नहीं लगाया जायगा कि उसका इरादा कभी लौटने का नहीं है । ऐसी अवस्था में परित्याग नहीं माना जायगा ।^२ यह धारा ऐसे व्यक्ति के मामले से सम्बन्ध रखती है जो बिना औपचारिक परित्याग किए अपना गांव छोड़ देता है और अपने भूमि-क्षेत्र को किसी को उप-पट्टे (सब लीज) पर भी नहीं दे जाना, परन्तु जिसका नाम अभिलेख में बना रहता है ।

२— परित्याग की शर्तें—[१] आसामी ने खेती करना बन्द कर दिया और गांव छोड़कर चला गया है । [२] आसामी अपना भूमि क्षेत्र छोड़कर चला गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज में नहीं छोड़ गया जो लगान की प्रदायगी के लिए जिम्मेदार हो । [३] आसामी बिना भूमि धारी को लिखित नोटिस दिए चला गया हो कि लगान की प्रदायगी के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ।

उपरोक्त शर्तें उप-धारा (२) ब (३) के अधीन हैं ।

३— प्रक्रिया—परित्याग की घोषणार्थ आवेदन-पत्र अनुसूची तृतीय भाग द्वितीय के मद नं० ४० से शासित होगी न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा । मियाद कुछ नहीं है । अधिकार समर्पित तहसीलदार को होगा ।

६१. परिष्कृत साने गये भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने के पहिले की प्रक्रिया—(१) जब आसामी के बारे में यह समझ लिया जाय कि उसने अपने भूमि-क्षेत्र का परित्याग कर दिया गया है तो वह तहसीलदार स्वतः ही या मूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, यथास्थिति, एक घोषणा, बिहित रीति से, जारी एव तामोल कराने की अवका प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगा जिसमें यह व्यक्त होगा कि उक्त आसामी के भूमि-क्षेत्र को परिष्कृत माने जाने, तथा उसमें प्रवेश किये जाने एव तदनुसार उसे कब्जे में लिये जाने का विचार है जब तक कि तत्त्वपरीत कारण न बताये जायें ।

1. तुदावत v. रामचन्द्र, A.I.R. 1941 Nagpur 328.

2. मगवतीराम v. गोरखराम, A.I.R. 1954 Patna 93.

(२) तहसीलदार या भूमिधारी, यथास्थिति, भूमि-क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तथा उसका कब्जा ले सकता है यदि धोपणा के उत्तर में—

- [१] धोपणा की तामील या प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर, या तो वह आसामी जिसके बारे में यह माना गया है कि उसने अपना भूमिक्षेत्र परित्याग कर दिया है या उस आसामी की ओर से अथवा स्वयं अपनी ओर से कोई व्यक्ति, उपस्थित नहीं होता है, + [“.....”] या
- [२] ऐसी प्रविष्टि और कब्जे के बारे में उक्त अधिनियम के भीतर आपत्ति प्रस्तुत की जाय और यह अस्वीकार कर दी जाय।

(३) यदि इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने हुए किसी भूमि-क्षेत्र में प्रवेश किया जाय तथा उसे कब्जे में ले लिया जाय तो उसका आसामी, धारा १८६ के अर्थ में, विधि-प्रक्रिया से मित्र तरीके से अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, वेदमूल किया गया समझा जायगा।

(४) जब किसी भूमि-क्षेत्र में उप-धारा (२) के अन्तर्गत प्रवेश एवं उस पर कब्जा किया जाय तो वह भूमि-क्षेत्र धारा ६२ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी अन्य आसामी को काररत पर उठायी जा सकती है अथवा भूमिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसमें काब्ज की जा सकती है।

टिप्पणी

१. विम— इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जो भूमिधारी अथवा तहसीलदार द्वारा उस अवस्था में अपनाई जायगी जब कि धारा ६० के अन्तर्गत भूमि को परित्यक्त समझे जा रही हो। यह प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा अपने आप अथवा भूमिधारी के आवेदन पर अपनाई जा सकती है। जहाँ किसी भूमि को परित्यक्त समझ कर तहसीलदार ने इस धारा के नीचे उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर दी परन्तु भूमि के सत्तेदार ने प्रकट होकर आपत्ति की कि उसने भूमि पर वापिस खेती करली है तो भूमि को परित्यक्त नहीं समझा गया।^१ यह तय किया गया है कि आपत्तिकर्ता चाहे नो नियमित दावा ला सकते हैं।

२. अपील— इस धारा के नीचे दिए गए हुक्म की अपील क्लबटर को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण हो सकेगा।

६२. उन आतामिजों के अधिकार जिनके बारे में यह अनुमान कर लिया गया हो कि उन्होंने अपने भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिये गये हैं— (१) किसी व्यापक आगत 'जैम' अनावृष्टि, महाम, सत्राधिक-रोग या तासहस अन्य आपात तथा किसी अन्य सुनिश्चित कारण में जो आसामी हथि करना बन्द करदे तथा पक्षी छोड़ दे तो धारा ६० तथा ६१ में अन्तर्विष्ट कोई बात उप-धारा (२) में बताई गई चीज, उसमें दिये गये समय तथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,

+ रा३० अधि० २७, मन् १९५६ द्वारा विनुक्त।

१. क्वररमान V. गंगरान, 1964 R.R.D. 16.

अगने भूमि-क्षेत्र का बच्चा गुनः प्राप्त करने के अधिधार पर कोई प्रभाव नहीं होनेगी ।

(२) धारा ६० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई पोरगा की तामील या प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कोई ऐसा आसामी अपनी बहाली के लिये एवं अपना भूमि-क्षेत्र वापिस दिलाये जाने के लिये एक आवेदन-पत्र बिहिन रीति में तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह तहसीलदार का इस बात से समायान कर देता है कि उगने उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधाधार पर या कारण से अपने पक्षीय को छोटा या तो उग भूमि-क्षेत्र का बच्चा जिस पर धारा ६१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रवेश किया गया हो या बच्चे में से लिया गया हो, उसे इस रूप में वापिस दिलाया जायगा मानो उगने उपधारा (१) में परिष्याग किया हो नहीं हो, बशर्ते कि उक्त भूमि-क्षेत्र के मद्धे वापिस बच्चा दिलाये जाने की तारीख तक इसमें परिष्याग अवधि सम्मिलित है—उससे प्राप्य सम्पूर्ण बकाया-लगान वा भुगतान उमके द्वारा कर दिया जाय ।

परन्तु यदि भूमि-क्षेत्र या उसका कोई भाग धारा ६१ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत—

- [१] किसी अन्य आसामी को काश्त पर दे दिया गया हो तो उक्त अन्य आसामी से प्राप्य लगान की रकम उक्त बकाया-लगान की रकम में से कम की जा सकेगी, या
- [२] भूमिचारी द्वारा स्वयं काश्त की गई हो तो उक्त काश्त की अवधि के बारे में कोई लगान देय नहीं होगा ।

टिप्पणी

यह धारा पिछली धारा ६० का अपवाद है । जो आसामी अनावृष्टि, अकाल, महामारी इत्यादि आपात स्थितिमें के कारण अपना गांव छोड़ देता है, अपने भूमि क्षेत्र की पुनः प्राप्ति या अपनी बहाली के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे सकता है ।

कृषि-अधिकारों का अवसान

६३. कृषि-अधिकार का कब अवसान होगा — + (१) आसामी का उसके भूमि-क्षेत्र या भूमि-क्षेत्र के किसी भाग में, यथा स्थिति, हित उस स्थिति में जबकि—

- [१] वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो;
- [२] वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समर्पित या परित्यक्त कर दे;
- [३] उसकी भूमि राजस्वान भूमि अधिपति अधिनियम १९५३ (राजस्वान अधिनियम सं० २४ सन् १९५३) के अन्तर्गत अधिपति कर ली गई हो;
- [४] वह बच्चे से वचित कर दिया गया हो और बच्चा वापिस लेने का उसका अधिकार मिसाद से बाधित हो गया हो;
- [५] वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उससे बेदखल कर दिया गया हो;

+ राज० अधि० सख्या २७ सन् १९५६ द्वारा पुनः सख्याकित ।

- [६] वह उसमें निहित भूमि-धारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है अथवा भूमि-धारी उसे उत्तराधिकार में या अन्यथा अर्थात् कर लेता है;
- [७] वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेव देता है या दान दे देता है, + अथवा

+ [८] यदि वह विधि मान्य पारपत्र प्राप्त किए बिना या विधि पूर्ण प्राधिकार बिना भारत से किसी विदेश को प्रयुक्त करे।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (८) के प्रयोजनार्थ जो आसामी इंडियन पासपोर्ट एक्ट, १९२० (केन्द्रीय अधिनियम ३४ सन् १९२०) के अधीन कोई विधि मान्य पारपत्र प्राप्त किए बिना अथवा विधि पूर्ण प्राधिकार बिना किसी भी देश में प्रवेश करेगा वह भारत से विदेश में प्रवृत्त हुआ माना जायगा।

× (२) आसामी के हित का अखतान हो जाने पर उसके अधीन भूमि धारण करने वाले किसी सिकमी-आसामी का हित अखतानित हो जायगा :

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जो उप-धारा (१) के खण्ड [३] में निर्दिष्ट मामला नहीं है, उक्त सिकमी-आसामी, जब तक वह स्वयं भी इस अधिनियम के किसी उपबंध या सक्षमप प्रयुक्त किसी कानून के अन्तर्गत बेदखल न कर दिया गया हो या बेदखल किये जाने योग्य न हो गया हो या होने को न हो या जब तक कि वह अपने भूमि-धोन पर विधि-विहीन रीति से मिन त्तरीके से अधिकार प्राप्त करने का हकदार न होता, उक्त भूमि-धोन में तथा तदन्तर्गत सुधारों में अपने मुख्य आसामी के अधिकारों को अर्थात् के निमित्त, धारा २३, २४ तथा २५ के अनुसर निश्चित किये जाने वाले सुधारों का अखतान करने पर, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में वे तरीके बनाए गए हैं जिनमें कृषि-अधिकारों (tenancies) का अखतान (समाप्ति) होता है। परन्तु जो सान तरीके इस धारा में बनाए गए हैं वे ही केवल मात्र तरीके नहीं हैं। अधिनियम (अथवा बदनो) अथवा आसामी के उत्तर-धारी को हितपूर्व प्राप्त करने से भी टिनेसी का अखतान हो जाता है। अतः यह धारा स्वयं-अपूर्ण नहीं है।^१

२. उप-टिनेसी का अखतान—मुख्य कृषि अधिकार के अखतान पर उप-कृषि अधिकार भी समाप्त हो जाता है जिसका प्रावधान उप-धारा (२) में है।

३. विक्रय द्वारा अखतान—इस धारा की उप-धारा (१) के खंड (७) द्वारा विक्रय से कृषि अधिकार (टिनेसी) का अखतान हो जाता है परन्तु जहां विक्रय किंवा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा अन्य जाति वालों के पक्ष में किया जाय तो व्यक्ति ऐसा अन्तरण स्वयं ही अर्थात् है, अतः विक्रेता को टिनेसी का अखतान नहीं होगा।^२

मुख्य आसामी (Tenant-in-chief) के अधिकार अर्जन करने के लिए प्रक्रिया—मुख्य आसामी के अधिकार अर्जन करने के इच्छुक उप-आसामी को मुख्य आसामी के हित अथ-

+ राय. अधि. स. २ सन् १९६८ द्वारा संशोधित कर जोड़ा गया

× राय. अधि. सं. २७ सन् १९५८ द्वारा निरिच्छित।

१. सिविलरज v. गूरबरायद, 193० R. D. 345

२. बानदीपाठ v. सिवनारायण, 1965 R. R. D. 209

सान होने की तारीख के एक वर्ष में सब-डिवीजनल-आफीसर को आवेदन पत्र देना चाहिए यह अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद ४१-बा द्वारा शासित है।

६४. अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना—गिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में धरमया उपबोधित है, जब किसी आसामी या गिकमी-आसामी का हित धरमया-वित होनाय, तो वह अपने भूमि-क्षेत्र को खाली कर देगा परन्तु उसे किसी कमल हटाने के सम्बन्ध में यही अधिकार प्राप्त होगा जो कि उसे इस अधिनियम के उपबोधों के अनुसरण में संबन्धित किये जाने की दशा में होना।

अध्याय ६

सुधार

६५. सुधार करने का सरकार का अधिकार—राज्य सरकार + [प्रथम कोई भू-स्वामी] सम्पूर्ण राज्य की किसी भूमि में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकती है।

टिप्पणी

सुधार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार अवाध हैं। राज्य सरकार पर धारा ७१ भी लागू नहीं होगी परन्तु राज्य सरकार वे ही सुधार कर सकती है जो धारा ५ की उप-धारा (१९) में दिए गए हैं। सुधार करने के बिना में अधिकार राज्य सरकार को खातेदार, गैर खातेदार, खुदकास्त के आसामी एवं उप-आसामियों सभी की भूमियों पर है।

÷ ६६. सुधार करने का खातेदार आसामियों का अधिकार—(१) खातेदार आसामी अपने भूमिक्षेत्र में कोई भी सुधार कर सकता है;

× बसते कि राज्य सरकार, समय समय पर:—

(क) ऐसे सुधार किया जाना जैसे कि धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित हैं, उन क्षेत्रों में जो तदर्थ अधिसूचित किए जाए सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित कर सकेगी; तथा

(ख) ऐसे क्षेत्रों में जो किसी उक्त अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं कोई ऐसे सुधार किये जाने का नियमन करने के लिये नियम बना सकेगी।

टिप्पणी

१. विषय:— धारा ६५ की भांति यह धारा खातेदार आसामियों पर अपने भूमि-क्षेत्र पर सुधार करने के लिए अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है। परन्तु इस विषय में उसके अधिकार धारा ७१ में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं।

*-राज० अधि० संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।

÷ राज० अधि० संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. इस अधिनियम से पूर्व किए गए सुधार—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी खातेदार ने अपने भूमि क्षेत्र पर सुधार कर लिये और यदि सुधार करने के समय प्रभावशील कानून के नीचे उसे अपने सुधार के लिए क्षति पूर्ति (Compensation) पाने का अधिकार प्राप्त था तो वह अधिकार इस अधिनियम के अभाव में आने के पश्चात् भी अप्रभावित रहेगा।^१ कुआ खोदना सुधार माना गया है।^२ सुधार करने वाला आसामी किसी संविदा की अनुपस्थिति में पूरे लगान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

६७. सुधार करने का भूमिधारियों का अधिकार—राज्य सरकार ने निम्न कोई भूमिधारी [अथवा भू-स्वामी] तहसीलदार की मंजूरी से, [जिसके लिये विहित रीति से आवेदन किया गया हो तथा जो विहित रीति से प्रदान की गई हो] अपने आसामियों के भूमि-क्षेत्र में अथवा उस पर प्रभाव डालने वाला, सुधार कर मवेगा :

बसते कि यदि ऐसे भूमि-क्षेत्र का आसामी एक गैर-खातेदार आसामी या मुदकास्त का आसामी या निकसी-आसामी, है अथवा यदि वह सुधार जिसे उक्त भूमिधारी करना चाहता है, एक कूया है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी .

+ [परन्तु धर्त और है कि धारा ५ के खण्ड (१६) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित समस्त सुधार अथवा उनमें से कोई सुधार, ऐसे क्षेत्र में—जो भूमि-क्षेत्र के समूचे क्षेत्रफल के १/५० भाग से अधिक नहीं हों—जैसा कि विहित किया जाय, नहीं किये जायेंगे और विहित परिस्थितियों के विषय निम्न परिस्थितियों में मंजूर नहीं किये जायेंगे।]

टिप्पणी

१. विषय— धारा ६७ भूमिधारक को (सिवा राज्य सरकार के) सुधार करने की शक्ति प्रदान करती है, परन्तु उस अधिकार के प्रयोग को तहसीलदार की इजाजत के अधीन रखा गया है। इस धारा में उल्लिखित सुधार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके द्वारा सामान्वित भूमि पर ही किया जाय परन्तु यदि संबन्धित भूमि क्षेत्र पर न हो तो उसके बत जाने पर उसका लाभ उस भूमिक्षेत्र को भिन्ना चाहिए। सुधार करने का इच्छुक भूमिधारी धारा ७१ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

२. तहसीलदार का कर्तव्य—सुधार करने की इजाजत तहसीलदार नहीं देगा यदि (१) प्रस्तावित काम धारा ५ (१६) के अर्थ में सुधार नहीं है (२) प्रयोजन के मुकाबिले में काम अधिक खर्चीला है (३) काम ऐसा है जिसे भूमिधारी को करने का अधिकार नहीं है (४) धारा ७१ की रजामन्दी आवश्यक होने पर भी नहीं ली गई है।

३. जब भूमिधारो और आसामी एक ही सुधार करना चाहें—ऐसी अवस्था में आसामी को खातेदार आसामी होना चाहिए। आसामी और भूमिधारी को एक आवेदन पत्र तहसीलदार को देना चाहिए।

1. मन्ना v. मूलराम, 1958 R.L.W. (R.S.) 103.

2. धारा 72.

६ राज० अधि० संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

६६ राजरधान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।

+ राज० अधि० संख्या २२ सन् १९६० द्वारा जोड़ा गया।

४. प्रक्रिया—इस प्रकार का आवेदन-पत्र तहसीलदार को दिया जायगा जिम्मे लिए कोई मियाद नहीं है। न्यायालय शुल्क केवल २५ पैसे का लगेगा। तहसीलदार मुधार कराने के लिए अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जो एक साल में अधि नहीं होगी।

५. अपील और पुनरीक्षण—धारा ६७, ६९ व ७७ के नीचे दी गई आशाओं की एक श्रेणी हो सकेगी। द्वितीय श्रेणी नहीं होगी। अपील में दी गई आशा का पुनरीक्षण हो सकेगा।

६८ अनुमति तहसीलदार द्वारा कब दी जा सकेगी और कब उसके लिये इन्कार किया जा सकेगा—तहसीलदार जिसे धारा ६७ के उपबंधों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिया जाय, पक्षकारों की सुनवाई करने और ऐसी शीर जांच जैसी वह करना उपयुक्त समझे, करने, के पश्चात्, उक्त मुधार करने की अनुमति, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई हो, जेंमें यह युक्तियुक्त समझे, दे सकेगा अथवा देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु तहसीलदार ऐसे मुधार के लिये अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो—

- [१] ऐसा मुधार जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित है, नहीं है,
- [२] उस प्रयोजन के लिये जिसके निमित्त वह अधिप्रति है अथवा अधिक महंगा है,
- [३] ऐसा मुधार नहीं है जिसे करने का आवेदक हकदार है, या
- [४] धारा ७० के अन्तर्गत लिखित सहमति की अपेक्षा रजतता है, यदि उक्त सहमति पहले प्राप्त नहीं की गई हो।

६९. भूमिधारी तथा आसामी दोनों की इच्छा एक ही मुधार करने की होने की स्थिति में उपबंध—(१) यदि कोई खातेदार आसामी तथा उसका भूमिधारी—राज्य सरकार न हो,—दोनों एक ही ऐसा मुधार करना चाहे जिसे वे इस अधिनियम के अन्तर्गत करने के हकदार हो तो तहसीलदार, आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर, आसामी को निदिष्ट अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने की अनुमति देगा और यदि उचित कारण बताये जायं तो वह उक्त अवधि को समय समय पर बढ़ा सकेगा :

परन्तु ऐसी अवधि-वृद्धि का कुल समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(२) यदि आसामी ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में असफल रहे तो भूमिधारी को इस मुधार कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा।

+ ७०. अन्य आसामियों का मुधार करने का अधिकार—कोई गैर-खातेदार आसामी या बुद्धकादत का आसामी अथवा शिकमी-आसामी, धारा ६६ की उप-धारा (१) के प्रथम तथा द्वितीय परन्तुको द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी मुधार कर सकता है परन्तु वह वैधत्व होने पर मुआवजे का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उक्त मुधार करने के निमित्त पहले तहसीलदार की आज्ञा या बुद्धकादत-धारी या खातेदार-आसामी, यथास्थिति, की लिखित अनुमति, प्राप्त न करनी हो।

७१. मुधार करने पर प्रतिबंध—इस अध्याय की कोई बात किसी आसामी या भूमिधारी

जो राज्य सरकार न हो X[अथवा मू-स्वामी] को ऐसी भूमि जो उक्त सुधार से लाभान्वित होने वाले भूमि-क्षेत्र में सम्मिलित न हो, में

(क) कोई सुधार, या

(ख) उक्त भूमि को हानिकर कोई सुधार,

करने का हकदार नहीं बनायेगी या हकदार बनाने वाली नहीं मानी जायेगी जब तक कि उक्त आसामी या भूमिधारी ने उक्त भूमि के भूमिधारी, अथवा यथास्थिति, राज्य सरकार की तथा आसामी की भी यदि कोई हो, लिखित सहमति प्राप्त न करली हो।

टिप्पणी

इस धारा द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध सब आसामियों पर और सिवा राज्य सरकार के सब भूमिधारियों पर लागू होते हैं।

७२. सम्पूर्ण लगान का दायित्व—कोई आसामी जो सुधार करे, लिखित विपरीत इकरारनाम के प्रभाव में, भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान देने का उत्तरदायी बना रहेगा :

परन्तु जहाँ लगान जिम्मे में देय हो और सबडिवीजनल आफिसर वा इस बात से समाधान हो जाय कि सुदकार के आसामी या निरुमी-आसामी द्वारा धारा ७० के अन्तर्गत किये गए सुधार के परिणाम स्वरूप कृषि-उपज में वृद्धि हुई है तो, सबडिवीजनल आफिसर आसामी या निरुमी आसामी द्वारा भावेदन-पत्र दिये जाने पर, धारा ११८ व ११९ के उपबंधों के अनुसार लगान को नबद में घन्तरवाँत कर देगा।

७३. हानि के लिये मुआवजा (Compensation)—(१) कोई भूमिधारी जो किसी आसामी के भूमि-क्षेत्र में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार, धारा ६७ के अन्तर्गत करता है तो वह आसामी को ऐसी किसी हानि के लिये मुआवजा देने का उत्तरदायी होगा जो वह सुधार करने समय आसामी को पहुँचावे।

(२) यदि किसी उक्त भूमिधारी द्वारा किये गये सुधार के प्रभाव से, किसी ऐसी भूमि को उत्पादन शक्तियों को हानि पहुँचती है जो किसी आसामी ने उक्त भूमिधारी से लेकर धारण की हुई हो तो, उक्त आसामी उप-धारा (१) के अन्तर्गत उसे दिये जाने वाले मुआवजे के प्रतिरिक्त, अपने लगान में ऐसी कमी का भी हकदार होगा जिसे न्यायालय न्यायोचित समझे।

७४. सुधार के लिये मुआवजा (Compensation)—कोई आसामी जिम्मे देय धारण-नियम के उपबंधों के अन्तर्गत सुधार किया हो, निम्नलिखित अवस्थामों में मुआवजा पाने का हकदार होगा, यथा:—

[१] जब उसकी बेदगली के लिये किसी या आदेश पारित कर दिया जाय, या

[२] जब उसे विधि-विपरीत रीति में कब्जा-बिहीन कर दिया गया हो और उसे अपने भूमि-क्षेत्र का बच्चा बापित नहीं मिला हो, या

[३] जब यह धपने पट्टे (सीज) की अवधि समाप्त होने पर भूमि-क्षेत्र को गानो कर देता है यदि सुधार धारा ७० के उपबंधों के अन्तर्गत किया गया हो :

परन्तु—

- (क) आसामी द्वारा धपने स्वयं के अधिवास के निमित्त भूमि-क्षेत्र पर बनाये गये रिहायशी भवन, या उसके द्वारा अपने भूमि-क्षेत्र पर पशुनाना या गोदाम अथवा कृषि-प्रयोजनार्थ बनाये गये या स्थापित किये गये किसी अन्य निर्माण, की प्रवस्था के सिवाय, किसी ऐसे सुधार के लिये मुआवजा देय नहीं होगा जो उक्त बेदखली के लिये डिग्री या आदेश की तारीख से या उक्त कब्जा-विहीनता अथवा खाली-किये-जाने से तीस वर्ष या अधिक पहले किया गया हो ।
- (ख) कोई आसामी जो, बेदखली के लिये डिग्री या आदेश के निष्पादन में या बेदखली के नोटिस के अनुसरण में, बेदखल किया गया हो, किसी ऐसे सुधार के निमित्त मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने उक्त डिग्री, आदेश या नोटिस की तारीख के पश्चात् प्रारम्भ किया हो, और
- (ग) मुआवजा किसी ऐसे सुधार के लिये देय नहीं होगा जो सहायक क्लर्क की राय में, उस तारीख को उपयोगी नहीं रहा हो जिमको कि आसामी तदर्थ मुआवजे का हकदार होता है ।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि सुधार करने का हकदार आसामी इसमें दिए गए मामलों में मुआवजे का हकदार होगा । मुआवजा धारा ७५ के प्रावधान के अनुसार तय किया जायगा । बेदखली की तारीख से ३० वर्ष पूर्व बनाए गए सुधार के लिए (सिवा रहने के घर के) कोई मुआवजा नहीं मिलता । ३० साल की अवधि सुधार कार्य के पूरा होने की तारीख से गिनी जायगी । जहाँ सन् १९०० में कोई कुआ खोदा जा रहा था परन्तु उसके बाद की तारीख तक पूरा नहीं हुआ था तो ऐसी सूरत में १९३० में बेदखली होने पर आसामी को मुआवजे का हकदार नहीं माना गया ।¹

७५. मुआवजे की रकम—(१) किसी सुधार के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम का निश्चयन करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायगा:—

- [१] उस रकम का जिसकी, उस भूमि-क्षेत्र के मूल्य एवं उपज में उक्त सुधार के जरिये या उसके कारण वृद्धि या कमी हुई है;
- [२] उक्त सुधार-कार्य की हालत तथा उसके प्रभावों के कायम रहने की अनुमानित अवधि का; और
- [३] उक्त सुधार-कार्य के करने में लगाये गये श्रम तथा पूंजी का, जिसमें

- (क) लगान को किसी कमी या छूट या मुधार-कार्य के प्रतिकूल स्वरूप सामाग्री को दिया गया कोई अन्य फायदा;
- (ख) नकद, सामग्री, या श्रम के रूप में आसामी को भूमिधारी द्वारा दी गई कोई सहायता, और
- (ग) भूमि का पुनरुद्धार करने या अस्तित्व से अस्तित्व भूमि में परिणत करने की दशा में, वह समयावधि जिसके दौरान उस पक्ष ने जो मुधावजे का दावा करता हो, मुधार का लाभ उठाया हो; और
- [४] ऐसी अन्य बातों का जो विहित की जाय ।
- (२) जब आसामी द्वारा किये गये मुधार में—
- (क) उग भूमि को जिसमें, वह बेदखल अथवा बन्धाविहीन किया गया है, और
- (ख) अन्य भूमियों को जो उसके कब्जे में हों, लाभ पहुंचता हो, मुधावजे का निश्चयन उस सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जायगा जिस सीमा तक खण्ड (क) में वर्णित भूमि उक्त मुधार में लाभान्वित हुई हों ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में वे सिद्धान्त बताए गए हैं (जिनके अनुसार इस अधिनियम के नीचे किसी मुधार कार्य वा मुधावजा देते समय उसकी रकम तय की जायगी) । अधिकान्त में मुधार कार्य के वर्तमान मूल्य का हिसाब लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाना है ।^१ मुधावजे की रकम केवल इसीलिए कम नहीं की जा सकती कि उससे मरनी कीमत में वह मुधार कार्य कराया जा सकता था ।^२

२. मुधावजा न लेने या कम लेने के विषयक इकरार - इस तरह के इकरार गृह्य होंगे और उनको प्रभावान्वित नहीं किया जा सकता ।^३

३. अपील—मुधावजे की रकम तय करने की आज्ञा की अपील किमी आज्ञा की अपील की तरह ही नकेगी ।

७६. अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाले मुधार-कार्य—(१) यदि किमी आसामी ने ऐसी भूमि में मुधार किया हो जो लगान को बकाया के लिए डिग्री के निष्पादन में बेची जाय या जिसमें उसे बेदखल किया जाय तो गरीबदशर या भूमिधारी, यथास्थिति, उग मुधार-कार्य का स्वामी बन जायगा परन्तु आसामी अपने पाय अर्द्धनिष्ठ भूमि के सम्बन्ध में उक्त मुधार-कार्य का लाभ उर्धी प्रकार तथा उर्धी सीमा तक उठाने का हकदार होगा जिम प्रकार तथा जिम सीमा तक उग भूमि को उग कार्य में शीर्षक लाभ पहुंचता रहा हो ।

(२) यदि किमी आसामी ने ऐसी भूमि में मुधार किया हो जो उसके कब्जे में उनकी

१. मनाशनहर v. गजरात्रगिह, 1928, 12 R.D. 267.

२. डारका v. मयराजप्रसाद गिह, 45 I.C. 227.

३. नर्मन्धयदादुर v. मन्डू, 1927, 6 R.D. 231.

भूमि के किसी भाग के, लगान की बढ़ाया के लिये डिफ़ी के निष्पादन में बेचे जाने या उर्गी भूमि के किसी भाग से उर्गे बेदगम किये जाने के बाद घबडिप्ट रहती है तो, शरीददार या भूमि धारी, यथास्थित, उस भूमि के सम्बन्ध में जो आतामी के बन्ने में मठी रहती है, उस सुधार-कार्य का साम उसी सीमा तक तथा उसी प्रकार उठाने का हकदार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार उक्त भूमि को उस सुधार-कार्य में तत्पूर्व नाम पहुंचता रहा ठो ।

(३) यदि किसी भूमिधारी ने कोई ऐसा सुधार-कार्य किया हो जिसमें धायामो के भूमि-क्षेत्र को लाभ पहुंचता हो और उक्त सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग लगान की बढ़ाया के लिये डिफ़ी के निष्पादन में बेच दिया जाय तो, शरीददार बेची गई भूमि के सम्बन्ध में उस सुधार-कार्य का उसी सीमा तक तथा उसी प्रकार साम उठाने का हकदार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार उस भूमि को उस सुधार-कार्य का लाभ तत्पूर्व पहुंचता रहा ठो ।

७७. सुधार की लागत का रजिस्ट्रेशन—(१) यदि कोई भूमिधारी जो राज्य सरकार से भिन्न हो, या कोई आतामी यह चाहे कि किसी सुधार पर खर्च की गई रकम का निश्चयन कर दिया जाना चाहिये तो, तहसीलदार तत्प्रयोजनार्थ उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर और दूसरे पक्ष को सुनवाई का मुक्ति मुक्त प्रवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी धन्य जांच जिसे वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, लगान की रकम निश्चित करेगा और उसे एक रजिस्टर में जो बिहित प्रपत्र में रखा गया हो, दर्ज करेगा ।

(२) आवेदन-पत्र के पक्षकारों अथवा उनके हित—उत्तराधिकारियों के बीच उक्त सुधार-कार्य की लागत के विषय में तदनुवर्ती किसी कार्यवाही में उक्त रजिस्टर में की हुई प्रबिष्टि, लागत को रकम का निर्णायक सबूत होगा ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा भविष्य में मुकदमा बाजी बंधाने के लिए है ।

२. प्रक्रिया—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा । न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगी । यह कृतीय अनुसूची के भाग २ के मद ४५ द्वारा शासित होगी । मियाद सुधार कार्य पूरा होने के बाद ६ महीने की है ।

३. अपील—तहसीलदार की आज्ञा के विरुद्ध अपील कलक्टर को होगी । दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु अपील में दी गई कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा ।

७८. सुधार सम्बन्धी विवाद—यदि कोई प्रश्न—

(क) कोई सुधार करने के अधिकार के सम्बन्ध में, या

(ख) इस विषय में कि आया कोई कार्य विशेष सुधार है, या

(ग) इस विषय में कि धायो कोई कार्य धारा ७१ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(घ) धारा ७३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत मुआवजे की रकम के सम्बन्ध में या उप-धारा (२) के अन्तर्गत लगान की कमी के सम्बन्ध में, या

(ङ) इस विषय में कि आया किसी सुधार के लिये मुआवजा देय है, या

(ब) उक्त सुधार की रकम के सम्बन्ध में, या

(छ) किसी सुधार से धारा ७६ के अन्तर्गत लाभ उठाने के अधिकार के सम्बन्ध में,

उत्पन्न होता है तो, सहायक कलक्टर उस प्रश्न का निर्णय, आवेदन-पत्र होने पर या अन्यथा, करेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में गिनाई गई बातों के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की दशा में पक्षकारों के आवेदन पर अथवा अपने आप महायक कलक्टर उसे नय करेगा।

२. प्रविष्टि—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नं० ४५ द्वारा शासित होगा। आवेदन पत्र सहायक कलक्टर को दिया जायगा। इसकी अवधि नहीं है। न्यायालय शुल्क २५ पैसा होगा।

३. अपील—महायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अपील में दी गई आज्ञा का पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड द्वारा होगा।

अध्याय ७

वृत्त

७९. आसामी का वृक्ष लगाने का अधिकार—(१) कोई आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में वृक्ष लगा सकता है बशर्ते कि उक्त वृक्ष भूमि को उत्पादन-शक्ति को कम न करे और उक्त आसामी भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान देता रहे।

(२) यदि कोई आसामी वृक्ष ऐसे दंग में लगाता है या लगाने का विचार करता है कि जिससे ऐसी भूमि, जो उसके भूमि-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, का मूल्य कम हो जाय तो, कोई व्यक्ति जिसके हित को उससे छति पहुँचती हो, तहसीलदार को एक आवेदन-पत्र, उक्त भूमि में वृक्ष लगाने का प्रतिषेध करते हुए आदेश पारित करने हेतु प्रथम उक्त भूमि में पहिले से लगाये गये वृक्षों को हटाने का आसामी को निर्देश देने हेतु, प्रस्तुत कर सकेगा और तहसीलदार, प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने में पश्चात् तथा ऐसी अन्य जाँच जैसी कि वह उम्मुक्त समझे, करने के पश्चात्, या तो आदेश-पत्र को ऐसे परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, बदल कर सकता है अथवा नामतुर कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—इस अधिनियम से पूर्व वृक्ष लगाने सम्बन्धी प्रावधान विभिन्न विधायकों के राजस्व कानूनों में एवं तत्पश्चात् राजस्थान वृक्ष हटाना (नियमन) अध्यादेश में थे जो १९४६ में चलाया गया था। इस धारा में आसामी को वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार दिए गए हैं जब तक कि उनके ऐसा करने में भूमि की

उत्पादन शक्ति कम न हो और आसामी पूरा लगान देता रहे। वृक्ष लगाने में आसामी की हैसियत में अन्तर नहीं आता।¹

२. धारा भूतलक्षी नहीं है—इस धारा की उपधारा (२) भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं है। इसके प्रावधान केवल उन्हीं पेड़ों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् लगाए गए हों। इसका उद्देश्य एक आसामी द्वारा लगाए पेड़ों में उसके पड़ोसी को हो सकने वाले उद्देश्य से बचना है।²

३. प्रक्रिया—तहसीलदार द्वारा दी गई आशा को अरील कन्वटर के यहाँ होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरोक्षण राजस्व मंडल में होगा। दस उपधारा (२) के नीचे पेश होने वाले आवेदन पत्र कृतीय अनुसूची भाग २ के मद नं० ४६ से शासित होंगे। ये तहसीलदार के पास पेश होंगे। न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगा। मियाद कुछ नहीं।

८०. इस अधिनियम के आरम्भ के समय विद्यमान वृक्षों में आसामी का अधिकार—खातेदार आसामी के भूमि-क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, यत्र-तत्र स्थित वृक्ष, इस अधिनियम में किसी बात के अथवा किसी विपरीत पृषा या सविदा के होने हुए भी, उक्त आसामी में निहित होंगे :

परन्तु जहाँ ऐसे वृक्ष, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति है तो, आसामी द्वारा, उक्त व्यक्ति को उस वारे में विहित नियमों के अनुसार मुभावजा दिया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन वृक्षों के लिए है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे और उससे पूर्व आसामी, भूमि धारी अथवा तीसरे व्यक्ति द्वारा काटे गए वृक्षों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती 'यत्र-तत्र स्थित वृक्षों' से अभिप्राय उन वृक्षों से है जिनके कारण भूमि उपवन-भूमि नहीं बनती। भूमि से पृथक् रूप से वृक्ष नहीं बेचे जा सकते।³

२. वृक्षों के विषय में विवाद—वृक्ष लगाने के अधिकार, उनको लगाने के तरीके, उनके स्वामित्व या उनको हटाने के अधिकार सम्बन्धी समस्त विवाद आवेदन पत्र पेश होने पर या अन्यथा तहसीलदार द्वारा तय किए जायेंगे।

८१. अनधिकृत भूमि में स्थित वृक्ष—(१) कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अनधिकृत भूमि पर स्थित किसी वृक्ष पर न्यायोचित कब्जा रखता है, उस पर निरन्तर कब्जा रखेगा और जहाँ उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे (let) पर दे दी जाय तो वृक्ष उस अन्य व्यक्ति से इस शर्त के अधीन निहित होंगे कि ऐसा मुभावजा दे दिया जाय जो धारा ८० के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाय।

1. रामनारायण v. हसन, 143 R.D. 315.

2. देवोत्तल v. मालीराम, 1965 R.R.D. 61.

3. गोविन्दनारायण v. मदन मोहन, 1960 R.D. 55

(२) उप-पारा (१) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनधिकारित भूमि पर स्थित या इन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए लगामा गया, कोई वृक्ष भूमिधारी की सम्पत्ति समझा जायगा।

—८२. वृक्षों का भूमि से पृथक्करण अन्तरणीय नहीं होना—इस अधिनियम के अन्य उप-बंधों के अधीन रहते हुए किसी भूमि पर स्थित सम्पन्न वृक्ष उस भूमि से मलग्न समझे जायेंगे तथा उनमें निहित कोई भी हित, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, भूमि से पृथक्करण अन्तर-णीय नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति के जब कि उन वृक्षों की पैदावार को पट्टे पर दिया जाय जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

८३. वृक्षों को उपबन्धित रीति के सिवाय अग्न्या नहीं हटाया जा सकता—जिसी कानून, पूजा या सविदा में कोई विपरीत बात होती है, अधिवासित भूमि में स्थित कोई भी वृक्ष, पारा ८४ में उपबंधित रीति के सिवाय अग्न्या, उस भूमि से हटाया नहीं जा सकेगा।

८४. वृक्ष बन्द और किसके द्वारा हटाये जा सकेंगे—

+ (१) विनियमित

(२) कोई सातेंदार आगामी जिनके पास अधिवासित-क्षेत्र की सीमा से कम भूमि हो, अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित वृक्षों को [किसी भी प्रयोजनार्थ] × अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा।

—(३) कोई गैर सातेंदार आगामी, अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों को तहसीलदार की पूर्ण अनुमति से, अपने स्वयं के घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी उपयोगों के लिये हटा सकेगा।

(४) कोई निरक्षर-आगामी अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों को, उस व्यक्ति की पूर्ण स्वीकृति से जिनसे लेकर वह भूमि धारण करता हो, अपने स्वयं के घरेलू अथवा कृषि संबंधी उपयोगों के लिये हटा सकेगा।

(५) कोई सातेंदार आगामी जिनके पास अधिवासित-क्षेत्र की सीमा से अधिक भूमि हो, एवं ऐसे किन्हीं वृक्षों को हटाना चाहे जो उनमें निहित है या उसकी सम्पत्ति है या उसके कब्जे में है, एक माहमें के अनुसार जो कि सब दिवोजनन आफिसर द्वारा मंजूर किया जायगा, हटा सकेगा।

(६) उप-पारा (५) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, .: [सब दिवोजनन आफिसर] विहित रीति में ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो तथा विहित मामले की ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित लाइसेंस, विहित प्रयत्न में, विहित फीस का भुगतान हो जाने पर, ऐसे निर्बंधनों, शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, मंजूर कर सकेगा।

— राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित

+ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६५ द्वारा विनियमित।

× उपरोक्त द्वारा निश्चित।

— उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

.: राज० अधि० संख्या ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित।

(७) इग धारा की कोई बात [XXX] राज्य सरकार पर लागू नहीं होगी भवना राजस्व अभिलेख में राज्य के नाम दर्ज की हुई किसी भूमि में स्थित किसी युवा को किसी भी प्रयोजन के लिये, हटाने, या हटवाये जाने, या हटाये जाने का प्रादेश देने के राज्य सरकार के अधिकार या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

[XXX]§

टिप्पणी

१. विषय—खातेदार आसामी अपनी भूमि पर स्थित वृक्ष किसी प्रयोजन के लिए काट सकता है परन्तु उपधारा (२) के नीचे अपवाद का दावा करने से पूर्व उसे मान्यता करना होगा कि वह विवाद ग्रस्त भूमि का खातेदार आसामी है।^१ गैर खातेदार आसामी को तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़ेगी।

२. धरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपयोग—उपधारा (३) व (४) में प्रयुक्त इन शब्दों का सम्बन्ध वृक्ष से है, न कि भूमि से।^२ यदि वृक्ष सूख चुके हो तो इस अध्याय के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।^३ यदि इसके प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप हो तो उसे साबित करना चाहिए।^४

३. वृक्षों की सुरक्षा—विद्यमान वृक्षों की सुरक्षा आसामियों और अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। वृक्षों सम्बन्धी कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। निचली अदानत द्वारा किए गए जुमाने में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कमी की सराहना नहीं की जा सकती।^५

८५. वृक्षों से सम्बन्धित विवाद—यदि कोई विवाद—

- (क) कोई वृक्ष लगाने के अधिकार के सम्बन्ध में, या
- (ख) उसे लगाने की रीति के सम्बन्ध में, या
- (ग) उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में, या
- (घ) उसे हटाने के अधिकार के सम्बन्ध में,

उत्पन्न हो जाय तो, उक्त विवाद का निर्णय आवेदन-पत्र देने पर या अन्यथा, तहसीलदार द्वारा किया जायगा।

८६. अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियाँ—जो कोई धारा ८३ या धारा ८४ के समस्त उपबन्धों का या उनमें से किसी का या तदन्तर्गत मंजूर किये गये लाइसेंस के किसी निबंधन

§ राज० परि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

१. भूरा v. भुत्तरदान, 1955 R.L.W. (R.S.) 7.
२. बदी प्रसाद v. स्टेट, 1954 R. L. W. (R.S.) 100 : 1954 R.R.D. 25.
३. कामदार टिटाना निभेडा कला v. जगपाल, 1955 R.L.W.(R S) 139.
४. कल्याण v स्टेट, 1965 R R D. 235.
५. जयरोक्त

जन्म या प्रतिबन्ध का उल्लंघन करना है, + आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने या रिपोर्ट किये जाने पर, महायक कलक्टर द्वारा—]

× (क) प्रथम उल्लंघन की दशा में,

[१] जहाँ वृक्ष हटाया गया हो, ऐसे जुमाने में जो हटाने गये प्रत्येक वृक्ष के लिये एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

[२] अन्य मामलों में, ऐसे जुमाने में जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

(ग) द्वितीय अपवा तदनुषंगी उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुमाने में जो लब्ध (क) में अधिकतम किये जा सकने वाले जुमाने की रकम के दुगुने जुमाने तक हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा

—[घोर कोई वृक्ष या लकड़ी जिनके विषय में उक्त उल्लंघन किया गया हो, राज्य सरकार के हक में जन्म की जा सकेगी।]

∴ ८७. विलोपित

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में धारा ८३ व ८४ के उल्लंघन पर दण्ड का विधान है। इस अध्याय में शब्द 'वृक्ष' से तात्पर्य जीवित, हरे वृक्ष में है और उसके सूख जाने पर वह वृक्ष नहीं रह जायेगा।^१

२. प्रक्रिया—यह धारा अपने आप में सम्पूर्ण है। इसकी कार्य विधि राजस्व प्रकार की है न कि फौजदारी प्रकार की जब तक कि वृक्ष किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में से नहीं हटाए जावे। इस विषय में अभियोग पर सहायक कलक्टर विचार करेगा जिसे उसका निपटारा न्यायिक तरीके से करना होगा। जब वृक्ष सरकार की भूमि में हटाए जावे तो राज्य की ओर से तद्मालिक को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह बान साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर है कि काटा गया के वृक्ष हरा था। ऐसे आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची के भाग दो के मद ४८ द्वारा शासित होंगे। न्यायालय शुल्क २५ पैसे है। मियाद कुछ नहीं। अपील राजस्व अपील अधिकारी की व पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

३. जुमाने की धारा—जुमाने की रकम अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। जहाँ १२० वृक्ष काटने पर केवल २५ रु० जुमाना दिया गया तो इसे बहुत अपर्याप्त समझा गया।^२

+ राज० अधि० सन् ७ सन् १९१० द्वारा निविष्ट।

× राज० अधि० सन् ३५ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

— राज० अधि० सन् २७ सन् १९५९ द्वारा जोड़ा गया।

∴ राज० अधि० सन् २७ सन् १९५९ द्वारा विमुक्त।

१. बामदार टिपाना निर्देश v. बंगाल, 1935 B.L.W. (R.S.) 139.

२. बड़ी प्रसाद v. स्टेट, 1954 R.R.D. 21.

अध्याय ८

घोषणात्मक दावे

८८. अधिकार को घोषणा किए जाने हेतु बाये—(१) कोई व्यक्ति जो आसामी या सह-आसामी है इसकी घोषणा करवाने के लिये कि वह आसामी है अथवा उक्त संयुक्त वास्तुकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा ।

(२) खुदकास्त का आसामी इस घोषणा के लिये दावा कर सकेगा कि वह खुदकास्त का आसामी है ।

(३) शिकमी-आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करना है यह घोषणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा कि वह शिकमी-आसामी है ।

(४) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि-क्षेत्र का आसामी या सह-आसामी, अथवा खुदकास्त का आसामी या शिकमी-आसामी होने का दावा करता है, उसके अधिकार की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस अधिनियम में यथा परिभाषित आसामी, सह आसामी, खुदकास्त का आसामी और शिकमी-आसामी घोषणा के लिए दावा ला सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के अतिरिक्त भूमि-धारी भी इनके विरुद्ध घोषणा के लिए दावा ला सकता है। देव मूर्ति भी एक विधि-व्यक्ति (कानून की दृष्टि से व्यक्ति) होती है और इस धारा के अर्थात्गत वह आसामी हो सकती है।^१ यथोक्तलिखित अनुतोष अधिनियम (कानून दादरसी खास) की धारा ४२ के साथ पठित यह धारा राजस्व न्यायालयों पर आसामी होने के दावेदार व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा के लिए विस्तृत शक्तियां प्रदान करती है। घोषणा करी व्यादेश देना विवेकाधीन है।^२

३. आनुषंगिक (परिणामी) अनुतोष—दावे में अनुतोष में घोषणा के साथ आनुषंगिक (Consequential Relief) का मांगा जाना आवश्यक है अन्यथा दावा सही नहीं होगा।^३ जैसे यदि कोई वादी घोषणा के लिए तो दावा करदे और प्रतिवादी का कब्जा होते हुए भी वापिस कब्जा पाने का अनुतोष (दादरसी) नहीं चाहे तो दावा चलने योग्य नहीं होगा।

४. सबूत का भार—यह घोषणा चाहने के लिए कि वादी आसामी है, अपनी आसामी की हैसियत साबित करने का भार वादी पर है न कि उसको ना साबित करने का भार प्रतिवादी पर।^४ जहां भूमि संयुक्त कब्जे में दिखाई गई है और वादी सहभागी

1. रघुवरदास v. काशीनाथ राव, 1949 R.D. 1.

2. चन्द्रुल बारिक v. घाट्टदा तामून, A. I. R. 1955 Tripura 2.

3. दत्तात्रय राम राव v. सनुन्ता वार्ड, A.I.R. 1956 Nagpur 95.

4. शिवनन्दन सिंह v. प्रीतम, 1949 R.D. 357

के अधिकार घोषणा का दावा नाना है तो विभाजन माहित करने का भार प्रतिवादी पर होगा।^१

५. दुस्ती की कार्यवाही घोषणा के लिए दावों में बाधा नहीं—जहां कोई आसामी बन्दोबस्त में आसामी दर्ज होने में रह जावे और केवल शिकमी दर्ज हो जावे और उसकी दुस्ती के लिए आवेदन पत्र खारिज हो जावे तो वह आज्ञा इस धारा के नीचे वाद में घोषणा के लिए लाए जाने वाले वाद में बाधा नहीं होगी।^२

६. कुर्जों बाबत घोषणा—भूमि क्षेत्र में कुआ सन्मिलित है जो चाहे आसामी के भूमि-क्षेत्र से अलग नम्बर पर ही हो। अधिनियम के नीचे के मामलों में या अनुसूची तृतीय में वर्णित घोषणा एवं ध्यादेश के दावे राजस्व न्यायालय में एवं केवल सुखाधिकार के दावे सिविल न्यायालय में होंगे।^३

७. पत्रिया—वादी के अधिकार की घोषणा के दावे सहायक कलक्टर के यहां होंगे और अनुसूची तृतीय भाग १ के मद्र नं० ५ द्वारा नासित होंगे। न्यायालय शुल्क ५० पैसा होगा परन्तु प्रत्येक आनुवंशिक अथवा आगे के अनुत्तप के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

८. कादतकारी—बर्ग शादि के लिये दावे—कादतकारी के दौरान किसी भी समय, आसामी बंधवा राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी, निम्नलिखित समस्त मामलों या उनमें से किसी की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा—

(क) बर्ग जिसमें आसामी आता है।

(ख) भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) के क्षेत्र-फन, संख्यांकित प्लॉट, अथवा उसकी सीमाएँ।

(ग) भूमि-क्षेत्र के विषय में देय लगान तथा उक्त चुकाने की रीति।

(घ) लगान नकद में देय होने की दशा में, वे तारीखें जिनको तथा वे जिनमें जिनमें, लगान का भुगतान किया जाना है।

(ङ) लगान जिनमें देय होने की दशा में, फसलों के मुख्य-निर्धारण, विभाजन या परिधान (डिवीयरी) का समय, स्थान और रीति।

(च) गैर-सातेदार आसामी, या गृहदादन के आसामी या शिकमी-आसामी की दशा में, समयावधि जिनमें कादतकारी कायम रहनी है, और

(छ) कोई भी विदिष्ट गते जो इन अधिनियम के उपबंधों से प्रसंगत न हों।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे दावा मुख्यतः भूमि धारी और उनके आसामी के

1. नारायण v. विद्यालय, 1965 R.R.D. 393

2. जोरावर v. विश्वारी, 1937 R.D. 82

3. रामचान मोना v. रामचान गूजर, 1967 R.R.D. 366

बीच मा उससे उलटा होगा है और येवन इस धारा में धनायं गए मामनों के लिए ही हो सकता है। नकारात्मक घोषणा कि वादी लगान 'ने का दावा नहीं है इस धारा के नीचे हो सकता है।^१ किसी गेन की गीमा की पत्थर गरी के लिए दावा इस धारा के नीचे नहीं हो सकता।^२

२. वादकारणों का संघोजन (Joinder of Causes of action)—यदि पक्षकार वे ही हों तो कई भूमि-क्षेत्रों के विषय में एक ही दावा पेश किया जा सकता है।^३ यदि पक्षकार एक ही नहीं हों तो वाद कारणों का दुर्घोजन (misjoinder) हो जाएगा और वाद खारिज हो सकेगा।^४

३. प्रविषा—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद नं० १ द्वारा शासित होगा और सहायक कानवटर के यहा पेश होगा। नियत न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा और आगे और अनुतोप चाहे जाने पर प्रत्येक अनुतोप के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु कार्रकारी के चालू रहने के दौरान दावा होगा चाहिए। पहली अपील रा० अ० प्रा० को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

६०. भूमि के खुदकास्त होने की घोषणा के लिये दावा—जब किसी ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में आसामी का यह दावा हो कि वह उसकी भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) है या उसमें वह कास्त करता है, के विषय में भूमिवारी भी यह दावा करे कि वह उसकी खुदकास्त है तो, उक्त आसामी अथवा भूमिवारी अपनी स्थिति की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—जब भूमि की भूमिधारी तो अपनी खुदकास्त बतावे और आसामी उसे अपना भूमि-क्षेत्र बतावे तो उनमें से कोई भी इस धारा के नीचे दावा ला सकता है। यह धारा उस समय लागू होगी जब कि भूमि-धारी प्रतिवादी को भूमि-क्षेत्र का आसामी तो स्वीकार करता हो परन्तु विवाद केवल कृषि-अधिकार की किरम (Class of tenancy) के विषय में हो।^५

२. कब्जे का प्रदत्त—इस धारा के नीचे किए गए दावे में कब्जे के बारे में एक राय तो यह है कि भूमि-धारी तो अपनी भूमि का प्रलक्षित कब्जा (Constructive possession) रखता है—उसका कास्त द्वारा कब्जा होना आवश्यक नहीं है। उससे तो यही साबित करने की अपेक्षा की जाती है कि भूमि उसकी खुदकास्त के रूप में है। दूसरी राय यह है कि

१. स्वामीनाथ दुबे v. दुबार केवट, 1947 R.D. 151

२. जमना सरण v. दुरगाप्रसाद, 1949 R.D. 414

३. धारा १२

४. महादेवसिंह v. मुहम्मद फारुख, 1952 R.D. 12

५. सत्यदेव दुबे v. कस्तूरी मल, 1954 R.D. 629.

दावे में डिकी नहीं दी जा सकती यदि यह साबिन नहीं हो जाता कि खुदकाग्न के रूप में जिस भूमि पर दावा है उस पर वादी का कब्जा है। यहाँ हमारा विनम्र निवेदन है कि पहली राय सही है और राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों में मुसंगत है।

३. वाद कार्यों का संयोजन— देखिए धारा ८६ पर टिप्पणी।

४. प्रदिवा— इस धारा के नीचे दावे शून्य अनुसूची भाग १ के मद नं० ७ द्वारा शासित हैं। सहायक कलक्टर के यहाँ वे पेश होंगे परन्तु उनमें स्वामित्व का प्रश्न उठे तो सिविल न्यायालय में भेजे जावेगे। न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा। यदि आनुपूर्विक या आगे का अनुतोप चाहा जावे तो प्रत्येक के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु बच्चा पाने की मियाद में दावा पेश हो जाना चाहिए। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी और स्वामित्व का प्रश्न होने पर मसम सिविल न्यायालय में होगी जहाँ कि स्वामित्व का प्रश्न तय करने वाले अधीनस्थ सिविल न्यायालय की अपील होती है। द्वितीय अपील, यथा स्थिति, राजस्व बोर्ड अथवा उच्च न्यायालय में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

११. अग्य अधिकारों की घोषणा के लिये दावा— कोई व्यक्ति, निर्दिष्टतया अग्यया उपबन्धित होने की स्थिति के सिवाय, अपने उन समस्त अधिकारों अथवा उनमें से किन्हीं की घोषणा के लिये जो उसे इस अधिनियम, द्वारा प्रदत्त हों, एवं जिनके लिये अग्यया उपबंध किये हुए नहीं हों, दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय— इस धारा में उन मामलों का समावेश किया गया है जिनको पिछली तीन धाराओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के नीचे अधिकार तो प्रदान किए गए हैं परन्तु जिनका मामला पिछली तीन धाराओं में नहीं आता तो वह राजस्व न्यायालयों में दावा ला सकता है। इसलिए इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों के लिए इस धारा के नीचे घोषणा की जा सकती है।

पांचा V. हरगोविन्द (1962 R. L. W (R.S.) 76 : 1962 R. R. D. 169) में राजस्व मंडल ने यह तय किया था कि जहाँ इस अधिनियम की धारा ५ (२८) के अर्थों में कोई भूमि चरागाह भूमि की भाँति काम आ रही हो तो उस भूमि को चरागाह भूमि घोषित करने का दावा धारा ११ के नीचे राजस्व न्यायालय में चलना नहीं था। परन्तु हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राजस्व बोर्ड की पूर्ण पीठ (पुनर्गठित) के उक्त निर्णय को उलट दिया है और यह निर्णय दिया है कि जहाँ ग्राम निकायों का अधिकार किसी चरागाह भूमि में वेदन रिवाज या रूढ़ि (Custom) के कारण हो तो उस बाबत घोषणा का दावा राजस्व न्यायालयों द्वारा विचारणीय नहीं होगा।

1. नाटूराम v. राजस्व बोर्ड, 1967 R.R.D. 376.

जितना उसके व भूमि-धारी के बीच तय हो जाय ।

टिप्पणी

यह धारा भूतलक्षी नहीं है और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् स्वीकार किए गए आसामियों पर लागू होती है । भूमि क्षेत्र पर प्रविष्ट (स्वीकार) कर लिए जाने के समय आसामी और भूमि धारी के बीच जो लगान तय हो जाय वह दिया जायगा परन्तु यह धारा ६७, ६८, ६९ व १०४ के उपबन्धों के अधीन होगा ।^१ यदि तय शुदा लगान इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है तो ऐसा करना उस सीमा तक न्यून होगा ।

६५. लगान के सम्बन्ध में अनुमान— आसामी द्वारा देय लगान या लगान-दर वह लगान या लगान-दर मानी जायेगी जो उसके द्वारा धारा ६४ के अन्तर्गत देय हो, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित न करदी जाय ।

टिप्पणी

इस धारा का प्रभाव यह है कि किसी आसामी द्वारा देय लगान ही उसके द्वारा पूर्व में दिया जाने वाला अनुमानित लगान माना जायगा । उसमें धारा १२० के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है । चुकाया जाने वाले लगान से अभिप्राय वास्तविक रूप में चुकाये गए लगान से नहीं है ।^२

लगान की उच्चतम सीमाएं

१६. अधिकतम नकद-लगान जो सरकार बसूल कर सकेगी - किसी विपरीत कानून, नियम, प्रथा, रिवाज या रीति के होते हुए भी, नकद लगान के रूप में ऐसे आसामी से जो सीमे राज्य सरकार से लेकर भूमि धारण करता है बसूल की जा सकने योग्य अधिकतम राशि—

- (क) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान बन्दोबस्त के दौरान निश्चित किया जा चुका हो, उस भूमि के सम्बन्ध में तत्पूर्व बन्दोबस्त में स्वीकृत लगान-दर से, तथा
- (ख) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान, बन्दोबस्त के दौरान निश्चित नहीं किया गया हो, निकटस्थ तत्सदृश भूमि के सम्बन्ध में तत्पूर्व बन्दोबस्त में स्वीकृत लगान-दर से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा सभी लागू होनी है जबकि भूमि सीधी सरकार से धारण की गई हो । जब लगान की दरों के विषय में विवाद हो तो पटवारी स्वीकृत दरों को साबित करने के लिए सक्षम नहीं है ।^३ बन्दोबस्त की दरों को साबित करने का ठीक तरीका यह है कि महालवार कर निर्धारण दफ्तर से सुसंगत उद्धरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावे ।^४

१. कन्नोडमल v. मूलिया, 1962 R.R.D. 76

२. दुली v. विजय बहादुरसिंह, 1930, 14 R.D. 91

३. कन्देयावाल v. साहिब राजा कपूरयल, 1944 R.D. 543.

४. उन्नीस

न्यायानय की बन्दोबस्त की दर निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं है।¹

१७. अधिकतम नकद-लगान निर्धारित करने वाली सत्ता—किसी विपरीत प्रथा, रिवाज या प्रथा रोति या हस्तमय प्रभावशाली किसी विधि, अधिनियमित, नियम, दृष्टी या आया में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नकद लगानों की वह अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकेगी जो भू-सम्पत्ति-धारक द्वारा आसामी में या आसामी द्वारा सिकमी-आसामी से, धारा ६८, ९९, और १०० के उपबन्धों के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

१८. भू-राजस्व बन्दोबस्त में निर्दिष्ट हो जाने की दशा में अधिकतम लगान—ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भू-राजस्व बन्दोबस्त में निर्दिष्ट हो गया हो, और लगान आसामियों द्वारा नकद में देय है, राज्य सरकार, वह अधिकतम लगान जो भू-सम्पत्ति-धारक वसूल कर सकेगा, भू-राजस्व की रकम तथा कृषि-सम्बन्धी दशाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा और उक्त भू-राजस्व की रकम के तीन-गुने से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान निर्दिष्ट नहीं कर दिया हो तो भूमि धारी उसके व आसामी के बीच तम होने वाली अधिकतम राशि लेने का हकदार है। इस धारा व धारा १०१ के नीचे अधिकतम लगान अभी वसूल किया जा सकता है जबकि इस इलाके का बन्दोबस्त हो चुका हो।² परन्तु यदि तय मुदा लगान अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक हो तो वह उस सीमा तक शून्य है।³

६६. ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान बन्दोबस्त में निर्दिष्ट किया जा चुका हो, अधिकतम लगान—ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान बन्दोबस्त द्वारा निर्दिष्ट कर दिया हो, धोर गिरमी-आसामी लगान नकद में देने हों, आसामी द्वारा अपने सिकमी-आसामी से वसूल किया जाने वाला अधिकतम-लगान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ताकि वह उस रकम के दुगने से अधिक न हो जो उक्त आसामी द्वारा देय है।

१००. कृषिपय दशाओं में उच्चतर अधिकतम-राशि—धारा ९८ तथा ९९ में निहित किसी बात के होते हुए भी, नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि-क्षेत्र के सम्बन्ध में देय, प्रथम किसी विपत्ता, प्रथमक, अगम्य-व्यक्ति या २५ वर्ष से कम आयु के ऐसे विद्यार्थी जो किसी मान्यता-प्राप्त स्तर में अध्ययन कर रहा हो, को देय नकद-लगान की राशि, उस रकम की देड़-गुनी तक हो सकेगी जो उक्त धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है।

नगरीय-क्षेत्र—'नगरीय क्षेत्र' से, इस धारा के अन्तर्गत, तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें आसामी भूमि तथा कृषि भूमि कम से कम १५००० अकड़ों के क्षेत्रों से दो मील की दूरी पर है।

1. विविनचन्द्र v. जगमोहन, 1941 R.D. 955.
2. नारायण v. नागीरथ, 1959 R.R.D. 77.
3. मन्वन्सिंह v. मानमत्त, 1958 R.R.D. 146.

ॐ [१०१. अधिकतम राशि वर्तमान लगान-दर से ऊपर वृद्धि करण हेतु निर्धारित नहीं होगी—धारा १८, १९ तथा १०० के उपबंधों के अनुसार धारा १७ के प्राचीन निर्धारित अधिकतम लगान, किसी ऐसे आसामी या निरामी-आसामी से बगुन दिये जाने वाले लगान में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय उस अधिकतम-दर की अपेक्षा कम दर से लगान दे रहा हो जो उक्त रूपसे निर्धारित की जा सके।

१०१-क. अधिकतम साम्यग्यो उपयुक्त उन भूमियों में लागू नहीं होंगे जिनमें एकदर वृद्धि होगी तथा जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ हो—धारा ६८, ६९ तथा १०० के उपबंध उन भूमियों पर लागू नहीं होंगे जिनमें फलदार वृक्ष सगे हुए हों तथा जिनके विषय में भू-राजस्व निर्धारित नहीं किया गया हो।]

१०१. बसूलो करती गई अतिरिक्त रकम की बसूलो—यदि कोई भूमिधारी धारा १८, ६९ और १०० के साथ पठित धारा १७ के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम लगान के अतिरिक्त लगान बसूल करता है तो आसामी द्वारा एक आवेदन-पत्र उक्त बसूलो से तीन वर्षों के भीतर तहसीलदार को दिये जाने पर उक्त अतिरिक्त लगान उस भूमिधारी से भू-राजस्व की बचाया के रूप में बसूल किया जा सकेगा।

— [१०२. कतिपय मामलों में जिन्सी लगानों का नकद लगानों में परिवर्तन—ऐसे दोनों में जिनमें लगान-दरें निकसित (evolved) निश्चित तथा स्वीकृत नहीं की गई हों लेकिन कर-निर्धारण सकल बना दिये गये हों तथा सकल-दरें निश्चित कर दी गई हों, सहायक कमन्टर, आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर, उक्त सकल-दरों के आधार पर आसामी द्वारा देय नकद-लगान निश्चित कर सकेगा और इस प्रकार निश्चित किये गये लगान की घोषणा, विहित रीति में, गांव में कर सकेगा।]

१०४. जिन्सी लगान की उच्चतम दरें—(१) किसी विपरीत अनुबंध, प्रथा, रिवाज या रीति से होते हुए भी, जहां लगान जिन्सी में देय हो वहां भूमिधारी आसामी से जो अधिकतम-लगान बसूल कर सकेगा वह प्रत्येक फसल की समय-उपज (gross produce) के १/६ भाग से अधिक नहीं होगा।

+ [परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम जिन्सी-लगान के उपर, शासकीय + राजपत्र में अधिमूचना द्वारा समय-समय पर, ऐसा आबिधक निश्चित कर सकेगी जो धारा ४६ की उप-धारा १ के सण्ड, (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में वर्णित व्यक्तियों में से किसी की निरामी-आसामी द्वारा लगान के रूप में देय हो।]

ॐ राज० अधि० सन्ध्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राज० अधि० संज्ञा ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित।

÷ राज० अधि० सन्ध्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ राज० अधि० सन्ध्या २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया। तथा २ सन् १९५८ द्वारा संशोधित किया गया।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा में पद "समग्र उपज" में पुष्पल, भूसा, या फसल के सूते टल, या घास घसवा पाला, लूंग पत्तों या पपड़ी या ऐसी ही अन्य कोई प्राकृतिक उपज, सम्मिलित नहीं है।

(२) उप-धारा (१) की कोई बात—

- (क) धारा ९४ के अन्तर्गत महामति से तय किये गये अथवा धारा ११५ के अन्तर्गत निर्दिष्ट लगान के रूप में, आसामी द्वारा देय रकम अथवा धानुपातिक राशि, जो भी हो, में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगी या
- (ख) किसी फसल जैसे कपास, चारा, जौरा, धनियां, तम्बाकू, अलसी तथा ऐसी ही अन्य फसलों के बारे में पृथानुसूल दर के अनुसार देय किसी नकद-लगान (जिने स्थानीय रूप में बीघीही कहते हैं) को प्रभावित नहीं करेगी, या
- (ग) राजस्थान माईनर इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज वर्क्स एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट १२, सन् १९५३) के उपबंधों के अनुसार लगान में, कमी करवाने के आसामी के हक को अथवा वृद्धि करवाने के भूमिधारी के हक को बाधित नहीं करेगी, या
- (घ) इस एक्ट से भिन्न तत्समय प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत लगाये गये किसी शुल्क, दर या प्रभार के मुगतान को, प्रभावित नहीं करेगी।

टिप्पणी

१. विषय—उपधारा (१) उन सब मामलों में लागू होती है जहां लगान जिस रूप में दिया जाता हो बिना इस विचार के कि उनका निश्चयन कैसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह केवल उन्हीं मामलों में लागू नहीं होती जहां लगान फसल के अनुमान या कृते पर आधारित होता है अथवा जहां उपज को किसी अनुपात में भूमिधारी तथा आसामी के बीच विभाजित कर लिया जाता है।^१

२. अधिकतम लगान—उपज पर लगान प्रत्येक फसल पर पैदावार के ३ भाग से अधिक नहीं हो सकता। अतः हकदार होने पर भी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इसके उपबन्धों द्वारा विहित सीमा से अधिक लगान भूमिधारी जिसमें आसामी भी सम्मिलित है, नहीं ले सकता।^२

१०५. जहां उपज में भूमिधारी योगदान देता हो वहां त्रिगुणी लगान को दर उच्चतर होना—जहां भूमिधारियों द्वारा त्रिगुणी-भातागियों अथवा मुदकारत के आसामियों के साथ ऐसा अनुबंध किया जाय कि वे (भूमिधारी) फसल में हिस्सा लेगे और ताद तथा बीज पर हुए खप का पचास प्रतिशत भूमिधारी स्वयं देकर उपज में योगदान करें तो, धारा १०४ के अनुसार वयून किया जाने वाला त्रिगुणी लगान समग्र-उपज के १/४ तक हो गेगा :

परन्तु जसमें हिस्सा बंटाने का अनुबंध इन धारा के अन्तर्गत राजस्व न्यायान्य द्वारा

१. बबोरनस v. मुलिना, 1962 R.R.D. 76.
२. रामनहाय v. लोटिया, 1961 R.R.D. 124.

सब सज मान्य नहीं होगा जब तक कि उक्त अनुबंध भूमिधारी द्वारा निरामी-घासामी या मुदरास्त के घासामी के साथ पञ्जीयित लेन-पन के जरिये संवादिग नहीं किया गया हो ।

लगान का हिसाब लगाना

१०६. लगान का हिसाब कैसे लगाया जायगा—किसी भूमिधेन के लगान का हिसाब साधारणतया उक्त क्षेत्र के लिये जिसमें उक्त भूमि-क्षेत्र स्थित है, स्वीकृत तथा निर्दिष्ट की गई लगान-दरों के अनुसार लगाया जायगा ।

टिप्पणी

बन्दोवस्त के दौरान आसामी से वसूल किया जाने वाला प्रारंभिक लगान बढी ही सकता है जो उसके और भूमिधारी के बीच तय हो चुका हो ।^१ जब आसामी को बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा लगान निर्दिष्ट करने के पश्चात् प्रवेश मिले तो वह इस पर निर्दिष्ट दर ही दे सकता है न कि तय शुदा लगान यदि वह अधिक हो ।^२

लगान की दरें और लगान-दर भूमिधारी की नियुक्ति

१०७. कतिपय स्थितियों में लगान की दरों का निश्चयन—किसी ऐसे क्षेत्र के लिये में जिसके लिये लगान की दरें निर्दिष्ट नहीं की गई हो या जिसमें बन्दोवस्त की अवधि समाप्त होने के पहिले ही लगान की दरों का पुनरीक्षण आवश्यक समझा जाय, राज्य सरकार [शासकीय राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा—

(१) यह आदेश दे सकती है कि उक्त क्षेत्र में या किसी जिले या उसके किसी भाग में लगान की दरें पुनरीक्षण द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट की जायेंगी, और

(२) किसी भी अधिकारी को जो सहायक कलक्टर से नीचे पद का न हो, जिसे एतत्पश्चात् लगान-दर अधिकारी सम्बोधित किया गया है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लगान की दरें प्रस्तावित करने के लिये नियुक्त कर सकेगी ।

टिप्पणी

इस धारा के अन्तर्गत लगान-दर-अधिकारी की नियुक्ति की जायगी जिसका दरजा सहायक कलक्टर से नीचे का नहीं होगा ।

१०८. लगान-दरों की अवधि—जब किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये लगान-दरें इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कर दी गई हो तो वे उस समय तक पुनर्निश्चित नहीं की जायगी जब तक कि उक्त क्षेत्र या उसके किसी भाग के बन्दोवस्त की अवधि समाप्त न हो जाय ।

परन्तु राज्य सरकार अवधि समाप्त होने से पूर्व भी लगान-दरों के पुनर्निश्चयन का

१. सेता V. हरदवाण, 1960 R.R.D. 93

२. उपरोक्त ।

क्ष० राज० अधि० सख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

आदेश इस आधार पर दे सकती है कि कृषि-उपज या किसी विशेष प्रकार की उपज की दरों में सारभूत वृद्धि या कमी हुई है :

परन्तु यह और है कि राज्य सरकार कृषि-उपज की दरों में कोई सारभूत वृद्धि या कमी न होने की स्थिति में या प्रशासनिक सुविधाओं के कारण, लगान की दरों के पुनर्निर्दयन को ऐसी अवधि के लिये स्थगित कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

टिप्पणी

धारा १०७ के नीचे निश्चित दरें पुनः निर्दिष्ट तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि उस क्षेत्र अथवा भाग के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त नहीं हो जाय । फिर भी इस धारा में दिए गए आधारों पर राज्य सरकार लगान दरों को इससे पूर्व भी फिर निर्दिष्ट करने की आज्ञा दे सकती है ।

१०९. लगान अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियाँ—(१) इन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लगान दरों के प्रस्ताव करने के साथ लगान-दर अधिकारी, यदि वह ऐसा करने के लिये सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, लगान के निश्चयन, प्रगतवर्तन, कमी तथा वृद्धि के वादों का भी निर्णय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

(२) ऐसे वाद उसके न्यायालय में ऐसी अवधि के नीचे दायर किये जा सकेंगे जिसे वह बोर्ड की स्वीकृति से निश्चय करे और उन वादों में पारित दिक्रियाँ तथा आदेशों की अपील, पुनरीक्षण तथा पुनरावलोकन उसी प्रकार किया जा सकेगा मानों वे किसी सहायक कम्पन्टर द्वारा पारित दिक्रियाँ तथा आदेश हों ।

टिप्पणी

उस धारा के नीचे किए जाने वाले दावे स्थानीय अनुसूची के भाग १ के मद ६ द्वारा शामिल होंगे । ये लगान-कर अधिकारी के न्यायालय में पेश होंगे । इनकी मियाद लगान-कर अधिकारी राजस्व मंडल की स्वीकृति से निर्दिष्ट की जायगी जिसके गुजरने के पश्चात् वे उस न्यायालय में दायर किए जायेंगे जिसमें साधारणतः होते हैं । न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा । टिकी की प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी को व दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी । लगान-दर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील राजस्व प्राधिकारी को होगी । राजस्व बोर्ड की द्वितीय अपील नहीं होगी अतः राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा ।

लगान-दरों के निश्चयन की प्रणाली

११०. कृषि (हल्कों) का निर्माण तथा मृदा (मिट्टी) वर्गीकरण—(१) लगान-दर अधिकारी, यदि वह क्षेत्र जिसके लिये लगान-दरें निर्दिष्ट की जानी हैं, पहिले से ही कर-निर्धारण हल्कों में विभाजित हो, प्रत्येक हल्के के लिये तथा उसकी मिट्टी की हर एक पृथक किस्म के लिये, पृथक पृथक दरें प्रस्तावित करेगा ।

(२) यदि वह क्षेत्र जिसके लिये लगान की दरें निर्दिष्ट की जानी हैं कर-निर्धारण हल्कों

में विभाजित नहीं किया गया हो या उसकी मृदा का वर्गीकरण नहीं किया गया हो अथवा उसका पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित हो तो लगान-दर अधिकारी, राजस्वान सैन्सिंग समर सैटिलमेण्ट एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट १९, एन १९५३) में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार मृदा का वर्गीकरण करेगा तथा हल्को का निर्माण करेगा और प्रत्येक हल्के की हर किस्म की मृदा के लिये लगान-दरें प्रस्तावित करेगा।

टिप्पणी

इस धारा में बनाया गया है कि लगान-दरें निर्दिष्ट करने के लिए मृदा (मिट्टी) का वर्गीकरण (चक्र तराशी) करना होता है और प्रत्येक प्रकार के चक्र के लिए इसकी मिट्टी की किस्म (काली, चिकनी, बालू इत्यादि) के अनुसार लगान की दर निर्दिष्ट की जायेगी।

१११. दरों के आधार— लगान दर अधिकारी ऐसी लगान-दरों का प्रस्ताव करेगा जो उसे न्याय-सगत प्रतीत हों और ऐसा करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा तथा उनसे तुलना करेगा—

(१) जिन आसामियों ने सारभूत क्षेत्रों में निरन्तर कई वर्षों तक खेती की और उनमें उनकी प्रविष्टि समय समय पर स्वीकृत की गई, उनके द्वारा भुगतान किये गये लगान की दरों के स्तर,

(२) ऐसे समय पर समीपस्थ मुख्य मंडियों में कृषि-उपज की प्रचलित कीमतें,

(३) उगाई गई फसलों और उपज की मात्रा में हेरफेर

(४) उपज का मूल्य, यह देखने के लिये कि प्रस्तावित दरों के अनुसार भूमि-क्षेत्र का मूल्य उपज के मूल्य के १/६ भाग से अधिक तो नहीं है,

(५) फसलों का हेरफेर (rotation) तथा वे अवकाश-काल जो साधारणतया आसामियों द्वारा भूमि को दिये जाते हैं;

(६) उन स्थानीय-क्षेत्रों में जिनके लिये दरें प्रस्तावित की गई हैं तथा राज्य के अन्य भागों में, फसल की कटाई के प्रयोगों के परिणाम;

(७) कृषि-व्यय, तथा कृषक के अपने व अपने परिवार के निर्वाह का व्यय, और

(८) ऐसी अन्य बातें जिनका आसामियों द्वारा दिये जाने वाले लगानों पर साधारणतया प्रभाव पड़ता है।

११२. प्रस्तावित दरों को, उनमें संशोधन करते हुए या बिना संशोधन के, व्यवहार में लाया जाना— लगान-दर अधिकारी प्रत्येक गांव के संबंध में यह भी लिखेगा कि जो दरें उसने प्रस्तावित की हैं बिना गरीबों के व्यवहार में लाई जाती हैं या उनमें किसी सीमा तक कोई संशोधन, संपूर्ण गांव, या उसके किसी निर्दिष्ट भाग या मृदा के प्रसंग में किया जाना है और उन्हें उक्त गांव, भाग या मृदा में व्यवहार करने में यह समझा जायगा कि उनमें तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

११३. विनिष्ट मामलों में दरों की व्यवस्था—लगान-दर अधिकारी—

[१] जिन क्षेत्रों में, कृषि अस्थिर तथा परिवर्तनशील हो, उन क्षेत्रों के लिये संशोधित लगान दरें, थीर

[२] गांव के लगान के अधिकारों का भुगतान जिन्स में किया जाने के साथ में उक्त लगानों के अन्तर्वर्तन (commutation) की दरें ;

भी प्रस्तावित करेगा ।

११४. लगान-दरों के प्रकाशन तथा उनकी स्वीकृति की प्रणाली—(१) लगान-दर अधिकारी अपने द्वारा पूर्व धाराओं के अन्तर्गत किये गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों को ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो निर्धारित की जाय और उन प्रस्तावों तथा अभिलेखों के संबंध में पेश की जाने वाली धापत्तियों को प्राप्त करके उन पर विचार करेगा ।

(२) जब ऐसी धापत्तियों पर, यदि कोई हों, निर्धारित रीति से विचार करने के बाद निर्णय कर दिया जाय तो लगान-दर अधिकारी अपने द्वारा किये गये प्रस्तावों और अभिलेखों को ऐसे संशोधनों के बाद, यदि कोई हों, बोर्ड को भेजेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

(३) उप-धारा (२) के अन्तर्गत लगान-दर अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों को प्राप्त पर, बोर्ड उन प्रस्तावों को ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे, अनुमोदित या परिवर्तित कर सकेगा और तत्पश्चात् उन्हें मंजूरी के लिये राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा ।

(४) राज्य सरकार उन प्रस्तावों को, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, मंजूर कर सकती है या उनको बोर्ड के पास पुनः विचारार्थ वापिस लौटा सकती है ।

(५) राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत लगान-दरें, सम्बन्धित क्षेत्र के लिये उस समय तक लगान की दरें होगी जब तक कानून के अनुसार परिवर्तित अथवा मशौघित न कर दी जायं ।

लगान का निरक्षयन

११५. लगान का निरक्षयन—(१) जब कोई लगान तय नहीं किया गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे आगामी रहने या अनुज्ञा देने का अधिकार हो, के द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि पर अधिवास द्रम आयाज से दे दिया गया हो, कि ऐसा करने से भूमिधारिता (टिनेमी) की गविदा स्थापित हो जाय तो वह व्यक्ति, जिसे भूमि पर द्रम प्रकार अधिवास दिया गया है या उसे द्रम प्रकार आगामी रहने या अनुज्ञा देने वाला व्यक्ति, द्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तंभी भूमि का लगान नियत करवाने तथा ऐसे लगान की दरों के लिये टिनेमी हांगिन करने के लिये बाध प्रस्तुत कर सकता है ।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत वाद में पारित की गई किसी उच्च तारीख में प्रभाव से धारणी विनियम कि अन्वयात्तय निर्देश करे ।

टिप्पणी

१—विषयः—दर लागू नव तक लागू होती है जब कि लगान तो कोई तय नहीं

हुआ हो और किसी व्यक्ति को भूमि पर प्रवेश ऐसे आसामी द्वारा दे दिया गया हो त्रिमे आसामी रहने या उसके लिए अनुज्ञा (Permit) देने का अधिकार हो और ऐसा करने का अभिप्राय उसे आसामी बनाना हो। यदि लगान तय हो चुका हो तो यह धारा लागू नहीं होगी और दावा धारा १५० अथवा १२४ के नीचे पेश होगा जैसा भी गृह्य हो। यदि भूमिधारी इस धारा के नीचे दावा करे तो उसे भूमि धारिता (टिनेंजी) चालू रहने के दौरान करना चाहिए या उमकी समाप्ति के तीन महीनों के भीतर, यद्यपि दावा मियाद बाहर हो जायगा हालांकि लगान तय कराने के दावे के लिए मियाद नहीं है।

२—प्रतिवादाः—इस धारा के नीचे किया जाने वाला दावा तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद १० द्वारा शासित होगा और सहायक क्लर्क के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा यदि दावा केवल लगान तय करने के लिए ही हो। यदि बकाया लगान का अतिरिक्त अनुतोप (दादरसी) मांगा जाय तो उस पर मूल्यानुसार (एड वेलोरम) शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु लगान की बकाया का दावा तीन साल में होना चाहिए। इसमें डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी को होंगी-दूसरी अपील राजस्व मंडल में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

११६. आंशिक बेदखली या समर्पण की दशा में लगान का निश्चयनः—जब कोई आसामी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अधीन अपनी भूमि के केवल एक भाग से बेदखल किया जाय या वैध रीति से उस भाग का समर्पण कर दे तो वह या राज्य सरकार से भिन्न भूमिधारी किसी भी मगद जिस न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया जा सके, उस न्यायालय में शेष भूमि का लगान निश्चित किये जाने के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

(१) धिययः—इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र के किसी भाग से ही किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के द्वारा बेदखल कर दिया जाय या वैध रूप से ऐसे भाग का समर्पण कर दे तो शेष भाग का लगान निश्चित करवाने के लिए उस न्यायालय में दावा किया जा सकता है जिसमें कि बेदखली का दावा किया जाता हो। अपने भाग का समर्पण अध्याय ५ के उपबंधों के अनुसार होना चाहिये। जब कोई स्थायी आसामी स्थायी कास्तकारी (भूमिधारिता, टिनेन्सी) की शर्तों से असंगत शर्तों वाला लगान पत्र लिख दे तो इसे उसकी स्थायी कास्तकारी का समर्पण समझा जावेगा।^१

(२) प्रतिवादाः—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद नम्बर ११ से शासित होगा। वह सहायक क्लर्क के न्यायालय में पेश होगा और उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। इसके लिये मियाद कुछ नहीं है। इसकी अपील रा०अ०प्रा० के महा होगी। दूसरी अपील नहीं होगी इसलिए पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११७. कतिपय मामलों में लगान के सम्बन्ध में विवादः—(१) जब किसी भूमि

1. गूरजमान v. हाफिज अबुलखलीक, A. I. R. 1944 Lahore 1.

क्षेत्र के सम्बन्ध में दिया जाने वाला लगान फल के साथ बदलता रहे और ऐसी किसी फसल के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो, तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, फसल की हानि का अनिनिश्चयन करने तथा यदि फसल में कुछ हानि हुई हो तो यह मासूम करने के लिये कि हानि विम हट तक हुई है भूमि क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। उस दशा में जब कि फसल उठाती गई हो, तहसीलदार आवश्यक जांच करने के पश्चात उभय पक्षों के आचरण से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकेगा जो उसे युक्तिपूर्ण प्रतीत हो।

(२) जब किसी भूमि-क्षेत्र के लगान के भुगतान हेतु तत्काल प्रचलित रीति के सम्बन्ध में विवाद हो, तहसीलदार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर तथा निर्धारित रीति में सरकारी जांच करने के पश्चात, उक्त विवाद के बारे में फैसला देगा और इस प्रकार दिये गये फैसले के अनुसार लगान का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक उक्त फैसला उपधारा (३) के अनुसार निरस्त या उपान्तरित नहीं कर दिया जाय।

(३) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिये गये फैसले से व्यथित हो, किसी भी आधार पर उक्त फैसले को संशोधित करवाने अथवा निरस्त करवाने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(४) जहाँ लगान-भुगतान के तरीके के बारे में विवाद हो अर्थात् इस बात पर विवाद हो कि धारा ऐसा लगान नकद में दिया जाता है या जिन्म में अथवा अनुमानित फसल पर या फसल के अनुमानित मूल्य पर आधारित है या कोई भी फसल या उपज या उपज के मूल्यों के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित है या कुछ वर्षों में इनमें से किसी एक तरीके के और कुछ वर्षों में इनमें से दूसरे तरीके या तरीकों के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित है, भूमिधारी या आमाही इस प्रकार भुगतान के तरीके को घोषणा करवाने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१—विवय :—यह धारा विशेषकर ऐसे मामलों के लिए बनाई गई है जहाँ लगान जिन्म में देय हो। धारा १४८-१४९ में वह तरीका बताया गया है जो कि लगान पैदावार के विभाजन द्वारा देय हो और कोई पक्षकार उस समय उपस्थित न हो। जहाँ लगान उपज के साथ-साथ बदलता हो और ऐसी पैदावार के सम्बन्ध में विवाद हो तो दोनों में से कोई पक्षकार उसे तम करने के लिए तहसीलदार को आवेदन पत्र दे सकता है।

२—तहसीलदार के फैसले को हटाने के लिए बाधा :—उपधारा (३) में तहसीलदार द्वारा उपधारा (२) के अन्तर्गत दिए गए फैसले (अर्थात्) को अन्त (रद्द करने) अथवा उपान्तरित (फेर-बदल) करने के लिए दावे का प्रावधान है। इस प्रकार का दावा अनुसूची तृतीय के भाग प्रथम के मद नम्बर ११ द्वारा शासित होगा और महापक बजट के न्यायान्त में किया जावेगा। इसके लिए कोई मियाद नहीं है और केवल ५० पैसे न्यायान्त शुल्क लगेगा।

३—उपधारा (४)—इस उपधारा के नीचे किया जाने वाला दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नम्बर १२ द्वारा शासित होगा और महापक बजट के न्यायान्त

में पेश किया जायेगा। इसके लिए कोई मियाद नहीं है और न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा।

४—उपधारा (१) (२)—के नीचे आवेदन पत्र:—ऐसे आवेदन पत्र द्वारा अनुसूची के भाग दो के मद नम्बर ५२ द्वारा धागिन हांगों, और तहसीलदार के न्यायालय में पेश किये जावेंगे। इनके लिए कोई मियाद नहीं है, और न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा।

५—उपधारा (१) (२) की अपील और पुनरीक्षण:—उपधारा (२) के तर्जिह तहसील द्वारा दी गई आज्ञा की अपील कलक्टर के यहां होगी। उपधारा (१) के अन्तर्गत सहायक कलक्टर द्वारा दी गई, आज्ञा की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। दोनों अवस्थाओं में पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

६—उपधारा (३) (४) में अपील और पुनरीक्षण:—पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी राजस्व बोर्ड में। अतः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

११८. लगान का अन्तर्वर्तन (Commutation)—(१) जब लगान जिन्स में दिया जाता रहा हो या फसल के अनुमान या फसल के अनुमानित मूल्य पर आधारित हो या कोई गई फसल या उपज या उपज-मूल्य के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित हो या कुछ अंशों में इनमें से किसी एक तरीके के और कुछ अंशों में इनमें से दूसरे तरीके या तरीकों के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित है, तो, भूमिधारी जो राज्य सरकार न हो, या आसामी, ऐसे लगान को निश्चित नकद लगान में अन्तर्वर्तित कराने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझे; किन्तु ऐसे वाद में जिसमें भूमिधारी वादी हो और आसामी यह दलील पेश करे कि जंगली जानवरों, बाढ़, तथा ऐसे ही अन्य कारणों, से भूमि-क्षेत्र के दृश्य भाग अथवा भूमि-क्षेत्र की उपज में आसाधारण घटत-बढ़त होती रहती है और यदि न्यायालय यह समझे कि अन्तर्वर्तन अवाञ्छनीय है तो वह दावे को खारिज कर सकता है।

(२) किसी वाद में उपधारा (१) के अन्तर्गत पारित डिक्री, जिस वर्ष में वह डिक्री दी गई हो, उसके पश्चात् घाने वाले कृषि-वर्ष के प्रारम्भ में आवेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से जो लिखे जायेंगे, यह निदेश न करदे, कि वह डिक्री, अपेक्षाकृत किसी पहिले की सारोस या किसी वाद की तारीख, जो निर्दिष्ट की जाय से प्रभाव में आवेगी।

(३) ऐसी भूमि की दशा में जो आसामी द्वारा सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई हो, लगान के अन्तर्वर्तन हेतु किसी भी वाद की आवश्यकता नहीं होगी और आसामी ऐसे अन्तर्वर्तन के लिये सहायक कलक्टर को प्रार्थनापत्र दे सकेगा और उस दशा में इस धारा के अन्य 'उपबंध' इस प्रार्थना-पत्र पर लागू होंगे।

टिप्पणी

१—विवय—यह धारा भूमिधारी अथवा आसामी को लगान के अन्तर्वर्तन (Commutation) के लिए दावा पेश करने का अधिकार प्रदान करती है। यहा अन्तर्वर्तन

का अभिप्राय यह है कि जहां लगान जिन्स रूप में दिया जाता हो या पैदा होने वाली फसल या उपज के साथ बदलता रहता हो तो उसके स्थान पर नकदी लगान एक बार ही तय कर दिया जाय। न्यायालय के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की प्रार्थना स्वीकार कर ले। भूमि नीतोड होने के कारण ही आसामी का अधिकार लगान अन्तर्वर्तन कराने का समान नहीं हो जाता जब तक कि इसके विरुद्ध कोई माफ करार न हो।¹ जब राज्य भूमिधारी हो तो दावे की भी आवश्यकता नहीं है केवल आवेदन पत्र से काम चल जावेगा। उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत दी हुई आज्ञा-अज्ञा में अगली फसल से प्रभाव में आवेगी।

०—प्रथमा—लगान के अन्तर्वर्तन के लिए दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नम्बर १३ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेग होगा। उपधारा (२) के नीचे आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद नम्बर ५३—(का) द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेग होगा। मियाद कुछ नहीं है और ऐसे दावों और आवेदन पत्रों पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। सहायक कलक्टर को डिप्टी के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी अपील राजस्व बोर्ड को। सहायक कलक्टर की आज्ञा की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी परन्तु दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११६. लगान चालू रहने की अवधि—जब किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा ११५ के अन्तर्गत लगान निश्चित कर दिया गया हो या धारा ११८ के अन्तर्गत अन्तर्वर्तन कर दिया गया हो तो, लगान उस समय तक सशोधनीय नहीं होगा जब तक कि उस क्षेत्र के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त न हो जाय जिसमें उक्त भूमि स्थित है या जब तक उक्त लगान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित न कर दिया जाय।

लगान का उपान्तरण (Modification)

१२०. लगान में फेरफार की प्रणाली—इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आगामी (जिसमें मुदवास्त के आगामी तथा शिकमी-आगामी सम्मिलित है) का लगान केवल

(क) रजिस्ट्रीकरण इकाररनामे के जरिये, या

+ [(स) किसी सशम राजस्व न्यायालय के किसी वाद में पारित डिप्टी या आदेश द्वारा या राज्य सरकार से सेक्टर सीपी भूमि धारण करने की दशा में, आगामी द्वारा आवेदन या रिपोर्ट करने पर तहसीलदार द्वारा,]

[X.X]६

ही पटाया-बड़ाया जा सकेगा।

1. महेश्वरसिंह v. बाहू शुक्ल लान, 1९40 R. D. 521

+ रा० प० २७ मन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

६ रा० प० २७ मन् १९५६ द्वारा विमुक्त

टिप्पणी

१—विषय:—धारा ११८, १२१ और १२४ कम्पन लगान के अन्तर्वर्तन, वृद्धि और कमी से सम्बन्ध रखती है। इस धारा के नीचे लगान में कोई परिवर्तन उपरोक्त धाराओं के अधीन ही किया जा सकता है। इस धारा का लाभ गिकमी आगामियों और गुदवान धारकों द्वारा भी उठाया जा सकता है।

२—सक्षम राजस्व न्यायालय की डिग्री या भागा:—एक सक्षम राजस्व न्यायालय लगान में परिवर्तन की डिग्री या भागा निम्नलिखित मामलों में दे सकता है—

- (१) लगान की घोषणा के लिए दावा (धारा ८९ के राण्ड ग, घ, ङ) :
- (२) लगान की दरों के विनिश्चयन के लिए दावा (धारा १०७)
- (३) लगान तय करने के लिए दावा (धारा ११५) :
- (४) लगान के अन्तर्वर्तन के लिए दावा (धारा ११८) :
- (५) लगान की वृद्धि के लिए दावा (धारा ११५, १२१) :
- (६) लगान में कमी के लिए दावा (धारा ११५, १२५) : और
- (७) आपतकालीन स्थिति में लगान की दरों का संशोधन (धारा १२६) :

३—परन्तुक:—जहां भूमि सीधी सरकार से लेकर धारण की जाय तो इन धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी की आज्ञा ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त होगी।

१२१. लगान में वृद्धि किये जाने के आधार—किसी आसामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात्

- (१) यह कि आसामी द्वारा देय लगान उसके सम्बन्ध में समुपयुक्त स्वीकृत लगान-दरों के हिसाब से होने वाले लगान से सारतः कम है, या
- (२) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपज-शक्तियों में नदी की क्रिया से वृद्धि हो गई है, या
- (३) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपज शक्तियां भूमिधारी द्वारा या भूमिधारी के व्यय पर किये गये सुधार के फलस्वरूप बढ गई है, या
- (४) यह कि आसामी की भूमि का क्षेत्रफल बृद्धार (बाढ द्वारा लाई गई मिट्टी) के कारण अथवा अन्यथा बढ गया है :

किन्तु लगान किसी भी दशा में इतना नहीं बढ़ाया जायगा जिससे कि वह इस अध्याय में निर्धारित किये गये प्रचिन्तन लगान से अधिक न हो जाय।

१२२. वृद्धि की सीमाएँ—किसी आसामी का लगान उसके वर्तमान लगान के एक चौथाई भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जायगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि निश्चित किया

गया लगान किसी भी दशा में समुपयुक्त स्वीकृत लगान की दरों में फलाये गये लगान के तीन चौथाई में कम नहीं होगा :

परन्तु

- (१) यह धारा क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण लगान में होने वाली वृद्धि नियम-मामले में लागू नहीं होगी, और
- (२) यदि वृद्धि वर्तमान लगान के एक-चौथाई भाग से कम नहीं हो तो, वृद्धि को कई वर्षों में,—तीन में अधिक नहीं हो, वितरित वाषिष्क किस्मों द्वारा प्रभाव में लाने की आज्ञा दी जायेगी।

+ [१२३. वृद्धि के लिये वाद या प्राचना-पत्र के सम्बन्ध में आसामी की दशोल—यदि धामामी जिससे लगान-वृद्धि करवाने का दावा किया गया हो, वह सिद्ध करे कि जितनी लगान-वृद्धि का दावा किया गया है वह सम्पूर्ण या उसका कोई अंश उम मुधार के आधार पर है जो उसने विगत बीस वर्षों में किया है तथा जिसे करने का उम अधिकार था तो, न्यायालय केवल उतनी वृद्धि, यदि कोई हो, के लिये ही डिम्बो या आदेश पारित करेगा जितनी के लिये वह उम दशा में पारित करता जब कि धामामी ने कोई मुधार नहीं किया होता।]

१२४. लगान में घटोतरी करने के लिये आधार—किसी धामामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों पर घटाया जा सकेगा, यथा

(ॐ) यह कि धामामी द्वारा दे ∞ लगान उसके सम्बन्ध में समुपयुक्त स्वीकृत लगान-दरों से होने वाले लगान में सारत : अधिक है, या

(२) यह कि धामामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपत्र-शक्तियां वर्तमान लगान की अवधि में भूमिधारी द्वारा किये किसी मुधार के कारण अथवा धामामी के नियंत्रण में दाखर किसी अन्य कारण से कम हो गई हैं, या

(३) यह कि उसकी भूमि का क्षेत्रफल, बाट द्वारा मिट्टी बह जाने या अतृप्त प्रवेश या सार्वजनिक धर्मिप्राय या सार्वजनिक उपयोगी कार्य के लिये, भूमि को न लिये जाने, के कारण कम हो गया है, या

(४) यह कि उसके द्वारा देय लगान किसी पट्टे, बरार, डिम्बो या आदेश, जिसके अन्तर्गत वह भूमि धारण हो, में निर्दिष्ट किन्हीं कारणों से घटाया जाने योग्य है, या

(५) यह कि ऐसा लगान इस अध्याय में निर्धारित उच्चतम मात्रा में अधिक है।

१२५. वृद्धि अथवा कमी जब से लागू होगी—लगान में वृद्धि या कमी की प्रत्येक डिम्बो * या आदेश] त्रिम वर्ष में वह डिम्बो या आदेश पारित किया गया हो, के पश्चात् होने वाले वृत्ति-वर्ष के प्रारम्भ में प्रभाव में आयेगा, जब तक न्यायालय विशेष अतिरिक्त कारणों से

+ राज. अधि० संख्या २७ तन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

x राज. अधि० संख्या २७ तन् १९५६ द्वारा निरिच्छित।

यह आदेश न दे दे कि उक्त द्वितीया या आदेश अनेकार्थक कृषि या बाढ़ में आने वाली तारीख जो निर्दिष्ट की जाय, से प्रभाव में आयेगा ।

१२६. कृषि सम्बन्धी आपत्तियों के समय लगान की छूट या स्थगन—जिमी भी क्षेत्र में अकाल या बमो होने पर या किसी क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाली कृषि सम्बन्धी किसी आपत्ति के उपस्थित होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इंग विषय में गणक भन्व मत्ता, इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र में आगामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके अंश की, किसी समय के लिये छूट दे सकेंगी या उसे स्थगित कर सकेंगी ।

१२७. परिसीमन-अधिका की गणना करने में स्थगन-काल छोड़ दिया जायगा—जब धारा १२६ के उपबंधों के अनुसार किसी रकम के भुगतान का स्थगन कर दिया गया हो तो, वंसी रकम की वसूली के निमित्त वाद या प्रार्थना-पत्र के लिये निर्धारित परिसीमन-अधिका की गणना करने में, वह समय जिसमें स्थगन रहा हो, सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

१२८. छूट दिये गये या स्थगित किये गये लगान की वसूली नहीं की जायेगी—कोई भी भूमिधारी ऐसे लगान को, जिसके भुगतान की धारा १२६ के अन्तर्गत छूट दे दी गई हो अथवा स्थगन-काल में किसी लगान को, जिसके भुगतान का उक्त धारा के अन्तर्गत स्थगन कर दिया गया हो, वसूल नहीं करेगा और न उसकी वसूली के लिये कोई वाद या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायगा ।

असाधारण तथा संकटकालीन उपबन्ध

१२९. संकटकाल में लगान का पुनरीक्षण—(१) इस अधिनियम में या तत्समय प्रभाव-शील किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि किसी असाधारण कारणवश कृषि-उपज की कीमतों में अकस्मात् सारभूत घटा-बढ़ी हुई है या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है तो, वह शासकीय राजपत्र में अधिमूचना के जरिये एक पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेंगी जो पद में कलक्टर से नीचे दर्जे का नहीं हो तथा उसे निम्नलिखित समस्त शक्तिया या उनमें से कोई शक्ति प्रदान कर सकेंगी—

- (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत लगान-दर पदाधिकारी की शक्तियां,
- (ख) स्वीकृत लगान-दरों के अनुसार लगान में घटा-बढ़ी करने की शक्ति,
- (ग) संकटकाल में ऐसी लगान-दरों के अनुसार न चलकर अन्य रीति से, लगान में सरसरी तौर से कमी करने की शक्ति ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत लगान में घटा-बढ़ी का प्रत्येक आदेश ऐसी तारीखों से प्रभाव में आयेगा जिसका निदेश आदेश देने वाला पदाधिकारी करे तथा जो, आदेश के बर्ष के पश्चात् आने वाले कृषि-बर्ष के प्रारम्भ से पूर्ववर्ती न हो ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये पदाधिकारी की लगान में घटा-बढ़ी करने के आदेश के विरुद्ध अपील [राजस्व अपील प्राधिकारी] + के पास की जायेगी।

(४) अपील में [राजस्व अपील प्राधिकारी] + द्वारा दिये गये आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र बोंटों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उस मामले में बोंटें ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे जैसा वह उपयुक्त समझे।

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

१३०. लगान के भुगतान के मर्दे पैदावार को बंधक रखना—किसी भूमि-क्षेत्र को पैदावार, उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले लगान के मर्दे बंधक रखी गई समझी जायेगी और जब तक उक्त लगान की माग पूरी न हो जाय वह पैदावार किसी अन्य दावे के अधीन सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्ली के संपादन में या अन्यथा बेची नहीं जायेगी।

टिप्पणी

१—पैदावार को पहली वसूली राजस्व की होगी—इस धारा में सिविल या राजस्व डिक्ली की इजराय में पैदावार की कुर्की पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यदि साहूकार की डिक्ली की इजराय में कुर्की पहले हो जाय तो भी उसको भूमिधारी के मुकाबिले में प्राथमिकता नहीं मिलेगी और उसे लगान की वसूली के पश्चात् जो बच जाय इसी में संनोप करना होगा।

२—बकाया लगान का धारक—पैदावार वाला लगान^१ और पिछले वर्षों के बकाया लगान^२ के पेटे बन्धक रखी होनी है परन्तु आयंदा के लगान के पेटे नहीं जो कि अभी बकाया हुआ ही नहीं।^३

१३१. आसामी द्वारा भुगतान के विषय में अनुमान—किसी आसामी द्वारा ज़िममे लगान प्राप्य हो किसी भूमिधारी को जो लगान लेने का हकदार हो, दिया गया कोई भी भुगतान, आसामी की प्रतिभूत दृष्टि के प्रमाण के अभाव में, लगान का ही भुगतान समझा जायेगा।

टिप्पणी

इस धारा के प्रयोजनार्थ लगान में सायर भी सम्मिलित है।^४ यह अनुमान उन

+ राज० अधि० गं० ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ राज० अधि० गं० ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. जगतान v. मीराराम 15 All. 375

2. बिनमोह v. कानकर डटावा, 1879-3 All. 433

3. माधकराम v. मुरमोसिह 1885-5 A. W. N. 262

4. धारा ५(३२)

मामलो में सहायक है जहाँ कि भूमि धारी ही साहूकार हो और लगान के अनिश्चित रकम भी बकाया हो।

१३२. लगान के भुगतान का उपयोग—(१) रिगी घासामी द्वारा अपने भूमिधारी को किया हुआ कोई भुगतान, चाहे वह रिगी डिब्बो के भुगतान में किया गया हो या अन्यथा, रिगी ऐसी बकाया को निरन्तर करने में समायोजित नहीं किया जायगा त्रिगली वगुली यादों तथा प्रार्थना-पत्रों की मियाद सम्बन्धी तत्समय प्रभावशील रिगी विधि द्वारा याचिन हो गई हों।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट उप-बधों के अधीन रहते हुए, जब कोई घासामी अपने भूमिधारी को लगान के निमित्त कोई भुगतान इग स्पष्ट सूचना के साथ करे कि वह उस भुगतान को किसी अमुक वर्ष, किन्तु या भूमि के खाते में जमा कराना चाहता है तो वह भुगतान, यदि ले लिया जाय, तदनुसार जमा किया जायगा और यदि घासामी ऐसी कोई सूचना न दे तो भूमिधारी उस भुगतान को उत्तरवर्ती बकाया की अपेक्षा पूर्ववर्ती बकाया के मध्ये जमा करेगा और जहाँ एक से अधिक बकाया एक ही तारीख की हों उस दशा में अधि-रकम की अपेक्षा कम-रकम की बकाया में जमा करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के उपबन्ध पालनीय हैं जिनमें यह बनाया गया है कि आसामियों द्वारा किए गए भुगतान किस तरीके से जमा किए जायेंगे। धारा १३१ के अन्तर्गत आसामी द्वारा किए गए समस्त भुगतान केवल लगान के पेटे ही जमा होंगे। इस धारा में किसी भी भुगतान की रकम को किसी मियाद बाहर लगान पेटे जमा करने की मनाही है चाहे उसकी डिब्बो हो चुकी हो अथवा नहीं।

१३३. लगान का भुगतान किस भाँति होगा—नरुद-लगान का भुगतान आसामी द्वारा भूमिधारी को या तो सीपे या डाक के मनी-आर्डर के जरिये या धारा १३६ के उपबधों के अनुसरण में जमा कराया जाकर, किया जा सकता है।

[× × ×] +

परन्तु डाक के मनी-आर्डर के जरिये या न्यायालय में जमा कराई जाकर अदा की गई किसी रकम की भूमिधारी द्वारा प्राप्त मात्र या मनी-आर्डर रूपन पर कुछ लिखावट के सामर्थ्य से, किसी वर्ष, किन्तु या भूमि विरीप के कारण भुगतान-योग्य या दातव्य लगान की रकम की उसके द्वारा अविस्वीकृति या अदा करने वाले को आसामी मानने की अविस्वीकृति नहीं समझी जायगी।

१३४ मनी-आर्डर की रसीद के विषय में अनुमान—जब लगान डाक के मनी-आर्डर द्वारा भेजा गया हो, तो स्वीकृति की दशा में पाने वाले की रसीद और अस्वीकृति की दशा में मनी-आर्डर पर डाकघर द्वारा ऐसी अस्वीकृति की नियमित रूप से मुहर लगाते हुए की गई पृष्ठा-चूना, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक उसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति का औपचारिक सही रिकार्ड समझी जायगी।

१३५. आसामी का रसीद पाने का अधिकार—(१) प्रत्येक व्यक्ति जो लगान या सायर का भुगतान सीधे करे, भूमिधारी या भूमिधारी के निवृत्तः अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, दस्त रूपेण भुगतान की गई रकम के लिये, लिखित में पाने का अधिकारी होगा ।

(२) भूमिधारी, धारा १३७ के उपबंधों के अन्तर्गत मुद्रित पुस्तक में लगान या सायर के पाने में प्राप्त हुई प्रत्येक रकम की एक पृथक् रसीद देगा और अपने द्वारा दी गई प्रत्येक रसीद की एक प्रतिपरत तैयार करेगा जिसे अपने पास रखेगा ।

(३) यदि भूमिधारी और आसामी के बीच किसी वाद या कार्यवाही में, जिसमें विवादास्पद बिन्दु लगान का भुगतान हो, भूमिधारी ऐसी रसीदों की पुस्तक पेश नहीं करे या न्यायालय द्वारा उसे पेश करने के लिए आज्ञा देने पर पेश करने में असफल रहे तो; न्यायालय भूमिधारी के विरुद्ध कोई भी अनुमान लगा सकता है जिसे वह युक्तिमयत समझे ।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि आसामी को लगान का भुगतान करने पर रसीद मिलनी चाहिए और रसीद बुके दोहरी परतों में छरी हुई रखी जानी चाहिए । यदि कभी अदालत को पता चले कि किसी भूमिधारी ने आसामी को लगान की रसीद नहीं दी तो लगान की दुगुनी रकम तक भूमिधारी से आसामी को हरजाने के रूप में मिल सकती है ।^१ यदि कोई भूमिधारी अदालत से २००) रु० तक जुर्माना किया जा सकता है ।^२

१३६. रसीद का विवरण—(१) रसीद और प्रतिपरत में निम्नलिखित विवरण होंगे:—
वर्षान्

(क) देने वाले का तथा उसके पिता का नाम और पाने वाले का नाम ।

(ख) गांव का नाम ।

(ग) रकम जिसका भुगतान किया गया हो ।

(घ) प्राया भुगतान लगान मद्धे है या सायर के मद्धे ।

(ङ) जहाँ एक से अधिक भूमि-खेत हो उन दसा में भूमि-खेत का उल्लेख जिसके लगान मद्धे, भुगतान की रकम जमा की गई हो ।

(च) भुगतान की रकम त्रिम वर्ष तथा बिन्दु के मद्धे जमा की गई हो उसका उल्लेख ।

(छ) प्राया भुगतान सम्पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है या प्रांशिक भुगतान के रूप में ।

(ज) तारीख जिसकी भुगतान किया गया हो, और

(झ) ऐसे अन्य बिबरण जो विहित किये जाये ।

(२) यदि रसीद में मुद्रणः इस धारा द्वारा अपेक्षित विवरण नहीं दिये हो या धारा

1. धारा २५३ (१)

2. धारा १६६ (२)

१३४. के उल्लेखन में लगान तथा सायर की एक संयुक्त रसीद दी गई हो तो जब तक विभागीय सिद्ध न किया जाय यह अनुमान किया जायगा कि उक्त रसीद उक्त तारीख तक की लगान तथा सायर की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति-स्वरूप दी गई है जिस तारीख को कि रसीद दी गई है।

टिप्पणी

इस धारा में साफ तौर से बताया गया है कि आगामी को दी जाने वाली रसीद में क्या २ विवरण होना चाहिए और किस विवरण के अभाव में क्या अनुमान लगाया जाना चाहिए। रसीद में अस्पष्टता का लाभ आसामी को मिलेगा।¹

१३७. रसीद-बही छपाने और प्रदाय करने का बाविय सरकार का होना — राज्य सरकार रसीद बहिया प्रति-वर्त सहित, विहित प्रपत्र में छपायेगी और उन्हें लागन-मूल्य पर बित्री के लिये समस्त तहसीलों में रखवायेगी :

परन्तु यदि किसी तारीख विशेष को छोड़ रसीद बही तहसील में उपलब्ध न हो तो भूमिधारी तहसीलदार से इस तथ्य का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हृषदार होगा और तब भूमिधारी, आसामी को एक अस्थायी रसीद देगा जिसमें धारा १३६ में बताये गये सब विवरण दिये हुए हों।

१३८. लेखा-विवरण प्राप्त करने का आसामी का अधिकार :—आसामी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसारण में, भूमिधारी को चार घाने मुक्त देकर उससे कृषि-वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन महीने के भीतर लेखा-विवरण प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसमें ऐसे व्योरे दिये हुए होंगे जो या तो सामान्यतया या किसी स्थानीय क्षेत्र या मामलों के वर्ग विशेष के लिये विहित किये जाय।

१३९. लगान को तहसीलदार के न्यायालय में जमा कराया जाना—(१) आसामी तहसीलदार के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र, लगान की किरत या किरतों अथवा किरत या किरतों की अदत्त रकम को जो उक्त प्रार्थना-पत्र की तारीख पर बाकी हों, जमा कराने की अनुमति के लिये दे सकेगा और यदि प्रार्थना-पत्र उप-धारा (२) के उपबन्धों के अर्थात्-रूप से अनुमूल हों तो तहसीलदार उक्त रकम को जमा कराने के निमित्त लेनेगा जिसकी एक रसीद देगा जो जमा कराई गई रकम के लिये रसीद-पावती के रूप में होगी मानों कि उक्त रकम उक्त व्यक्ति ने प्राप्त कर ली हो जो उसे पाने का हकदार है।

(२) ऐसे प्रार्थना-पत्र में उस व्यक्ति का नाम दिया जायगा जिसको कि जमा कराई गई रकम लगान की बकाया के रूप में देय हो अथवा जहाँ ऐसी रकम को कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने के हकदार हो वहाँ ऐसी व्यक्तियों में से प्रत्येक का नाम दिया जायगा अथवा अब आसामी को वास्तव में यह संदेह हो कि ऐसी रकम को पाने का हकदार कौन है तो उस व्यक्ति का नाम दिया जायगा जिसको कि लगान पिछली प्रतिकार दिया हो और जो अब मांग कर रहा हो।

१४०. जमा कराई हुई रकम का तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन :—(१) यदि

तहसीलदार जमा करने के लिये रकम को ग्रहण कर लेता है तो वह प्रार्थना-पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों पर अथवा किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके सम्बन्ध में वह सकारण ऐसा विद्वान करता हो कि उक्त अन्य व्यक्ति जमा की हुई रकम को पाने का हकदार है निःशुल्क एक नोटिस जमा की रकम के बारे में तामील करायेंगा।

(२) तहसीलदार जमा कराई हुई रकम किसी भी व्यक्ति को जिसे वह उसे पाने का हकदार समझे, दे सकेगा या यदि उसकी राय में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसको कि जमा की रकम दी जानी चाहिये, कोई सदेह हो तो वह उस रकम को उस समय तक रोक सकेगा जब तक कि सक्षम-प्रधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के आदेश से सदेह दूर न हो जाय।

(३) यदि तहसीलदार ऐसा निदेश करे तो भुगतान डाक के मनो-आर्डर द्वारा किया जा सकेगा।

(४) जमा कराने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई भुगतान न किया जाय तो जमा कराई गई रकम, सक्षम न्यायालय के किसी विपरीत आदेश के अभाव में, जमा कराने वाले को, उसके प्रार्थना-पत्र पर, तथा धारा १३९ के उपबन्धों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा दी गई रसीद वाजिब किये जाने पर अथवा उसके द्वारा, बात की कि रकम उसी ने जमा कराई थी ऐसी अन्य साध्य पेश किये जाने पर वापिस दी जा सकेगी जिसे सक्षम न्यायालय पर्याप्त समझे।

टिप्पणी

१—उपधारा (४) के नीचे आवेदन-पत्र :—जब धारा ११६ के नीचे जमा कराए गये, लगान की व्यवस्था उप-धारा (१), (२) अथवा (३) के अनुसार न हो तो उसे भ्रातृमी को, आवेदन-पत्र पर, लौटा दिया जायगा। यह आवेदन-पत्र उप धारा (४) के नीचे होगा जो तहसीलदार को दिया जायगा और तृतीय अनुसूची के भाग द्वितीय के मद नं० ५५ द्वारा नासित होगा। मियाद कुछ नहीं परन्तु रकम जमा होने की तारीख से तीन महीनों में वापिस उठाली जानी चाहिए। न्यायालय शुल्क २५ पैसे का लगेगा। तहसीलदार द्वारा उप-धारा (२) के नीचे अथवा उपधारा (४) के नीचे दी गई दर्गास्त पर की गई भ्रातृमी की अर्पित कलक्टर के यहाँ होगी। दूसरी अपील नहीं होगी अतः राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा।

१४१. वाद के विधाराधीन-काल में लगान का न्यायालय में जमा कराया जाता :— कोई भ्रातृमी जिस या किसी भूमि-क्षेत्र के लगान के अंश के लिये धारा २११ की [उपधारा (३) के उपबन्धों के अन्तर्गत] × दावा किया गया हो, उक्त भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान उस न्यायालय में जमा करा सकेगा जिसमें कि वाद विधाराधीन हो। (१) इस प्रकार जमा की हुई रकम का निष्पत्त उक्त न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, पानी में पालित किसी आदेशों के अधीन रहने हुए किया जायगा।

टिप्पणी

यह धारा २११ (३) के अन्तर्गत होने वाले मामलों के लिए बनाई गई है जिसमें

कि यदि कोई आसामी विभिन्न सहभागियों द्वारा विभिन्न समयों पर किए गए दावों की परेशानी से बचना चाहे अथवा स्वयं साध्य नहीं देना चाहे कि जिस सह भागीदार का वित्तना हिस्सा है तो वह सारा लगान एक साथ जमा करा सकता है।

१४२. धारों पर रोक—इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के उपबन्धों के अन्तर्गत जमा की गई किसी रकम के बारे में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विषय में उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही दायर नहीं की जायेगी परन्तु उक्त रूपेण जमा की गई रकम को बगूल करने का अपने को हकदार समझने वाला कोई भी व्यक्ति उस रकम को ऐसे व्यक्ति से बमूल करने के लिये दायर कर गेगा जिसे वह दे दी गई हो।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के द्वारा राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों को जमा की हुई रकम गलत व्यक्ति को देने की अवस्था में मुकदमा बाजी में छूट दी गई है परन्तु अपने को सही हकदार समझने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर दावा कर सकता है जिसे गलती से रकम दे दी गई है।

२. प्रथम—३००) ₹० तक की मानियत के दावे तहसीलदार के न्यायालय में और उससे अधिक के सहायक कलक्टर के यहां पेश होंगे और तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद न० १६ द्वारा शासित होंगे। न्यायालय शुल्क मूल्यानुसार लगेगा। मिमाद गलत आदमी को भुगतान देने की तारीख से तीन वर्ष की है। तहसीलदार को अपील कलक्टर को और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। सहायक कलक्टर की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी।

१४३. स्थिति जिसमें धाराएँ १३९ से १४२ तक लागू नहीं होगी—धारा १३९ से १४२ तक की कोई भी बात ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी जब भूमि आसामी ने सीधे उस राज्य सरकार से लेकर ग्रहण की हो जिसे, भूमिधारी की हैसियत से, उस भूमि का लगान चुकाया जाना हो।

१४४. पैदावार के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व—(१) जब लगान सही फसल के अनुमान या कूते पर प्राधारित हो तो फसल को पूर्णतया लेने का हकदार आसामी होगा।

+ (२) जब लगान फसल के काटे जाने अथवा उपज रूप में तैयार किये जाने के पश्चात् उससे अनुमान या कूते (appraisement) पर प्राधारित हो या उपज के बंटवारे के अनुमान दिया जाना हो तो, आसामी फसल को पूर्णतया लेने का हकदार होगा, लेकिन खलिहान में उपज के किसी भी अन्न को ऐसे समय या ऐसी रीति से हटाने का हकदार नहीं होगा जिससे कि समय या फसल के अनुमान, कूते या बंटवारे में क्कावट पैदा हो।

(३) दोनों ही दस्तावेजों में आसामी अपने कृषि कार्य के दौरान पैदावार को काटने तथा

शया उपज रूप में तैयार करने का, भूमिधारी द्वारा बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के, हस्तक्षेप होगा ।

(४) यदि आसामी उप-धारा (२) के उपबन्ध के विपरीत फसल या उपज के किसी घंम को हटा ले तो धारा १४६ के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्योग्य करने के प्रयोजनार्थ, फसल या उपज, पट्टी, में वैसी ही भूमि में, उनी फसल में पैदा हुई तत्सदृश श्रेष्ठतम फसल के समान हुई समझी जा सकेगी ।

(५) यदि राज्य सरकार के अनिश्चित कोई भूमिधारी आसामी को फसल को चीकसी बटाई, इट्टे या विविध करने में रोके या कृषि-कार्यों में हस्तक्षेप करे तो वह, आसामी को विज्ञापन पर उसको ऐसी रकम जो उसी से अधिक नहीं हो और उसको मुभावजा के रूप में देनी तय की जाय, देने का जिम्मेदार होगा और ऐसी रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में बमूल की जायगी तथा आसामी को दे दी जायगी ।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि कृते या बटाई-नटाई द्वारा लगान लिए जाने वाले मामलों में आसामी को पूरी फसल का बट्टा बनाये रखने का अधिकार है परन्तु वह न तो कृते या बटाई के काम में रुकावट डाल सकता है और न उठाकर ले जाने का हकदार है । भूमि धारी को भी अधिकार नहीं है कि वह आसामी द्वारा फसल तैयार करने या कट्टी करने में रुकावट डाले । दोनों पक्षकारों द्वारा इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही उपधारा (४) व (५) में बताई गई है ।

१४५. जिनसे लगान उपज के वास्तविक दिनाङ्कन के जरिये कायिल बमूली होना— जब लगान उपज के हिसाब के गौर पर जिनमें देय हो तो वह माधारणतया उपज के वास्तविक दिनाङ्कन के जरिये कायिल बमूली होगा :

परन्तु यदि आसामी और भूमिधारी सहमत हों प्रथम जहां ऐसी पृथा हो, उपज की वह मात्रा जो लगान-स्वरूप देय हो, सही हुई फसल या सनिहान में रखी हुई उपज के कृते (appraisement) के द्वारा निर्दिष्ट की जा सकेगी ।

१४६. कोई गाड़ी-भाड़ा न दिया जाता—जब लगान जिनमें दिया जाय तो भूमिधारी उपज के अवन हिस्से का अपने लगान या किसी मही तक से जाने के लिये गाड़ी-भाड़े के रूप में उपज की अनिश्चित मात्रा की या उतनी कीमत के बराबर रकम की माग नहीं करेगा या नहीं पावेगा ।

की कृपि-उपज का मूल्य निर्दिष्ट कर दिया हो तो उक्त निर्धारण के लिये वही मूल्य स्वीकार किया जायगा ।

१४८. विभाजन, अनुमान, या कूते करने के लिये अधिकारी की नियुक्ति के निमित्त प्रार्थना-पत्र—(१) जब छगान उपज के विभाजन से देय हो या फगम के अनुमान या कूते (appraisement) पर आधारित हो, और

(क) यदि भूमिधारी, जो राज्य सरकार न हो, या आसामी उचित समय पर उपस्थित होने में लापरवाही करता हो, या

(ख) यदि उपज के विभाजन, मात्रा या मूल्य के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो विभाजन, अनुमान या कूता करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना करते हुए किसी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(२) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी ऐसा शुल्क जमा करावेगा जो राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में निमित्त नियमों के अन्तर्गत विहित करे ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ पद 'उचित समय' से तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में पृथा या व्यवहार के अनुसार फसल के विभाजन, अनुमान या कूते के लिये अन्तिम तारीख समझी जाने वाली तारीख या निम्नलिखित तारीख, दोनों में अपेक्षाकृत जो पहिले आवे, से है, अर्थात्

(क) फसल खरीफ के सम्बन्ध में

[१] अनुमान या कूते के लिये—५ नवम्बर या भागशीवं बदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—५ फरवरी या माघ बदी ३०,

(ख) फसल रबी के सम्बन्ध में

[१] अनुमान या कूते के लिये—३० मार्च या चैत्र बदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—३० मई या जेठ सुदी १५ ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि कूते आदि के लिए आसामी या भूमिधारी किसी के उचित समय पर हाजिर न होने पर अथवा विभाजन के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न होने की अवस्था में दूसरा पक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । ऐसा आवेदन पत्र नहीं चल सकेगा यदि कोई पैदावार हो नहीं हुई हो और उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं हुई हो ।^१ उचित समय क्या होगा यह स्पष्टीकरण में बताया गया है ।

२. प्रक्रिया—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा और तृतीय अनुसूची भाग दो के मद ५७ द्वारा शांतिन होगा । न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा ।

मिषाद कुछ नहीं है परन्तु ऐसा आवेदन पत्र कूते के लिए हो तो फसल कटने से

पूर्व और बंटवारे के लिए ही तो खलिहान से हटाने से पूर्व किया जायगा। अपील कलक्टर के यहाँ होगी। डिक्री होने की सूरीत में (धारा १४६ (७) के नीचे) तो वही प्रक्रिया काम में लाई जायगी। वैसे दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु डिक्री वाली सूरीत में दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी। दोनों सूरीतों में पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

१४६. ऐसे प्रायना-पत्र के विषय में कार्य-प्रणाली— (१) ऐसा प्रायना-पत्र प्राप्त होने पर, तहसीलदार विरोधी-पक्ष को इस बात के लिये सूचना जारी करेगा कि वह ऐसी तारीख को जो प्रायना-पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह से आगे की नहीं होगी, ऐसे समय तथा स्थान पर उपस्थित हो जो सूचना में निर्दिष्ट हो और एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा जो विभाजन, अनुमान या कूता करेगा।

(२) यदि विरोधी पक्ष आपत्ति करे कि लगान उपत्र के विभाजन के जरिये या फसल के अनुमान या कूते के जरिये देय नहीं है अथवा कोई भी रकम देय नहीं है तो उक्त अधिकारी आपत्ति का अन्वेषण करेगा लेकिन ऐसी कार्यवाही करने को अपसर होगा जैसी आगे बताई गई है।

(३) ऐसा अधिकारी प्रत्येक पक्ष से पट्टी के किसी निवासी को उपत्र के विभाजन, या फसल के अनुमान या कूते में सहायता करने के लिये उसे-नियुक्त करने को कहेगा और स्वयं भी एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करेगा।

(४) यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने में विफल रहे या अनेसर नियुक्त करने से इनकार करे तो ऐसा अधिकारी उसकी धोर से एक अनेसर स्वयं मनोनित करेगा।

(५) ऐसा अधिकारी अनेसरों की सम्मतियों को लिख लेगा और निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रखेगा।

+ (६) उपत्र के विभाजन की स्थिति में यदि दोनों पक्ष उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विभाजन की रीति से सहमत हो जायें तो विभाजन तदनुसार कर दिया जायगा। यदि विभाजन की रीति से दोनों पक्ष सहमत न हों और यह दावा किया जाय कि कोई लगान देय नहीं है तो ऐसा अधिकारी उपत्र या फसल के मुख्य या अनुमान सहायका और अपना निर्णय देगा जिसे वह अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को प्रेषित करेगा।

(७) पक्षों को यह सूचना जारी की जायेगी कि निर्णय दे दिया गया है और वे ऐसी सूचना मिलने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर निर्णय के विरुद्ध आपत्तियाँ पेश करने के हकदार होंगे और तहसीलदार ऐसी आपत्तियों को सुनने तथा ऐसी धोर आव दरने के पदचान् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस निर्णय की, मिश्रण उग रना के अथ कि स्थिति उप-धारा (८) में विहित स्थिति के अनुकूल हो, पुष्ट, तपात्रित या अदास्त कर देगा और यदि कोई रकम देय पाई जाय तो उस रकम एवं शर्तों यदि कोई हो, के अनुदान की धारा देगा और उस धारा का प्रभाव लगान की रकमा के लिये ही गई छित्री के प्रभाव के समान होगा।

(८) उस मामले में जब कोई पक्ष यह आपत्ति करे कि लगान फसल के अनुमान या कूत + [या उपज के विभाजन पर] आधारित नहीं है या कि कोई रकम देय नहीं है या कि भूमिधारी द्वारा लगान के रूप में अध्यापित (claimed) उपज का अनुपात वस्तुतः देय अनुपात से अधिक है तो तहसीलदार ऐसी आपत्ति का निर्णय नहीं करेगा धनितु पक्षों को यह निर्देश देगा कि वे अपने अधिकारों का निर्णय सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायमय द्वारा करवायें और ऐसे मामले में तहसीलदार भूमिधारी के प्रायश्ना-पत्र पर, आसामी को निर्देश दे सकेगा कि यह उस वाद के अन्तिम निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर लगान भुगतान करने के लिये एक बन्धपत्र, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, प्रस्तुत करे।

(९) यदि आसामी बंध-पत्र प्रस्तुत करने से, जैसाकि उप-धारा (८) में उल्लिखित है, इन्कार करे तो तहसीलदार फसल को अथवा उसकी उपज को ऐसी मात्रा में कुर्क कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

टिप्पणी

इस धारा में धारा १४८ के नीचे प्राप्त आवेदन पत्र के निपटारे का तरीका बनाया गया है। इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का प्रभाव लगान की बकाया के लिए दी गई डिक्री की तरह होगा। इस धारा के उपबन्ध बाध्यकर (mandatory) है।

उपधारा (७) के नीचे दी गई आज्ञा की अपील या पुनरीक्षण उसी प्रकार होगा जैसे कि तहसीलदार द्वारा बकाया लगान की डिक्री का। धारा १४८ के नीचे दिए गए आवेदन पत्र की खारिजी डिक्री नहीं मानी जायगी और इसकी अपील नहीं होगी।^१

१५०. उपज के रूप में लगान की बकाया के लिये वाद—यदि लगान, जो फसल के अनुमान या कूते पर आधारित हो या जो उपज के विभाजन द्वारा देय हो, बकाया हो और लगान की बकाया के निमित्त डिक्री के समान प्रभाव रखने वाली कोई आज्ञा धारा १४६ की उपधारा (७) के अन्तर्गत नहीं दी गई हो तो भूमिधारी ऐसी बकाया की बगुली के लिये वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

१५१. किरतों का नियत किया जाना—आसामी का लगान निम्नलिखित किरतों में तथा निम्नलिखित तारीखों पर देय होगा—

- (क) यदि कृषि से सम्बन्धित पक्षों द्वारा किरतें और तारीखें पारस्परिक समझौते से तय करली गई हो तो इस प्रकार तय की गई किरतों में और तारीखों पर,
- (ख) ऐसे किसी समझौते के अभाव में यदि किरतें और तारीखें बन्दोबस्त के समय में निर्दिष्ट तथा अभिलिखित करदी गई हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट एवं अभिलिखित किरतों तथा तारीखों पर,
- (ग) अन्य दशाओं में एक या अधिक किरतों में और ऐसी तारीख या तारीखों पर जो

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

प्रचलित पृथा या व्यवहार के अनुसार हों।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे भूमि धारो उपज रूप में वसूल किए जाने वाले लगान की वकालत के लिए दावा कर सकता है। उपज के विभाजन, कृता या अनुमान के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर भी इस धारा के नीचे वकालत लगान की वसूली के लिए दावा चल सकता है^१ इस धारा के नीचे सायर की वसूली के लिए भी दावा चल सकता है।^२

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद नं० १७ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय मूल्यानुसार (advalorem) लगेगा।

मियाद जिस तारीख को लगान देय हो उससे तीन साल की है। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान की कोई किरत देय हो तो जिस दिन वह देय हो उसके दूमरे दिन से ही वकालत में शुमार हो जाती है। आसामी वकालत रकम पर ६.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने का उत्तरदायी होगा। केवल लगान की वकालत की वसूली का दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य होगा।^३

१५२. लगान का जब वकालत होना—लगान को कोई भी विद्वान उस दिन के पहिले न बुलाई जाय जिस दिन देय हो तो उस दिन जिसको कि वह देय हुई, के ठीक अनुवर्ती दिन में वकालत हो जाती है और ऐसा होने पर आसामी वकालत पर एक आना प्रति राया प्रति वर्ष की दर में साधारण ब्याज देने का प्रावी होगा।

१५३. वकालत के कारण गिरफ्तारी या निरोध का निषेध—लगान की वकालत के कारण ही गई किसी किसी या निषेध आसामी को गिरफ्तार करके या निरोध में रख कर नहीं किया जायगा।

१५४. वकालत वसूल करने का तरीका:—इस अधिनियम द्वारा अन्यथा विहित व्यवस्था की छोड़ कर, लगान की वकालत बाद के जरिये या धारा १६९ के उपबंधों के अनुसार मोटिम के जरिये वसूल की जा सकेगी।

टिप्पणी

१—विषय:—लगान की वकालत की वसूली के तरीके इस धारा में बतनाए हैं

१. मगन v. सुधी, 1937 R.D. 287.

२. मधना कवर v. राममधल राय, 1935 R.D. 381.

३. अमराप प्रगाद v. मुराब, 1920-4 R.D. 28.

अर्थात् दावे के द्वारा और तहसीलदार की मार्फत नोटिस देकर धारा १५६ के अनुगार । इसके अतिरिक्त लगान धारा १५९, १६०, १४८, १५० और १४० (२) के अंतर्गत भी वसूल किया जा सकता है । लगान वसूली के दावे में हमेशा नया वाद-कारण (विनाय दावा) रहता है और यदि गत वर्ष में भ्रदा किया गया लगान कानूनी तरीके से वसूल नहीं किया जा सकता था तो उससे वाद में यह कहने की मनाही नहीं हो जाती कि कम दर पर लगान देय था ।^१ इस धारा के नीचे वह व्यक्ति भी बर्थाय लगान की वसूली का दावा ला सकता है जिसका वह मालिकाना अथवा अन्य हित समाप्त हो चुका हो जिसके कारण कि लगान उसको देय हुआ था ।^२

२ सिविल न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) :—यदि लगान की रकम का रूपान्तरण नई संविदा (वॉड इत्यादि) में हो गया हो तो उसके वाद दावा सिविल न्यायालय में भी पेश हो सकता है ।^३

३—(सगंजन Set off) :—राजस्व न्यायालय में भी सेट ऑफ की प्राप्ति उठाई जा सकती है परन्तु उसके लिए ऑर्डर ८ नियम ६ सि० प्र० सं० का पालन होना चाहिए ।

४—प्रथिया :—बकाया लगान के दावे तृतीय अनुसूची भाग एक के मद नं० १८ द्वारा शासित होंगे और राज्य सरकार के पक्षकार न होने की सूरत में ३००) ६० तक के दावे तहसीलदार के पास पेश होंगे । अन्यथा सहायक क्लबटर के यहाँ पेश होंगे चाहे मालियत कुछ भी हो ।

मियाद धारा १५२ के नीचे बकाया देय हो जाने की तारीख से ३ साल की है ।

न्यायालय शुल्क राजस्थान न्याय शुल्क अधिनियम १९५१ के अनुसार मूल्यांकन के अनुसार देनी होगी ।

तहसीलदार की पहली अपील क्लबटर के यहाँ होगी और दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को ।

यदि डिक्ली सहायक क्लबटर ने दी हो तो पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी ।

पहली सूरत में पुनरीक्षण राजस्व मंडल में होगा परन्तु दूसरी सूरत में नहीं ।

१५५. सह आसामी के विरुद्ध वाद :—कोई सह आसामी जिसने दूसरे सह आसामी के सात में लगान दे दिया हो या जिससे ऐसा लगान वसूल कर लिया गया हो इस प्रकार दो गई रकम के लिये उस सह आसामी पर दावा कर सकता है ।

1. तुंगल v. चन्द्रभान, A. I. R. 1928 All, 214

2. ज्वालासिंह v उमराम, 1943 R. D. 162

3. जयराम v. शिव सम्पत, S. N. W. 84

4. धारा २१७ (२)

टिप्पणी

१—विषय :—इस धारा के प्रावधान के अनुसार यदि किसी ग्रामामी से उसके किसी सह-ग्रामामी के हिस्से का लगान वसूल कर लिया गया हो तो वह ग्रामामी अपने उस सह-ग्रामामी पर उसके हिस्से का लगान वापिस वसूल करने का दावा कर सकता है।¹ इसी प्रकार भूमि का एक स्वामी भी अपने सह-स्वामी (Co-Proprietor) पर उसके अपने हिस्से ही लगान वसूली का दावा कर सकता है और वह राजस्व न्यायालय में होगा।²

२—प्रविषय :—ऐसे दावे द्वितीय अनुसूची भाग १ के मद नं० १६ द्वारा ग्रासिन होंगे और धारा २१७ के अनुसार तहसीनदार या सहायक कलक्टर द्वारा विचारणीय होंगे।

इनके लिए मियाद लगान वसूली की तारीख से तीन मास की होंगी।

न्यायालय शुल्क दावे के मूल्यांकन के अनुसार होगी।

तहसीनदार द्वारा दी गई टिकी की अपनी पहले कलक्टर को, दूसरी राजस्व प्रीन प्राधिकारी को होगी व पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

सहायक कलक्टर द्वारा दी गई टिकी की पहली प्रीन राजस्व प्रीन अधिकारी को होगी व दूसरी राजस्व बोर्ड की।

१५६. बकायाओं का संयोजन :—(१) यदि, एक ही ग्रामामी के विरुद्ध लगान की बकाया के कई दावों की, एक ही वाद में संयोजित कर सकता है वगैरे कि वे दावे उसी वाद में मिला भूमि-क्षेत्रों में सम्बन्धित हों।

(२) उक्त वाद की टिकी में, कई भूमि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पाई गई रकम, यदि कोई हों, अलग अलग बनाई जायेंगी।

१५७. बकाया के दावे में टिकी देने वाले न्यायालय द्वारा विपत्ति के कारण छूट :—

(१) यदि लगान की बकाया के लिये किये गये दावे में टिकी देने वाले न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि जिस कानूनविधि के सम्बन्ध में बकाया का दावा किया गया है उसने दोगान भूमि-क्षेत्र के क्षेत्र-फाट में बाध में, या धरपचा ऐसी कमी हो गई है या उसकी उपज में, पनाशुटि, घोले, बीरो, बालू के जमाव, या इन्हीं के मद्दम किसी अन्य विपत्ति के कारण ऐसी छूट की है या कमी हुई है कि ग्रामामी द्वारा उन अवधि के लिये देय लगान की पूरी रकम की टिकी ग्राह्यानुसार नहीं दी जा सकती है तो न्यायालय ग्रामामी द्वारा उन अवधि के लिये देय लगान में ऐसी छूट मद्दम कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो।

(२) इस धारा के अन्तर्गत मद्दम की गई कोई छूट ग्रामामी द्वारा देय लगान में, ^{अथवा} उस अवधि के लिये सम्बन्ध में वह छूट दी गई हो, अन्वया परिवर्तन करने वाली ^{नहीं} समझी जायेगी।

1. सुमानसिंह, v. हरबनसिंह, 1947 R. D. 354

2. मद्दम परमद, v. पंजाब हसन, A. I. R. 1944 अवध 312

टिप्पणी

विषय :—यह धारा तभी लागू होगी जब कि कोई आगामी किमी विपत्ति के कारण अपने भूमि क्षेत्र के किसी भाग से अस्थायी रूप से वंचित हो गया हो। यदि वह स्थायी रूप से वंचित हो जाता है तो लगान को बकाया के लिए दावा करने में पूर्व भूमिधारी को लगान को फिर से विनिश्चिन कराने के लिए दावा करना होगा।¹

१५८. तिबाई की बकाया के लिये दाव —कोई भी व्यक्ति जिसे तिबाई या नावट के कारण कोई रकम देय हो, ऐसी रकम की वसूली के लिये दावा कर सकेगा।

१५९. कृषियम बकायाओं की वसूली भू-राजस्व के रूप में किया जाना :—धीरे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई भूमि के सम्बन्ध में लगान को बकाया या राज्य सरकार को देय अन्य राशि की बकाया या ऐसी भू-सम्पत्ति जो तत्काल प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत कुर्क कर ली गई हो या जो राजस्थान कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट १९५१ (राजस्थान एक्ट सं० २८ सन् १९५१) [अथवा राज्य के उन क्षेत्रों में, जिनमें वह अधिनियम विद्युत लागू न हो, प्रवर्तनशील किसी अन्य समानवर्ती कानून]+ के उपबन्धों के अनुसार कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीक्षण में रख दी गई हो, के सम्बन्ध में बकाया भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

परन्तु इस धारा में निहित कोई भी भू-सम्पत्तियों की उन बकायाओं की वसूल करने का अधिकार देने वाली नहीं समझी जायेगी जो कानून विधायक के अन्तर्गत काल-तिरोहित हो गई हो।

१६०. भुगतान से सामान्य इन्कारों की दशा में बकाया की वसूली—(१) किसी स्थानीय क्षेत्र में लगान वसूल करने के हकदार व्यक्तियों को लगान देने की सामान्य इन्कारों की दशा में, राज्य सरकार [साप्तकीय राजपत्र]× में अधिमूचना के जरिये घोषणा कर सकती है कि लगान भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

+ + (२) किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिस पर उप-धारा (१) के अन्तर्गत जागी की गई अधिमूचना लागू होती हो, भूमिधारी या कोई भी व्यक्ति जिसको कि लगान की बकाया देय हो, इस अधिनियम या तत्काल प्रभावशील किसी अन्य कानून में किसी विचारीय बात के होते हुए भी, बकाया की वसूली के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत दावा करने के बजाय, उसकी वसूली हेतु लिखित में एक प्रार्थना-पत्र कनक्टर को दे सकेगा, जो अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट कर लेने के पश्चात् कि मांगी गई रकम वाजिब है, राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधीन, ब्याज सहित उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

1. मुस्लिम विश्वविद्यालय, v. मोहनलाल, 1948 R. D. 19.

+ राज० अधि० सख्या २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट

× रा. अ. २ सन् १९६८ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ + उपरोक्त द्वारा यथा संशोधित।

(३) किसी रकम जिसकी वसूली के लिए इस धारा के अन्तर्गत आज्ञा दे दी गई हो, के सम्बन्ध में किसी वाद में कलक्टर को प्रतिवादी नहीं बनाया जायगा।

(४) इसमें निहित कोई बात और इस धारा के अन्तर्गत दी गई कोई भी आज्ञा—

(क) भूमिधारी को उसके द्वारा प्राप्य किसी रकम को जो इस धारा के अन्तर्गत वसूल नहीं की गई हो, दावे या प्रार्थना-पत्र के जरिये वसूल करने में वंचित नहीं करेगी, या

(ख) उस व्यक्ति को जिससे बाजिब रकम से अधिक रकम इस धारा के अन्तर्गत वसूल करली गई हो, भूमिधारी या अन्य व्यक्ति जिसके कि प्रार्थना-पत्र पर बनाया वसूली की गई थी, के विरुद्ध वाद दायर करके ऐसी अतिरिक्त रकम को वसूल करने से वंचित नहीं करेगी।

+ [(५) कलक्टर उप-धारा (२) के अधीन वसूली के व्यवहारे के रूप में वसूल की गई वास्तविक रकम को, ७ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बराबर फाट कर राज्य सरकार के खाते में डाल देगा और वसूली के ऐसे व्ययों का भार प्रामाणी पर होगा।

परन्तु यदि कलक्टर का यह मत हो कि एक और प्रामाणी तथा दूसरी ओर भूमिधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको लगान की वकाया देय थी, के बीच देय लगान का उचित विवाद था, तो वह दोनों पक्षों के बीच वसूली के व्ययों का भार ऐसे अनुपात में बांट देगा जिसे वह उचित समझे।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि (१) प्रामाणियों की ओर से लगान अदायगी के लिए आम इनकार (सामान्य इनकार, general refusal) कर दी गई है और (२) ऐसी आम इनकार के पश्चात् सरकार की ओर से एक अधिमूचना जारी कर दी गई है कि लगान या मांगों की वकाया को भू-राजस्व की वकाया की तरह वसूल की जायगी। 'सामान्य इनकार' (आम इनकार) से तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में लगान अदा नहीं करने के लिए व्यापक अभिधान से है। केवल कुछ प्रामाणियों द्वारा लगान देने से इनकार करने पर या नहरी भूमि मांगों कुछ मांगों की रकम (Canal dues) देने से इनकार। राज्य सरकार के लिए अधिमूचना जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जायगी।

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ मद नं० १६ द्वारा वासित होंगे और कलक्टर को दिए जायेंगे।

न्यायान्य मुल्य ५० पैसे होगा।

पूर्वक ऐसे आवेदन-पत्रों पर आज्ञा इतना जामी तरीके (executive nature) की होगी कि: प्रथम राजस्व अतीत प्राधिकारी के यहां नहीं होगी न राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा।

उपधारा (२) के नीचे मामलों में अग्रेज राजस्व अधीन प्राधिकारी के यहाँ होंगे। दूसरी अपील नहीं होगी तथा पुनरागण राज्य सरकार में होगा।^१

१. उपधारा ४ (स) के नीचे बाधे—ऐसे दावे गृहीत अनुसूचों के भाग १ के मद नं० २१ द्वारा शासित होंगे और तहसीलदार द्वारा विचारणीय होंगे या धारा २१७ के उपबंधों के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर के यहाँ होंगे।

उन पर न्यायालय शुल्क सूचिकांकन के अनुसार (advalorem) लगेगा।

विवाद अधिक लगान व्यूहों की तारीख से तीन साल होगी।

यदि डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई है तो पहली अपील कलेक्टर को होगी व दूसरी राजस्व अधीन प्राधिकारी को। यदि डिक्री सहायक कलेक्टर ने दी है तो पहला अपील राजस्व अधीन प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व मंडल में होगी। ऐसी सूरत में कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

अध्याय ११ — वेदखली

सामान्य

१६१. वेदखली अधिनियम के अनुसार होना—कोई भी आसामी अपने भूमि-रोज से इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुसरण करने की प्रणाली के अलावा अन्य किसी प्रकार वेदखली नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि किसी आसामी को वेदखली करने के लिए इस अधिनियम में बताया गया तरीका ही काम में लाया जायगा। उसे और किसी प्रकार से वेदखली नहीं किया जा सकता। जैसे कि लगान न देने की सूरत में भूमिपूरी सोये क्षेत्र पर जाकर आसामी को बाहर नहीं निकाल सकता। उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कार्यवाही करना होगा।^२ अर्थात् आसामी को इस अधिनियम के अनुसार राहत (remedy) दी जा सकेगी। यदि किसी मुख्य आसामी की मृत्यु के पश्चात् भूमिधारी उसके शिकमी को आसामी बनाले तो फिर उस नए आसामी को किसी तीसरे व्यक्ति को स्थायी आसामी बनाने के लिए वेदखली नहीं किया जा सकता।^३ यदि राजस्व न्यायानर्थ किसी व्यक्ति को शिकमी के रूप में वेदखली करने का दावा सारिज कर दे तो उसके बाद सिविल न्यायालय इसे अतिक्रमी के रूप में वेदखली करने के लिए पेश किए गए दावे को नहीं मंजूर सकता।^४

१. गुरचरन लाल V. प्रमदकृष्ण नारायण 1945 R.D. 71.

२. दीनदयाल V. राजकुमारी, 1949 R.D. 100

३. ब्रजवासी V. गोदावलि, 12 R.D. 701

४. नारायणसिंह V. गोविन्दराम, 33 All. 523

२. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बेदखली—धारा १८३ के अन्तर्गत किसी अतिक्रमों को, धारा १७४ के अन्तर्गत लगान की बकाया की डिक्री की इजाजत में, धारा १७५ के अन्तर्गत शिकमी को अवैध अन्तरण के कारण, धारा १७७ के अन्तर्गत शानिकारक कार्य के कारण और धारा १८० के नीचे मुदकादत कास्तकारों अथवा गंर खातेदार आसामी या शिकमी को बेदखल किया जा सकता है। इस अधिनियम के नीचे जो अधिकार आसामियों को मिले हैं उनसे वंचित करने वाला कोई करार शून्य होगा।

३. बेदखली की डिक्री का प्रभाव—इस अधिनियम के नीचे दी गई बंदखनी की डिक्री में आसामी के कास्तकारी अधिकार (tenancy rigots) समाप्त हो जाते हैं परन्तु केवल डिक्री दे देने से ही काम नहीं चल सकता। उसकी इजाजत लेकर औपचारिक "दखल-दिहानी" होना जरूरी है चाहे वास्तव में कब्जा नहीं दिलाया जाय। तभी अधिकार समाप्त होगी।^१

१६२. बेदखली होने पर बकाया की मांग की पूर्ति होना—धारा १६४, १६५, और १६६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब कोई खातेदार आसामी, लगान भुगतान न करने के कारण, बेदखली की डिक्री या धाजा के निष्पादन में अपनी सम्पूर्ण भूमि में या उसके कुछ हिस्से से बेदखल कर दिया जाय तो आसामी द्वारा ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ने की तारीख को उस भूमि के सम्बन्ध में देय सभी बकाया लगान, चुका दिया गया समझा जायेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि कोई आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में लगान की बकाया के कारण बेदखल कर दिया जाय तो लगान बकाया को डिक्री की तकमीन समझी जायेगी। यह धारा दावे में डिक्रीन लगान को बकाया पर ही लागू होगी परन्तु डिक्री में सम्मिलित दावे के क्षेत्रों पर नहीं।^२ ऐसे खरचे डिक्री की इजाजत के द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

२. यह धारा भूलशील नहीं है—इस धारा का प्रभाव भूलशील नहीं है और इस अधिनियम के प्रवर्तन में पूर्व होने वाले कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा,^३ परन्तु ऐसे आसामी पर लागू होती है जिसको बेदखल करने की डिक्री न, इस अधिनियम के प्रवर्तन में पूर्व हो चुका हो परन्तु वास्तविक बेदखली नए अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् हुई हो।^४

+ १९३. विनोदित—

1. बीरबल V. गिलोता, 1959 R.L.W. (R.S.) 80
 2. महेश्वरदयाल सेठ V. मंडूजान, 1944 R.D. 111.
 3. जदुनाथ प्रसाद V. राम उमरनाथ बजाविह, AIR 1944 Oudh 86.
 4. रामेन्द्र बहादुर V. विनोदी शरण, 1944 R.D. 428.
- + रा. घ. २७ मन् १९५६ द्वारा विनोदित।

१६४. वेदखली होने की वशा में गुधार-कार्य के लिये प्रतिकर (मुआवजा)-यदि आसामी अपने द्वारा किये गये कितनी गुधार के मुपावजे के लिये दावा करे और उसका दावा स्वीकार्य हो तो आसामी को उक्तकी भूमि के या उक्तके किसी भाग के वेदखली का सादेन देने वाला न्यायालय उस गुधार-कार्य के लिये आसामी को देय मुआवजे की रकम निश्चित करेगा ।

१६५. प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान (१) यदि पूर्वसामी द्वारा के अन्तर्गत निश्चित किया गया मुआवजा, आसामी से उक्तकी भूमि के लिये वसूल किये जाने वाले बकाया लघान की रकम तथा खर्च, यदि कोई हो, से अधिक हो तो वेदखली के लिये द्वितीया आसामी को देय अवशिष्ट रकम को ऐसे समय के भीतर जिसका न्यायालय निर्देश करे, भुगतान कर देने की शर्त पर, दी जायेगी ।

(२) अगर मुआवजा, आसामी से काबिल मूल रकम से अधिक न हो, जैसा कि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किया गया है, तो आसामी द्वारा मुआवजे के लिये किया गया कोई भी दावा उसे वेदखली किये जाने पर, सतुष्ट हुआ समझा जायेगा ।

टिप्पणी

धारा १६४ व १६५ साथ साथ पढ़ी जानी चाहिए । यदि वेदखली के दावे या कार्यवाही में मुआवजा (प्रति कर) की आपत्ति उठाई जावे तो वेदखली की आज्ञा देने वाले न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रश्न की जांच करे और मुआवजे की रकम निश्चित करे । मुआवजे का अंतिम रूप से फंसला होने तक वेदखली का निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए ।^१ यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वेदखली नहीं होनी चाहिए ।^२ मुआवजे का दावा वेदखली के विरुद्ध आपत्ति (उच्चदारी) है और अन्तिम आज्ञा से पूर्व उसका फंसला होना चाहिए ।^३

१६६. वेदखली होने पर फसलों तथा वृक्षों संबंधी अधिकार—(१) यदि किसी आसामी की वेदखली की डिश्री या आज्ञा के अनुसरण में बच्चा सोपने की तारीख को भूमि-क्षेत्र में ऐसी असंग्रहीत फसलें या वृक्ष हों जो आसामी में निहित हैं तो डिश्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय उन फसलों तथा वृक्षों का मूल्य निश्चित करेगा और निम्नलिखित प्रकार कार्यवाही करेगा—

(क) यदि धारा १६४ के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् आसामी द्वारा देय रकम उक्त फसलों या वृक्षों के मूल्य के बराबर या अधिक हो तो न्यायालय भूमिधारी को भूमि का बच्चा दे देगा और उक्त फसलों घटाने वृक्षों पर आसामी के समस्त अधिकार भूमिधारी को प्राप्त हो जायेंगे;

1. सिवधर V. मंगला, 1935 R.D. 14

2. मगवानसहाय V. सिवबरणसिंह, 4 R.D. 15

3. खन V. कितना, 1 R.D. R.E. 69

(ख) यदि धारा १६४ के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे, यदि कोई हो, को घटाने के परवाना प्राप्तामी द्वारा देय रकम, उक्त फसलों तथा वृक्षों के मूल्य से कम हो, और

[१] भूमिधारी उक्त रकम तथा उक्त मूल्य के अन्तर की रकम प्राप्तामी को देदे तो न्यायालय भूमि का बन्ना भूमिधारी को सौंप देगा और उक्त फसलों तथा वृक्षों पर प्राप्तामी के समस्त अधिकार भूमिधारी को प्राप्त हो जायेंगे, या

+ [२] यदि भूमिधारी उक्त अन्तर की रकम नहीं दे—

(क) जहाँ मूल्य प्राप्तामी में निहित वृक्षों अथवा उन वृक्षों या असंग्रहीत फसलों से ही सम्बद्ध हो, प्राप्तामी वेदवन्ती का भागी नहीं होगा जब तक कि उक्त मूल्य सबकी दावे की संतुष्टि न कर दी गई हो, और

(ख) जहाँ मूल्य उक्त असंग्रहीत फसलों में ही सम्बद्ध हो, न्यायालय भूमिधारी को भूमि का बन्ना दे देगा परन्तु प्राप्तामी को उक्त फसलों की रक्षा करने, संग्रह करने तथा हटाने का अधिकार होगा और वह भूमि के उपयोग तथा आधिपत्य के लिये ऐसा मुआवजा देगा जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाय ।]

× [+ + +]

+ + [(.-का) प्राप्तामी या भूमिधारी द्वारा प्रायःना-पत्र दिये जाने पर, वेदवन्ती की हिकी या अज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय फसलों अथवा वृक्षों का मूल्य तथा उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन प्राप्तामी द्वारा दिये जाने वाला मुआवजा निश्चित कर सकेगा ।]

(२) इस धारा की कोई बात, धारा १८३ के उपबन्धों के अन्तर्गत भूमि से वेदवन्त किये गये अतिक्रमों पर लागू नहीं होगी और बन्ना सौंपने के समय उक्त भूमि में स्थित कोई वृक्ष या फसलें धारा २ [१८३] की उप-धारा (२) के उपबन्धों के अधीन भूमिधारी में निहित हो जायेंगी—

टिप्पणी

१. धियव—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह निश्चित किया जाना चाहिए कि फसल या वृक्ष प्राप्तामी में निहित हैं या नहीं । यदि वे निश्चित प्राप्तामी की सम्पत्ति हैं और प्राप्तामी को केवल उनमें हिस्सा पाने का अधिकार है तो प्राप्तामी इस धारा का लाभ पाने का हकदार नहीं है ।^१

+ रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

× रा. अ. २७ मन् १९६६ द्वारा विनष्ट

+ + रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा निश्चित

÷ रा. अ. २७ मन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित

१. बरदोज प्रसाद V. तयाराम बहमद, 1948 R.D. 418

२. निषाद—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र देने के लिए कोई निषाद में नहीं है परन्तु उपधारा (१) का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कच्चा दिवाने में पूर्व मुद्रावले के दावों का फैसला किया जायगा।

यह धारा अनिकमी पर लागू नहीं होती है।^१

२. प्रथमा—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र एनीम अनुसूची के भाग २ के मद नं० ६० द्वारा दायित्व होगा और उपधारा (२) के नीचे वेदमाली की डिक्री या आज्ञा देने वाले न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।

न्यायालय मुल्क ५० पैसे का होगा। नहमीनदार द्वारा आज्ञा दी जाने पर पहली अपील कलक्टर को और सहायक कलक्टर, कलक्टर या एम. डी. ओ. द्वारा आज्ञा दी जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अपील में दी गई आज्ञा की दूगरी अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण हो सकेगा।

१६७. नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा तामील—(१) इस अध्याय के अन्तर्गत आसामी को जारी किये जाने वाले प्रत्येक नोटिस में निम्नलिखित बातें होगी:—

(क) भूमिधारी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ख) आसामी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ग) गाव या ग्रन्थ स्थानीय-क्षेत्र जिसमें वह भूमि-क्षेत्र स्थित है, का उल्लेख करते हुए, भूमि-क्षेत्र का विवरण, और

(घ) भूमि-क्षेत्र के रेकार्ड में दर्ज नम्बर, लगान की प्रत्येक विस्त की रकम जिसका कोई भाग बकाया हो और उन बकायाओं की रकम।

(२) न्यायालय द्वारा सम्मनों की तामील करने की रीति ही आसामी पर ऐसे नोटिस तामील करने की रीति होगी।

+ [विलोपित]

किन्तु ऐसे नोटिस की तामील आसामी पर रजिस्टर्ड पोस्ट मय रसीद के जरिये भी कराई जायेगी।

किन्तु यह और है कि यदि आसामी मिलता नहीं है या नोटिस लेने से या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो नोटिस की तामील उस स्थान के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में, जो नोटिस पर ऐसी तामील या प्रमाणीकरण करने के लिये हस्ताक्षर करेंगे, नोटिस को उसके सामान्य निवास-स्थान पर बिपकावर की जायेगी और वह तामील आसामी पर उचित तामील समझी जायेगी।

टिप्पणी

१. नोटिस की अन्तर्वस्तु - हालांकि नोटिस में दया बातें होनी चाहिए वे इस

1. मुहम्मद अमीर खान V. बरू, 1945 R D. 527

2. उपधारा (३)

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा विलोपित।

धारा में दी गई हैं और उन्हें नोटिस में लिखा जाना ही चाहिए परन्तु लिपिकीय भूलों की दुरस्ती की जा सकती है।¹ नोटिस सारे भूमि-क्षेत्र के वास्तव होना चाहिए।² दो बिल्तुन ही अलग भूमि-क्षेत्र के लिए सम्मिलित नोटिस गलत है।³ गरज यह है कि आसामी को साफ पता चल जाना चाहिए कि नोटिस किम भूमि-क्षेत्र के विषय में है। यदि किसी खेत का कोई दर्जशुदा नम्बर नहीं है तो खेत का नम्बर न देना कोई त्रुटि नहीं होगी।

२. नोटिस की तामील—उपधारा (२) में बनाया गया है कि नोटिस की तामील न्यायालय के सम्मन की तरह कराई जायगी। दंड प्रक्रिया संहिता के आर्डर ५ में सम्मनों की तामील का तरीका बनाया गया है जिनका पालन ठीक तरीके से होना चाहिए अथवा कार्यवाही रद्द हो सकती है।

३. स्थानापन्न तामील—उपधारा (२) के दूसरे परन्तुक में बनाया गया है कि यदि आसामी नहीं मिले अथवा तामील में इन्कार कर दे तब नोटिस की तामील उसके सामान्य निवास स्थान पर लिपकाया जाकर की जायगी जिनकी तसदीक (प्रभाषी करण attestation) उक्त स्थान के दो व्यक्तियों से करानी जायगी। इस उपधारा में तामील नोटिस का प्रकाशन कराके अथवा आसामी के परिवार के वालिग सदस्य की तामील करके नहीं कराई जा सकती। इस प्रकार आर्डर ५ नियम २० C.P.C में और इस उपधारा के उपबंधों में अन्तर है। सह आसामी को नोटिस देना इस उपधारा के नीचे पर्याप्त तामील नहीं है।

४. नियात—धारा १८२ (२) में "ऐसी आज्ञा की तारीख से" शब्द स्पष्ट है और उनका अर्थ "आज्ञा का पता चलने की तारीख से" नहीं लिया जा सकता।⁴

१६८. रिहायशी मकानों से बेदखली नहीं होना—कोई नौ आसामी गांव में स्थित रहने के मकान में, जो धारा ६६ के उपबंधों के अन्तर्गत गुधार के रूप में निर्मित मकान से निम्न हो, केवल इस कारण से ही बेदखल नहीं किया जा सकेगा कि वह गांव में अपने भूमि-क्षेत्र में बेदखल कर दिया गया है।

लगान की बकाया के कारण बेदखली

१६९. बकाया के भुगतान के लिये और भुगतान न करने पर बेदखली के लिये नोटिस जारी करना—(१) जब कभी नौ आसामी द्वारा देय लगान दो वर्ष या अधिक समय से बकाया हो तो तहसीलदार, आसामी के लिये राज्य सरकार से प्राप्त भूमिधारण करने की दस्ता में अपने प्राप, तथा अन्य दस्ताओं में भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, आसामी को, नोटिस तामील होने के तोग दिन के अन्दर बकाया का भुगतान करने या उपस्थित होकर उसे स्वीकार करने या उसका

1. रपुनन्दन V. चमारामसिंह, 6 R.D. 526.

2. गनेनी V. मैनेजर बोर्ड ऑफ वार्ड्स, 4 R.D. 99

3. शाबिगराम V. देनाराम, 1938 R.D. 392.

4. अमिन्गु V. मुत्तिया 19६0 R.L.W. (R.S.) 134.

शुल्क देय नहीं होगा, + [XXX] और

[२] तहसीलदार इस वाद पर वैधिक विचार करने में सक्षम होने की दशा में, कागजात उम राजस्व न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-क्षेत्र स्पष्ट हो।

(३) यदि ऐसे वाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि ग्रामामी द्वारा कोई रकम देय है तो न्यायालय उस ग्रामामी को उक्त रकम न्यायालय में चुकाने का निर्देश देते हुए एक डिक्री देगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि धारा १६६ के नीचे जारी किए गए नोटिस की तामील के पश्चात् आसामी के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की अवस्था में क्या कार्यवाही की जायगी। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आसामी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ही जाय तो उसे कैसे व किस आधार पर अपास्त कराया जा सकता है।

२. मियाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तारीख से एक महीने के भीतर करदी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद नं० ६२ द्वारा शासित होता है।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम व लब्धन—(१) यदि ग्रामामी धारा ११० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा घोषित बकाया रकम को या उम धारा की उप-धारा (३) के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान की वास्तु दी गई डिक्री को रकम को, उम पर ध्याऊ, एवं प्रार्थना-पत्र के खर्च या डिक्री द्वारा निर्णीत खर्च, यदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पश्चात् पाने वाली ३१ मई तक या जब तक यह डिक्री अंतिम न हो जाय तब तक भुगतान न करे तो तहसीलदार या डिक्री देने वाला न्यायालय उसे, उमको सम्पूर्ण भूमि में या भूमि के कुछ हिस्से में बेदखल करने की आज्ञा देगा और वह तदनुसार तत्काल बेदखल कर दिया जायगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत किमी बात के होने हुए भी, कोई ग्रामामी धारा [१२६] X के उपबंधों के अन्तर्गत स्थगित या छूट किये गये लगान के किमी हिस्से का भुगतान न करने के कारण बेदखल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपबंध बाध्यकर (Mandatory) हैं और यदि इस धारा में दी गई अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आसामी को भूमि-क्षेत्र में बेदखल करने की आज्ञा तुरंत देगा। आसामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।^१ तहसीलदार को मियाद में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है।^२

+ रा० ख० २७ सन् १९२६ द्वारा विमुक्त

X रा० घ० २७ सन् १९२६ द्वारा प्रतिस्थापित।

१. कदमाप्रसाद v. पिलमान, 1944 R. D. 214

२. घोड़े v. राम सापरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करने का आदेश देने हुए एक नोटिस जारी करेगा :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत उक्त बकाया के भुगतान के लिये जो उक्त धारा में प्रार्थना करने की तारीख पर तीन साल से अधिक समय में बकाया निरस्त रहे हो कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि बकाया लगान के भुगतान में ऋति करने की दशा में आसामी भूमि-धन में घेदगल किया जा सकेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा को धारा १७० व १७१ के साथ पढ़ा जाना चाहिए । इसके नीचे केवल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए । इसमें बनाई गई गतों पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा । इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के विरुद्ध नोटिस जारी होना चाहिए अथवा वह निष्प्रभावी होगा । यह धारा किसी लगान के मामले में ही लागू होगी ।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वसूली के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता ।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग दो के मद नं० ६१ द्वारा शासित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा ।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा ।

मिगद कुछ नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा ।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात् कार्य—प्रणाली—(१) यदि आसामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधियाचित बकाया को स्वीकार करते तो तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करने का निदेश करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

किन्तु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उसे अलग (Set aside) किये जाने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सन्तुष्ट करदे कि या तो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई या नियत तारख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अलगा कर देगा और मामले की सुनवाई एतदपश्चात् बताई गई रीति से करने को अवसर होगा ।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधियाचन का विरोध करता है तो यथोचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस की लगान की बकाया का एक वाद समझा जायेगा, किन्तु

[१] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

मुक्त देय नहीं होगा, + [XXX] और

[२] तहसीलदार उस वाद पर अधिक विचार करने में सक्षम होने की दशा में, कागजात उस रात्रत न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-क्षेत्र रखता हो।

(३) यदि ऐसे वाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि ग्रामामी द्वारा कोई रकम देय है तो न्यायालय उन ग्रामामी को उक्त रकम न्यायालय में बुकाने का निदेश देते हुए एक डिक्री देगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बनाया गया है कि धारा १६६ के नीचे जागे किए गए नोटिस की तामील के पदचातु आसामी के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की अवस्था में क्या कार्यवाही की जायगी। इसमें यह भी बनाया गया है कि यदि आसामी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाय तो उसे कैसे व किस आधार पर अपाम्त कराया जा सकता है।

२. मिषाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपाम्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तारीख से एक महीने के भीतर करनी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र स्थानीय अनुसूची के भाग २ के मद्र नं० ६२ द्वारा शासित होता है।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम यह स्पष्ट—(१) यदि ग्रामामी धारा १७० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा आदेशित बकाया रकम को या उस धारा की उप-धारा (३) के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान को बाबत दी गई डिक्री की रकम को, उस पर स्याज, एवं प्रायंता-पत्र के खर्च या डिक्री द्वारा निर्णीत खर्च, यदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पदचातु आने वाली ३१ मई तक या जब तक यह डिक्री अंतिम न हो जाय तब तक भुगतान न करे तो तहसीलदार या डिक्री देने वाला न्यायालय उसे, उसकी सम्पत्तियों नूमि में या नूमि के कुछ हिस्से में बेदखल करने की आज्ञा देगा और वह तदनुसार तरतान बेदखल कर दिया जायगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत किसी बात के होने हुए भी, कोई ग्रामामी धारा [१२६] × के उपबंधों के अन्तर्गत स्थगित या छूट किये गये लगान के किसी हिस्से का भुगतान न करने के कारण बेदखल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपबंध बाध्यकर (Mandatory) हैं और यदि इस धारा में दी गई अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आसामी को नूमि-क्षेत्र में बेदखल करने की आज्ञा तुरंत देगा। आसामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।^१ तहसीलदार को मिषाद में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है।^२

+ रा० अ० २७ मद्र १९२६ द्वारा विमुक्त

x रा० अ० २७ मद्र १९२६ द्वारा प्रतिस्थापित।

१. कम्पनाइस v. पिलमान, 1944 R. D. 214

२. घोषे v. राम आनरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करने का आदेश देने हुए एक नोटिस जारी करेगा :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत उक्त बकाया के भुगतान के लिये जो उम्मीदें की गई हैं प्रार्थना करने की तारीख पर तीन साप्ताहिक अधिक समय से बकाया निरन्तर रही हो बोर्ड नोटिस जारी नहीं किया जायगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि बकाया लगान के भुगतान में नुस्ति करने की दशा में आसामी भूमि-रॉय में बन्दगन्त किया जा सकेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा की धारा १७० व १७१ के साथ पढ़ा जाना चाहिए । इसके नीचे केवल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए । इसमें बनाई गई गती पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा । इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के विरुद्ध नोटिस जारी होना चाहिए अथवा वह निष्प्रभावी होगा । यह धारा किसी लगान के मामलों में ही लागू होगी ।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वसूली के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता ।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग दो के मद नं० ६१ द्वारा शासित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा ।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा ।

मियाद कुछ नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा ।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात् कार्य-प्रणाली—(१) यदि आसामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधिवाचित बकाया को स्वीकार करते तो तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करने का निर्देश करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

किन्तु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उसे अलग (Set aside) किये जाने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सन्तुष्ट करदे कि या तो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई या नियत तारीख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अमान्य कर देगा और मामले की सुनवाई एतदपश्चात् बताई गई रीति से करने को अवसर होगा ।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधिवाचन का विरोध करता है तो अधिवाचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस को लगान की बकाया का एक बाद समझा जायेगा, किन्तु

[१] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

और (२) नोटिस के द्वारा। यह धारा इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि कोई भूमिधारी लगान वसूली के दोनों तरीकों को एक साथ काम में नहीं ला सकता। उपज के हिस्से से लगान वसूली के लिए दावा धारा १५० के अन्तर्गत पेश किया जाता है और नगदी लगान की वसूली के लिए धारा १३४ के अन्तर्गत। जहां इन दोनों में से किसी एक के नीचे दावा पेश कर दिया जाता है तो धारा १३३ के अन्तर्गत आसामी को कोई नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। उपधारा (२) इस प्रकार के नोटिस पर रोक लगानी है।

१७४. लगान की बकाया की डिन्डी को निष्पादित करने में बेदखल किया जाना—

(१) [अध्याय दसवें] + के अन्तर्गत वाद में लगान की बकाया के लिये दो गई डिन्डी का निष्पादन, वातून के अन्तर्गत निष्पादन के लिये अनुमत किसी अन्य तरीके के अलावा, आसामी को उसके भूमि-छात्र से बेदखली के रूप में किया जा सकेगा :

चिन्तु कोई आसामी उस समय तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि निष्पादन के अन्य समस्त तरीकों का प्रयोग न कर लिया गया हो और ऐसी डिन्डी की तारीख से दो वर्ष के अन्दर ऐसे किसी तरीके से उस डिन्डी की पूरी पूरी संतुष्टि नहीं हुई हो।

(२) उप-धारा (१) के परन्तु के अधीन भूमिधारी, उक्त डिन्डी के अनुषार वाजिब रकम के मुग्तान के निमित्त तथा मुग्तान न करने की दशा में बेदखली के लिए आसामी को नोटिस जारी किये जाने हेतु उस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा जिसने डिन्डी पारित की हो।

(३) उप-धारा (२) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय डिन्डी के अन्तर्गत देय रकम का उत्लेख करते हुए आसामी को एक नोटिस देगा जिसमें आसामी से उस रकम की नोटिस की तारीख में दो महीने के अन्दर न्यायालय में देने की अपेक्षा की जायेगी तथा रकम न दिये जाने की दशा में इस बात का कारण बताने का अवसर होगा कि उसे उसके भूमि-छात्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय और यदि बेदखली की आज्ञा दे दी जाय तो बरा उसके द्वारा किये गये चिन्हीं मुषारों के लिये कोई मुआवजा उसके हक में वाजिब होता है।

(४) यदि रकम इस प्रकार वाजिब कर दी जाय तो न्यायालय डिन्डी पर भरपाई अंकित करेगा तथा उसकी एक रसीद देगा, जो जमा की गई रकम के सम्बन्ध में अस्मिन्त-पत्र का काम करेगी, मानो वह रकम डिन्डी पारी द्वारा प्राप्त करली गई हो और उस रकम का मुग्तान डिन्डी पारी को करेगा।

(५) न्यायालय आसामी के प्रार्थना-पत्र पर,

[१] डिन्डी में अन्तर्गत देय रकम के मुग्तान की अवधि को समय समय पर बढ़ा सकेगा चिन्तु इस प्रकार बड़ाई हुई अवधि किसी भी अर्थ में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, या

[२] उक्त मुग्तान ऐसी दिनों में करने की अनुमति दे सकेगा जो यह निश्चित करे।

(६) यदि आसामी उन्मिद होता है और हक के तौर पर आवेदन करता है कि डिन्डी का निष्पादन किसी अन्य तरीके, जिसे आसामी स्पष्टतः बतावेगा, में विधिबद्ध किया जाय तो

२. भदायगी न्यायालय में की जायगी—धारा १७० (१) में दिया गया है कि भदायगी न्यायालय में की जायगी अतः यदि न्यायालय से बाहर को गई भदायगी को भूमिपारी इनकार करे तो इसकी कोई जांच नहीं की जा सकती और वेदक्षणी कर दी जानी चाहिए।

३. इजराय के लिए मियाद—अनुसूची में धारा १७० में दी गई आज्ञा की इजराय की मियाद नहीं दी गई है अतः कानून मियाद के प्रावधान लागू होंगे और तीन सान की अवधि मानी जायगी।

१७२. उपस्थित होने पर, मुआवजे (प्रतिकर) के लिये आसामी का दावा—धारा १६४ तथा १६५ में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जब आसामी धारा १६६ के अन्तर्गत, उम पर तामीन किये गये नोटिस के जवाब में उपस्थित हो तो उसने यह पूछा जायगा कि यदि उसके विरुद्ध वेदखली की कोई आज्ञा दी जाय तो क्या वह मुआर के लिये मुआवजे का दावा करता है और यदि वह ऐसा दावा करता है तो तहसीलदार उस मामले को निर्णय के लिये सब-डिबीजनल आफिसर के पास भेज देगा।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १६९ की नोटिस की तामीन में आसामी के न आने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही धारा १७० (१) के नीचे की जा सकती है, परन्तु यदि वह उपस्थित हो जाय तो तहसीलदार के लिए यह पूछना लाजिमी है कि क्या वह मुआर के लिए मुआवजे (प्रतिकर) का दावा करता है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछने पर धारा १७० के नीचे दी गई आज्ञा अवैध हो जायगी।^१

२. इस धारा का पालन न करने का प्रभाव—यदि इस धारा के उपबंधों का पालन किए बिना कोई आसामी वेदखल कर दिया जाना है तो वह धारा १८७ अथवा १८७ स्या के नीचे वापिस कब्जा पाने का हकदार है। ऐसे मामले में (Res Judicata) का प्रश्न नहीं उठेगा।^२

१७३. कुछ दशाओं में वादों और प्रार्थना-पत्रों पर रोक (१) धारा १७० की उप-धारा (२) में जैसी व्यवस्था की गई है उसके अलावा धारा १६६ के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट बकाया के सम्बन्ध में लगान की बकाया के निमित्त कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(२) किसी ऐसी बकाया के सम्बन्ध में जिनकी वसूली के लिये धारा १५० अथवा धारा १५४ के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया हो, धारा १६६ के उपबंधों के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

धारा १५४ के अन्तर्गत लगान वसूली के दो तरीके बताये गये हैं (१) दावे के द्वारा

1. वी० मुन्दरसिंह v हरिलाल, 1945 R. D. 351

2. गोविन्द बक्ससिंह v मातादीन, 1948 R. D. 98

(इजराय) का तरीका बतानी है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।^१ यह धारा किसी पूर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए लागू की जाती है।^२ उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की बकाया की डिक्रियों पर लागू होती है न कि वेदखली की डिक्रियों पर।^३ यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्री की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो वेदखली की आज्ञा रद्द कर दी जायगी सिवाय उस सूरत में जबकि भूमिधारी को बचका सौंप दिया गया हो। इस धारा के उपबंध तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की बकाया की डिक्री दो वर्ष तक बिना तकमोल के पड़ो रहे और सभी तरीके काम में ले लिये जावें। यदि बकाया लगान की डिक्री की इजराय में भूमि क्षेत्र बेच दिया जाय तो वेदखली की आज्ञा का प्रदन नहीं उगता। यदि डिक्री की रकम आंशिक रूप में वसूल हो जाय जैसा कि आसामी की सभ्यता को कुर्की व बंचान के द्वारा, तो शेष रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।^४

२. इस धारा के विपरीत वेदखली—जहां बकाया लगान की वसूली की डिक्री की इजराय में आसामी को वेद ल किए जाने की आज्ञा दे दी गई और वह भी इस धारा के खिलाफ परन्तु आसामी ने धारा १८७ अथवा १८७ एा के अन्तर्गत वापिस कब्जा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कलक्टर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती करदी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से वादर न थी और एक धार उसके अन्तिम हो जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नहीं की जा सकती।^५

३. नोटिस जारी किये जाने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६१ द्वारा शासित होगा और उस न्यायालय में पेश किया जायगा जिसने कि डिक्री दी थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्री की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेश किया जाना चाहिये।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

अपील केवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीलदार ने दी हो तो अरीज कलक्टर को होगी और सहायक कलक्टर ने दी हो तो राजस्व अरीज प्राधिकारी को।

हर सूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण हो सकेगा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी, Review) किया

१. पमरगिह v. विरेयरी, 1941 R. D. 249

२. निपादरमाय v. रतिराम, A. I. R. 1945—All. 374

३. गिरजा दयाल v. जगन्नाथ, 1943 A. W. R. 300

४. रामसेवक गिह v. मोताराम 1945 R. D. 506

५. दासदा प्रसाद v. रामपर, 1950 R. D. 79

न्यायालय इस सम्बन्ध में धर्म प्राप्ति-पत्र की घोषणा किये बिना, वेगे धर्म तरीके में डिफ्री की इजराय करने की यथाधिपि कार्यवाही करेगा।

(७) यदि घासामी उपस्थित होता है और एक के गौर पर आवेदन करता (Claims) है कि वह किसी अन्य आधार पर वेदखल किये जाने योग्य नहीं है तो न्यायालय उग का निर्णय करेगा।

(८) यदि घासामी उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता है या वह उपस्थित होता है लेकिन डिफ्री की रकम का मुगतान नहीं करता है या उप-धारा (५) के अन्तर्गत धवधि बढ़ाने के लिये धवधा बिशतों में मुगतान करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या इस प्रकार आवेदन करने पर डिफ्री की रकम का बड़ाई गई धवधि में धवधा नियत किस्तों में, मुगतान नहीं करता है या उप-धारा (५) धवधा (७) के अन्तर्गत वेदखल किये जाने का भागी न होने का दावा नहीं करता है या उप-धारा (५) के अन्तर्गत घासामी द्वारा निष्पादन का निर्दिष्ट तरीका निष्पल सिद्ध हुआ है या उपधारा (७) के अन्तर्गत उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया है तो न्यायालय यह आज्ञा पारित करेगा कि उसे उसके भूमि-क्षेत्र से वेदखल कर दिया जाय :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाहियों में रत न्यायालय यदि थ्रोणी में सहायक क्लबटर के न्यायालय से नीची थ्रोणी का है तो वह ऐसी वेदखली के लिये आज्ञा पारित नहीं करेगा लेकिन मामले को आदेश-हेतु सहायक क्लबटर की प्रेषित करेगा जो उसका अध्ययन करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाच व ऐसी और कार्यवाही जिसे वह उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उचित समझे, करने के पश्चात् या तो उस घासामी को उसके भूमि-क्षेत्र से वेदखल किये जाने के लिये आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा या अःसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से वेदखल किये जाने की आज्ञा पारित करेगा।

(९) जब उप-धारा (८) के अन्तर्गत घासामी को उसके भूमि-क्षेत्र से वेदखल किये जाने की आज्ञा पारित कर दी जाय तो उससे, यदि वह उपस्थित है, यह प्रकट करने के लिये कहा जायेगा कि क्या उसके द्वारा किये गये किन्हीं मुधारों के निमित्त उसके हक में मुपावजा धाजिव होता है और यदि वह ऐसा कोई हक प्रकट करता है या उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उसने अपने उक्त हक का पहिले कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है तो न्यायालय ऐसे मुभावजे की रकम का निश्चय करने की कार्यवाही करेगा और उसका मुगतान धारा ६५ के उपबधों द्वारा नियमित किया जायगा।

(१०) उप धारा (८) के अन्तर्गत पारित आज्ञा के अनुसारण में घासामी की वेदखली धारा १६६ तथा धारा १६८ में अन्तर्बिष्ट उपबधों के अधीन होगी।

(११) यदि घासामी वेदखली की आज्ञा किये जाने के पश्चात् एक महीने के अन्दर न्यायालय में डिफ्री की रकम को जमा करा दे तो वेदखली की आज्ञा उस दशा में जबकि उसके अनुसरण में कच्चा भूमिधारी को सौंप न दिया गया हो, रद्द कर दी जायगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अध्याय १० के अन्तर्गत दी गई डिफ्रियों के निष्पादन

(इजराय) का तरीका बताया है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।^१ यह धारा किसी पूर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए लागू की जाती है।^२ उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की वक़ायी की डिक्लीयों पर लागू होती है न कि वेदखली की डिक्लीयों पर।^३ यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्ली की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो वेदखली की आज्ञा रद्द कर दी जाएगी सिवाय उस सूरत में जबकि भूमिधारी को बच्चा सांप दिया गया हो। इस धारा के उपबंध तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की वक़ायी की डिक्ली दो वर्ष तक बिना तकमीन के पड़ा रहे और सभी नरीके काम में ले लिये जावें। यदि वक़ायी लगान की डिक्ली की इजराय में भूमि क्षेत्र बेच दिया जाय तो वेदखली की आज्ञा का प्रश्न नहीं उठता। यदि डिक्ली की रकम आंशिक रूप में बमूल हो जाय जैसे कि आसामी की सम्पत्ति को कुर्को व बेचान के द्वारा, तो दोष रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।^४

२. इस धारा के विपरीत वेदखली—जहां वक़ायी लगान की बसूली की डिक्ली की इजराय में आसामी को वेद-ल किए जाने की आज्ञा दे दी गई और वह भी इस धारा के खिलाफ परन्तु आसामी ने धारा १८७ अथवा १८७ ए के अन्तर्गत वापिस कब्जा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कन्वक्टर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती कर दी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से बाहर न थी और एक बार उसके अंतिम हो जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नहीं की जा सकती।^५

३. नोटिस जारी किये जाने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र सूचीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६८ द्वारा ग्रासित होगा और उस न्यायानय में पेन किया जायगा जिसने कि डिक्ली दी थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्ली की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेन किया जाना चाहिये।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

अरीज केवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीलदार ने दी हो तो अरीज कलक्टर को होगी और सहायक कन्वक्टर ने दी हो तो राजस्व अरीज प्राधिकारी को।

हर मूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण हो सकेगा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी, Review) किया

1. एमरगिह v. बिनेशरी, 1941 R. D. 249

2. निवाहरण v. रतिराम, A. I. R. 1945—All. 374

3. गिरजा दयाल v. जगन्नाथ, 1943 A. W. R. 300

4. रामनेशन गिह v. मोनाराम 1945 R. D. 506

5. दासदा प्रसाद v. रामपर, 1950 R. D. 79

जा सकेगा और जब एक पक्षीय^१ आज्ञा दी गई हो अथवा जब मृत आसामी के विधिक प्रतिनिधियों को बिना सूचना बेदखल किया जाने की आज्ञा दी गई हो^२ अथवा जहां अनियमितता में तामोले कराई गई हों तो पुनरावलोकन के आवेदन पत्रों पर उदात्तार्थक विचार किया जाना चाहिये।^३

१७५. अर्थ अन्तरण (Transfer) या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली—(१) यदि कोई आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का एक अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य न करने हुए अन्य प्रकार से अन्तरण करदे या उसे शिकमी-पट्टे पर दे दे और ऐसे अन्तरण या शिकमी-पट्टे के अनुसरण में उक्त अन्तरित या शिकमी-पट्टाधारी उक्त भूमि-क्षेत्र या उक्त हिस्से में प्रवेश कर ले या उस पर कब्जा करले तो दोनों उक्त आसामी एवं वह व्यक्ति जिसने इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी हिस्से को प्राप्त कर लिया हो अथवा उक्त सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा जिसके कब्जे में हो, भूमियारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस क्षेत्र से बेदखल किये जा सकेंगे जो उक्तहोए अन्तरित या शिकमी-पट्टे पर दिया गया है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में अन्तरित या शिकमी-आसामी, यथास्थिति, पक्षकार बनाया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि, जो नोटिस में ब्यक्त की जाय के भीतर उपस्थित होने तथा कारण प्रकट करने का आदेश होगा कि उसको उस क्षेत्र में बेदखल क्यों न कर दिया जाय जो इस प्रकार अन्तरित या शिकमी-पट्टे पर दिया गया है।

(४) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विपक्षी उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क दिये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को एक वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि किसी वाद में :

किन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि विपक्षी उक्तहोए उपस्थित नहीं होता है या यदि वह उपस्थित होता है परन्तु बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१-विषय—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को केवल धार

१. टीकासिंह v. सुवालसिंह, 1941 R. D. 472

२. सुमारसिंह v. रावतराजकुमार सिंह, 1928 R. D. 699

३. सह v. मुन्दरलाल, 1927 R. D. 527

४१ में ४७ के अनुसार ही अन्तरित कर सकता है अथवा उप-पट्टे (गिकमी-पट्टे) पर दे सकता है। इन उपबन्धों के विरुद्ध किया गया अन्तर्गण अर्पण होता है और अन्तरण कर्ता तथा जिमको बट्टा दिया जाय वह व्यक्ति इस धारा में बनाई गई शर्तियों के भागी है। यदि दावे की तारीख को अन्तरित अथवा उप आसामी का बट्टा न हो तो इस धारा के नीचे कार्यवाही नहीं चल सकती।^१ इसी प्रकार जब तक इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में किसी का बट्टा भूमि-क्षेत्र पर नहीं हो जाता तो बेदमली का दावा नहीं किया जा सकता।^२ यदि इस धारा में बताई गई बातें पूरी हो जायें तो बेदमली की आज्ञा दी जानी चाहिए।^३

२-प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दिया जाने वाला आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६६ द्वारा शासन होगा और सहायक क्लर्क के न्यायालय में पेश किया जाएगा। यदि आवेदन-पत्र का विरोध किया जाय तो उसे दावे की तरह मान लिया जावेगा।

ऐसे आवेदन-पत्र पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

ऐसे आवेदन-पत्र के लिए अर्पण अन्तर्गण अर्पण गिकमी पट्टे पर दिये जाने की तारीख में तीन साल की है परन्तु यदि मुख्य आसामी द्वारा दावा पेश होने से पहिले बट्टा वापिस ले लिया जाय तो दावे का कारण नहीं रहेगा और दावा अमफल हो जावेगा।^४

सहायक क्लर्क की आज्ञा के विरुद्ध एक ही अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होगी। परन्तु यदि हिस्से दी जानी है तो दूसरी अपील राजस्व बोर्ड को होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगा परन्तु जहां राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होनी हो वहां पुनरीक्षण नहीं होगा।^५

१७६. धारा १७५ के अन्तर्गत हिस्से अर्पण आज्ञा—(१) धारा १७५ के अन्तर्गत किसी हिस्से या धारा में किसी आसामी को तथा उसके अन्तरित या गिकमी पट्टाधारी को उन भूमि-क्षेत्र में बेदमली किये जाने का निर्देश दिया जा सकेगा जो इन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य न करते हुए अग्यथा अन्तरित किया गया हो या गिकमी-पट्टे पर दिया गया हो।

(२) ऐसी हिस्से या धारा में यह भी निर्देश किया जा सकेगा कि उक्त हिस्से या धारा

1. मीकोनाम v. मु० कोशन्दा, (अपील नम्बर 11-1942-43.)

2. रुपरीरनिह v. बाबुराम, 1944 R.D. 245.

3. निबनारायण v. नारायणनिह, 1943 R.D. 406.

4. टेकचामनिह v. सामनिह, 1944 R.D. 159.

5. हरना v. स्टेट, 1966 R.R.D. 6.

कार्य के प्रतिरिक्त किसी के हेतु निर्धारित नहीं की जायगी यदि उस द्विती या तृतीया की शारीर में तीन महीने के अन्दर या ऐसी अवधि के अन्दर जिनकी न्यायालय, कारणों का उत्प्रेषण करते हुए, अनुमति दे, वह मुद्रापत्र दे दिया जाय जिसे न्यायालय द्विती या तृतीया में निर्दिष्ट करे।

१७७. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण वेदखली—(१) आसामी भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर नीचे लिखे आधारों पर अपने भूमि-क्षेत्र से वेदखली किया जा सकेगा—

- (क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की मूल के आधार पर जो उस भूमि-क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की अवगति में हो जिसके लिए उस भूमि-क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो, या
- (ख) इस आधार पर या कि उसने या उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विनियम के अनुसार वेदखली किया जा सके जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वृद्ध लगाना या कोई मुद्रापत्र करना, इस धारा के अन्तर्गत वेदखली का आधार नहीं होगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में आसामी के मार्फत रक्त्वा का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहाँ वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः आसामी के अन्तर्गत या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य, या मूल या शर्त-भंग पर आधारित हो वहाँ उक्त अन्तर्गत या शिकमी पट्टा धारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-क्षेत्र से वेदखली नहीं कर दिया जाय, कारण बताने का आदेश होगा।

(४) यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उपस्थित होता है और वेदखली दिये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद-पत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में :

किन्तु सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन वेदखली दिये जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१. विधाय—धारा १७५ में आसामी के अवैध रूप से अन्तरण अथवा शिकमी

पट्टा कर देने पर उसे बंदखल किये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि क्षेत्र पर हानिप्रद कार्य करने अथवा गती भंग करने वाला कोई कार्य करने पर बंदखली का भागी बनाया गया है।¹ परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अभ्यायी विस्म का हो तो आसामी बंदखली का भागी नहीं होगा।² वृक्ष लगाना अथवा इन अधिनियम के अनुसार कोई मुधार का कार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं कहलाया जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का तरीका वैसा ही है जैसा धारा १७५ के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर खड़े खोदने और ईंटें बनाने के कार्यों को रोकने का व्यदेश (injunction) जारी हो जाय और उसकी तामील नहीं होने पर आर्डर २३ नियम २ (३) सी.पी.सी. के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इस अधिनियम की धारा २१२ और १७७ से अन्तर्गत नहीं है।³

२. प्रक्रिया—हानिप्रद कार्य करने अथवा गती भंग के आधार पर बंदखली का आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद्र नम्बर ६७ द्वारा शामिल होगा और सहायक कन्वक्टर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही न्यायालय उस पर विचार करेगा।

ऐसे आवेदन पत्र की मियाद हानिप्रद कार्य अथवा गती भंग की तारीख से तीन मान की है। उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में मान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कन्वक्टर की आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपील हो सकेगी जो राजस्व अधीन प्राधिकारी के यहाँ होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और डिक्री दे दी जाय तो सहायक कन्वक्टर डांग दी गई डिक्री की पृथ्वी अधीन राजस्व अधीन प्राधिकारी के यहाँ और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। राजस्व अधीन प्राधिकारी द्वारा अधीन में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा परन्तु जब राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होती हो तो पुनरीक्षण नहीं होगा।

१७८. धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा—(१) धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा में किसी आसामी को या तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में अथवा उसके किसी हिस्से में अथवा न्यायालय उस मामले की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश दे, अथवा निदेश देने का निदेश हो सकेगा।

(२) ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निदेश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसके विषये न्यायालय आग्रह विव कर अनुमति दे, टूट-फूट की मरम्मत करवावे, या ऐसे मुआवजे का सुझाव कर दे जो

1. पयात्रणाद v. स्टेट, 1955 R.R.D. 41.

2. रामधारी v. दिवंगतर, 1942 R.D. 819.

3. सर्वदात्रणाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25.

गर्भ के प्रतिरिक्त किसी के हेतु निर्वाह नहीं की जायगी यदि उक्त दिवसी या आभा की तारीख में तीन महीने के अन्दर या ऐसी अवधि के अन्दर जिनकी स्थापना, कारणाँ का उन्मेष करते हुए, अनुमति दे, वह सुधारा दे दिया जाय जितो न्यायालय दिवसी या आभा में निर्दिष्ट करे।

१७७. हानिप्रद कार्य या दत्त भंग के कारण बेदखली—(१) आसामी भूमिधारी के प्रावेदन-पत्र पर नीचे लिखे प्राधारों पर अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा—

- (क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की मूल के आधार पर जो उक्त भूमि-क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उक्त प्रयोजन की अवधि में हो जिसके लिए उक्त भूमि-क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो, या
- (ख) इस आधार पर या कि उसने या उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी दत्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विधियों के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वृद्ध लगाना या कोई सुधार करना, इन धारा के अन्तर्गत बेदखली का आधार नहीं होगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रावेदन-पत्र में आसामी के मार्फत रक्त्त का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः आसामी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य, या भूल या दत्त-भंग पर आधारित हो वहां उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टा धारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत प्रावेदन-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विाक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय कारण बताने का आदेश होगा।

(४) यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उपस्थित होता है और बेदखल होने के दावित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस प्रावेदन-पत्र को वाद-पत्र समझेगा और उस मामले में उगी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में :

किन्तु सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, सहृत्तिलदार द्वारा प्रावेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन बेदखल किये जाने के दावित्व का विरोध नहीं करता है तो न्यायालय प्रावेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१. विाध—धारा १७५ में आसामी के अवैध रूप से अन्तरण अथवा शिकमी

पट्टा कर देने पर उसे बंदखल किये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि क्षेत्र पर हानिप्रद कार्य करने अथवा गर्त भंग करने वाला कोई कार्य करने पर बंदखली का भागी बनाया गया है।^१ परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अथवा कोई किस्म का हो तो आसामी बंदखली का भागी नहीं होगा।^२ वृक्ष नगाना अथवा इन अधिनियम के अनुसार कोई सुधार का कार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं कहलाया जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का तरीका वैसा ही है जैसा धारा १७५ के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर खड़े खोदने और ईंटें बनाने के कार्यों को रोकने का आदेश (injunction) जारी हो जाय और उसकी तामीन नहीं होने पर आर्डर ३६ नियम २ (३) सी.पी.सी. के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इन अधिनियम की धारा २१२ और १७७ से अन्तर्गत नहीं है।^३

२. प्रथमा—हानिप्रद कार्य करने अथवा गर्त भंग के आधार पर बंदखली का आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६७ द्वारा गारंजित होगा और सहायक कन्वक्टर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही न्यायालय उस पर विचार करेगा।

ऐसे आवेदन पत्र को मियाद हानिप्रद कार्य अथवा गर्त भंग की तारीख से तीन मास की है। उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में मान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कन्वक्टर की आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपील हो सकेगी जो राजस्व प्रवीन प्राधिकारी के यहां होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और डिप्टी डे दी जाय तो सहायक कन्वक्टर द्वारा दी गई डिप्टी की पहली अपील राजस्व प्रवीन प्राधिकारी के यहां और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। राजस्व प्रवीन प्राधिकारी द्वारा अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा परन्तु जब राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होती हो तो पुनरीक्षण नहीं होगा।

१७८. धारा १७७ के अन्तर्गत डिप्टी या आज्ञा—(१) धारा १७७ के अन्तर्गत डिप्टी या आज्ञा में किसी आसामी को या तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में अथवा उसके किसी हिस्से में अथवा न्यायालय उस मामले को तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश दे, बंदखल किये जाने का निदेश हो सकेगा।

(२) ऐसी डिप्टी या आज्ञा में यह भी निदेश होगा कि अगर आसामी डिप्टी या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अपील अथवा के भीतर इसके किये न्यायालय द्वारा नियम कर अनुमति दे, टूट-फूट की मरम्मत करवावे, या ऐसे सुझावों का मुकदान कर दे जो

१. मयादास v. स्टेट, 1955 R.R.D. 41.

२. राधादासी v. मिशनर, 1942 R.D. 819.

३. मर्दानास v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25.

न्यायालय उचित समझे तो दिनी या आमा का हस्तगत वे चलारा अन्य किमी के लिये निष्पादन नहीं किया जायगा।

१७९. मुआवजे (प्रतिफल, Compensation) भाति के लिये धाद—धारा १७७ में किमी बात के होते हुए भी भूमि-धारी बेदखली का मोटिंग जारी करना या बेदखली के मोटिंग हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के यजाय—

(क) मुआवजे के लिये, या

(ख) मुआवजे सहित या बिना मुआवजे के निष्पादा के लिये, या

(ग) मुआवजे सहित या बिना मुआवजे के टूट-फूट या अगव्य की मरम्मत के लिये दावा कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में भूमि धारी को बेदखली के रफान में इसमें बताए गए तीन अनुतोषों (दादरसी, Relief) में से किसी के लिए दावा करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इस धारा के अनुबन्धों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कि बेदखली नहीं चाही जावे। इस प्रकार इस धारा के नीचे वृक्षों को काटने पर हरजाने का दावा नहीं लाया जा सकता जब कि वादी वृक्षों में अपना मालिकाना हक बताता हो।^१ धारा १८८ में व्यादेश (Injunction) का दावा इस धारा के नीचे किए गए दावे से भिन्न है। भूमि धारी धारा १८८ के नीचे दावा नहीं कर सकता। जब तक दावा १७७ के उपबन्धों में नहीं आता वह इस धारा के नीचे पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा दावा केवल आसामी के विरुद्ध ही किया जा सकता है—किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं।^२

२. प्रक्रिया—मुआवजे, अगव्य इत्यादि के लिए दावा नृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २२ द्वारा शासित होता है और सहायक क्लवटर के न्यायालय में पेश किया जायगा।

इसकी मियाद हानि, अगव्य या शर्त भंग की तारीख से एक साल की है।

दावे पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक क्लवटर की आज्ञा को पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के महा होंगी। दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में होगी।

चू कि दूसरी अपील होगी अनः पुनरीक्षण नहीं होगा।

+ १८०. सुदकाश के आसामियों या गैर आतेदार आसामियों या शिकमी आसामियों की बेदखली के लिये अतिरिक्त उबध—कोई सुदकाश का आसामी या गैर-आतेदार आसामी या

१ देसा v. धूमसिंह, A.I.R. 1935 All. 453.

२. मु० महाराजी v. नाया, 1958 R.R.D. 161.

+ राज० अधि० सख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

शिकमी आसामी, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर वेदपत्र किया जा सकेगा, अर्थात्

(क) ऐसे आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा उस जिले या जिले के उस भाग जिनमें वह भूमि स्थित है, के लिये निर्धारित सूततम क्षेत्रफल से अधिक है और उस अधिक क्षेत्रफल से बेदखली भूमिधारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत कृषि के प्रयोजनार्थ चाही गई है :

किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे आसामी या शिकमी आसामी की शुद्ध वास्तविक आय, उसके तथा उसके कुटुम्ब द्वारा किये गये परिश्रम के मूल्य के अतिरिक्त ₹२०० रुपये हो जाय भिन्न-भिन्न जिलों या जिले के भिन्न-भिन्न भागों के लिये भिन्न-भिन्न सामान्य निर्धारित की जा सकेंगी ।

+ (ख) वह वर्ष प्रति वर्ष भूमिधारण करने वाला आसामी या शिकमी-आसामी है :

परन्तु कोई आसामी या शिकमी आसामी जो आठ वर्षों में भूमि वर्ष-प्रति वर्ष धारण करता है, इस लण्ड के अन्तर्गत वेदपत्र नहीं किया जा सकेगा :

स्पष्टीकरण—लण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ किसी आसामी या शिकमी-आसामी में जो वर्ष-प्रति वर्ष भूमिधारण करता है, ऐसा आसामी या शिकमी-आसामी सम्मिलित होगा जो पट्टे या उप-पट्टे के समापन (determination) के पश्चात् भूमि पर बन्ना रखे और पट्टा-दाता या उसका वर्ष प्रतिनिधि आसामी या शिकमी-आसामी से सगान के लेता है या अन्यथा उसके द्वारा बन्ना बनाये रखने के प्रति सहमति प्रकट करता है ।

(ग) इस अधिनियम के पारम्भ के पश्चात् धारा ४५ के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये पट्टे या शिकमी पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है या वर्तमान कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जायगी और भूमिधारी उस भूमि को व्यक्तिगत कृषि के लिये लेने की चपेला करता है ।

(घ) वह भूमि सन् १९४८-४९ के कृषि वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती लगातार पाँच वर्ष तक भूमिधारी की व्यक्तिगत कृषि के अन्तर्गत थी तथा उस वर्ष के दौरान में या उसके पश्चात् एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे या शिकमी पट्टे पर दे दी गई थी और यदि राजस्वान (प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स) ऑर्डिनैन्स १९४९ (राज. ऑर्डिनैन्स ६ ऑफ १९४९) के उपबन्धों के अन्तर्गत उक्त पट्टा या शिकमी-पट्टा समाप्त हो गया होता तथा आसामी या शिकमी आसामी उस भूमि का बन्ना अपने भूमिधारी को लौटा देने का भाग्य हो जाता यदि उसी दौरान में, उस आसामी या शिकमी-आसामी ने किसी कानून के अन्तर्गत उक्त पट्टे या शिकमी पट्टे की अवधि में गौधारी अधिनार प्राप्त न कर लिये हों :

किन्तु भूमिधारी, लण्ड (घ) के अन्तर्गत वेदपत्रों का आदेश पाने का अधिकारी नहीं होगा जब तक वह उक्त भूमि को अपनी व्यक्तिगत कृषि के लिये न चाहता हो जिनसे वेदपत्रों का आदेश प्राप्त जाता है और जब तक कि उक्त भूमि लण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए स्थित सूततम भू-क्षेत्र से अधिक न हो ।

+ राजस्वान अधिनियम सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ [किन्तु यह धीर है कि ऐसा भूमिपारी जिनके पास व्यक्तिगत जूनि में उगने लिये अनुमत अधिकतम भूमि के बराबर है, भी ज़िगी आसामी को खण्ड (घ) के अंतर्गत वेदखल किये जाने की आज्ञा पाने का हकदार नहीं होगा और ऐसा भूमिपारी जो कम भूमिधारण करता हो, केवल उस क्षेत्र से वेदखल किये जाने की आज्ञा प्राप्त करने का हकदार होगा जो, उस भूमि से मिलने पर जो उसके पास पहिले से है, उसके लिये अनुमत अधिकतम भूमि-क्षेत्र में अधिक नहीं हो।]

+ + [(१—क) कोई आसामी जो राजस्थान राजस्व विधियों (विस्तार) प्राविनियम १९५७ के प्रारम्भ से पहिले, लागू क्षेत्र में भूमि धारण करता हो, उप-धारा (१) में वर्णित आसामी में से किसी आकार पर, मियाद समाप्त हो जाने के कारण धपवा यदि वह, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, बम्बई टिनेसी एण्ड एग्जिक्चिवरल लेण्ड्स एक्ट १९५८ की धारा ३२ के अर्थात्तगत अपनी भूमि का क्रोडा मान लिया गया था, वेदखली का भागी नहीं होगा।]

(२) राज्य सरकार उन मामलों में अग्रनाई जाने वाली कार्य प्रणाली निर्धारित करेगी जिनमें आसामियों अथवा शिकमी-आसामियों की मर्यादा एक से अधिक है या जिनमें आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल उस भूमि के क्षेत्रफल में अधिक है जिससे वेदखल किये जाने की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के अंतर्गत आज्ञा चाही जा सकती है।

टिप्पणी

बिषय :— इस धारा में खुदकास्त के आसामी, गैर खातेदार आसामी, अथवा उप-आसामी (शिकमी) की वेदखली के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए गए हैं। धारा १८१ व १८२ में वह प्रक्रिया दी गई है जो इस धारा के अंतर्गत दिए गए आवेदन-पत्र के निपटारे के लिए अग्रनाई जायेगी। इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र ऐसे सह भागीदार (Co-Sharee) के विरुद्ध नहीं दिया जा सकेगा जो कि अपने हिस्से से अधिक भाग पर कब्जा किए हुए है।^१

इन धारा के नीचे वेदखली तभी हो सकेगी जब कि इसकी उप-धाराओं में से किसी के नीचे आवेदन-पत्र दिया गया हो और वेदखल किए गए आसामी को राहत अपील या पुनरीक्षण के द्वारा ही मिल सकती है न कि धारा १८७, १८७ का, १८७ खा के नीचे दावे के द्वारा। यह धारा उपवन धारियों पर लागू नहीं होगी। यह धारा तब भी लागू नहीं होगी जब कि आसामी अथवा शिकमी आसामी की संविदा (मुवाहिदा) स्थापित नहीं होती। इस धारा के नीचे कार्यवाही में सूत का भार वादी पर होगा।^२ खण्ड (क) और (घ) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब

+ रा० अ० १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ + रा० अ० २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट।

1. इन्दरलाल v. दाऊजी, 1908, 4 A. L. J. 1.

2. जगनदन v. भीका, 1959 R. D. 277

तक कि राज्य सरकार ने किसी जिले या उसके किसी भाग में भूमि की औसत कीमतें अधिमूचित नहीं कर दी हैं।

इस धारा के नीचे वेदखली चाहने वाले आसामी के लिए आवश्यक है कि वह अपना मामला इस धारा के किसी खण्ड के अंतर्गत होना साबित करे।^१ यदि उस बीच में गिबमी आसामी अथवा आसामी को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के नीचे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो इस धारा के नीचे वेदखली की आज्ञा नहीं दी जा सकती।^२

मिवाद:—खण्ड (क) और (घ) के नीचे आवेदन-पत्र इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर पेग होना चाहिए। उसके पश्चात् धारा १२२ (क) के कारण आवेदन-पत्र वर्जित हो जायगा। खण्ड (ख) और (ग) के नीचे आवेदन-पत्र देने की मिवाद एक वर्ष है—वाद कारण की तारीख से।

प्रतिया:—उस धारा के नीचे आवेदन-पत्र सहायक बलबटर के यहाँ पेग होगा और स्थानीय अनुसूची के भाग २ के मद संख्या ६० (१) (२) से शासित होगा।

न्यायालय शुल्क २५ पैसे का लगेगा। जब उसका विरोध किया जाय तो उसे दावे की भांति समझा जायगा और उसी के अनुसार उस पर फीस लगेगी।

अपीन राजस्व अपीन प्राधिकारी के यहाँ होगा। दूसरी अपीन नहीं हूँगी। दिल्ली की सूरत में पहली अपीन रा० अ० प्रा० को व दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। जहाँ दूसरी अपीन है वहाँ पुनरोक्षण नहीं होगा।

१८१—आवेदन-पत्र और नोटिस:—(१) धारा १८० के अंतर्गत वेदखली में दिये जावेदन-पत्र १ जुलाई और १० नवम्बर के बीच में दिया जायगा और उसके अर्थात् वाच्य समय में नहीं।

(२) उन-धारा (१) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में यह ब्याखार बताया जायगा जिस पर वेदखली के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(३) पूर्वगामी उन-धाराओं के अनुसार आवेदन-पत्र दिये जाने पर एक नोटिस, निर्दिष्ट शुल्क देने पर, आसामी या गिबमी-आसामी पर निर्धारित रीति से, तार्किक किया जायगा जिसमें उसे यह सूचना दी जायेगी कि यदि वह वेदखली का विरोध करना चाहे तो, उसे चाहिए कि उन पर नोटिस नामोक्त दिये जाने की तारीख से १० दिवस के अन्दर नोटिस के विरोध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे।

टिप्पणी

१ जुलाई से १० नवम्बर के बीच में आवेदन-पत्र पेग करने का प्रावधान बाध्यकारी

1. कसबा v. राज्य सरकार, 1961 R. L. W. 479

2. चार्मिनट v. टाडुनिया, 1958 R. R. D. 17; लक्ष्मणसिंह v. देवबंसिंह, 1965 R. R. D. 397

नहीं है और दावे के लिए घातक नहीं है विशेषकर तब जब कि आपत्ति नहीं उठाई गई हो। धारा १८१ व १८४ के प्रावधान आसामी और शिकमी आसामी के अधिकारों के सुरक्षा के लिए हैं। इस प्रकार धारा १८१ के उपबन्ध आसामी द्वारा अभिरक्षित किए जा सकते हैं और उनका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कि वे अभिरक्षित नहीं कर दिए गए हों।¹

१८२. नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् की कार्यवाही — (१) यदि कोई आसामी या शिकमी-आसामी जिस पर धारा १८१ के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाय, उपस्थित होकर वेदखली के दायित्व को स्वीकार कर ले तो न्यायालय उसकी वेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा लेकिन वह किसी सचों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(२) यदि आसामी या शिकमी-आसामी ऐसे नोटिस में निर्धारित की गई अवधि में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसकी वेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा।

किन्तु ऐसा आसामी या शिकमी आसामी ऐसी आज्ञा की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आज्ञा को निरस्त किये जाने हेतु, आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह न्यायालय को इस बात से सतुष्ट कर दे कि या तो उस पर नोटिस तामील नहीं किया गया था या नोटिस में त्रुटि अवधि में उपस्थित न हो सकने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण थे तो न्यायालय उस आज्ञा को निरस्त कर देगा और उस आवेदन-पत्र की एतदोपरान्त निर्धारित तरीके से मुनवाई करेगा।

(३) यदि आसामी या शिकमी-आसामी निर्धारित अवधि में उपस्थित होता है और वेदखली किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-दुल्क का भुगतान करने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में।

किन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में, कोई न्यायालय-दुल्क देय नहीं होगा।

(४) इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई डिक्री या आज्ञा पर धारा १७८ की उप-धारा (१) के उपबन्ध लागू होंगे।

+ [(५) जहाँ कोई भू-सम्पत्तिधारक जो सच की सहायता से सदाशिव सेनाधीन रहा हो, अपने खुदकाश्त-आसामी या गैर-खातेदार आसामी की वेदखली चाहता हो अथवा जहाँ कोई खातेदार आसामी ऐसा सदस्य होने की दशा में, अपने शिकमी-आसामी की वेदखली, धारा १८० की उपधारा (१) के खण्ड (क) अथवा (घ) के अन्तर्गत चाहता हो, तो उन खण्डों के परन्तुको में या धारा १९ में किसी बात के अन्तर्गत होते हुए भी न्यायालय उक्त डिक्री के अरिये यह निर्देश दे सकेगा कि खुदकाश्त-आसामी या गैर-खातेदार आसामी अथवा यथास्थिति शिकमी-आसामी, अपनी सम्पूर्ण भूमि से अथवा यथास्थिति, उसके किसी हिस्से से, वेदखली

1. करणसिंह v. राजस्व बोर्ड, 1962 R. L. W. 178

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

किया जायेगा यदि उसका भूमि-क्षेत्र उक्त भू-सम्पत्तिधारक या उक्त म्यानेदार-आगामी के लिये अनुमत अधिकतम भूमि क्षेत्र में अधिक नहीं है।]

→ १८२-क. धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रायोजना-पत्रों के लिये समय की अवधि—धारा १८० के खण्ड (क) या खण्ड (घ) के अन्तर्गत वेदपत्रों का कोई प्रायोजना-पत्र नहीं लिया जायेगा यदि वह इन अधिनियम के प्रारम्भ होने से [तीन] + वर्ष बीतने के पश्चात् दिया जाता है।

× [परन्तु जहाँ भूमि किसी गैर म्यानेदार आगामी या मुदकाशन-आगामी या किसी किसी आगामी द्वारा, धारा ४६ में बताये हुए स्थितियों में से किसी से लेकर धारण की हुई हो, वेदपत्रों के निमित्त उक्त आवेदन-पत्र, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अथवा उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर जिसको उस धारा के अन्तर्गत विचारित नियोग्यता दूर हो जाय, दोनों तारीखों में जो भी पश्चात्तवर्ती हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।]

§ १८२-ग. व्यक्तिगत कान्त के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना—(१) यदि भूमि धारो, जिनके अनुरोध पर या जिनके प्रायोजना पत्र पर धारा १८० के खण्ड (क) या खण्ड (घ) के अधीन किसी भूमि से वेदपत्र किया जाने का आदेश दिया जाय, ऐसी भूमि को, वास्तविक वेदपत्रों की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक स्वयं कान्त करने में विफल रहता है, वेदपत्र निम्ने गये व्यक्ति को—

(१) भूमि, जिनमें वह वेदपत्र किया गया था, लौटाने के लिये,

[२] ऐसी भूमि में म्यानेदारी अधिकारों तथा गुधारों में अधिनारों की अवाप्ति के लिये, या

[३] दोनों, लौटाने या सर्जन, के लिये आदेशन करने का अधिनारी होगा।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत किसी भूमि में म्यानेदारी अधिकारों तथा गुधारों में अधिकारों की अवधि के लिये दिये प्रायोजना-पत्र पर धारा २० में धारा ३० तक के उपबन्ध लागू होंगे मानों वह धारा १९ के अन्तर्गत दिना द्वारा प्रायोजना-पत्र हो।

∴ १८३. कतिपय अधिनियमों की वेदपत्रों—(१) इन अधिनियम के किसी उपबन्ध में कोई विपरीत बात पञ्चविष्ट होने हुए भी कोई अधिनियम जिनमें किसी भूमि को कान्त में बिना वेद अधिनार के ले लिया है या रखा है, उन व्यक्ति या उन व्यक्तियों के आदेश पर जो उक्त आगामी के रूप में स्वीकार करने के हवदार हैं, उप-धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वेदपत्रों का भागी होंगा और माय ही प्रत्येक व्यक्ति वर्ष जिसमें उमने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग

→ राब० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

+ राब० अधि० संख्या १४ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राब० अधि० संख्या १२ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

∴ राब० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

∴ राब० अधिनियम संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

मे इस प्रकार बन्ना रता हो, के निचे दारित के तीर पर ऐसी रकम देने का भी भागी होगा जो वायिक सगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

(२) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर चारण की हुई हो या त्रिम पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमों को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राज० एक्ट १५ तन् १९५६) की धारा ६१ के उपबन्धों के अनुसरण में कार्यवाही करने को अप्रमत्त होगा।

टिप्पणी

प्रारम्भिक—इस धारा में अतिक्रमियों की बेदखली के सम्बन्ध में लिए गए उपाय दोष पूर्ण है। इस अधिनियम में अतिक्रमों की दृष्टिगत और अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है यदि उसे मियाद की अवधि में भूमि से बेदखल नहीं किया जाता इस प्रकार यदि बेदखली की डिक्ली होने पर उसे मियाद के अन्दर बेदखल नहीं किया जाता तो अतिक्रमों को उस व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। परिणामतः जो व्यक्ति अतिक्रमों को आसामी को तरह स्वीकार कर सकता था उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगे। भारतीय परिसीमा अधिनियम में यह अवधि बारह साल की है और यदि इस अवधि में बेदखली नहीं कराई जाती तो अतिक्रमों को मूल व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे। दूसरे शब्दों में मूल व्यक्ति के अधिकारों के अत्रसलन पर गलत काम करने वाले व्यक्ति को सही हक प्राप्त हो जावेंगे।^१ राजस्व बोर्ड राजस्थान ने भी यही मत प्रगट किया है।^२

१. यू० पी० टिनेन्सी एक्ट १९३६ की धारा १८० में इसमें विचित्रा जुचन प्रावधान है परन्तु उसमें मियाद की अवधि पूरी होने पर अतिक्रमों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बना दिए गए हैं।

इस धारा में भूमिधारियों और राज्य सरकार की भूमि में कोई अन्तर नहीं रखा गया है इसलिये सरकारी भूमि की सूत्र में भी उपरोक्त परिणाम निकलेंगे।

२. विषय—पूर्ववर्ती धारा उन आसामियों, शिकमी आसामियों अथवा खुदकास्त के आसामियों के बेदखली से सम्बन्धित है जो कानून के अनुसार भूमिधारण कर रहे हैं। यह धारा उन अतिक्रमियों को बेदखली से सम्बन्धित है जो भूमिधारी की सहमति के बिना भूमिधारण करते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार का अधिकार धारण करने का बहाना करते हैं वे भी इसके नीचे बेदखल किए जा सकते हैं। इस धारा के नीचे उपाधि (Title, हक) की जाच की जानी चाहिये और यदि यह पाया जाय कि प्रतिवादी को कोई हक (Title) नहीं है तो उसके विरुद्ध दावे की डिक्ली होनी चाहिये।^३ इस धारा में न केवल उन

१. हेमचन्द्र v प्यारेलाल, 1942 P.C 64.

२. छुगराज v. स्टेट, 1955 R.L.W. (R.S.) 34.

३. रघुनाथ प्रसाद v मोहम्मद नोह, 1942 R.D. 636.

अधिकारों की वेदखली के लिए प्रावधान है जिनका कब्जा प्रारम्भ से ही अर्बव है परन्तु उनकी वेदखली के लिए भी है जो जो भूमिधारी द्वारा बाहर निकलने लिए कहे जाने पर भी अगना कब्जा बनाए रखते हैं।^१ इस धारा के नीचे नुकसानी (Demages) मात्र के लिए दावा नहीं चल सकता यदि भूमि पर प्रतिवादो का कब्जा नहीं है।^२ अतिक्रमी की परिभाषा धारा ५ (४४) में दी हुई है।

जहां पर न तो वादी ने कोई प्रायना सजा के लिए की और न नीचे की अदालत ने कोई सजा (Penalty) तजबोज की तो वहां राजस्व बोर्ड के लिए कोई सजा तजबोज करना उचित नहीं था।^३ इस धारा के नीचे अतिक्रमी को वेदखली कराने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसे वादग्रस्त भूमि पर दूसरे व्यक्ति को आसामी की तरह स्वीकार करने का हक प्राप्त था।^४

३. प्रशिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक कलक्टर के न्यायालय में किया जावेगा और वह कृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २३ द्वारा गमित होगा।

दावे पर न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

इसकी मियाद वाद का कारण उत्पन्न होने की तारीख में बारह साल की है।

सहायक कलक्टर की डिक्को के विरुद्ध पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और यदि स्वामित्व के हक का कोई प्रदन नहीं हो तो दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में होगी बरना पहली अपील सक्षम सिविल अपील न्यायालय में होगी जिसे कि स्वामित्व के हक का निर्णय करने वाले न्यायालय की अपीलें मुक्तने का अधिकार है। यदि पहला अपील न्यायालय जिला न्यायालय ही तो दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होगी।

नूँकि अपील राजस्व बोर्ड में अथवा हाईकोर्ट में होगी अतः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

वेदखली का प्रवर्तन

१८४. प्रवर्तन का समय—(१) वेदगमी की आज्ञा या डिक्को के निष्पादन में कब्जा बिगो की वयं में पन्द्रह अग्रेल के पहिले अथवा तीस जून के बाद, नहीं दिया जावेगा।

(२) पूर्ववर्ती पन्द्रह मार्च के पहिले निष्पादन के निमित्त दिये गये प्रायना-पत्र के संबंध में पारित कब्जा दिये जाने की आज्ञा पर अथवा धारा १७१ या धारा १८३ के उपबंधों के अधीन पारित वेदगमी की आज्ञा पर, इन धारा की कोई बात लागू नहीं होगी।

टिप्पणी

इन धारा के उपबंध निरस्त अधिनियमों के नीचे दी गई डिक्को पर भी लागू

1. नारायणराव v. किलनकुमार, 1944 A.W.R. 212.
2. गीतगर् v. उमेशगिह, 1966 R.R.D. 236.
3. हरनारायण v. राजस्व मंडल, 1966 R.R.D. 31.
4. पृथ्वी v. किलनराव, 1966 R.R.D. 328.

होगे अगर उनकी इजरायम इस अधिनियम के नीचे कारवाई जाय।¹ यदि घेदगली की कार्यवाही निरस्त अधिनियमों के नीचे प्रारम्भ हो चुकी हो तो ये उन्हीं अधिनियमों के नीचे चालू रखे जायेंगे।²

१८५ डिग्री या आजा के निष्पादन का तरीका—(१) सिवाय उनके जंगे कि धारा १८४ में अथवा व्यवस्था की हुई हो, घेदगली की प्रत्येक डिग्री या आजा का प्रवर्तन निश्चित प्रक्रिया सहित १९०८ (सेण्ट्रल अधिनियम ५, १९०८) में अथवा गणपति के कब्जे के निष्पादन संबंधी उपबंधों के अनुसरण में किया जायगा।

(२) प्रत्येक सिविली पट्टाधारो या हस्तान्तरितो जिसका हित उक्त भूमिधारी या हस्तान्तरकर्ता की बेदखली होने पर प्रभावित हो जाय, घेदगली की डिग्री या आजा के निष्पादन हेतु निर्णीत-प्रणाली समझा जायगा परन्तु जब तक कब्जा देने में अयरोप या बाधा नहीं पहुँचाये, खर्च का भागी नहीं होगा।

१८६. + विलुप्त—

+ [१८७. अवैध बेदखली का प्रतिकार—(१) कोई आसामी जो तत्काल प्रमायसील कानून के अनुसरण करने की रीति से सिद्ध रीति से अपने भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से से बेदखल किया गया हो या उस पर कब्जा करने से रोका गया हो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसे बेदखल किया हो या कब्जा करने से रोका हो नीचे लिखी राहों में से किसी के लिये दावा दायर कर सकता है, अर्थात्—

[१] भूमि-क्षेत्र के कब्जे के लिये,

[२] अवैध बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के लिये मुआवजा,

[३] किसी सुधार के लिये मुआवजा जो उसने किया हो।

• परन्तु जहाँ वादी डिग्री के समय चालू कृषि-वर्ष में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेदखल किये जाने का भागी है, उस दावा में कब्जे के लिये कोई डिग्री पारित नहीं की जावेगी।

(२) यदि कब्जे के लिये डिग्री पारित की गई हो तो, किसी सुधार के लिये मुआवजा नहीं लाया जायगा और उक्त डिग्री भी इस बात के अधीन होगी कि वादी प्रतिवादी को ऐसी रकम जो प्रतिवादी ने बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के समय मुआवजे के रूप में वादी को दी हो, ऐसी अवधि के भीतर प्रतिवादी को वापिस लौटा देगा जिसे न्यायालय मजूर करे।

(३) जहाँ इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के निमित्त वाद में अथवा उक्त वाद में पारित डिग्री या आजा के विरुद्ध अपील में कब्जे के लिये डिग्री उपधारा (१) में वर्णित कारणों से पारित नहीं की जा सकती हो, उस दावा में डिग्री देवल खर्च के लिये होगी।

1. महादेवो V. सुजरबली, 1931 R. D. 555

2. महादेवो V. सुजरबली, 1941 R. D. 1071

+ रा. ध. २२ तन् १९६० द्वारा विलुप्त।

(४) जहाँ डिक्री धर्षण बेदखली या बन्ना विहीनता के लिये मुद्रावत्रे के हेतु पारित की जाय और बन्ने के लिये नहीं उस दशा में, मुद्रावत्रा उस सम्पूर्ण अवधि के लिये होगा जिसमें, बेदखन किया गया या बन्ना विहीन किया गया आसामी बन्ना बनाने रखने वा हकदार था ।

(५) कोई आसामी जिसने केवल बन्ने के लिये दावा किया हो, उसी दाद-हेतु से संबन्ध में धर्षण बेदखली के लिये अथवा किसी मुद्रावत्रे के लिये मुद्रावत्रे के वास्ते प्रत्येक दावा दाखल करने का हकदार नहीं होगा ।

(६) इस धारा के अन्तर्गत बन्ने के लिये दावे में प्रत्येक व्यक्ति जिसने वादी की बेदखल किया हो या बन्ना लेने में रोका हो तथा वह व्यक्ति भी जिसे उक्त बेदखली के बाद, सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का बन्ना उस व्यक्ति में दिया हो जिसने वादी की बेदखल किया था, प्रतिवादी के तौर पर सम्मिलित लिये जायेंगे और बन्ने के लिये डिक्री पारित करने में न्यायालय धादेन देगा कि जो व्यक्ति उक्तरूपेण बन्ना किये हुए हैं उसे बेदखल किया जायगा ।

परन्तु न्यायालय, उक्त व्यक्ति को बेदखल किये जाने का धादेन देने के बजाय, उस दशा में जब कि उक्त व्यक्ति ने, दाद के लिये नियत प्रथम सुनवाई के सम्मन की तामीन अपने पर होने के पहले, भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से में कानून बंधी हो, उसे वादी का उस भूमि-क्षेत्र या हिस्से के लिये केवल उमी कपल के संबंध में तिक्रमी-आसामी घोषित कर सकता है ।

(७) इस धारा के अन्तर्गत बन्ने के लिये पारित डिक्री, यथा सम्भव उसी भाँति प्रवर्तित की जायेगी मानो वह बेदखली की डिक्री हो लेकिन यदि उक्त डिक्री के प्रवर्तन के लिये समयवधि, यदि कोई हो, निश्चित की गई हो तो उसका कोई ध्यान नहीं रखा जायेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के अधिनियमित किये जाने से पूर्व धारा १८५ में (जो अब निरस्त कर दी गई है) उन आसामियों का वापिस बन्ना कराने का प्रावधान था जिन्हें उस धारा के उपबंधों के खिलाफ बेदखल या बन्ना विहीन कर दिया गया था । यह धारा लगभग उक्त धारा १८६ के अनुरूप ही है । इस धारा में बनाए गए प्रतिहार(remedy)का लाभ उठाने में पूर्व किसी आसामी के लिए इन बातों का होना आवश्यक है कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध बेदखल कर दिया गया है अथवा उसे उसने भूमि-क्षेत्र का बन्ना प्राप्त करने में रोका जा रहा है । उनधारा (१) में उसके लिए तीन प्रकार के प्रतिहार (remedy) बना दिए गए हैं वर्तमान धारा १८७ में जिसने कि पहले की धारा १८५ का स्थान लिया है भूमिधारियों द्वारा आसामी की धर्षण बेदखली के विरुद्ध प्रतिहार बनाए गए हैं परन्तु धारा १८६ के कारण भूमिधारी के विरुद्ध प्रतिहारण का दावा नहीं चल सकता ।^१ भूमिधारी द्वारा धर्षण रूप से बन्ना विहीन किये जाने पर वापिस बन्ना पाने से पूर्व भूमिधारिता (Tenancy) को साबित करना आवश्यक है ।^२ इन धारा की उपाध (५)

१. निरवान V. धीमती मकर कवर, 1965 R.R.D. 242

२. उररोग

में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस आसामी ने केवल कब्जे के लिए दावा किया है वह वाद में अवैध बंद्गपत्नी के लिए मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा। यदि मुआवजा पाने का दावा असफल हो जाय तो वादी को उसके लिए नया दावा सनाना पना है।^१

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग एक के मद्र नम्बर २३ वा. द्वारा वासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश किया जायेगा।

उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

दावे के लिए मियाद टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) एक्ट १९६० के प्रारम्भ की तारीख से तीन साल है या उस तारीख से जब कि आसामी को अवैध रूप से बंद्गपत्नी या कब्जा विहीन कर दिया गया हो।

यह साबित करने का भार आसामी पर है कि उसे वैध रूप से कब्जा दिया गया था।

सहायक कलक्टर के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश होगी और दूसरी अपील धारा २२४ (२) के आधार पर राजस्व बोर्ड में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

+ १८७. क. धारा १८७ के उपबंधों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध होना—धारा १८७ के उपबंध ऐसे किसी आसामी को जिसका उल्लेख इस धारा की उप-धारा (१) में किया गया है लागू तथा उपलब्ध होंगे जिसने, १५ अक्टूबर १९५५ को तथा तत्पश्चात् किन्तु राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) अधिनियम १९६० के प्रारम्भ के पूर्व, धारा १८६ जैसे कि वह उक्त प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, में प्रावहित प्रतिकार (remedy) का फायदा नहीं उठाया हो अथवा उक्त राहत के निमित्त जिसका आवेदन-पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उस धारा में प्रावहित मियाद के बाहर हो गया था, और उक्त आसामी धारा १८७ के उपबंधों के अन्तर्गत तथा उसके तदनुसार दावा भी प्रस्तुत कर सकेगा, चाहे धारा १८६ में अथवा तृतीय अनुसूची के मद सख्या ६६ जैसी कि वह राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) अधिनियम १९६० के पूर्व विद्यमान थी, में कुछ भी अन्तर्विष्ट हो।

+ १८७. ख. कब्जे पर आधारित पुनर्स्थापन हेतु सरसरी वाद—(१) धारा १८७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आसामी जो, अपने भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से से वैध रीति से भिन्न अथवा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, बंद्गपत्नी या कब्जाविहीन कर दिया जाय, अपने भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना करते हुए वाद प्रस्तुत कर सकता है और किसी अन्य स्वत्व जो उस वाद में स्थापित कर दिया जाय के होते हुए भी, कब्जा वापिस ले सकता है।

(२) इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से पर

प्रपना स्वत्व स्थापित करने हेतु तथा उनका कब्जा वापिस लेने हेतु वाद प्रस्तुत करने से बाधित नहीं करेगी ।

(३) इस धारा के अन्तर्गत कोई वाद केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकेगा ।

(४) इस धारा के अन्तर्गत किसी वाद में पारित किसी डिक्री या आज्ञा की कोई अपील नहीं होगी और न ऐसी डिक्री या आज्ञा के पुनर्विलोकन के लिये अनुमति दी जायेगी ।

(५) धारा १८४ के उपबंध ऐसी किसी डिक्री या आज्ञा पर लागू नहीं होंगे जो इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई हो ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा पिछली धारा १८६ के स्थान पर रखी गई है और इसमें कब्जा प्राप्ति के लिए सरसरी प्रक्रिया बताई गई है । परन्तु इसका प्रभाव अधिक व्यापक है । इस धारा के अन्तर्गत वाद धारा १८७ के अधीन नहीं है परन्तु जहां आगामा डिक्री देते समय इन अधिनियम के उपबन्धों के नीचे वेदव्यती के लायक है (चाखू कृषि वर्ग में) तो इस धारा के नीचे डिक्री नहीं दी जा सकती ।^१ इस धारा के उपबन्ध यथोक्तिगत अनुतोप अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ६ से मिलते जुलते हैं ।

इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों को कानून अर्थात् हाथ में लेने से निरस्तारित करना है चाहे उनका स्वत्व (हक, Title) कितना ही सही क्यों न हो।^२ इस धारा के अन्तर्गत वादों में हक का प्रदान अन्तर्गत है क्योंकि इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरसरी कार्यवाही बताना है जिन्होंने कानून अर्थात् हाथ में लेकर कब्जे वालों को कब्जा विहाय कर दिया है।^३

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे वाद शून्य अनुमूची भाग १ के मद २३ द्वारा शासित होता है और सहायक कलक्टर के यहां पेन होगा ।

न्यायालय धुल्क २५ पैस का लगेगा ।

वेदव्यती की तागीस से ६ महीने को मियाद है ।

इस धारा के नीचे डिक्री या आज्ञा की अपील नहीं होती। धारा २२३ व २२५ लागू नहीं है। अपील पत्रकार राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण कर सकता है अथवा हक का दावा (Title Suit) कर सकता है ।

धारा १८८. अर्थ वेदव्यती के विरुद्ध आदेश—(१) कोई आगामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि-क्षेत्र के हिस्से पर उमो अधिभार अथवा उन्मोघ पर भूमिधारी या अन्य व्यक्त द्वारा दावपरा किया जाता है या आक्रमण की घमको दी जाती है, विरस्थापि आदेश की मजूरी के निमित्त वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

१. कामचुन्द v. माधोदास, 1961 R. R. D. 258

२. रम्या v. नरविहाय, 29 Bom. 213

३. मोरारविह v. मापोविह, 1939 M. L. R. 221

(२) व्यायातय आवश्यक जाण करने के पश्चात् निम्नलिखित दशाओं में चिरस्थायी ध्यादेश जारी कर सक्ता है अर्थात्—

- (क) यदि धात्रमण से हुई वारतयिक क्षति या होने वाली सम्भावित क्षति के निदन्तन के लिये कोई प्रमाण नहीं है;
- (ख) यदि धात्रमण ऐसा है जिसके लिये आर्थिक मुआवजा पर्याप्त परितोय नहीं है,
- (ग) जहाँ बहुत सम्भावना यह हो कि धात्रमण के लिये आर्थिक मुआवजा प्राप्त नहीं हो सक्ता है;
- (घ) जहाँ कार्यबाहियों की बहुलता को रोपने के लिये ध्यादेश आवश्यक हो ।

टिप्पणी

१. धियम— इस धारा में यथोल्लिखित अनुनोप अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ५४ के उपबन्ध ले लिए गए हैं। इस धारा में उपबन्धित प्रतिकार (remedy) केवल आसामियों के लिए ही है। चिरस्थायी ध्यादेश (निपेधाजा)के लिए भूमिधारियों द्वारा किए जाने वाले दावे राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रसंग्य (Cognizable) नहीं है हालांकि खुदकास्त धारकों द्वारा किए जाने वाले दावे धारा ९२-क की सीमा में आ जाते हैं।

व्यादेश एक अल्प वयस्क व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया जा सकता है।^१ व्यादेश चाहने वाले व्यक्ति के लिए हक को साबित करना आवश्यक नहीं है।^२ यह साबित करना ही काफी है कि वह भूमि क्षेत्र पर कानूनी तौर से काब्जि या और उसके बन्धे पर ऐसा आक्रमण हुआ अथवा आक्रमण की संभावना थी जिसका कोई हक नहीं था।^३

२. प्रथिया— इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २३-का द्वारा शासित है और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा।

मियाद वाद कारण उत्पन्न होने से ३ वर्ष की है।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा।

पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी। यदि मालिकाना हक का प्रश्न अंतर्बलित हो तो पहली अपील सम्बन्धित सिविल न्यायालय में होगी। द्वितीय अपील राजस्व बोर्ड में होगी अथवा मालिकाना हक के प्रश्न की मूरत में हाई कोर्ट में होगी।

चूँकि दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में या उच्च न्यायालय में होगी अनएव पुनरीक्षण नहीं होगा।

1. रामचंद्र बलवत v. नरसिंह चिन्तामणि, A. I. R. 1931 Bom. 466

2. उपरोक्त

3. उपरोक्त

अध्याय १२

भूमि का अनुदान

अनुकूल लगान-दर पर अनुदान

१८९. अनुकूल लगान-दर पर अनुदानों का वृद्धि के लिये भागी होना—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में या कानून का बल रखने वाली किसी पृथा या रिवाज में या किसी प्राप्ता या वितेस की बातों व प्रतिबंधों में किसी विपरीत बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, अनुकूल लगान-दर पर अनुदान, जो ग्राम-सेवा विषयक अनुदान नहीं हो, अध्याय ६ के उपबंधों की शक्ति में, [स्वीकृत लगान-दरों के]+ अनुसार [आवेदन पर]+ लगान-वृद्धि का भागी होगा।

(२) [उक्त दूषण लगान-वृद्धि होने पर]+ अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-प्रहीता सातेदार आसामी समझा जायेगा।

१८९-क. अनुकूल-दरों पर अनुदान प्रहीताओं के हित तथा अन्य अधिकारों का अवतरण तथा हस्तान्तरण—(१) अनुकूल लगान दर पर किसी अनुदान-प्रहीता का हित दाय-योग्य है और उसका अवतरण उम पर लागू व्यक्तितगत कानून के अनुसार होगा।

(२) ऐसा हित, उसी रीति से तथा उसी हद तक जैसे किसी सातेदार आसामी का अपने भूमि-क्षेत्र में होता है, हस्तान्तरणीय होगा।

(३) अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-प्रहीता के अपने अनुदान के विषय में सुधारों तथा धुषों के संबंध में वही अधिकार होंगे जैसे सातेदार आसामी के अपने भूमि-क्षेत्र के विषय में होते हैं तथा अध्याय ६ व ७ के उपबंध लागू होंगे।

(४) अध्याय ८, १०, १५ तथा १६ के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अनुदान-प्रहीता सातेदार आसामी हो।

÷ १८९-ख. अनुकूल दरों पर अनुदान प्रहीताओं के हितों का अवतान—अनुकूल दरों पर अनुदान प्रहीता के हित समाप्त हो जायेंगे—

(क) धारा ६३ में उल्लिखित बातों में से किसी बात के होने पर, या

(ख) जब उसके अनुदान के सम्बन्ध में नगान धारा १८९ के उपबंधों के अनुसरण में बड़ा दिया जाय।

ग्राम-सेवा हेतु अनुदान

१९०. ग्राम सेवा के अधिकार व दायित्व—(१) ग्राम सेवा का हित, एक बार में

+ रा० घ० २७ मन् १९५६ द्वारा निविष्ट य प्रतिस्थापित।

ख रा० घ० २७ मन् १९५६ द्वारा निविष्ट

÷ रा० घ० २७ मन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

ऐसी प्रवधि जो एक वर्ष से अधिक न हो, के लिये, शिकमी-पट्टे पर देने के सिवाय अन्यथा दाय-योग्य या हस्तांतर योग्य नहीं होगा और न ही ऐसा हित किसी घाता या बित्री के निष्पादन में बुर्की के योग्य होगा।

(२) उप-पारा (१) के उपबंध के अधीन ग्राम सेवक गैर सातेदार घातामी समझा जायेगा।

१६१. ग्राम सेवक की वेदलती—(१) + ग्राम-सेवक भू-सम्पत्ति-पारक के दावे में बित्री पर या यदि ऐसा अनुदान सोपे राज्य सरकार से लेकर धारण किया हुआ हो तो तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाने पर निम्नलिखित आचारों में से किसी भी आधार पर अपने ग्राम-सेवा अनुदान की भूमि से वेदलत किया जा सकेगा, अर्थात्

- [१] उसने अपने अनुदान को पारा १६० के या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में अन्तर्गत या अन्यथा व्ययनित (disposed) कर दिया है;
- [२] उसने वह सेवा करना बंद कर दिया है जिसे करने के लिये वह बाध्य है अथवा उचित रूप से उसे करने में विफल रहा है;
- [३] उसने अपनी अनुदान-वस्तु को अ-कृषिक प्रयोजनों के लिये लगा दिया है;
- [४] उसने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है या वह उससे बर्खास्त कर दिया गया है।

(२) अध्याय ११ के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अन्तर्गत वेदलती की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि गैर-सातेदार आसामियों की दशा में लागू होते हैं।

१६२. ग्राम-सेवक या उसके उत्तराधिकारी को भूमि का कब्जा सोपे जाने की शक्ति—
(१) यदि कोई ग्राम-सेवक अपनी अनुदान-भूमि से वेदलत कर दिया जाय या मर जाय तो तहसीलदार उसके पदीय उत्तराधिकारी को, उसके आवेदन-पत्र पर, अनुदान-भूमि का कब्जा दिला देगा।

(२) यदि कोई ग्राम-सेवक इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल अन्य किसी प्रकार से अपनी अनुदान-भूमि का कब्जा खो बैठता है तो, तहसीलदार, उसके आवेदन-पत्र पर, उसे पुनः उक्त अनुदान-भूमि का कब्जा दिला सकेगा और किसी भी व्यक्ति को जो उस समय अनुदान-भूमि पर कब्जा किये हुए हो, वेदलत कर सकेगा।

१६३. भूमि का उस दशा में व्ययन जब कि सेवाओं की आवश्यकता न रहे—यदि कलक्टर यह घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो ग्राम-सेवक करता है, आगे आवश्यकता नहीं है तो उक्त ग्राम-सेवक अपनी अनुदान-भूमि का सातेदार घातामी हो जायगा और तदनुसार लगान भुगतान करने का भागी होगा।

अध्याय १३

उपवन-धारी

१६४. उपवन धारियों के अधिकार व देयताएँ—(१) अध्याय ७ में किसी बात के होने हुए भी उपवन-धारी वृक्षों को काट सकेगा तथा बेच सकेगा और वृक्षों के काटे जाने या मर जाने पर उनके स्थान पर वृक्ष पुनः लगा सकेगा।

(२) धारा ६३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो कि यथा सम्भव, उपवन धारी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी आसामी पर लागू होते हैं, उपवन-धारी के अधिकार सब तक कायम रहेंगे जब तक उपवन-भूमि उपवन के रूप में अपना स्वरूप कायम रखेगी और उपवन-भूमि न रहने पर उपवन-धारी उस भूमि का सातेदार-आसामी हो जायेगा।

(३) उपवन-भूमि, धारा ५३ के उपबन्धों के अनुसार, जो कि यथासाध्य, उपवनधारी पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आसामी पर लागू हैं, विभाजित की जा सकेंगी।

(४) जब कोई व्यक्ति उस भूमि का जिसका कि वह आसामी हो, उपवनधारी हो जाय, तो वह उस भूमि से सम्बन्धित तत्समय अवस्थित समस्त अधिकारों तथा देयताओं जिस सीमा तक वे उससे अतंगत हों, के अधिकारण में उस भूमि को उपवन-धारी के रूप में धारण करेगा।

१६५. सुधार करने का अधिकार—उपवनधारी वे सब सुधार कर सकेगा जिन्हें सातेदार आसामी कर मकता है और अध्याय ६ के उपबंध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह सातेदार आसामी हो।

१६६. हित का अन्तरण व हस्तान्तरण—(१) उपवनधारी का हित उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार अन्तर्हित होगा जो उस पर लागू होता है।

(२) उपवनधारी को अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को बित्री, शान (गिपट) या बंधक के जरिये अन्तर्हित करने का अधिकार होगा और ऐसा अन्तरण सातेदार आसामी द्वारा किये जाने की दशा में जो प्रतिबंध लागू हैं वे उपवनधारी पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु बंधक से अन्तरण करने की दशा में ऐसा अन्तरण भोग-बधक (usufruary mortgage) के रूप में होगा जिसकी अवधि बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और उस पर धारा ४३ की उप-धारा (२) व (३) के उपबंध लागू होंगे।

(३) उपवनधारी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी भाग को निरुद्ध पट्टे पर दे सकेगा और निरुद्ध-पट्टे पर धारा ४५ के अन्तर्गत लगाये हुए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे :

परन्तु उपवनधारी के निरुद्ध आसामी को इस अध्याय के उपबंधों के अन्तर्गत उसे दिये गये अधिकारों में निरुद्ध उन अधिकारों में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो इस अधिनियम द्वारा निरुद्ध-आसामियों को प्रदान किये गये हैं।

(४) उपवनधारी निरुद्ध इच्छासूत्रों के जरिये अपने उपवन की उपर की मंजूरी करने अथवा अपने के बिदे अनुबंध अथवा पट्टा भी मंजूर कर सकेगा किन्तु ऐसे ठेके अथवा पट्टे को

प्रथम एक बार में तीन बरष से अधिक नहीं होगी और ऐसे ठोकेदार प्रथम पट्टेदार के अधिकार एवं देयताएँ सशम अधिकारिता रखने वाले राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त इकरारनामे की शर्तों के अनुसार प्राप्त एवं प्रवर्तनीय होंगे ।

१९७. लगान संबंधी उपबंध—(१) उपधारा (२) में निहित उपबंधों के अधीन, खुदकास्त-धारी से मित्र उपवनधारी द्वारा उपवन-भूमि के बारे में देय लगान नकद में होगा और ऐसा होगा जो प्राप्त से समझौते के जरिये तय किया जाय अथवा उक्त समझौते के अभाव में, ऐसा होगा, जो सशम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय और लगान के निर्धारण तथा सम्पत्तिवर्तन सम्बन्धी अध्याय ६ के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उपवन-धारी खातेदार आसामी हो ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपवन-भूमि के सम्बन्ध में उस उपवन-धारी द्वारा कोई लगान देय नहीं होगा जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अपने भूमि क्षेत्र को उपवन के प्रयोजनों के लिये लगान के बदले प्रीमियम का मुग्तान करके स्थायी रूप से लगान-मुक्त प्राप्त किया हो :

किन्तु

- [१] उसके द्वारा दिया गया प्रीमियम, तत्समय उस भूमि क्षेत्र के लगान के दस गुने से अधिक हो तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा ऐसी प्राप्ति से ३० बरष की अवधि समाप्त होने, दोनों में जो बाद में हो, पर, या
- [२] उसके द्वारा दिया गया प्रीमियम, ऐसे वार्षिक लगान के दस गुने से अधिक नहीं हो, तो, उक्त प्रारम्भ अथवा उक्त प्राप्ति से १५ बरष की अवधि के समाप्त होने, दोनों में से जो बाद में हो, पर, ऐसे उपवन-धारी द्वारा लगान उपधारा (१) के अनुसार देय होगा ।

(३) उपवन-भूमि के संबंध में शिकमी आसामी द्वारा उपवन-धारी को देय लगान नकद में दिया जायगा और ऐसा होगा जो उपवनधारी तथा उसके शिकमी-आसामी के बीच परस्पर समझौते द्वारा तय हो जाय अथवा ऐसे किसी समझौते के अभाव में ऐसा होगा जो सशम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय ।

किन्तु इस उप-धारा के अन्तर्गत किये गये समझौते में उपज का कोई निश्चित हिस्सा ऐसे लगान के आंशिक मुग्तान में उपवन-धारी को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिये देने की कोई शर्त मान्य समझी जायेगी ।

(४) अध्याय १० के उपबंध उपवनधारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे खातेदार आसामियों पर लागू होने हैं ।

१९८. वेदखती—(१) जब तक उपवन-भूमि बची रहे, उपवनधारी केवल धारा १७७ में उल्लिखित प्राधारों में से ही किसी प्राधार पर वेदखत किया जा सकेगा और धारा १६१, १६२, १६४, १६५, १६६, १-७, १६८, १७८, १७९, १८४, १८५, १८६, १८७ तथा १८८ के उपबंध उम पर ऐसे लागू होंगे मानों वह आसामी हो ।

(२) उपवनधारी जो द्रवित्यन्वी (trespasser) हो, आरा १८३ के उपबंधों के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा।

उपवनधारी का अधिकारी आसामी धारा १७५, १७७, १८० और १८३ में उल्लिखित धाराओं में से किसी भी धारा पर बेदखल किया जा सकेगा और अध्याय ११ के उपबंध यथा सम्भव लागू होंगे।

(४) उपवन-धारी का ठेकेदार या पट्टाधारी बाद प्रस्तुत होने पर ठेके की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की शर्त के धारा पर बेदखल किये जाने का नागी होगा।

+ १९८. क. अध्याय ८, १५ तथा १६ का लागू होना—अध्याय ८, १५, तथा १६ के उपबंध उपवन-भूमि पर इस भांति लागू होंगे मानो उपवन-धारी धारदार आसामी हो।

अध्याय १४

इजारेदार अथवा ठेकेदार

११६. इजारेदार अथवा ठेकेदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार—(१) कोई इजारेदार अथवा ठेकेदार, अपने इजारे या ठेके की शर्तों में प्रतिरूढ़ प्रावधान होने की स्थिति के अतिरिक्त अपने इजारे या ठेके की अवधि में तथा उसकी सीमा तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा-दाता के समस्त अधिकारों को निम्नलिखित के अतिरिक्त, प्रयोग कर सकेगा:—

- [१] सगान की वृद्धि या किसी आसामी को बेदखली के लिये बाद प्रस्तुत करने का अधिकार;
- [२] कोई सुधार करने या कोई सुधार किये जाने की अनुमति देने का अधिकार;
- [३] वृक्ष काटने का अधिकार;
- [४] अनुदान-सगान दर पर अनुदान-ग्रहीता के विरुद्ध अध्याय १२ के उपबंधों के अन्तर्गत बाद प्रस्तुत करने का अधिकार।

(२) अिन अधिकारों को इजारेदार या ठेकेदार पूर्णतः उपाधारा के अन्तर्गत प्रयोग कर सकेगा उन्हें इजारे या ठेके की अवधि में पट्टा-दाता प्रयोग नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी

इस धारा के द्वारा इजारेदार को भूमिधारी की समस्त शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए मनाक किया गया है, निवा उपरोक्त जो उपाधारा (१) में बनाई गई है। ठेकेदार को

आसामी स्वोकार करने की और उसे बेदखल कराने का अधिकार है।^१ और ठेके की भवधि में भूमिधारी को आसामी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है।^२

२००. इजारे या ठेके के अन्तर्ण अथवा उत्तराधिकार पर रोक—(१) इजारेदार या ठेकेदार का हित—

[१] किसी न्यायालय की द्विती अथवा आदेश के निष्पादन में अन्तर्ण नहीं किया जा सकेगा; या

[२] इजारे या ठेके की शर्तों में व्यवस्थित प्रकार के अतिरिक्त अथवा अन्तर्ण-योग्य या दाय-योग्य नहीं होगा।

(२) जब किसी इजारेदार या ठेकेदार का हित शाय-योग्य हो तो उसके हित का अन्तर्ण उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा।

टिप्पणी

इजारेदार या ठेकेदार का हित किसी न्यायालय की द्विती अथवा आज्ञा की इजाराय में अन्तर्ण के योग्य नहीं होगा। इस अधिनियम के अर्थों में ठेकेदार एक आसामी नहीं है और उसके अन्तर्ण करने पर रोक नहीं है। परन्तु उसका यह अधिकार पट्टे की शर्तों के अधीन है।

२०१. बेदखली के आधार—इजारेदार अथवा ठेकेदार निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा, अर्थात्

(१) यह कि उससे देय लगान का पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया है,

(२) यह कि उसके द्वारा पट्टा-दाठा के अधिकारों के प्रति हानिकारक अथवा इजारे या ठेके के अधिभ्राय से असंगत कोई कार्य किया गया है या भूल की गई है,

(३) यह कि उसने या उसके अधीन किसी उप-इजारेदार या उप ठेकेदार ने ऐसी शर्तों को मंग किया है जिसके मंग करने पर वह इजारे या ठेके की शर्तों के अनुसार बेदखल किया जाने का भागी है,

(४) यह कि इजारे या ठेके की भवधि खालू कृपि वर्ष के अन्त पर या तत्पूर्व समाप्त हो गई है,

(५) यह कि आसामियों या गांव के अन्य निवासियों के प्रति उसका व्यवहार दमनकारी रहा है।

टिप्पणी

इस धारा में वे आधार बताए गए हैं जिन पर किसी भी ठेकेदार को बेदखल किया जा सकता है। जब किसी ठेकेदार के कब्जे में उसके पट्टे में बताया गई से अधिक भूमि थी

1. सधमन प्रसाद V. रामसहाय, 1935 R.D. 203

2. बुदाई खान V. जगतनारायण, 1919 R.D. 350

3. चेताराम V. काशी प्रसाद, 1922 R.D. 44

और वह ठेके की श्रवधि व्यतीत हो जाने पर भी उसमें कास्त करता रहे तो उसे अतिक्रमी की भांति वेदखल किया जा सकता है।^१ इस धारा के नीचे दावा केवल ठेकेदार के विरुद्ध ही किया जा सकता है। यदि उसका लड़का उस पर कास्त के कारण काबिज है तो उसे वेदखली के इसी दावे में मिलाया नहीं जा सकता। उसके विरुद्ध वेदखली की अनग कार्यवाही करनी पड़ेगी।^२

२०२. वेदखली के लिये कार्यवाही किस प्रकार की जाय—जब राज्य सरकार से मिश्र कोई पट्टा-दाता किसी इजारेदार या ठेकेदार को किसी भाषार पर वेदखल करना चाहे तो वह वाद प्रस्तुत करेगा।

२०३. श्रवधि वेदखली के लिये प्रतिकार (remedy)—कोई इजारेदार या ठेकेदार, जिसको इजारे या ठेके की सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग से श्रवधि रीति से वेदखल किया गया हो अथवा जिसे पट्टा-दाता या उसके स्वत्वाधीन अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति या उसके अधिकर्ता-द्वारा, इजारेदार या ठेकेदार की हैसियत में अपने अधिकारों का प्रयोग करने से श्रवधि रीति में रोका गया हो, ऐसी अनुचित वेदखली या श्रवधि हस्तक्षेप के कारण मुमानने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि ठेकेदार गलत रूप से वेदखल कर दिया गया हो अथवा पट्टा-दाता या उसके अधिकर्ता (एजेंट) द्वारा ठेकेदार के अधिकारों के प्रयोग से मुक्त कर दिया गया हो, तो उसके लिए एक ही उपाय यहाँ बताया गया है। जिस ठेकेदार को पूरी ठेका भूमि पर बन्ना नहीं दिया गया हो वह इस धारा के नीचे राजस्व न्यायालय में दावा पेन कर सकता है।^३

२. प्रक्रिया—ऐसे दावे तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद नम्बर ३० द्वारा शासित होंगे और मानियत दावा ३०) ६० तक होने और राज्य सरकार के पक्षकार न होने की श्रुत में तहसीलदार के यहाँ पेन होंगे वरना सहायक कन्स्ट्रक्टर के यहाँ।

मिवाद वाद कारण (विनाय दावा) उत्पन्न होने की तारीख से एक साल है।

न्यायालय मुक्त ठेका की भूमि के लिए की रकम के मूल्यानुसार होगी।

तहसीलदार की पहली अरीन कन्स्ट्रक्टर की और सहायक कन्स्ट्रक्टर की राजस्व अरीन प्राधिकारी के यहाँ होगी। दूसरी अरीन राजस्व अरीन प्राधिकारी या राजस्व बोर्ड में यदास्ति होगी। पहली स्थिति में पुनरीक्षण भी हो सकेगा।

२०४. समय—कोई इजारेदार या ठेकेदार पट्टा-दाता की सहमति से किसी भी समय इजारे या ठेके से सम्बद्ध क्षेत्र में निहित अपने हित को समाप्त कर सकेगा।

१. बमदेव V. धनूनाप, 17 R.D. 332

२. धमंद विहारीनाथ V. रावाराज, 1944 R.D. 125

३. एसीए हार्न वान V. जे. वार. डे वेनेय, 1944 All 200

२०५. भूमि की अवधि से उपरांत धारण करने की व्यवस्था—यदि कोई इजारेदार या ठेकेदार, अपने इजारे या ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस पर अपना कब्जा बनाये रखे और पट्टा-दास्ता उससे लगान लेता रहे अथवा उसका कब्जा बने रहने की अन्य प्रकार से स्वीकृति देदे तो वह इजारा या ठेका, विरती प्रतिबन्धन करार की अनुपस्थिति में, वर्ष प्रति वर्ष, पुनः स्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा ।

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनको अधिकारिता सामान्य

+ २०६. विचाराधीन मामलों आदि के लिये व्यवस्था—(१) अधिनियम के प्रभावशील होने पर, राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से सम्बद्ध समस्त वाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश तथा कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई समझी जायेंगी और उन पर इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत निर्धारित रीति से विचार, सुनवाई एवं निर्णय किया जायेगा ।

(२) ऐसे किसी वाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश या कार्यवाहियाँ, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस राजस्व न्यायालय में नहीं होने चाहिए या उसके द्वारा विचारणीय नहीं हैं जिसके समक्ष वे जैसा ऊपर कहा गया है, विचाराधीन हैं, उस राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर दी जायगी तथा उसके द्वारा ही कानून के अनुसार उनकी सुनवाई एवं निर्णय किया जायेगा जिसमें वे होनी चाहिये अथवा जिसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वे विचारणीय हैं ।

(३) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई ऐसा वाद, प्रार्थना-पत्र, मामला या कार्यवाही जो धारा २०७ के अनुसार एक मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय घोषित की गई है उस सिविल न्यायालय से कार्यवाही तथा निर्णय हेतु धारा २१७ के अन्तर्गत सक्षम राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेगी ।

(४) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय धारा २०७ में निर्दिष्ट वादों, प्रार्थना-पत्रों, मामलों या कार्यवाहियों, के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई वाद, प्रार्थना-पत्र मामला या कार्यवाही उस राजस्व न्यायालय से ऐसे सिविल न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेंगी जो उन पर विचार तथा सुनवाई एवं निर्णय करने की अधिकारिता रखता हो ।

टिप्पणी

इस धारा में इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सिविल या राजस्व न्यायालयों

में विचाराधीन मुकदमों के लिए प्रक्रिया बताई गई है। इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन मामले इस अधिनियम के नीचे प्रारम्भ हुए समझे जावेंगे और इस धारा में दिए गए प्रकार से सही न्यायालय में भेज दिए जावेंगे। जहां तहसीलदार को अधिकारिता (Jurisdiction) नहीं है तो तहसीलदार को गहादत लेकर अपनी डिफ़ारिस सहायक क्लर्क को भेजने के स्थान पर मुकदमा उसी के पास मुतकिल कर देना चाहिए।^१

२०७. केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रायंता-पत्र—(१) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्रायंता-पत्रों की मुनवाई एवं उनका निरुप राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(२) राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्रायंता-पत्र की प्रथवा किसी वाद के उक्त कारण जिसके संबंध में उक्त किसी वाद या प्रायंता-पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आधारित किसी वाद या प्रायंता-पत्र की मुनवाई नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—यदि वाद का कारण ऐसा हो जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई सहायता उस सहायता से अधिक या तदतिरिक्त है अथवा तद्रूप नहीं है जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती थी।

टिप्पणी

राजस्व न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसे किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत सगान, राजस्व, कृषि के लिए काम में लिए जाने वाली भूमि के लाभों से सम्बंधित दावे या कार्यवाही दर्ज करने व निराम करने का अधिकार है। ऐसे विषयों में सम्बंधित मामलों के लिए इस अधिनियम में राजस्व न्यायालयों को अनन्य (exclusive) अधिकारिता दे दी गई है। ऐसा करने का कारण यह है कि राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामलों की अच्छी जानकारी होती है और सिविल न्यायालयों के मुकामले में राजस्व न्यायालयों में अधिक सचीनी और सरंभरी कार्यवाहियों की आवश्यकता भी है।^२ जिन मामलों में राजस्व न्यायालयों को अनन्य अधिकारिता है उनमें दी गई डिक्री को भ्रष्टा (Set aside) करने की क्षमता सिविल न्यायालय की नहीं है।^३ परन्तु जो मामले तृतीय अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं उदाहरणार्थ कपट, अनियमितता, मानिक्ता अधिकारों के प्रश्न इत्यादि।^४ कृषि भूमि के रहन छुड़ाने की (फटुन रहन)

1. विजया v. हेमा, 1955 R.L.W. 180

2. 17 C. W. N. 1201

3. राम आसरे v. बंजनाप, AIR 1943 Oudh 106

4. सु० देवरोवार्द v. पंजाबराय, 1948 Nag. 299

5. ग्वातीनाय घोसवर v. भगन कुदुमद रासवर, 1947 Madras 276

को द्विती की इजरायल राज्य राजस्व न्यायालय के समाना भी है।¹

२०८. सिविल प्रोसीजर कोड का लागू होना—सिविल प्रोसीजर कोड १९०८ (गिज़म एक्ट ५, सन् १९०८) के उपबंध विधाय उनके जो,—

- (क) इस अधिनियम को किसी भी बात से असंगत है, असंगति की सीमा तक,
 (ख) केवल उन विविधतावादों या कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर हैं, और
 (ग) चतुर्थ अनुसूची की प्रथम अनुसूची में अंतर्निहित हैं,

चतुर्थ अनुसूची को द्वितीय सूची में बनाये गये परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त वादों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

टिप्पणी

राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् (प्रोसीजर एण्ड जुरिसडिक्शन) एक्ट १९५१ में ज.वत्ता दीवानी को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया था। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया उक्त अधिनियम द्वारा शासित होनी थी और उसकी धारा ८ के नीचे तद्विषयक नियम भी बनाए गए थे। वे नियम भी सर्वांगपूर्ण (exhaustive) नहीं थे और जाम्ना दीवानी के सिद्धान्त राजस्व न्यायालयों पर लागू किए गए थे।

आर्डर ३६ नियम १ व २ उस अधिनियम की धारा २१२ के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं अतः इनके लिए यह समझा जाना चाहिए कि वे धारा २०८ के नीचे लागू हैं।²

२०९. वादी को कोई ऐसी सहायता देना जिसे पाने का वह हकदार हो—किसी भी वाद या कार्यवाही में न्यायालय वादी के प्रार्थना-पत्र पर, आवश्यक वाद-पद बनाने के पश्चात्, इस बात के होने हुए भी कि उक्त सहायता वाद-पत्र या प्रार्थना-पत्र में नहीं मांगी गई है, कोई भी ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है जिसे प्रदान करने के लिये वह सक्षम हो तथा जिसे प्राप्त करने का वादी को वही हकदार ठहराये :

किन्तु वाद-पद बनाने के पश्चात्, न्यायालय किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये उचित समय दे सकता है।

टिप्पणी

यह धारा मुकदमेबाजी में वृद्धि (multiplicity of case) से बचने और वादों को इस आधार पर खारिज होने से रोकने के लिए कि दावा किसी गलत धारा के नीचे पेश किया गया था अथवा कोई विशेष सहायता (Relief) दावे में नहीं मांगी गई अथवा दावा पेश करते समय उपलब्ध नहीं थी, बनाई गई है। इस धारा में दावा पेश होने के पश्चात् होने वाली घटनाएँ भी सम्मिलित हैं और इसका अधिकार अपील न्यायालय भी काम में ला सकते हैं।³

1. घोषार v. माना, 1965 R.R.D. 112.
2. श्री नरेंद्रप्रसाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25
3. घुंवर v. कुंजी 1943 R.D. 172

इस धारा को बनाने में विधान मंडल का उद्देश्य किसानों को लम्बी मुकदमेबाजी और कठिनाइयों से बचाना था। इसमें वाद को संशोधित करने के उपबंध नहीं हैं परन्तु प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्वयं न्यायालय को आवश्यक वाद पद बना कर आवश्यक सहायता दे देनी चाहिए।¹

२१०. सद्भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाने की दलील पेश करने की दशा में कार्य-प्रणाली—जब किसी आसामी के विरुद्ध लगान की बकाया के लिये, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये किसी वाद या कार्यवाही में, आसामी यह दलील पेश करे कि उसने उस भूमि का उस समय का छगान जिसके विषय में वाद या कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, किसी तीसरे व्यक्ति को सद्भावना से यह समझने हुए भुगतान कर दिया है कि उक्त तीसरा व्यक्ति उक्त लगान को प्राप्त करने का हक रखता था तो न्यायालय उक्त आसामी के खर्च पर, उक्त तीसरे व्यक्ति को वाद या कार्यवाही का एक पक्षकार बनायेगा और उक्त प्रश्न के विषय में जांच करके उसका निर्णय करेगा।

टिप्पणी

यह धारा केवल तभी लागू होगी जब कि आसामी ने संबन्धित विवाद प्रस्तुत अवधि का लगान वास्तव में किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया हो और उस तीसरे व्यक्ति को उसने लगान का वास्तविक हकदार होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास कर लिया हो। इस प्रकार यह धारा उस वक्त लागू नहीं होगी जब कि तहसीलदार ने धारा १७० (१) के नीचे आज्ञा दे दी हो और तीसरे व्यक्ति को लगान उसके घाद दिया गया हो। इसी प्रकार यदि मदपूज न डिक्लीदार को न्यायालय के बाहर भ्रदस्यगी कर दे और आर्डर २२ नियम २ (२) C.P.C. के नीचे प्रमाणित नहीं करावे तो इस धारा का लाभ उसे नहीं मिल सकता।

२११. सह भागियों द्वारा वाद इत्यादि—(१) उपधारा (३) में अन्यथा उपबोधित होने के अतिरिक्त, जब किसी अधिकार, हक या हित में दो या अधिक सहभागी हों तो अपेक्षित या अनुमत वे सभी कार्य जो उस पर आधिकार रखने वाले द्वारा किये जाने हैं उन सब के द्वारा संयुक्त रूप से किये जायेंगे जब तक कि उन्होंने अपने सब की ओर से काम करने के लिये कोई एजेंट नियुक्त न कर दिया हो।

(२) उप-धारा (१) की कोई भी बात जिमी ऐसे स्थानीय रिवाज या विविष्ट संविदा पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके अनुसार कोई सहभागी आसामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान की बचका अपने हितों को पूषकतया पाने का हकदार हो।

+ (३) जब दो या अधिक सहभागियों में से कोई एक सहभागी अपने वाद प्रस्तुत करने या कार्यवाही करने का हक नहीं रखता हो और दो सहभागी, उन सब द्वारा मिलकर बसूब करने योग्य रकम के लिये कार्यवाही या वाद में सम्मिलित होने के इन्कार करते हों तो, उक्त

1. इमसादेनी v. चोंरमा, 1961 R.R.D. 226

+ स. प. २७ मन् १९५६ द्वारा क्या संशोधित

सहभागी बनने हिस्से के लिये, अवशिष्ट सहभागियों को पञ्चकार बनाने हुए, अनेकाने वाद या कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है, और

(४) जब किसी भूमिक्षेत्र का आसामी या उगका अवैध अन्तरिती उक्त भूमि के स्वामित्व में सहयोगी हो तो इस अधिनियम के उपधर्षों के अन्तर्गत, उगके विरुद्ध, उक्त आसामी या अवैध अन्तरिती की हस्तियत में, लाये गये या दापर किये गये त्रिगी वाद या प्राथम-पत्र में, इस धारा की कोई भी बात, उगके सहकारी या सहकार्यो बनाने जाने की अर्चना नहीं करेगी ।

टिप्पणी

किसी भूमिक्षेत्र के आसामी को अथवा ऐसे भूमिक्षेत्र के अन्तरिती को उसके विरुद्ध किसी दावे अथवा आवेदन-पत्र में वादी नहीं बनाया जायगा ।^१ यह धारा अतीनों पर लागू नहीं होती ।^२ और न उसको नामों की प्रतिस्थापना (Substitution) के लिए काम में लाई जा सकती है ।

२१२. अजादेश (injunction) तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध—(१) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान अध-पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि—

- (क) कोई सम्पत्ति किसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही तत्सम्बद्ध किसी पञ्चकार द्वारा दुहपयोग किये जाने, हस्तियत किये जाने या परकोकरण किये जाने (alienation) के खतरे में है, या
- (ख) उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पञ्चकार, न्याय के उद्देश्य को सकन न होने देने के अभिप्राय में उस सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन (disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी अजादेश जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है ।

(२) कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अन्तर्गत जिसके विरुद्ध अजादेश जारी किया गया हो या जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्यवाही का निर्णय उसके खिलाफ हो जाने की दशा में, विरोधी पक्ष को हस्तियत करने के लिये ऐसी रकम जो न्यायालय तय करे, को नकद जमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा कराने पर न्यायालय अजादेश या रिसीवर की नियुक्ति की आज्ञा, अस्थायित, को वापिस ले सकेगा ।

१. उपधारा (४)

२. गंगाधर v. ज्वालाप्रसाद, 1955 R.D. 366

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के बनने से पहले अस्थायी व्यादेन (व्यादेन, T. I.) राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत^१ एवं राजस्व बोर्ड द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अन्तर्गत दी जाती थी।^२ इस धारा में आर्टिकल ३६ व ४० C.P.C के उपबंध डाल दिए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत दी गई आज्ञा न्यायालय की अगली आज्ञा तक अथवा मामले के निर्णय तक जारी रहेगी।

अस्थायी व्यादेन स्थायी व्यादेन में इस दृष्टि से भिन्न होता है कि वह मुकदमे के गुणदोष मुनने से पहिले दे दिया जाता है और गुणदोष पर निर्भर भी नहीं होता। स्थायी निपेधाज्ञा (व्यादेन) मुकदमे के गुणदोष का अंतिम विचारण होने के पश्चात् जारी की जाती है।

जहां प्रतिवादी को जमीन नष्ट करने से रोक दिया जाय तो रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।^३

अस्थायी निपेधाज्ञा जारी करना लाजिमी नहीं है, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।^४ बांधी के पक्ष में प्रत्यक्ष मामला, अग्रणीय सति एवं भूविद्या का संतुलन देखकर ही अस्थायी निपेधाज्ञा दी जानी चाहिए।^५ अस्थायी निपेधाज्ञा का उद्देश्य दावे की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है।^६

२. अपील—इस धारा के नीचे दो गई अंतरिम आज्ञा अन्य आज्ञा की भांति अपील योग्य है और केवल एक ही अपील होगी। अपील में दी गई आज्ञा का पुनरोदाहरण हो सकेगा।

२१३. लगान की बकाया की डिबी के निष्पादन में सातेदार आसामी के हित का रक्षण जाना—(१) धारा ४२ के उपबंध के अधीन सातेदार आसामी का अपने भूमिसूत्र या उसके किसी हिस्से में निहित हित उक्त भूमिसूत्र के लगान की बकाया की डिबी के निष्पादन में रखा जा सकता है और उक्त हित जब तक कि भूमि-धारक द्वारा ही खरीद न लिया जाय, खरीददार को, उन-धारा (३) के अधीन रहने हुए, उक्त भूमि-धोन या उसके किसी हिस्से में बहो हित प्राप्त होगा तथा उसके संबंध में उसके वे ही दायित्व होंगे जो कि उक्त आसामी के थे।

(२) डिबी का निष्पादन करने वाला न्यायालय उनधारा (१) के अनुसार सातेदार आसामी के भूमि-धोन के केवल किसी हिस्से में निहित उसके हित को रक्षने के पहिले बोर्ड द्वारा।

1. राजेन्द्रसिंह v. रतन, 1952 R.L.W. (R.S.) 79

2. टा० मूरजसिंह v. रायिण, 1954 R.L.W. (R.S.) 68

3. मुरेण्ड सिंह v. संजला, 1964 R.R.D. 240

4. पला v. तेज, 1964 R.R.O. 315

5. मट्णरामचरमदास v. केमरी, 1965 R.R.D. 69

6. बसोमन v. प्रह्लाद, 1965 R.R.D. 120

बनाये गये नियमों के अनुसार उस भूमि-क्षेत्र के लगान को उक्त हिस्से तथा ध्वनिगट्ट हिस्से पर वितरित कर देगा ।

(३) जब उक्त हित बेचा जाय तो:—

(क) कोई सिकमी-आसामी, या

(ख) कोई कृषि-जीवी या अन्य धर्म-जीवी अपया धाम-सेवक जो उग गांव में रहता हो, या

(ग) कोई कृषक जो उस गांव में रहता हो, या

(घ) राज्य सरकार या भू-सम्पत्ति धारक के अलावा कोई भूमि-धारी या

(ङ) भू-सम्पत्ति धारक,

उपरोक्त प्राथमिकता के अनुसार बिक्री की तारीख से १५ दिन के भीतर सबसे ऊंची बोली लगा कर, उक्त हित को प्राप्त करने का दावा कर सकता है ।

किन्तु यदि खण्ड (क) या (ग) में बताये गये वर्गों में से एक एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो अधिमान्यता उस दावेदार की दी जायगी जो उस गांव में सबसे कम क्षेत्रफल वाली जमीन में कृषि करता हो और जब वे बराबर भूमि पर काबू करते हो तो दावे का निर्णय निदिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायेगा :

+ किन्तु यह धोर है कि यदि खण्ड (ख) में बताये गये वर्ग में से एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो दावे का निर्णय निदिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायगा ।

+ + [(४) उप-धारा (३) में किसी बात के होते हुए भी, यदि खातेदार आसामी जिसका हित इस धारा के अन्तर्गत बेचा गया हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो तो, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में बनाये गये किन्हीं वर्गों के प्रतिद्वन्दी दावेदारों में से उस वर्ग विशेष के दावेदार को अधिमान्यता दी जायगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो ।]

टिप्पणी

किसी भूमिक्षेत्र को उसके लगान की वक़ाया के लिए ही बेचा जा सकता है ।^१ भूमिक्षेत्र को किसी सिविल न्यायालय की डिक्री अथवा किसी राजस्व न्यायालय की अन्व डिक्री की इजराय में नहीं बेचा जा सकता । इस धारा में यह अपेक्षित नहीं है कि भूमिक्षेत्र को बेचने से पूर्व उसे कुर्क किया जावे ।

२१४. इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों की परिसीमा (मियाद, limitation)—(१) तृतीय अनुसूची में निदिष्ट वाद तथा प्रार्थना-पत्र उनके लिये उसमें निश्चित समय के भीतर दायर या प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसा प्रत्येक वाद या प्रार्थना-पत्र जो इस प्रकार विहित की गई अवधि की

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित ।

+ + रा. अ. २८ सन् १९५६ द्वारा निदिष्ट

1. चैता v. राजेन्द्रनाथ, 1943 R.D. 363.

समाप्त के बाद दायर या प्रस्तुत किया जाय खारिज कर दिया जायगा :

किन्तु यदि कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जिसके लिये उक्त अनुमूची द्वारा निर्धारित समय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावशील किसी विधि द्वारा निर्धारित समय की अपेक्षा कम हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद प्रागामी छः महीने के भीतर या उक्त विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर, जो भी पहिले समाप्त होती हो, दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा :

किन्तु यह और है कि ऐसा कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जिसके लिये उक्त अनुमूची द्वारा परिसीमा विहित की गई हो जिसके लिये उक्त विधि द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से गिनते हुए उक्त अनुमूची द्वारा विहित अवधि के भीतर दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(२) यदि कृषि संबंधी किसी आपत्ति (calamity) के कारण सक्षम सत्ता को धाना के अन्तर्गत लगान का भुगतान स्थगित कर दिया गया हो तो ऐसे लगान को यमूनी के निमित्त वाद के लिये विहित की गई परिसीमा—अवधि को गणना करने में स्वगत-समय छोड़ दिया जायगा ।

(३) उप-धारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए इंडियन त्रिभिटेसन एक्ट १९०८ (केन्द्रीय अधिनियम सं० ६ सन् १९०८) के उपबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत या तदनुसरण में होने वाले वादों, अपीलों प्रार्थना-पत्रों तथा कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

टिप्पणी

इस धारा में वे मियादें बताई गई हैं जिनके वाद कोई दावा अथवा अन्य कार्यवाही दायर नहीं की जा सकती। विभिन्न प्रकार के दावों का वर्णन और उस बात का उल्लेख जिसके होने पर मियाद शुरू हो जाती है, यह अर्थ नहीं रखता कि इन वर्णनों वाला कोई दावा उस वाद-कारण के उत्पन्न होने पर आवश्यक है जिसे कि कानून में मान्यता दी गई है।^१ कोई न्यायालय सुनति (equity) के आधार पर मियाद से छूट नहीं दे सकता चाहे उससे किसी पक्षकार के प्रति कठोरता क्यों न होंती हा।^२ फिर भी समुचित मामलों में कानून मियाद (भारतीय परिसीमा अधिनियम) के नीचे विलम्ब को माफ किया जा सकता है।

शब्द 'पर्याप्त कारण' की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। इस विषयक प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार तय किए जाने चाहिए।^३ इससे तात्पर्य है ऐसा कारण जो सम्बन्धित पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो।^४

२१५. रेष न्यायालय शुल्क—इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों में या प्रार्थना-पत्रों पर

1. हरिनाथ v. मोपूरबोहन, 21 Calcutta 8 P.C.
2. मुनिनियम बोर्ड सतनज v. कासीराम, A.I.R. 1944 पृष्ठ 135.
3. मेरोडुगाम v. रामाबत्तार, A.I.R. 1921, Allahabad 23.
4. मेरिया अपमिदा v. रामचन्द्र घांगुराम, A.I.R. 1938 Bombay 408

देय न्यायालय शुल्क यह होगा जो तृतीय अनुसूची के छठे स्तम्भ में निर्दिष्ट किया गया है :

+ [किन्तु राज्य सरकार द्वारा या उत्तरी घोर से प्रयुक्त किये गये या दायर किये गये किसी वाद या प्रार्थना-पत्र पर कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।]

टिप्पणी

यह धारा न्यायालय शुल्क अधिनियम को आसामियों के पक्ष में रूपान्तरित करने के लिए बनाई गई है। जहां पर यह अधिनियम मौन है वहां न्यायालय शुल्क अधिनियम लागू होगा।

न्यायालय की शक्तियाँ

२१६. राजस्व न्यायालय के बैठक का स्थान—(१) बोर्ड दाये के निर्णय के लिये + + [राज्य] में किसी भी स्थान पर बैठ सकता है।

(२) + + + [राजस्व अपील प्राधिकारी अपने द्विबोजन के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है।]

(३) कलक्टर, सब-द्विबोजनल आफिसर या सहायक कमिश्नर, उस जिले, सब-द्विबोजन या अन्य स्थानीय क्षेत्र जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो, के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है।

(४) तहसीलदार अपने न्यायालय की बैठक तहसील के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकता है।

२१७. विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की साधारण शक्तियाँ—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने के लिये सशम राजस्व न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियों के होगी जो तृतीय अनुसूची के सातवें स्तम्भ में निर्दिष्ट की गई है।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी तहसीलदार को तदनुसार केवल उन्हीं वादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने की शक्ति होगी जिनमें राज्य सरकार पक्षकार न हो तथा जिनमें विषय-वस्तु की रकम या मूल्य तीन सौ रुपये से अधिक या अन्य ऐसी उच्चतम-सीमा जो १०० रुपये से कम न हो, जिसका राज्य सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्रों में अधिसूचना निकाल कर निर्देश करे, से अधिक न हो और जब कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जो तृतीय अनुसूची में तहसीलदार की सक्षमता में होना निर्दिष्ट किया गया हो उक्त मूल्य या रकम से अधिक का हो या जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के खिलाफ दायर या प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी सुनवाई व निर्णय, सहायक कलक्टर करेगा।

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया।

+ + रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ + + रा. अ. ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

ॐ रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

२१८. राजस्व न्यायालयों की स्वामाविक शक्तियाँ—पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त—

(१) + [राजस्व अधीन प्राधिकारी] को, कलक्टर, सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(२) कलक्टर को सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर तथा तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(३) सबडिवीजनल आफिसर को सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(४) सहायक कलक्टर को तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

२१९. राजस्व न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियाँ—(१) राज्य सरकार—

(क) किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति

(ख) किसी तहसीलदार को सहायक कलक्टर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति,

(ग) किसी सहायक कलक्टर को सबडिवीजनल आफिसर या कलक्टर की समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति, प्रदान कर सकती है ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान करने में राज्य सरकार व्यक्तियों को, उनके नाम में या पदाधिकारियों के पदों को नामान्वयः उनके नरपारी पदों के नाम से, मजबूत कर सकती है ।

(३) जब किसी तहसील, सबडिवीजन, जिले या अन्य क्षेत्र में नियुक्त किसी पदाधिकारी, जिसने नाम में इस धारा के अन्तर्गत कोई शक्तियाँ प्रदान की गई हों, का तबादला दूसरी तहसील, सबडिवीजन, जिले या क्षेत्र में, मजबूत प्रकार के समान पद पर होता है, तो वह, जब तक सरकार अन्यथा आदेश न दे, वैसी दूसरी तहसील, सबडिवीजन, जिले या क्षेत्र में, इस धारा के अन्तर्गत उसी शक्तियों में विनिश्चित हुआ माना जाएगा ।

२२०. स्वामाविक जिलों के अधीनस्थ अधिकारों की शक्तियाँ—द्वितीय अनुसूची में मजबूत बाद और प्रायोजन-पत्र धारा २१७ के अन्तर्गत उक्त शक्तियाँ करने के लिये मजबूत निम्न-पत्र अधीन के राजस्व न्यायालय में दाखल किये जायेंगे :

× [किये यदि किसी क्षेत्र में कोई सहायक कलक्टर या सबडिवीजनल आफिसर न हो तो उनमें से किसी के द्वारा अन्तर्गत बाद या प्रायोजन-पत्र, उक्त क्षेत्र पर अधिलेखित करने वाले कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे या दाखल किये जायेंगे ।]

टिप्पणी

इस धारा की संशोधन धारा १५ C.P.C. में की गई है और इनमें दाया दाखली

+ रा. म. ८ मनु १९६२ द्वारा प्रशिक्षित ।

× रा. म. अधिनियम २७ मनु १९५६ द्वारा जोड़ा गया ।

के स्थान का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक दावा और प्रार्थना-पत्र धारा २१७ के अनुसार निम्नतम राजस्व न्यायालय में पेश किया जाएगा। धारा २०७ में बताया गया है कि सुनौप अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त दावे और प्रार्थना-पत्र राजस्व न्यायालयों द्वारा सुने और फैसल किये जायेंगे।

२२१. राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता—समस्त राजस्व न्यायालयों के ऊपर सामान्य अधीक्षण व नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा तथा उक्त समस्त न्यायालय उक्त बोर्ड के अधीन होंगे और उक्त अधीक्षण, नियंत्रण का एव अधीनस्थता के अधीन—

× (क) × × × ×

- (क) किसी जिले के समस्त प्रतिरिक्त कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर और तहसीलदार उस जिले के कलक्टर के अधीन होंगे,
- (ग) किसी सब डिवीजन के समस्त सहायक कलक्टर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उस सब डिवीजन के सब डिवीजनल आफिसर के अधीन होंगे,
- (घ) किसी तहसील के समस्त प्रतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीन होंगे।

अपीलें

२२२. जब तक इस अधिनियम द्वारा अनुमत न हो अपील नहीं होगी—किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आज्ञा की अपील इस अधिनियम में की गई व्यवस्था से अन्यथा नहीं होगी।

२२३. मूल डिक्रियों की अपीलें—किसी मूल डिक्री की अपील—

- (१) यदि उक्त कोई डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई हो तो कलक्टर को, और
- (२) यदि उक्त डिक्री किसी सहायक कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर या कलक्टर द्वारा दी गई हो तो, [राजस्व अपील प्राधिकारी] को।

होगी।

टिप्पणी

तहसीलदार, सहायक कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर अथवा कलक्टर द्वारा दी गई समस्त मूल डिक्रियों की अपीलें हो सकती हैं। इस धारा के नीचे अपील सिर्फ डिक्री की ही हो सकती हैं। किसी निर्णय में दिये गये किसी निष्कर्ष की अपील नहीं होगी।^१ अपील न्यायालय कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो शहादत के विरुद्ध हो चाहे अपील की सुनवाई एक पत्रिय रूप में हो वयो न की गई हो।^२

× राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा विलुप्त।

१ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

१. करीम मिया v. जफराली, 1942 Bombay 279.

२. भूरा v. सादू, 1961 R.L.W. (R.S.) 106.

[३] यदि उक्त आजा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो बोर्ड को होगी ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत अपील में पारित किसी आजा की कोई अपील नहीं होगी ।

टिप्पणी

पुराने अधिनियम में सब आजाओं की चाहे वे मूत्र आजाएं हो अथवा अपील में दी गई हो—अपील हो सकती थी ।^१ वर्तमान धारा का प्रभाव सीमित है और अब अपील में दी गई आजा की और अपील नहीं हो सकती । इस धारा में किसी आजा को केवल एक अपील दी गई है । अपील का यह अधिकार केवल अन्तिम आजा तक ही सीमित नहीं है और अन्तिम आजा की भी अपील हो सकती है ।^२ इस प्रकार सम्मत मूत्र वादों, प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों तथा धारा २२३ एवं २२४ के अन्तर्गत डिक्ज़ियों के विरुद्ध अपील में दी गई आजाओं की अपीलें हो सकती हैं । किसी आजा की दूसरी अपील नहीं हो सकती ।^३

२२६. किसी अपील को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने की बोर्ड की शक्ति—बोर्ड किसी अपील को या तो स्वीकार कर सकेगा या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर सकेगा ।

टिप्पणी

सरसरी तौर पर अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शक्ति केवल बोर्ड की है किसी अधीनस्थ राजस्व अपील न्यायालय को नहीं । अतः अधीनस्थ अपील न्यायालय किसी अपील को निषेध बाहर होने पर भी सरसरी तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते ।^४

इस धारा के नीचे सरसरी तौर पर अस्वीकृति की आजा न्यायिक आजा है और धारा २२६ के नीचे उसका पुनरावलोकन (नजरसानी) किया जा सकता है ।^५

२२७. अनियमितता के कारण किसी डिक्ज़ी या आजा को पलटा या उपान्तरित न किया जाना—किसी कार्यवाही में पक्षों या वाद-हेतुओं के ऐसे दुसयोजन (Misjoinder) या त्रुटि या अनियमितता के कारण जिसका मुकदमे के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो कोई डिक्ज़ी या आजा अपील में न तो पलटी जायेगी न सारभूत रूप में परिवर्तित की जायेगी और न पुनः अन्वेषण के लिये लौटाई (रिमाण्ड) जायेगी ।

टिप्पणी

१. विषयः—इस धारा का उद्देश्य अपील न्यायालय की मुद्दमों की कार्यवाहियों

१. रामदास v. सीदास, 1952 R.L.W. (R.S.) 67.

२. मु०षापू v. अ०शरमल, 1952 R.L.W. (R.S.) 35.

३. उपधारा (२) ।

४. संसूत पाट्याला vs. सदाजू, 1942 A.W.R. 202.

५. धूरत vs. शिवहरल, 1948 R.D. 28.

में अनियमितता के सम्बन्ध में अधिक विवेक प्रयोग की शक्ति प्रदान करना है। इस प्रकार यदि कोई निर्णय गुण दोष की दृष्टि से ठीक हो और न्यायालय को अधिकारिता में दिया गया हो तो प्राविधिक (टेकनिकल) अनियमितता के कारण उसे नहीं पलटा जाना चाहिए।²

२. धारा का प्रभाव भूतलसी है—इस धारा का प्रभाव भूतलसी है अतः समस्त विचाराधीन अपीलों का नियमन इसके अनुसार होगा।³

३. पुनः अव्ययण (रिमाण्ड)—इस धारा के द्वारा किसी अरील प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से दी गई रिमाण्ड की आज्ञा के दोष का परिहार हो जाता है जब तक कि यह नहीं बता दिया जाय कि ऐसी आज्ञा का मामने के गुण दोष पर प्रभाव नहीं है।⁴ जहाँ कोई मामला किसी प्राथमिक आवार (प्रीलिमिनेरी पाइन्ट) पर फंसल नहीं किया गया हो वहाँ रिमाण्ड की आज्ञा न केवल अनियमित अस्तित्व अवैध है और रिमाण्ड के बाद की सब कार्यवाहियाँ शून्य होंगी।⁴

२२८. अपीलों के निमित्त परिसीमा—(१) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी कोई अपील कनक्टर को नहीं होगी।

(२) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत (complaint) हो उसकी तारीख से ६० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी कोई अपील [राजस्व अपील प्राधिकारी] को नहीं होगी।

(३) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत हो, उसकी तारीख से ९० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसकी कोई अपील बोर्ड में नहीं होगी।

टिप्पणी

परिसीमा (मिथाद) के प्रश्न पर न्यायालय को स्वयं विचार कर लेना चाहिए चाहे उसे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाया गया हो।⁵

इस धारा में परिसीमा अधिनियम १९०० की धारा ५ के समान उपबन्ध नहीं है अतः उसमें विहित अवधि के पश्चात् पेन की गई अपील स्वारिज होने योग्य है।⁶

जहाँ २७-१-६३ को नायब तहसीलदार ने एक तर्फी आज्ञा दी जिसका ज्ञान पक्ष-

1. 1842-1896 अराबगमा हर्बिन 282.

2. रुपनारायण vs. गोपालदेवी, 36 Cal. 780.

3. देवेन्द्रनाथ vs. बन्धु कुमार, 5 R.L.J. 328.

4. पाणिनी सेठी vs. रणेशम नायडू, 32 Mad. 83.

5. राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

6. अचनाक खाँ vs. कुरवान खाँ, A.I.R. 1948 Nag. 41.

7. बालमुकुन्द vs. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1954 R.R.D. 338.

अपील नहीं की जा सकती हो, के रेकार्ड को भंगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय द्वारा

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नहीं है, या

(ख) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया है या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अर्धवैध रीति से अथवा सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है,

तो बोर्ड उस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

टिप्पणी

सिवा उन तीन प्रकार के मामलों में जिनका उल्लेख इस धारा में किया गया है बोर्ड को पुनरीक्षण के द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।¹ जहां वैकल्पिक-प्रतिकार (Remedy) उपलब्ध होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाया जाय तो पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।² पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड करे, इसके लिए आवेदन-पत्र देना भी आवश्यक नहीं है।³ जहां अपील हो सकती हो पुनरीक्षण नहीं होगा।⁴ भारत रक्षा अधिनियम के नीचे कलघट्टर द्वारा दी गई आज्ञा राजस्व न्यायालय की आज्ञा नहीं होने से राजस्व बोर्ड द्वारा उसका पुनरीक्षण बोर्ड की अधिकारिता के बाहर है।⁵

जहां दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक से हों तो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जब तक कि सारवान अनियमितता नहीं हुई हो। जा बात अधीनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन हो उसमें बोर्ड को महाद्वर का अनुरोध से अथवा लगा कर मुकदमे के गुण दोष पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।⁶

२३१. हाई कोर्ट की बातों को भंगवा भेजने की शक्ति:—हाई कोर्ट ऐसे किसी बात या प्रार्थना-पत्र जिसका निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया हो, तथा जिसकी अपील धारा २३६ के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय में हो सकती हो परन्तु जिसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती हो, के रेकार्ड को भंगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि सिविल या राजस्व न्यायालय ने:—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

1. मुबलाम v. स्टेट, 1959 R. L. W. (R. S.) 8

2. मगनलान v. स्टेट, 1955 R. L. W. (R. S.) 39

3. रामधर v. पद्मानाभ, 1955 R. L. W. 138

4. लवण v. मृगा, 1966 R. R. D. 100

5. इन्डियन ऑफ द्रिंकिंग v. प्रजमेर बनव, 1966 R. R. D. 159

6. गुरेन्द्रसिंह v. मंगला, 1964 R. R. D. 240

(रा) उसमें ऐसे निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अर्थात् रीति में अप्रत्या मारकात अनिमितता के कार्य किया है,

तो हाई कोर्ट उसमें ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

टिप्पणी

यह धारा लगभग धारा ११५ C. P. C. की पुनरावृत्ति है हान्नाकि अनुसूची चतुर्थ की सूची प्रथम में उसे गजस्व न्यायालयों पर लागू होना विशेष रूप में दिया है । अतः उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की पुनरीक्षण अधिकारिता इस धारा की परिधि के भीतर ही है ।^१ अलवत्ता हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आवेदक के सामने दूसरा प्रतिकार (Remedy) होते हुए भी पुनरीक्षण में हस्ताक्षेप कर सकता है बगते कि ऐसा करने से मुकदमाबाजी कम हो और विलम्ब एवं अनावश्यक खर्च से बचा जा सके ।^२

निर्देश

२३२. रेकार्डें मंगवाने तथा चोर्डें की निर्देश (रेफर) करने की शक्ति :—

कलक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्गत या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के रेकार्डें को, दी गई आज्ञा की बंधता या शोचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में, स्वयं को सन्तुष्ट करने के अनिश्चय में मगवा सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा और यदि उसकी राय यह हो कि उस न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा या की गई कार्यवाही परिवर्तित, खण्डित या पलट दी जाने योग्य है तो वह उग मामले को अपनी राय के साथ चोर्डें को निर्देशित कर देगा और तदुपरान्त चोर्डें उस पर ऐसी आज्ञा दे देगा जो वह उचित समझे :—

किन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, धारा २३९ के अन्तर्गत जाने वाले वादों अथवा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी

विवरण :—इस धारा में चोर्डें को निर्देशित (Referred) किए जाने वाले मामलों का उल्लेख किया गया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ११३ और आर्डर ४६ इस अतिनिश्चय के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते ।^३ निर्देश (रेफरेंस) केवल रा० अ० प्रा० अथवा कलक्टर के द्वारा ही किए जा सकते हैं ।^४

1. कोनजीनाल v. चिरजीनाल, A. I. R. 1932 All 589

2. डिम्बिचट चोर्डें बहराहच v. रामेन्द्रप्रसाद सिंह 1944 O. W. N. 174

3. चतुर्थ अनुसूची, सूची 9

4. लूणकरण v. सेतम, 1955 R. L. W. (R. S.) 75

हाई कोर्ट में रेफरेंस करने की प्रक्रिया धारा -२४३ (१) में बताई गई है। जहां कोई न्यायालय स्वयं किसी बात का निर्णय कर सकता है तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जाना चाहिए।^१ बिना पक्षकारों को सुने और अपना दिमाग लगाए निर्देश कर देना उचित नहीं है।^२

२. अपील और निर्देश:—जहां कलक्टर के समक्ष अपील विचाराधीन हो तो निर्देश नहीं किया जा सकता।^३ यदि सम्बन्धित आशा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण बोर्ड में हो सकता हो तो भी निर्देश किया जा सकता है परन्तु निर्देश करने से पूर्व कलक्टर से यह आशा को जानी है कि वह पक्षकारों को सुने।^४

मामलों का अन्तरण

२३३. रेवेन्यू बोर्ड द्वारा मामलों का अन्तरण:—बोर्ड, पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर, किसी वाद, कार्यवाही, प्रार्थना-पत्र अथवा अपील को या किसी प्रकार के वादों, कार्यवाहियों प्रार्थना-पत्रों अथवा अपीलों के किसी वर्ग को एक राजस्व न्यायालय से किसी अन्य राजस्व न्यायालय को जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

+ २३४ X X X

२३५. कलक्टर अथवा सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण तथा उन्हें वापिस लिया जाना:—कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय से किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को वापिस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग पर स्वयं विचार कर सकता है अथवा उसे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में, जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकता है।

+ २३६ X X X

२३७. कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण:—कलक्टर अथवा सब डिवीजनल आफिसर अपने समक्ष विचाराधीन किसी मामले या किसी प्रकार के मामलों को, उनकी सुनवाई करने में सक्षम किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा।

२३८. हाई कोर्ट द्वारा राजस्व अपीलों का अन्तरण:—हाई कोर्ट पर्याप्त कारण बतलाये जाने या धारा २३६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत किन्हीं अपीलों को, उस सिविल न्यायालय, जिसमें वे प्रस्तुत की गई हों, से, किसी अन्य सिविल न्यायालय को, जो उनकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

1. जेतदान v. बगसा, 1955 R. L. W. (R. S.) 110
2. गुपतमिह v. स्टेट, 1962 R. L. W. (R. S.) 79: 1962 R. R. D. 191
3. विश्वेश्वर दयान, v. माधोमिह, 1964 R. R. D. 198
4. स्टेट v. मीरा, 1966 R. R. D. 44
+ रा० ध० ८ सन १९६२ द्वारा विनुप्त।

राजस्व न्यायालयों के समग्र स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न

२३६. स्वामित्व के अधिकार को बलीत प्रस्तुत किये जाने की दशा में कार्य-प्रणाली—
(१) यदि, राजस्व न्यायालय के समग्र हितों वाद या कार्यवाही में, उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो उक्त वाद या कार्यवाही की विषय—वस्तु है, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उठाया जाय और उस प्रश्न का निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा पहिले नहीं किया जा चुका हो तो, उक्त राजस्व न्यायालय स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न पर वाद-पद (तारी) स्थिर करेगा और रेकार्ड को, केवल उक्त वाद-पद के निगमार्थ सक्षम सिविल न्यायालय को भेज देगा ।

स्पष्टीकरण—[१] स्वामित्व के अधिकार को उक्त दलील, जो दृष्टतया स्वीकार करने योग्य न हो और केवल राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने की इच्छा से की गई हो, इस धारा के अन्तर्गत, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उत्पन्न करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

स्पष्टीकरण—[२] स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न में यह प्रश्न सम्मिलित नहीं है कि क्या भूमि "खुदास्त" है ।

(२) सिविल न्यायालय यदि आवश्यक हो, तो वाद पद फिर से कायम करने के बाद, केवल उस वाद पद का ही निर्णय करेगा और अभिलेख को तत्सम्बन्धी अपने निर्णित मत के साथ, उस राजस्व न्यायालय को वापिस कर देगा जिसने उसे भेजा था ।

(३) राजस्व न्यायालय तब, भेजे गए वाद पद (issue) के विषय में सिविल न्यायालय के निर्णित मत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये अप्रसर होगा ।

(४) राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त वाद, जिसमें स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न का निर्णय उप-धारा (२) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा किया गया हो, में दी गई इन्जी की अर्पण उस सिविल न्यायालय में की जायेगी जो वाद के मूल्बान का विचार करते हुए, उस न्यायालय की अर्पणों की सुनवाई करने की अधिकारिता रखता हो जिसको कि स्वामित्व के अधिकार का वाद पद निर्देशित किया गया था ।

(५) उप-धारा (४) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा अर्पण में दी गई इन्जी या आज्ञा की दूसरी अर्पण, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर १९०८ (सेप्टुल एक्ट ५, ऑफ १९०८) की धारा १०० में निर्दिष्ट आधाराओं में से किसी आधार पर, हाई कोर्ट में होगी ।

टिप्पणी

१. विषय—स्वामित्व विषयक प्रश्नों पर निर्णय देने की अधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालयों की है ।^१ इस धारा की उपधारा (१) तथा उसके स्पष्टीकरण में बताया गए अपवादों के अतिरिक्त इस विषयक उपबन्ध बाध्यकर (Mandatory) है ।^२ यदि

१. चारण देवीदान v. राजस्व मंडल, A.I.R. 1955 N.U.C. (1049)

२. रामधाराई v. सिद्धुमार, 1947 R.D. 381.

स्वामित्व के अधिकार सम्बन्ध में प्रश्न वास्तव में उत्पन्न होता ही तो अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील में भी उठाया जा सकता है यदि वह ऐसी साक्ष्य पर निर्भर नहीं ही जो रिकॉर्ड पर नहीं हो।¹

२. खातेदारी अधिकार—खातेदारी अधिकार स्वामित्व विषयक अधिकार नहीं है क्योंकि खातेदार भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता। यदि कृषि अधिकार (टिर्नेसी) सम्बन्धी विवादों में हैसियत अथवा हक (टाइटल) का प्रश्न उठाया जाता है तो राजस्व न्यायालय उसे तय करने के लिए सक्षम है।² परन्तु राजस्व बोर्ड ने इस निर्णय से एक महोने पहले ही एक अन्य मुकदमे में यह निर्णय लिया था, कि जहाँ विवाद ग्रस्त भूमि को वादी अपने खुदकास्न की भूमि बताता है और प्रतिवादी उसमें खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेना बताता है तो यह समझा जाना चाहिए कि स्वामित्व और अधिकारिता के प्रश्न उद्भूत हो गये हैं चाहे वे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाए गए हैं और इसका निर्णय करने के लिए सिविल न्यायालय में निर्देश आवश्यक है।³ सादर निवेदन है कि श्री नारायण V. मु० गौरन के मुकदमें में दिया गया निर्णय अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है।

३. वास्तविक कब्जा—जहाँ वास्तविक कब्जे के आधार पर स्वामित्व के अधिकार का दावा किया गया जब कि अपील के स्मरण पत्र में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया तो राजस्व न्यायालय को अधिकारिता छीनने के प्रयास को अस्वीकार किया गया।⁴

४. प्यादेन (दृषम इस्तनाह) के दावे—जहाँ स्थायी व्यादेन के दावे में वादी ने अपने को पिछले खातेदार का दत्तक पुत्र होना बनाया तो उसकी हैसियत का प्रश्न गौण समझा गया और स्वामित्व के अधिकार से सम्बन्धित न माना जाकर प्रश्न को सिविल न्यायालय में निर्दिष्ट नहीं किया गया।⁵

२४०. धारा २३६ के अन्तर्गत अपीलों के लिये परिमोमा तथा न्यायालय शुल्क—पूर्ववर्ती अन्तिम धारा की उपधारा (४) तथा (५) के अन्तर्गत अपीलों के सम्बन्ध में परिमोमा की दरिया तथा न्यायालय-शुल्क वही होगा जो उन न्यायालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सिविल अपीलों के लिये तत्समय प्रावहित हो।

२४१. स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न के निर्णय-हेतु अभिलेख में सामग्री उपलब्ध न होने की रना में, अपीलों के बारे में प्रक्रिया—यदि धारा २३६ की उप-धारा (४) तथा (५) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अपील में, अपील न्यायालय के समक्ष स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न

1. जितान v. राजनारायणसिंह, 1955 R.D. 376.
2. धीनारायण v. मु० गौरन, 1965 R.R.D. 349.
3. रामचन्द्र v. दुनाब कदर, 1965 R.R.D. 250.
4. नारायण v. विजयनाथ, 1965 R.R.D, 393,
5. धीमनो दुनाब बाई v. चमनसिंह, 1966 R.R.D. 123.

के निर्णय-हेतु आवश्यक समस्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो, वह—

- (क) या तो मामले को उक्त सिविल न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर सकेगा जिसने स्वामित्व के अधिकार के विषय में वाद-पद का निर्णय किया हो, या
- (ख) उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में एक नया वाद-पद स्थिर करके उसे विचार हेतु किसी अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को निर्देशित (रेफर) कर देगा ।

सिविल न्यायालय में टिनेसी के अधिकार का प्रश्न

२४२. सिविल न्यायालय में टिनेसी के अधिकार की दलील पेश की जाने की वृत्ति में प्रक्रिया—(१) यदि सिविल न्यायालय में कृषि-भूमि के सम्बन्ध में दायर किये गये किसी वाद में टिनेसी के अधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय और उक्त प्रश्न का निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पहले विनिश्चित नहीं किया गया हो तो, उक्त सिविल न्यायालय टिनेसी के अधिकार की दलील पर एक वाद पद स्थिर करके अभिलेख को, केवल उसी वाद पद के निर्णय हेतु, समुचित राजस्व न्यायालय को प्रेषित कर देगा ।

स्पष्टीकरण—(१) टिनेसी की उक्त दलील (प्ली) को जो स्पष्टतया स्वीकार करने योग्य नहीं हो और केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से दी गई हो, टिनेसी की दलील (plea) उत्पन्न करने वाली नहीं समझा जायेगा ।

(२) राजस्व न्यायालय यदि आवश्यक हो, वाद पद को पुनः स्थिर करने के बाद केवल उसी वाद पद का निर्णय करके अभिलेख को, अपने निर्णीत मत के साथ उस सिविल न्यायालय को वापिस भेज देगा जिसमें उसे प्रेषित किया था ।

(३) सिविल न्यायालय, तब प्रेषित किये गये प्रश्न पर राजस्व न्यायालय के निर्णीत-मत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये प्रयत्न होगा ।

(४) राजस्व न्यायालय का, उसे प्रेषित किए गए वाद पर निर्णीत-मत, अपील के अभिप्रायों के लिये, सिविल न्यायालय के निर्णीत-मत का अंग समझा जायेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २३६ में वह प्रक्रिया बताई गई थी जो राजस्व न्यायालयों में स्वामित्व के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न होने पर काम में लाई जानी है । इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जबकि सिविल न्यायालय में कृषि-अधिकार (टिनेसी) का प्रश्न उठाया जाय । चूंकि टिनेसी सम्बन्धी अधिकार का प्रश्न केवल राजस्व न्यायालय को अधिकारिता में है अतः सिविल न्यायालय को ऐसी सूचना में एक वाद-पद स्थिर करके उसे उचित निर्णय हेतु समुचित राजस्व न्यायालय में भेज देना चाहिए सिवा उन सूचनाओं के जबकि ऐसा प्रश्न सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पहले ही तय कर दिया गया हो अथवा जब ऐसा प्रश्न केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से किया गया हो ।

राजस्व न्यायालय से अभिलेख भेजने से पूर्व सिविल न्यायालय को अपना समाधान इस विषय पर कर लेना चाहिए कि दावा वास्तव में कृपि भूमि में सम्बन्धित है।^१ सिविल न्यायालय को उन मामलों में, जो स्पष्टतः राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में हों, कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अतः जहाँ पर अनुनोप (दादरसी) का कोई अंश राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता हो तो उसमें सम्बन्धित अंश को सिविल न्यायालय में पेश किए जाने वाले दावे से निकाल देना चाहिए।^२

२. टिनेसी अधिकार—यह प्रश्न कि आया कोई संयुक्त हिन्दू परिवार अथवा उसका कोई सदस्य आसामों है या नहीं—टिनेसी अधिकार सम्बन्धी प्रश्न है।^३

३. अपील—संक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न के विरुद्ध कोई अग्रित पेश नहीं की जा सकती है। इसके पर्याय एक ही प्रतिकार (Remedy) सौंप रह जाना है और वह यह कि सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्ली की अपील समुचित अपील न्यायालय में पेश की जाय और तब राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न को चुनौती दी जाए।^४

अधिकारिता सम्बन्धी विवाद

२४३. अधिकारिता के प्रश्न को हाई कोर्ट में निर्दिष्ट करने की शक्ति—(१) जब किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को यह सन्देह हो कि आया वह किसी वाद, मामले, कार्य-वाही, प्रार्थना-पत्र या अपील को ग्रहण करने में सक्षम है, अथवा आया उसे वादी, प्रार्थी या क्षीतकर्ता को उस वाद, मामले, कार्यवाही प्रार्थना-पत्र या अपील को दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देना चाहिये तो वह न्यायालय अभिलेख को, अतः सन्देह का कारण बतलाते हुए, हाई कोर्ट को प्रेषित कर सकेगा।

(२) जब कोई वाद, मामला, कार्यवाही, प्रार्थना-पत्र या अपील अधिकारिता के संभाव के कारण किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा प्रस्वीकार किये जाने पर, तदनुसार दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय तो उक्त दूसरे प्रकार का न्यायालय, यदि वह पूर्ववर्ती न्यायालय के निर्णीत मत में असहमत हो, अभिलेख को अपनी असहमति के कारणों का विवरण देते हुए, हाई कोर्ट को प्रेषित कर देगा।

(३) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, यदि न्यायालय क्लर्क के अधीनस्थ कोई राजस्व न्यायालय हो तो, कोई भी निर्देश इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अन्तर्गत क्लर्क की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायगा।

(४) निर्देश हेतु, इस प्रकार प्रेषण किये जाने पर, हाई कोर्ट उक्त न्यायालय को, या

१. मुहम्मद मेहरी v. जानकीदास, A.I.R. 1943 Oudh 307.

२. उग्रोक्त।

३. रामकरण v. पयनन्दन, 1944 R.D. 58.

४. किरणचंद v. मुकुन्द स्वयं, A.I.R. 1931 All. 91.

तो मामले में घागे कार्यवाही करने को या उक्त वाद, प्राग्ना-पत्र या अपील को ऐसे अन्य न्यायालय में, जिसे वह उक्त मामले पर विचार के लिये गदाम घोषित करे, प्रस्तुत करने के लिये लौटा देने की आज्ञा दे सकेगा ।

(५) हाई कोर्ट की आज्ञा अन्तिम होगी और उन सम्स्त न्यायालयों द्वारा मान्य होगी जो हाई कोर्ट अपवा बोर्ड के अधीनस्थ हों ।

टिप्पणी

इस अधिनियम के निर्वचन के सिलसिले में अधिवास्ता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय को अन्तिम प्राधिकार दे दिया गया है । इस धारा के अन्तर्गत किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता परन्तु अभिलेख को इस प्रकार का निदेश (डाइरेक्शन) प्राप्त करने के लिए प्रेषित कर देना चाहिए कि आया न्यायालय को वाद में कार्यवाही जारी रखनी चाहिए अथवा वाद पत्र (प्लेंट) को लौटा देना चाहिए ।¹ यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां कि दावा राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव के आधार पर अस्वीकार (रिजेक्ट) कर दिया जाए और उसे बाद में सिविल न्यायालय में पेश किया जाए और वह न्यायालय राजस्व न्यायालय के निर्णय से असहमत हो ।² इस धारा में अन्य न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) के लिए प्रावधान किया गया है न कि मुकदमों के अन्तरण के लिए । हाई कोर्ट का काम अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह देना नहीं है । जब अधीनस्थ न्यायालय वाद पद (तनकी) बनाने में ही गलती करें तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता ।³ जहां अपील में अतिरिक्त कमिश्नर ने यह तय किया कि दावा सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय था और उस न्यायालय में पेश करने को दावा लौटा दिया तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त कमिश्नर की आज्ञा उचित नहीं थी और उसको हाई कोर्ट में निर्देश (रेफरेंस) करना चाहिए था ।⁴

२४४. अपील में यह बलौल(plea)पेश करना कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था—जब सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गये किसी वाद में, अपील सिविल न्यायालय में होती हो तो यह प्राप्ति कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, अपील न्यायालय द्वारा नहीं सुनी जायेगी जब तक कि वह प्राप्ति (objection) प्रथम न्यायालय में ही नहीं उठाई गई हो, और अपील-न्यायालय, अपील का निर्णय इस प्रकार करेगा मानो वह वाद सही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

टिप्पणी

इस धारा का विषय केवल उन्ही वादो तक सीमित है जो कि राजस्व अथवा सिविल

1. परमेश्वरीदास v. ओगुनलाल, A.I.R. 1944 All. 81.

2. दोरेन्द्र किशोर v. गोकुल, 1949 A L.J. 267.

3. कमर v. सुता, 1960 R.L.W. 395.

4. राजकुमार राजेन्द्रसिंह v. गगाबिशन, 1964 R.D. 150.

न्यायालय में पेश किए गए हों परन्तु जिनमें अपील केवल किसी सिविल न्यायालय में ही हो सकती हो।¹ अधिकारिता का दोष उन मामलों में नहीं मिटाया जा सकता जहाँ कि कोई वाद गलत तरीके से सिविल न्यायालय में पेश कर दिया गया हो और अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के पास उस राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होती हो जिसके समक्ष कि वह पेश होना चाहिए था।² जहाँ दावा राजस्व न्यायालय में ही पेश किया गया हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।³ इस धारा के अंतर्गत इस प्रकार की उक्ति अपील में पेश करने की अनुमति नहीं दी जायगी कि किसी वाद पद की पहली अदालत द्वारा धारा २४१ (३) के नीचे कलक्टर को निर्देशित किया जाना चाहिए था।⁴ इस धारा में अधिकारिता के सम्बन्ध में सीमावर्ती मामलों (border line cases) का निपटारा करने के लिए उत्तम प्रावधान है।⁵

२४५. आपत्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने की दशा में कार्य प्रणाली—(१) यदि निर्मा एम वाद में आपत्ति प्रथम न्यायालय में ही प्रस्तुत की गई हो और वाद के निर्णय-हेतु समस्त आवश्यक सामग्री अपील न्यायालय के समक्ष विद्यमान हो, तो अपील-न्यायालय अपील का फलता इन प्रकार करेगा मानो वह वाद उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

(२) यदि अपील न्यायालय के समक्ष बंसी समस्त सामग्री विद्यमान न हो और वह मामले की सौदा दे या वाद पद स्थिर करके उन्हें विचार हेतु प्रतिप्रेषित करे या अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने की अपेक्षा करे तो वह अपनी आज्ञा की या तो उस न्यायालय की जिसमें वाद प्रस्तुत किया गया हो अथवा एम न्यायालय को जिसे वह उस वाद पर विचार करने के लिये सक्षम घोषित करे, निर्देशित कर सकेगा।

(३) ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में इस आधार पर कि वह आज्ञा एम न्यायालय को निर्देशित की गई है जो वाद पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है, कोई आपत्ति, अपील में या अन्यथा, न तो स्वीकार की जायगी न उठाई जायगी।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा की इसमें पहिले वाली धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह धारा २४४ का ही प्रति-अंश है। इस धारा के उपबन्ध उन दावों पर लागू होंगे जो गलती से सिविल न्यायालय में पेश हो गए हों।⁶ यदि कोई दावा सिविल न्यायालय में

1. महादेव प्रसाद v. जोधनराम, A.I.R. 1947 Oudh 133.

2. सुशास्त्र v. बकाती, A.I.R. 1948 Oudh 46.

3. मन्सुलहक v. पटेश्वरी प्रसाद सिंह, A.I.R. 1946 All. 294.

4. बाबूनन्दन सिंह v. पूनेयसिंह, A.I.R. 1937 All. 105.

5. सईम-उम-निसा v. फिदा हुसैन, A.I.R. 1921 All. 112 : और छपनसाह v. मुनसान, 1962 R.L.W. 349.

6. हाजिद हुसैन v. बेलेस, A.I.R. 1944 All. 200.

पेश हो और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होनी हो और डिस्ट्रिक्ट जज इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दावा राजस्व न्यायालय में पेश होना चाहिए, या तो उसे दावे को खारिज नहीं करना चाहिए परन्तु अपील को उसी प्रकार निपटाना चाहिए, मानों दावा सही न्यायालय में पेश किया गया था।¹

२. धारा २४४ व २४५ में अन्तर—दोनों धाराओं का उद्देश्य सद्भावना पूर्वक की गई गलतियों से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करना है। यदि धुरु की अदानन में अधिकारिता सम्बन्धी आपत्ति नहीं उठाई गई हो तो अपील न्यायालय उसे अपील में नहीं उठाने देगा और अपील में निर्णय उसी प्रकार करेगा मानो वाद सही न्यायालय में पेश किया गया था। दूसरी ओर यदि ऐसी आपत्ति पहले ही उठाई गई थी तो अपील न्यायालय इस धारा के नीचे अप्रसर होगा। यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो सिविल एवं राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा पंक्ति में हों।²

अध्याय १६

विविध

२४६. राजस्व, लाभ इत्यादि की बकाया :—भूमि के मगान, या उसकी उपज में से लाभ की बकाया के रूप में किसी रकम का हक रखने वाला कोई व्यक्ति उसे वसूल करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय :—इस धारा में प्रयुक्त शब्द 'कोई व्यक्ति' से अभिप्राय भूमिधारी या ठेकेदार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से है। यदि भू-राजस्व किसी ऐसे व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है जो कि एक सहभागी नहीं है तो उसकी वसूली के लिए इस धारा के अंतर्गत वाद लाया जायगा।

२. प्रक्रिया :—इस धारा के अंतर्गत लाया जाने वाला वाद अनुसूची तृतीय के भाग प्रथम की मद संख्या ३१ से शासित होता है। धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अध्वधीन ऐसा वाद तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा।

जितनी रकम का दावा किया जाय उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा।

जिस दिन बकाया देय हो जाय उस दिन से तीन साल की मियाद होगी।

सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्री की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और तहसीलदार की डिक्री की पहली अपील कलक्टर के यहाँ होगी। पहली सूरत में दूसरी अपील बोर्ड को और दूसरी सूरत में राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ होगी।

1. बटाना कोर v. रामलगन, 2 R.D. 31.

2. सर्वेड उलनिसा v. फिदाहूसेन, A.I.R., 1921 All. 112.

अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण
केगा।

२४७. भुगतान किये हुए राजस्व की बकाया के लिये वाद :—(१) कोई भू-सम्पत्ति-
जिसने सहभागी द्वारा देय राजस्व की बकाया का भुगतान किया हो उस भुगतान की
रकम के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) कोई भी सहभागी जिसने भू-सम्पत्तिधारक या अन्य सहभागी द्वारा देय राजस्व
का बकाया का भुगतान किया 'हो इस प्रकार भुगतान की गई रकम के लिये उक्त भू-सम्पत्ति-
धारक, अथवा सहभागी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय :— इस धारा में सहभागियों द्वारा परस्पर वाद किये जाने का उपबन्ध
यह सहभागियों को कानूनी अधिकार इस बात का देती है कि यदि किसी ने अपने
सहभागियों की ओर से राजस्व की बकाया का भुगतान कर दिया हो अथवा उसे भुगतान
ने को बाध्य किया गया हो तो वह अन्य सहभागियों से उस भुगतान की गई रकम
वापिस वसूली के लिए दावा कर सके और उसके इस प्रकार के कानूनी अधिकार
इस बात का कोई असर नहीं होगा कि उसने लाभों का संग्रह कर लिया हो।^१
धारा (१) में बताया गया है कि यदि किसी भू-सम्पत्तिधारक ने अपने सहभागी
ओर से राजस्व का भुगतान कर दिया हो तो वह उस पर दावा कर सकता है और
धारा (२) में दिया गया है कि यदि किसी सहभागी ने भू-सम्पत्तिधारक अथवा
अन्य सहभागी की ओर से भुगतान कर दिया हो तो वह भी यथा स्थिति दावा कर
सकता है। किसी सह-आसामी द्वारा दावा भी इसी धारा के अंतर्गत होगा।

२. मुजरा (Set off) का दावा :— इस धारा के नीचे मुजरा
(Set off) का अभिवचन (प्ली) उठाया जा सकता है—परन्तु न्यायालय को उस
पर विचार करना स्वीकार करने से पूर्व यह स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि ऑर्डर
नियम ६ सि० प्र० सं० की सब आवश्यकतायें पूरी कर दी गई हैं।

३. प्रक्रिया :— उप धारा (१) व (२) के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया के
लिए भुगतान की गई रकम की वसूली के लिए दावा अनुमूची द्वितीय भाग
नियम के मद संख्या १२ के द्वारा शासित होगा तथा धारा २१७ (२) के उपबन्धों के
अन्वये तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा।

जितनी रकम का दावा किया गया हो उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा।

जिस दिन भुगतान किया गया हो उससे तीन साल की मियाद होगी।

अपील एवं पुनरीक्षण पूर्ववर्ती धारा की टिप्पणी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार
होगा।

+ [२४८. इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद :—कोई इजारेदार या ठेकेदार, भू-सम्पत्तिपारक या उसके सहभागी या दोनों द्वारा देय राजस्व की बकाया के रूप में अपने द्वारा चुकाई गई किसी रकम की वसूली के लिये वाद दायर कर सकेगा और भू-सम्पत्तिपारक या किसी सहभागी द्वारा उसकी धोर से चुकाई गई किसी रकम की वसूली के लिये उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है ।]

२४९. हिसाब का निचटारा करने के लिये वाद :—कोई भी सहभागी, भू-सम्पत्तिपारक पर या किसी अन्य सहभागी पर हिसाब के निचटारे हेतु तथा नाम में अपने हिसाब के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

टिप्पणी

१. विषय :—इस धारा के नीचे किया जाने वाला वाद हिमाय के लिए होना है अतः लेखों की जांच के पश्चात् यदि कोई रकम वादी के ज़िम्मे निकले तो उसके भी विरुद्ध डिक्री दी जा सकती है।^१ यह वाद हिसाब फहमी के लिए होना है अतः लेखों की जांच के लिए प्रापक (रिसीवर) नियुक्त किया जा सकता है जो वादी व प्रतिवादी से लेख (accounts) माग सकता है। किसी सहभागी के वारिस (Heir) अपने मृत पिता को देय लाभों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।^२ इसी प्रकार अग्नि हस्ताकृति (Assignee) भी इस धारा के नीचे वाद ला सकते हैं।^३

२. प्रारंभिक (इन्तर्वाई) डिक्री :—ऐसे वादों में लेखों की जांच के लिए प्रारंभिक डिक्री दी जायगी हालांकि ऐसा न करने पर अन्तिम डिक्री अवैध नहीं हो जाता यदि उससे पक्षकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ हो।^४

३. प्रक्रिया :—इस धारा के अंतर्गत वाद अनुसूची सृतीय के भाग प्रथम के मद संख्या ३४ द्वारा शासित होंगे और धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अन्वयगत तहसीलदार के न्यायालय में पेश होंगे। वाद में अनुतोप (दादरसी) का जो मूल्यांकन हो उसी के अनुसार न्यायालय शुल्क लगेगा। जिस दिन से काम वितरणीय हों उससे तीन साल की मियाद होगी। अदालत और पुनरीक्षण धारा २४६ के अनुसार होंगे।

२५०. कुछ मामलों में पक्षों का संयोजन—यारा २४६ या धारा २९७ या धारा २८४ या धारा २४९ के अन्वयगत किसी वाद में, वादी, रिजने ही व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से वाद कर सकता है और ऐसे मामले की डिक्री में यह निर्दिष्ट किया जायगा कि उक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति कितनी सीमा तक उससे प्रभावित होता है।

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

१. रिजलाल v. राजकुमार, 1944 R. D. 95

२. बीबी अफजल सातून v. मुहम्मद इसमाइलखान, 1942 A. W. R. 147

३. उपरोक्त

४. पांडुरंग v. गुनवंतराव, A. I. R. 1928 Nag. 299

२५१. रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार (ईजमेंट) के अधिकार— + [(१) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से निम्न तरीके से, बाधित किया जाय, तहसीलदार, उक्त रूपेण बाधित भूमिधारी के शर्पना-पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात्, बाधा को हटाये जाने की अपेक्षा बंद किये जाने की ओर प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा, दे सकेगा चाहे उक्त रूपेण पुनः उपभोग किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाय ।]

(२) इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगी जिसके लिये वह सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत कर के दावा कर सकता हो ।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अधिनियम १२ सन् १९६१ द्वारा विल्कुल नए रूप से बनाई गई है । पुरानी धारा में एवं इसमें कुछ अन्तर इस प्रकार हैं:—

(१) पहले वाली धारा तो अधिकार के विषय में विवाद होने पर ही काम में लाई जा सकती थी जब कि इसमें वास्तविक बाधा (disturbance) आवश्यक है ।

(२) पिछली धारा का लाभ खेतों, बंजड़ भूमि के चरागाह या जल प्रवाह या स्त्रोत तक पहुंचने तक सीमित था, अब वह सब सुखाचारों एवं अधिकारों तक विस्तृत कर दी गई है ।

(३) पिछली धारा में मान्यता प्राप्त रास्ते व सड़कें (वे भी जो बन्दोवस्त में दर्ज थे) अपवर्जित (excluded) थे अब उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है ।

(४) पहले विवाद का निर्णय पुराने रिवाज और सुविधा के आधार पर किया जाता था अब उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(५) पहले तहसीलदार के लिए मौका देखना कानूनन आवश्यक था अब ऐसी बात नहीं है ।

यह धारा भूतलक्षी नहीं है ।

२. प्रक्रिया— इस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद संख्या ८१ द्वारा शासित होंगे और तहसीलदार के सम्मुख पैदा होंगे । न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे का होगा । मियाद कुछ नहीं है परन्तु आवेदन पत्र केवल विवाद उत्पन्न होने पर ही पैदा होना चाहिए ।

इस धारा के नीचे दी गई तहसीलदार की आज्ञा की अपील ही सवेगी । अपील

+ रा० म० १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

कलक्टर के यहाँ होगी। दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु बोर्ड द्वारा आज्ञा का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

३. ग्राम पंचायतों के अधिकार विषयक अधिसूचना—राजस्थान सरकार ने अधिसूचना संख्या एक ६ (४१) रे० बी/१० दिनांक १७-६-६३ के द्वारा इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाने का उपबन्ध कर दिया है परन्तु इससे तहसीलदारों की शक्तियाँ समाप्त नहीं हो गई हैं और अब उनको ये ग्राम पंचायतों को इस धारा के सम्बन्ध में समथर्ता अधिभारिता (Concurrent Jurisdiction) है।

४. धारा सब प्रकार के मुलाधारों व अधिकारों पर लागू है—अग्निबागों के लगयोग में बाधा (disturbance) होने पर यह धारा सब प्रकार के मुलाधार व अधिकारों पर लागू होती है। इसका प्रभाव केवल प्रार्थी के कब्जे वाली भूमियों तक ही सीमित नहीं है।^१

२५२. आसामी, अर्थात् रूप से ली गई रकमों के लिये प्रतिकर (मुआवजे) का हर्षदार होगा—यदि कोई व्यक्ति—

(१) जानबूझ कर लगान या सायर की वकाला के रूप में बाजिव रकम या मात्रा से अधिक रकम या उपज वसूल करता है, या

(२) लगान की वकाला पर ब्याज इस अधिनियम द्वारा अनुमत दर से अधिक-दर पर लेता है, या

(३) धारा ३४ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या धारा ३४ और ३५ के उपबन्धों के अन्तर्गत नजराने (प्रीमियम) या उप-कर (cess) के रूप में ऐसी रकम वसूल करता है जो वसूल किये जाने योग्य नहीं है, या

(४) ऐसा लगान वसूल करता है जिसका भुगतान इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माफ कर दिया गया है या स्वयं-अवधि की समाप्ति के पहिले, ऐसा लगान वसूल करता है जिसका भुगतान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्थागत कर दिया गया है, या

(५) बिना किसी उचित कारण के, लगान या सायर, के लिये, भुगतान की गई किसी रकम की, इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत जमा करता है,

तो, आसामी उस व्यक्ति से, उक्त रूपेण वसूल की गई, ली गई, धरवा जमा की गई रकम या उपज के मूल्य के अतिरिक्त, ऐसा प्रतिकर (मुआवजा) जो ली रूपे से अधिक न हो, तथा जिसकी कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, डिन्नी पारित करे, वसूल करने का अधिकारी होगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा आसामियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है और इसके उपबन्ध बाध्यकर हैं। इस धारा के प्रवाजनार्थ शब्द 'वकाला' में 'सायर' भी सम्मिलित है। फिर भी यह धारा अपूर्ण है। वसूली राजस्व न्यायानियों द्वारा करने के लिए स्पष्ट प्रावधान

होना चाहिए था ।

२. प्रविधा-इस धारा के नीचे दिया गया प्रतिकार (Remedy) के लिए तहसीलदार के पास आवेदन पत्र देना चाहिए । ऐसा आवेदन पत्र स्थानीय अनुसूची के भाग २ के मद संख्या ८२ द्वारा शासित होगा परन्तु यह धारा २१७ (२) के अध्याधीन होगा ।

ऐसे आवेदन पत्र पर ५० पैसे न्यायालय शुल्क लगेगा । मियाद कुछ नहीं है ।

तहसीलदार, या यथास्थिति, सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध एक ही अपील दी गई है । अपील में कलक्टर, या यथास्थिति, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण बोर्ड में होगा ।

२१३. रसीद देने में विफलता—(१) जब लगान की वक़ाया-हेतु किसी वाद में, न्यायालय को यह मालूम पड़े, कि राज्य सरकार के सिवाय अन्य किसी भूमिधारी ने, बिना उचित कारण के, धारा १३५ द्वारा निर्धारित तरीके से आसामी को रसीद देने से इन्कार किया है अथवा लापरवाही की है या रसीद तैयार करने या उसकी दूसरी परत (काउण्टर फॉयल) तैयार करने या रखने में लापरवाही की है तो न्यायालय आसामी को ऐसा मुद्रावजा दिला सकता है जो भुगतान किये हुए लगान की रकम या मूल्य के दुगुने से अधिक न हो एवं जिसके लिये कि वह ठिकी पारित करे ।

(२) यदि कोई व्यक्ति, धारा १३५ के उपबन्धों के अनुसार रसीद देने से अभ्यस्ततया मना या लापरवाही करता है तो वह दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष होने पर ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं हो ।

टिप्पणी

उपधारा (१) में राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य भूमिधारी द्वारा आसामी को रसीद न देने या नियमानुसार आज़रण न करने पर आसामी को प्रतिकार (मुद्रावजा) दिलाये जाने का प्रावधान है और उपधारा (२) में किसी भूमिधारी द्वारा आदतन ऐसा करने पर फौजदारी न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाने का प्रावधान है ।

२५४. इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का संरक्षण—(१) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत किये गये, अथवा आभावित किसी कार्य के कारण कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(२) इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना से किये गये किसी कार्य या सद्भावना से किसी कार्य को करने का आशय रखने के लिये कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

२५५ सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय—इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत, राज्य सरकार को देय समस्त स्थानीय कर, सचें, ब्याज, चार्ज, फार्स, जुर्माने, धारिणा, मुद्रावजे, और अन्य रकमें, जब तक उनके विषय में विरोध रूप से अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया गया

हो, राजस्व की वकामा की तरह यगून किये जायेंगे ।

२५६. सिविल न्यायालयों की अधिकांरिता पर रोक—(१) इग अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अग्यथा उपबन्धन दना के अतिरिक्त, इग अधिनियम या इगके अन्तर्गत निमित्त नियमों से पैदा होने वाले किमी भी मामले जिसके प्रतिकार स्वल्प उगमे बाद, प्राप्यता-पत्र, अपील या अग्य रूप में उपबन्धित की हुई है, के गन्धन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई बाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(२) ऊपर बतायाे गये अनुसार के अतिरिक्त, इग अधिनियम या इसके अन्तर्गत निमित्त नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या अधिकांरिता द्वारा पारित किये गये आदेश पर किसी सिविल न्यायालय में, कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी ।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २०७ में बताया गया है कि अनुसूची तृतीय में विनिदिष्ट बादों व आवेदनों के लिए केवल राजस्व न्यायालय को ही अधिकांरिता (Jurisdiction) होगी । इस धारा में सिविल न्यायालयों की अधिकांरिता उन सब मामलों में भी वजित कर दी गई है जिनके लिए बाद, आवेदनपत्र, अपील इत्यादि के द्वारा कोई प्रतिकार बताया गया है । इस प्रकार जहा तक अनुसूची तृतीय में बतायाे गए मामलों के निर्णय का एक मात्र अधिकार केवल राजस्व न्यायालयों को दिया गया है । राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकांरिता के प्रयोग से मना कर दिए जाने पर भी ऐसे मामलों में सिविल न्यायालयों को अधिकांरिता नहीं मिल जाती ।^१

२. उपधारा (२)—इस उपधारा में राज्य सरकार, उसके अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों को संरक्षण प्रदान किया गया है । परन्तु इससे हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि आया राजस्व न्यायालयों ने अपने कार्य कानून के प्रावधानों के अनुसार किए हैं या नहीं ।^२

२५७ सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय राजपत्र + में अधिसूचना के जरिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः श्रीर पूर्वगामी शक्ति की स्थापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयों की या उनमें से किसी के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्

1. गुन्दरलाल v. कफायत हुसेन, 1924, 7 R. D. 529

2. भौगाप्या का मुकदमा, A. J. R. 1940 रंगून 84

+ रा० अ० २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

[१] इस अधिनियम के अन्तर्गत देय गुल्क (फीस)

[२] × × ×

[३] पट्टों, प्रतिरूपों और इकरारनामों का प्रमाणीकरण,

[४] × × ×

[५] कोई भी विषय जिसको, इस अधिनियम के किनो भी उपबन्ध के अन्तर्गत विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके लिये उक्त किसी उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों ।

२५८. बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति—(१) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से, तथा [शासकीय राजपत्र] + में अधिमूचना के जरिये, इस अधिनियम की तथा धारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की सगति में, नियम बना सकती है ।

(२) ऐसे नियम विधेयतः तथा पूर्वागामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिबन्ध प्रभाव हुये बिना निम्नलिखित के लिये उपबन्ध कर सकते हैं—

[१] लगान के निर्धारण, वृद्धि, कमी तथा अन्तर्वर्तन करने में अफसरों के पय-प्रदर्शन के लिये,

[२] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने वाले अफसरों के पय-प्रदर्शन के लिये,

[३] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अनुकरणीय प्रणाली के विषय में,

[४] राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों के अन्तरण के विषय में,

[५] जिन व्यक्तियों के समझ तथा जिस रीति से धाप-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं और जो मामले धाप-पत्रों द्वारा साबित किये जा सकते हैं उनके विषय में,

[६] भूमि के जिस भाग से आसामी को वेदस्तल किया जाना है उसका जिन सिद्धान्तों पर-निश्चयन हो सकता है उन सिद्धान्तों और वैसे भाग के सीमा-बंधन (demarcation) के विषय में,

[७] इस अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत निमित्त नियमों के अन्तर्गत लगाये गये जुर्मानों, निर्णीत मुआवजा या भुगतान करने के लिये आदेशित रकमों, नुकसानों, घषवा अन्य रकमों की वसूली के लिये,

[८] लगान-दर पदाधिकारियों के पय-प्रदर्शन के लिये,

[९] भूमि में या भूमि के किसी भाग में आसामी के निहित हित के विक्रय द्वारा लगान की बकाया की डिक्ली का निष्पादन करने में अफसरों के पय-प्रदर्शन के लिये,

१ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विन्युक्त ।

+ राजपत्रान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित ।

[१०] ऐसे सब मामलों के लिये जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्ध के अन्तर्गत विहित किये जा सकते हैं या किये जाने अपेक्षित हैं या जिनके लिये ऐसे किन्हीं उपबन्ध द्वारा, राज्य सरकार के परितरित किसी अन्य के द्वारा नियम बनाये जा सकते हों या बनाये जाने अपेक्षित हों, और

[११] इस अधिनियम के उपबन्धों तथा धारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को सामान्य रूप से कार्य रूप में परिणित करने के लिये ।

२५९. नियमों का पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन होना— (१) धारा २५७ और २५८ के अन्तर्गत बनाये गये समस्त नियम उनके पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे तथा जनरल क्लॉजिज एक्ट १८६७ (सेण्ट्रल एक्ट १०, सन् १८६७) की धारा २३ के सण्ड (३) के अन्तर्गत निविष्ट की जाने वाली शारील व उस शारील से जिसको प्रस्तावित नियमों का अन्तिम प्राख्य प्रकाशित किया जाय, कम से कम एक माह आगे की होगी ।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त समस्त नियम, निमित्त हो जाने के पश्चात्, यथा सम्भव, शीघ्र, किन्तु कम से कम १४ दिन पहिले राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

+ [२६०. अपवाद—इस अधिनियम में अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में कोई बात किसी रूप में राजस्थान भू-दान एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट १६, सन् १९५४) के उपबन्धों तथा अन्तर्गत बनाये गये नियमों में या उन उपबन्धों के अन्तर्गत या उनके अनुसार की गई या की हुई समझी गई बात को प्रभावित नहीं करेगी ।]

टिप्पणी

यह धारा प्रथम संशोधन, १९५६ के द्वारा निविष्ट की गई थी । भूदान अधिनियम अपने विषय पर संपूर्ण कानून है, जिसके बनाने का उद्देश्य भूदान यज्ञ बोर्डों की स्थापना की सुविधाजनक बनाना है । उक्त अधिनियम के द्वारा भूमि का स्वामी अपनी भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड को दान दे सकता है—तत्पश्चात् उस भूमि का स्वामित्व उस बोर्ड में निहित हो जायगा । भूदान यज्ञ बोर्ड ऐसे एकत्रित भूमि को वितरित करने में समर्थ होगा ।

+ 'राज० अधि०' संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट ।

प्रथम अनुसूची

बिखरिडत की गई अधिनियमितियों का सूची

[देखिये धारा ३ (१)]

क्रम सं०	अधिनियमित का संक्षिप्त शीर्षक	बिलपदन की सीमा
१	२	३
१.	बुन्दी टिनेंसी एक्ट—सम्पूर्ण	
२.	बीकानेर टिनेंसी एक्ट १९४५ - सम्पूर्ण	
३.	मारवाह टिनेंसी एक्ट १९४६— सम्पूर्ण	
४.	जयपुर टिनेंसी एक्ट १९४८—सम्पूर्ण	
५.	जयपुर स्टेट प्रोपर्ट्स लेण्ड टेण्योर्न एक्ट १९४७—पंचायत, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपबन्धों के अलावा सम्पूर्ण ।	
६.	राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज (रेमूवेसन) आडिनेंस १९४६—सम्पूर्ण	
७.	राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स आडिनेंस १९४६—सम्पूर्ण	
८.	राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स आडिनेंस (एमेण्डमेन्ट) एक्ट १९५२ - सम्पूर्ण	
९.	राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स) एमेण्डमेन्ट एक्ट १९५४—सम्पूर्ण	
१०.	राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् (प्रोसीजर एण्ड डुरिसडिक्शन) एक्ट १९५१—	पंचायत, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपबन्धों के अलावा सम्पूर्ण ।
११.	राजस्थान प्रोड्यूस रेण्टस् रेग्युलैटिंग एक्ट १९५१—सम्पूर्ण	
१२.	राजस्थान एग्रीकल्चरल रेण्ट्स् कन्ट्रोल एक्ट १९५४—सम्पूर्ण	

द्वितीय अनुसूची

जागीर-भूमि के भोगाधिकार

[द्वितीये धारा ५ का मण्ड (२२)]

क्रम सं०	भोगाधिकार	क्रम सं०	भोगाधिकार
१	२	३	४
१.	जागीर	२.	इस्तमरार
३.	चकौती	४.	तनखा
५.	सूबा	६.	मामला
७	इनाम	८.	खानजी
९.	कागी	१०.	मलूका
११.	घोलपुर स्टेट के टिकाने	१२.	सिदमत
१३.	खानपान	१४	आबदाद सीगह
१५	मुआफी	१६.	टाकेदार
१७.	भौम	१८.	खानाही
१९.	चाकराना	२०.	पेट रोटी
२१.	राजवी	२२.	ताजीमो
२३.	भोगता	२४.	मुतसद्दी
२५	हज़ूरी	२६	छाँतन
२७	खवाम पासवान	२८	रिसाला
२९	मर्जोदान	३०.	पट्टे
३१	उदक	३२.	दुजारा
३३	जूना जागीर	३४.	भूमिचारा
३५	पसायना	३६.	वाद
३७.	दुम्बा	३८.	डीली
३८.	मिलक	४०.	पुषपार्थ
४०	धर्मादा	४२.	इबारा इस्तमरार
४३.	बापोती	४४.	बहशीश
४५.	राज्य द्वारा भूमि-प्रनुदान की कोई अन्य विस्म या भोगाधिकार ।		

द्वितीय अनुसूची अधिनियम के अन्तर्गत दावे, आवेदन-पत्र तथा अपीलें

[देखिये धारायें २०७, २१४, २१५ तथा २१७]

नोट:—इस अनुसूची में कोर्ट फीस एक्ट के निर्देशन केन्द्रीय विधान मंडल के कोर्ट फीस एक्ट १८७०, जंता कि वह राजस्थान में प्रयुक्तित किया गया है, के निर्देशन सम्भन्धे जायेंगे।

क्रम संख्या	अधि-नियम की धारा	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण	परिशोभा (मिवाद) की अवधि	यह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है।	यपेचित न्यायालय शुल्क	न्यायालय प्रथमा अधि-कारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है :
१	२	३	४	५	६	७
१	३२	पट्टा या उसकी प्रतिफल पाने हेतु	मांग	१—वाद	५० पैसे	सहायक कलक्टर
२	५३	वाद तोपित किया गया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर
३	५८	भूमि क्षेत्र के विभाजन का वाद समर्थन के नोटिस को प्रमाण्य करने हेतु वाद	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर
४	८८	वादी के हक को घोषणा का वाद— १—दतोर आगामी या २—दतोर आगामी सुदकाशत या ३—दतोर विन्मी भासामी या ४—गंतुफ कारखकारी में दिश्ये के लिये	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर

१८८ को ८ वें, १५ वें तथा १६ वें पध्यायी के साथ पढ़ते हुए ।	उपवन-धारियों द्वारा या उनके विह्वल अधिकारों की घोषणा तथा उन अध्यायों में उल्लिखित विषयों के लिए वाद ।	जैसा सातेदार प्रासामी, या भूमि धारी यथास्थिति, में के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा खातेदार प्रासामी या भूमिधारी यथा- स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा खातेदार प्रासामी या भूमिधारी यथा- स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा खातेदार प्रासामी या भूमिधारी यथा- स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।
१९९ को अध्याय ६ तथा १० के साथ पढ़ते हुए ।	इजारेदार व डेजेदारों द्वारा या उनके विह्वल धारा १९९ के उपबन्धों के अधीन अध्याय ९ तथा १० में निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में वाद ।	"	"	"	"
२०२	इजारेदार या डेजेदार की वेदखली के लिए वाद ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	महायज्ञ क्वटर
२०३	इजारेदारों या डेजेदारों द्वारा मुयाबजे के लिए वाद ।	१ साल	जब वाद का कारण उपस्थित हो ।	जैसा कोर्ट फोन एक्ट में है ।	"
२४६	राजस्व लगान या मुनाफा की बकाया के लिए वाद ।	३ साल	जब बकाया की रकम देय हुई हो ।	"	तहसीलदार
२४७	(१) सहभागी या (२) भू-संपत्ति- धारी के लाने में राजस्व या लगान की बकाया के रूप में चुकाई गई रकम के लिए वाद ।	"	जब मुगलान किया गया हो ।	"	"

क्रम संख्या	3-5-46 अवि-3 दिवस की वारा	बाद, आवेदन-पत्र या पत्रिका का विषय	परिशीला (मियाद) की अवधि	यह समय जब से प्रबन्ध का प्रारम्भ होता है।	प्रयोजित व्यापार्य दुरुक्त	व्यापार्य प्रबन्ध का प्रारंभ करने के लिए प्रथम है।
1	2	3	4	5	6	7
33	242	इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध राक्षस या लगान की बकाया के रूप में दी गई रकम की प्रतिलिपि का वाद ।	3 सात	जब मुगलान किया गया हो।	असा कोर्ट फीस एक्ट में है।	सहस्रीकरण
34	249	द्वितीय तय करने और मुताके के लिए वाद ।	"	जब मुताका विभाजन योग्य हो जाय।	"	"
35	सामान्य	इस प्रभिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे अन्य मामले के लिए कोई वाद जिसकी इस सूची में प्रत्यक्ष कहीं विशेषतः व्यवस्था न हो।	1 सात	जब दावे का कारण उत्पन्न हो।	५० पैसे	सहायक कलक्टर
14 का	14 (3)	सातेदारी अधिकाओं की प्रकालि की घोषणा के लिए आवेदन-पत्र ।	आवेदन-पत्र		24 पैसे	"
46	14 का (2)	"	3 सात	वर्धनियम के प्रारम्भ होने की तारीख	"	"
15	15 (2)	सूचि में सातेदारी प्रविचार अर्थात् की घोषणा के लिए आवेदन-पत्र ।	2 सात	राज. टिनेसी (संशोधन) अधि. 1875 के प्रारम्भ होने की तारीख से ।	"	"

३६ का १६ (४)	पुनःकारण आसामी या गिकमी आसामी द्वारा प्रावेदन-पत्र कि वह सावेदारी अधिकार प्रभावत नहीं करना चाहता ।	३ मास	राज० टिनेंसी (मंसोपल अधि० १६५६ के प्रारंभ होने की तारीख से ।	२५ वेंसे	सहायक कमिश्नर
३७	उच्चतम सीमा से अधिक भूमि का समर्पण ।	६ महीने	वारा १०३ (१) के अन्तर्गत अधिसूचित तारीख ।	कुछ नहीं	तहसीलदार
३८	रिहायती मकान के लिए स्थान मिलने के लिए प्रावेदन-पत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ वेंसे	"
३८ का ३३	पट्टी के प्रमाणीकरण हेतु प्रावेदन-पत्र ।	४ महीने	सम्पादन की तारीख	"	नगरकार द्वारा नियुक्त आडिगर वा सप्लि ।
३८ का ३६ का	नालखट के अधिकार प्राप्य करने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	१ मास	राज० टिनेंसी (मंसोपल) एक्ट १६५६ की प्रारंभ होने की तारीख ।	५० वेंसे	मह. डिप्टी कमिश्नर आडिगर ।
३९	चकबन्दी के निमित्त विनिमय हेतु आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	सहायक कमिश्नर
४०	परिरायण की उद्घोषणा जारी करने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	"	"	"	तहसीलदार
४१	परिरायण मानली गई भूमि पर पुनः रब्जा किए जाने व वापिस गीते जाने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	१ मास	उद्घोषणा या प्रकाशन की तारीख की तारीख ।	"	"
४१ का ६३ (२)	मुह्य आसामी के अधिकारी की अर्जा के लिए प्रावेदन-पत्र ।	"	मुह्य आसामी के हित के प्रमाण की तारीख ।	"	मह. डिप्टी कमिश्नर अधिकारी ।

क्रम संख्या	अधि-निष्पन्न की पारा	वादा, आवेदन-पत्र या खरीद का विवरण	परिसीमा (मियाद) की अवधि	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है।	योजित म्यामात्रय पुरक	म्यामात्रय सतवा अधि-कारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है।
४२	२	वादा, आवेदन-पत्र या खरीद का विवरण	४	कुछ नहीं	२५ वेंसे	तहसीलदार
४३	१७	गुणार करने की स्वीकृति के लिए नूनिगारी द्वारा आवेदन-पत्र।	४	कुछ नहीं	"	"
४४	१६	आसानी द्वारा ऐसे गुणार जिन्हें नूनिगारी करना बाह्यता है, करने की इजाजत के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	५० वेंसे	एस.डी.ओ.
४५	७२ वा परभुक	समान के अन्तर्वर्तन के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	२५ वेंसे	तहसीलदार
४६	७७	गुणारों की लागत के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन-पत्र।	६ महीने	काम समाप्त होने की तारीख	"	सहायक कलेक्टर
४५	७८	घारा ७८ में निर्दिष्ट प्रकार के गुणार सम्बन्धी विवाद के निर्णय हेतु आवेदन-पत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	तहसीलदार
४६	७९ (२)	समान लगाने समयवा पहिले से हो लागे हुए गुणारों को हटाने का निर्णय करने की प्रार्थना के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	"	तहसीलदार

४६का	८०	उन वृक्षों के लिए जो इस धारा के प्रस्तावित सतहदार आराखी में निहित हो गये हैं लेकिन जो किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति है, के मुआवजे के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र ।	६ साल	अधिनियम के आरम्भ की तारीख ।	२५ वेंसे	सहजीबदार
४६खा	८१	प्रनाधिवासित भूमि पर जो वृक्षों के स्वाधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की लगान पर दे दी गई है, खड़े वृक्षों के मुआवजा के लिए आवेदन-पत्र ।	२ साल	"	"	"
४७	८४ (५)	घुस हटाने के लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	एम. पी. धो.
४८	८५	घारा ८५ में निर्दिष्ट प्रकार के वृक्षों सम्बन्धी विवाद के निराकरण के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	"	सहजीबदार
४८	८६	गैर कानूनन घुस हटाने पर दण्ड दिये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट या घाते-दन-पत्र ।	३ साल	अवकाश की तारीख	"	सहायक कम्पन्टर
४८का	१०२	बमूल करली गई प्रतिरिक्त रकम की बमूली के लिए आवेदन-पत्र ।	"	बमूली की तारीख	"	सहजीबदार
४८खा	१०३	लगान को परिवर्तित कराने के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"

४९	X	X	X	X	कुछ नहीं	२५ वैसे	सहायक कलक्टर
५०	X	X	X	X	"	५० वैसे	तहसीलदार
५१					"	"	"
५२					"	"	सहायक कलक्टर
५३					"	"	सहायक कलक्टर
५३का					"	"	"
५३गा					"	"	"
५३ग					"	"	तहसीलदार
५४					"	"	"
५५					"	"	"

आंशिक वेतवनी या समर्पण हो जाने पर लगान तप करने के लिए आवेदन-पत्र ।

किसी पगस की उपज सम्बन्धी भण्डे के निबटारे का आवेदन-पत्र ।

लगान सुगमान करने की रीति सम्बन्धी विवाद के लिए पंच-नियम-हेतु आवेदन-पत्र ।

लगान को अन्तर्गत करने के लिए आवेदन-पत्र ।

लगान की गुञ्जि करने के लिए आवेदन-पत्र ।

लगान में कमी करने के लिए आवेदन-पत्र ।

लगान जमा कराने के लिए आवेदन-पत्र ।

जमा गुंरा रकम की याचिसी के लिए आवेदन-पत्र ।

क्रम संख्या	अधिनियम की धारा	वाद, प्रावेदन-पत्र या शरील का विवरण	परिसीमा (नियाम) की अवधि	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है।	यथोचित न्यायालय दुरुक्त	न्यायालय प्रथवा अधि-कारी जो नियुक्त करने के लिये सक्षम है :
१	२	३	४	५	६	७
१८ का १८२ खा		[१] खण्ड (क) या (घ) के अन्तर्गत (क) धारा ४६ में बताये गये व्यक्तियों में से किसी के द्वारा । (ख) किसी अन्य स्थिति में - [२] खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत - उत्त भूमि पर जिसमें वह बेदखल किया गया है पुनः संस्थापित होने या उसमें खातेदारों प्राधिकारों के अर्जन हेतु प्रावेदन-पत्र ।	तीन वर्ष " १ वर्ष ३ वर्ष	अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख या नियोगता समाप्त होने की तारीख, जो प्रनुवर्ती हो, अधिनियम लागू होने की तारीख । अथ वाद का कारण उत्पन्न हो । वास्तविक बेदखली की तारीख ।	२५ वेंसे " " ५० वेंसे	प्राथमिक कलक्टर " " सब रिजीजनल प्राधिकार
६६	१८६	वापिस संस्थापित किये जाने के लिए प्रावेदन-पत्र ।	३ महीने	अधिनियम के आरम्भ होने या अर्ध-बेदखली या कम्पा-बिहीनता की तारीख ।	"	प्राथमिक कलक्टर

१८९	अमान की बुद्धि के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कमिश्नर
७०	ग्राम गेवरु द्वारा, पाकिस्तान विलाये जमीन या पुनः स्थापित, भिन्ने जाने के लिए आवेदन-पत्र ।	६ महीने	यबना विहीन होने की तारीख ।	२५ पैसे	सहायक कमिश्नर
७१	उपवनकारियों द्वारा या उनके बिन्दु लगान की बमूले के युगतान के लिए आवेदन-पत्र ।	जैसा लागते गार प्राणामी, या भूमि धारी मय स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा लागते गार प्राणामी या भूमि धारी मय स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा लागते गार प्राणामी या भूमि धारी, मया-स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।	जैसा लागते गार प्राणामी या भूमि धारी, मया-स्थिति, के सम्बन्ध में होता है ।
७२	विशोदित	"	"	"	"
७३	उपवन कारियों द्वारा या इनके विरुद्ध सुधार कार्यों के विषय में आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
७४	उपवन कारियों द्वारा या उनके विरुद्ध बैदरती के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
७५	उपवन कारियों द्वारा या उनके विरुद्ध अधिकारों की घोषणा तथा उन अधिकारों में उल्लिखित अन्य विषयों के लिए आवेदन-पत्र ।	जैसा क्रम सं० २७ का है ।	जैसा क्रम सं० २७ का है ।	जैसा क्रम सं० २७ का है ।	जैसा क्रम सं० २७ का है ।

क्रम संख्या	अधिनियम की धारा	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण	परिसीमा (मियाद) की अवधि	वह समय जब से अवधि का आरम्भ होता है।	यथोचित न्यायालय मुक्त	न्यायालय व्यवस्थापक कारी जो निर्णय करने के लिये मसम है।
१	२	३	४	५	६	७
७५	१६६ अध्याय ६ तथा १० के साथ पठते हुए	पारा १९९ के अधीन अध्याय ९ तथा १० में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में दूजारेदारो या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन-पत्र। पुनरावलोकन (नजरसानी) के लिए— (१) बौद्ध को आवेदन-पत्र। (२) अन्य राजस्व न्यायालयों को आवेदन-पत्र।	जैसा भूमिपारो के सम्बन्ध में होता है। ६ महीने	जैसा भूमिपारो के सम्बन्ध में होता है। बिक्री या प्राप्ता की तारीख	जैसा भूमिपारो के सम्बन्ध में होता है। जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है। " " २० रुपये	जैसा भूमिपारो के सम्बन्ध में होता है।
७७		पुनरीक्षण (निगरानी) के लिए बौद्ध को आवेदन-पत्र।	"	"	"	"
७८		पुनरीक्षण (निगरानी) के लिए उक्त न्यायालय को आवेदन-पत्र।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	"
७९	[.....]	पारा २३२ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग हेतु आवेदन-पत्र।	"	"	"	५० रुपये
८०	[.....]	हस्तान्तरण के लिए निम्नलिखित को आवेदन-पत्र :-	"	"	"	"

	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ वें से	
८१	<p>(१) सब द्वितीयतल व्यक्तिपर को</p> <p>(२) कलक्टर को</p> <p>(३) $\times \times \times$</p> <p>(४) बोर्ड को, या</p> <p>(५) उच्च न्यायालय को</p> <p>रास्ते सम्बन्धी अधिकार या अन्य गुणाधिकार (easement) या अधिकार के अगुओं सम्बन्धी प्रावधान-पत्र ।</p>	"	"	"	सहस्रीसदार
८२	अर्थप बलूतियों क कारण मुपाबजे के लिए आतामी द्वारा प्रावधान-पत्र ।	"	"	"	"
८३	डिन्की के निष्पादन हेतु आवेदन-पत्र ।	जंसा सिविल न्यायालय को सम्बन्ध में होता है ।	जंसा सिविल न्यायालय की डिन्की के सम्बन्ध में होता है ।	"	न्यायालय जिसने डिन्की दी है ।
८४	विचाराधीन वाद, धरोरा या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रावधान-पत्र जब निम्नलिखित को प्रस्तुत किये जायें:—				

क्रम संख्या	प्रधि-नियम की धारा	वाद, आवेदन-पत्र या प्रपील या विवरण	नरितीमा (मियाद) की अवधि	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है।	ययोचित न्यायानय मुक्तक	न्यायानय प्राप्त या अपि-कारी जो निर्णय करने के लिये सराम है।
१	२	३	४	५	६	७
८५	सामान्य	(१) उच्च न्यायालय को (२) बोर्ड को (३) अन्य, न्यायालयों को	कुछ नहीं " " तीन साल	कुछ नहीं " " जब वाद का कारण उत्पन्न हो।	जंता कोर्ट कीम एक्ट में है। एक राया २५ वंशे ५० वंशे	सहायक कलक्टर
८६	X					
८७	X					
८८	X	मूल शिक्तिओं की अपील निम्न-लिखित को करने के लिए:-	माग ३-- अपीलें			

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी १९५८ को प्राप्त हुई]

शक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य की वनियम राजस्व विधियों को घावू, धरमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम ।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट १९५६ (सेक्टर एक्ट सं० ३७ सन् १९५६) की धारा १० द्वारा निर्मित हुआ, की राजस्व विधियों में एक-एक छाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रयुक्त राजस्थान दिनेगी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के घावू, धरमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये व्यवस्था की जाय और तदप्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इनमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपयुक्त संशोधन किये जायें ।

धतः राजस्थान राज्य के विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के प्रायः सर्व में निम्न-रूपेण अधिनियमित किया जाता है—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आवेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ से प्रभावशील हूया)

२. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा अर्थान्वय न हो,—

[१] "नियत दिन" से अधिपत्रय धारा १ की उपधारा (२) के अर्थानुसार की गई अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये निर्धारित तारीख को हूया

[२] "राजस्थान राजस्व विधियों के अधिपत्रय" शब्द—राजस्थान राज्य में प्रयुक्त-गोस राजस्थान दिनेगी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन् १९५५) तथा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) को हूया

३. राजस्थान राज्य विधियों का अर्थान्वय—नियत दिन को तथा राज्यपाल द्वारा अधिनियम ऐसी रीति से तथा ऐसी शीमा मण्डल में अधिनियम की शर्तों के अन्तर्गत ही अर्थान्वय की गयी है ।

४. राजस्थान राज्य विधियों में संशोधन—राजस्थान राज्य विधियों में संशोधन, जब तक विषय अथवा प्रसंग अर्थान्वय न हो, और इस अधिनियम में अथवा अन्यथा उल्लिखित हो उसे छोड़कर—

परिवर्तन

संहिता के उपबन्ध

क्रम, संख्या

का नाम भी दिया जाय जिसमें यह भूमि जिसके सम्बन्ध में वाद या बर्तिकाही है स्थित हो और जब तक उस भूमि का उचित रूप से दूसरे तरीके से बर्ताना न किया जा सके हर एक गेज की भूम करना भी लिखी जाय । अगर वाद, लगान की बलाया के विना हा तो वाद-पत्र में दिशान या ऐसा विवरण दिया जायगा जिसमें हर एक मार्ग जिसके सम्बन्ध में वाद हो, दियाया जाय तथा बमूल हो बुझी रकम यदि कोई हो, और दातव्य रकम जिसकी प्रावधानबला भी गई है भी बताई जाय और अगर हा ग या बायंवाही किसी धाननी की बेदखली के लिए है तो वाद-पत्र या प्रायना-पत्र में ऐसा कारण या कारणों को बताया जायगा जिन पर ऐसी बेदखली का दावा किया है या लायेदन किया गया है ।

प्रादेश २० क्ल ६

८

प्रादेश २१

९

प्रादेश २१ क्ल ११

१०

प्रादेश २१ क्ल ३०

१०

प्रादेश ४१ क्ल १ को प्रादेश ४२ के साथ पढ़ते हुए ।

११

विकीर्णित किया गया ।
विलोपित किया गया ।

११

१२

लगान की प्रत्येक डिमी में वह रकम भी बाज सहित बडाई जायगी जो ऐसे प्रत्येक इयि-वर्ष के लिए लागू हो जिसके बारे में सहायता दी जाय ।

हिन्दी के जमी अभिस्वाकती (Assignor) द्वारा दिवों की इजाजत के लिए उस समय तक कोई प्रायना प्राभिस्वाकती में निहित न हो गया हो अथवा निहित न हो जाय ।

उपनियम (१) तथा उपनियम (२) के ग ड (उ) का उप लच्छ (२) दिशोपित स्थिे जायेंगे ।

शब्द 'निर्णयित-श्रेणी के निविल जेन में निरोध द्वारा या' तथा शब्द "या शोको द्वारा" दिशोपित स्थिे जायेंगे ।

इस नियम द्वारा वर्षद्वारा प्रतिक्रियाओं के अलावा दूसरी श्रेणी के श्रेयक नामन (मेमोरेण्डम) के साथ नुस न्यःसावय के निर्णय की प्रतिक्रिया लगाई जायगी ।

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी १९५८ की प्राप्त हुई]

प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य की कनिष्ठ राजस्व विधियों को प्रायु, अन्नमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम ।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैमा कि स्टेट्स रोयार्गोनाइजेसन एक्ट १९५६ (सेण्ट्रल एक्ट सं० ३७ सन् १९५६) की धारा १० द्वारा निमित्त हुआ, की राजस्व विधियों में एक-रूपता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान टिनेसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) की नये राजस्थान राज्य के प्रायु, अन्नमेर तथा मुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये व्यवस्था की जाय और तरप्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपयुक्त संशोधन किये जायं ।

धतः राजस्थान राज्य के विधान मण्डल द्वारा नारत गए राज्य के भाटवें वर्ष में निम्न-रूपेण अधिनियमित किया जाता है—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आवेगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिमूचना द्वारा नियत करे ।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ से प्रभावशील हुआ)

२. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[१] "नियत दिन" से अभिप्राय धारा १ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई अधिमूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत किये गये दिन से है ।

[२] "राजस्थान राजस्व विधियों से अभिप्राय" प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान टिनेसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन् १९५५) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) से है ।

३. राजस्थान राजस्व विधियों का तंत्री पत्र—नियत दिन की तथ्या तत्पश्चात् राजस्व विधियां ऐसी रीति से तथ्या ऐसी सीमा तक संशोधित की जायेंगी जो धारा ४ तथा अनुसूची १ में चर्चित हैं ।

४. राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य रूप भेद—राजस्थान राजस्व विधियों में सर्वत्र, जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, और इस अधिनियम में जैमा अन्यथा उपबंधित हो उसे छोड़कर—

मकान के निमित्त आवेदिन भूमि देने गांव में स्थित है जहाँ ग्राम-पंचायत नहीं है यही अथवा दगावों में ग्राम-पंचायत को प्रस्तुत किया जाना चाहिये और उगमें घोषित भूमि तथा यह प्रयोजन जिसके लिये यह भूमि पायी जाती है स्पष्टतः प्रगट किया जाना चाहिये। प्रार्थी को यह भी चाहिये कि यह उक्त गांव में त्रिगमे कि यह मकान के निमित्त भूमि चाहता है, घाने भूमि-शेन का पूरा पूरा विवरण दे और यदि यह एक से अधिक गांवों में भूमि रगता हो तो उगे घाने समस्त भूमि-शेनो के विवरण देने चाहिये तथा यह गांव बता देना चाहिये त्रिगमें कि यह इन अधिनियम की धारा ३१ (१) द्वारा अनुमति अध्यायनों का वाददा उठाना चाहता है। प्रार्थी को प्राथंता-पत्र में यह भी स्पष्ट निगरता चाहिये कि त्रिग गांव में यह मकान के लिये भूमि चाहता है उक्त गांव की घाबादी में उक्तके बच्चे में कोई मकान नहीं है।

८. क-कृषि-श्रमिक या दस्तकार द्वारा रिहायशी मकान के लिये भूमि स्थल हेतु आवेदन-पत्र—कृषि-श्रमिक अथवा दस्तकार द्वारा अपने रहने के मकान हेतु भूमि-स्थल के लिये आवेदन-पत्र 'प्रपत्र' 'क क' में होगा जो कि धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन होगा।

९. प्राप्त हुआ प्रत्येक प्रार्थना-पत्र एक पृथक मामले के रूप में पंजीयित किया जाना चाहिये और प्रार्थना-पत्र में दिये गये विवरणों की सत्यता तथा आवेदित भूमि के उपलब्ध हो सकने अथवा अग्यथा के बारे में हल्के के पटवारी से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये।

१०. इस तथ्य का कि प्रार्थना-पत्र एक भूमि विशेष के लिये दिया गया है, प्रार्थी के स्वयं पर गांव में डिडोरा पिटवा कर अथवा सार्वजनिक घोषणा की जाकर प्रकाशन किया जायगा और प्रपत्र 'क' के अनुरूप एक नोटिस गांव के चौपाल पर तथा आवेदित भूमि पर १५ दिन की अवधि के लिये चिपकाया जाना चाहिये। नोटिस की एक प्रतिलिपि सूचनायें ग्राम-पंचायत को भी, यदि कोई हो, भेजी जायगी।

११. पूर्वगामी नियम में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पहिले पटवारी प्रपत्र "क" के अनुरूप अपनी रिपोर्ट नियम ८ के अधीन आवेदन-पत्र के बारे में तथा प्रपत्र 'क क' के अनुरूप एक रिपोर्ट नियम ८-क के अधीन आवेदन-पत्र के बारे में, मय नोटिस के जैसा कि प्रकाशित किया गया हो तथा उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक प्रमाण-पत्र सहित उस भूमि-स्थल का सहो मकान व उसका पेश करेगा अथवा उसके स्वयं के तथा गांव के पटेल या लम्बरदार के यथाविधि हस्ताक्षर हुए हो।

१२. पटवारी को चाहिये कि मजूर किये जाने वाले भूमि-स्थल का एक नक्शा तैयार करे जिसमें दिगायें, सन्निरुद्ध भवन तथा ऐसे नाप (लम्बाई आदि) बताए हुए हो जो स्थल को अद्यत-पडोम में स्थित स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी चिन्हों से सम्भृत करते हो। उक्त सभी नाप भूमि-स्थल के रेखा-चित्र में बताये जाने चाहिये और यह स्पष्टतया प्रगट हो जाना चाहिये कि रेखा-चित्र किस पैमाने पर बनाया गया है। पैसिल से बने हुए रेखा-चित्र जो किसी पैमाने पर तैयार नहीं किये गये हो, स्वीकार नहीं किये जाने चाहिये।

१३. (१) यदि कोई आपत्तियां प्राप्त हों तो तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत,

सम्पत्ति, जो चाहिये कि वहिये, उन प्रापत्तियों को मुनवाई करे और उनका निपटारा करे और यदि कोई प्राप्ति प्राप्त न हो तो तहसीलदार या ग्राम-पंचायत, यथास्थिति, मामले का निपटारा, निर्वाह बादा पारित करके, करे ।

(२) बचनियम की धारा ३१ की उप-धारा (२) के तथा नियम ८-क के अन्वये प्राप्त प्राप्ति-पत्रों को दया में, यह जांच की जानी चाहिये कि प्राया प्रावेदक उस उप-धारा के बचनियम कृषि-श्रमिक अथवा दस्तकार है और उस गांव की आबादी में उस वर्ष अथवा अधिक इनके मुस्तकिल तौर पर रह रहा है ।

१४. जो भूमि रेलवे की हद-बंदी में १०० गज की दूरी के भीतर है अथवा सरकार द्वारा संशोधित सड़कों से ५० गज की दूरी के भीतर है आसामियों को रिहायशी मकानों के निमित्त आवंटित नहीं की जायेंगी । ऐसी भूमियां जो जयपुर सिटी की म्यूनिसिपल सीमाओं से आठ मील के घेरे में अथवा क्रिमी कस्बे की सीमाओं में पांच मील के घेरे में स्थित हैं कमिश्नर की स्वीकृति के बिना आवंटित नहीं की जायेंगी ।

१५. मकानों के लिये प्रीमियम (नजराना) मुक्त भूमि-स्थल नीचे लिखे पैमाने के अनुसार संभूर किये जायेंगे—

- (क) आसामी जो वार्षिक लगान १०० रुपया या अधिक अदा करता हो— २५० वर्ग गज से अधिक न हो
- (ख) आसामी जो वार्षिक लगान ५० रुपये से १०० रुपये तक अदा करता हो— २०० वर्ग गज से अधिक न हो
- (ग) आसामी जो वार्षिक लगान ५० रुपये से कम अदा करता हो— १५० वर्ग गज से अधिक न हो ।
- (घ) कृषि श्रमिक अथवा दस्तकार की— १५० वर्ग गज से अधिक न हो ।

१६. उस दया में जब कि प्रावेदिन भूमि में पेड़ खड़े हों, पेड़ों की कीमत जो कि तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत, यथास्थिति, द्वारा नियत की जाय, आवेदक से भूमि का उसे बचा देने के पहिले बट्टा करली जानी चाहिये ।

१७. भूमि-स्थल पर दनी हुई इमारत अथवा कृषा आदि की कीमत भी उसी प्रकार समूच की जानी चाहिये ।

अध्याय ४

अधिनियम की धारा ३२ के प्रावधानों को कार्यान्विन करने हेतु नियम

१८. पट्टों (लोड) तथा उनकी प्रतिष्ठों के प्रत्येक—
(कार्टर पार्सम्) प्रत्येक 'द' के अनुषंग होगी और उनमें के सभी विवरण देने में उचित किये गये हैं ।

वाले अनुमति पत्रों के लिये निम्नलिखित शुल्क होगा ।

(१) विविध धर्मोपनि-पत्र—

गुण गुण गही

(२) सामान्य अनुमति-पत्र—

प्रति गुण एक आना या प्रति एक
गुण पाये दोनों में से जो भी कम हो ।

अध्याय ५--क

धारा ९८, ९९, १०० तथा १०४ के प्रावधानों की क्रियाविधय करने के लिये नियम ।

२५. क—जहाँ भू-राजस्व निश्चित किया जा चुका हो उक्त दशा में अधिकतम लगान—
नियम २५-ग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहाँ वही भू-राजस्व बन्दोबस्त के जरिये
भू-सम्पत्तिधारकों पर नबद में निश्चित कर दिया गया है और उन भू-सम्पत्तिधारकों के
आसामियों द्वारा लगान का भुगतान नबद में किया जाता है और ऐसे लगान का सेंटिमैण्ट
द्वारा नबद में पहिले में निर्धारण या किसी सशम न्यायालय की डिमी या आदेश द्वारा निश्चयन
नही किया गया है तो ऐसे भू-सम्पत्तिधारकों द्वारा ऐसे आसामियों से बमूल किया जाने वाला
लगान ऐसे भू-राजस्व की राशि की दो गुना राशि से अधिक नहीं होगा ।

२५. ख—उन क्षेत्रों में जहाँ लगान निश्चित कर दिया गया है अधिकतम लगान—
नियम २५-ग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जहाँ वही आसामियों द्वारा देय लगान बन्दोबस्त
के जरिये नबद में निश्चित किया जा चुका है और लगान शिकमी-आसामियों द्वारा नबद में
भुगतान-योग्य हो परन्तु ऐसे शिकमी-आसामियों द्वारा मुख्य आसामी (रीनेण्ट-इन-थीफ)
को देय नबद लगान सेंटिमैण्ट विभाग द्वारा निर्धारित या किसी सशम न्यायालय की डिमी
या आदेश के जरिये अथवा उसके अन्तर्गत नियत नहीं किये गये हैं तो मुख्य आसामी द्वारा अपने
शिकमी-आसामियों से बमूल किया जाने वाला लगान, उक्त रूप में निर्धारित या नियत किये
गये लगान की राशि के दुगुनी राशि से अधिक नहीं होगा ।

२५. ग—कतिपय मामलों में उच्चतर अधिकतम लगान—जहाँ भू-सम्पत्तिधारक या
आसामी जो उक्त पट्टे पर उठाता है, विधवा, या ऐसा विद्यार्थी हो जो आयु में २५ वर्ष से कम
हो और किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो तो ऐसे भू-सम्पत्तिधारक द्वारा
आसामी से या मुख्य आसामी द्वारा शिकमी-आसामी से बमूल किया जाने वाला लगान,
भू-सम्पत्तिधारक की दशा में निर्धारित भू-राजस्व के तीन गुने तक और आसामी जो
शिकमी-पट्टे पर उठाता है की दशा में निर्धारित लगान के तीन गुने तक बढ़ाया जा सकता है ।

२५. घ—किसी लगान की अधिकतम दर—जहाँ लगान जिन्त में देय हो, शिकमी-
आसामी द्वारा, अवयस्क की या पागल की या मूर्ख की या ऐसी स्त्री की जो प्रविवाहिता हो
या पति द्वारा तत्काल की हुई हो या पृथक कर दी गई हो अथवा ऐसे व्यक्ति को जो १९११
या पारोरीक निर्गोप्यता या कमजोरी के कारण अपनी भूमि में काश्न करने में
ऐसे व्यक्ति को जो आयु में २५ वर्ष से अधिक नहीं है और जो किसी मान्यता

में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है, त्रिन्म में मुगलान किया जाने वाला अधिकतम लगान कुल पैदावार के १/४ तक बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय ६

प्रचिनियम की धारा १२६ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२६. कृषि सम्बन्धी आपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं (१) विस्तीर्ण घोर (२) स्थानीय/दुर्मित्र तथा घनावृष्टि व्यापक आपत्ति समझी जाती है और दुपारपात, रोती (rust) ओके पड़ना, टिट्टी व बाढ़ सामान्यतया स्थानीय अर्थात् ऐसी आपत्तियाँ हैं जिना घसर सीमित क्षेत्र पर ही पड़ता है। कृषि-आपत्ति के आरटने पर लगान का रगना/रुके अथवा लगान ही छूट करके, सहायता दी जाती है।

२७. आया लगान-स्यगन की सिफारिश की जानी चाहिये इसका निर्णय करने के लिये निम्नान्त—ऐसी आपत्ति की दशा में जो कि खरीफ को प्रभावित करे लगान-स्यगन काफ़ी होगा परन्तु जब आगति अमाधारण रूप में हात्रिद हो अथवा पूर्ववर्ती फसलों के नष्ट हो जाने में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई हो अथवा खरीफ ही मुख्य या असाधारण-तया महत्वपूर्ण फसल हो तो लगान की छूट के लिये सिफारिश की जा सकेगी।

जब आपत्तियों का प्रभाव रबी पर पड़े तो साधारणतया लगान की छूट का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये। खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाली कृषि-आपत्ति के पड़ने पर साधारणतया लगान का स्यगन न कि छूट क्यों मंजूर किया जाना है इसका कारण यह है कि खरीफ की फसल (बाद को छोड़ कर) में साधारणतया लोगों के खाने के पनाज ही पैदा होने हैं जब कि रबी में नष्ट या लगान देने वाली फसलें होती हैं। इसलिये लगान के स्यगन या छूट के रूप में सहायता की मात्रा का निश्चयन करते समय यह प्रावश्यक है कि खरीफ व रबी की उपज के सापेक्ष महत्व पर ध्यान रखा जाय।

२८. शीघ्रता की आवश्यकता—यथासम्भव सहायता कियी व्यक्ति द्वारा उठाये गये नुकसान को अनुरूप होनी चाहिये। लेकिन धात्राओं के जारी करने में शीघ्रता का महत्व, नुकसान के अनुमान का हिसाब पूरी र शुद्धता के साथ लगाने की अपेक्षा, कटी अधिक है। विशेष रूप से उस दशा में जब कि वह क्षेत्र जिसमें नुकसान हुआ हो बहुत विस्तीर्ण हो तो मित्र मित्र फसलों को पहुँचे नुकसान में माभूनी फसल का ध्यान न रखते हुए नुकसान की घोषित-दर मान ली जानी चाहिये।

२९. सहायता का पैमाना-लगान के रूप में की जाने वाली सहायता और भूमि में हुए नुकसान के बीच पारस्परिक सम्बन्ध नीचे लिखी सारिणी से प्रकट होता है—

साधारण उत्र को एक रुपया
मान कर नुकसान की मात्रा
धानों में बताई गई है।

लगान में सहायता
प्रति रुपया धानों में
बताई गई है।

हुए मुकमान के अनुमान के आधार पर कृषकों को महापणा दिया जाता सम्भव नहीं है और ऐसा करने का प्रयत्न करने को आशङ्कता भी नहीं है। मुकमान का अनुमान गेहों के वर्गीकरण से लगाया जाना चाहिये न कि उसमें अलग गेहों के लिये। इससे लिये गेहों का वर्गीकरण आसानी से किराने पर आधारी होना चाहिये। ऐसा हो सकता है कि अनिश्चित गेहों में मुकमान समान हुआ हो और अनिश्चित गेहों में भी, मुकमान, यदि कोई हो, समान ही हुआ हो तो ऐसी दशा में अनुमान प्रत्येक गाँव में समूचे सिंचित गेहों में हुए मुकमान का तथा समूचे अनिश्चित गेहों में हुए मुकमान का अनुमान लगाया जाय। प्रत्येक गाँव में फसल के अनुसार मुकमान की मात्रा में अन्तर हो सकता है। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक गाँव हर फसल के अनुसार मुकमान का अनुमान लगाया होगा। यह भी आवश्यक हो सकता है कि न केवल फसलों में ही विभेद दिया जाय बल्कि एक ही फसल के सिंचित व अनिश्चित गेहों में भी विभेद दिया जाना चाहिये। जयपुर में, जैसे घोड़े या बाढ़ की दशा में, किसी गाँव का एक भाग ही क्षतिग्रस्त हुआ हो बाबा मिश्र मिश्र भागों में अलग अलग मात्रा में मुकमान हुआ हो। ऐसी दशा में यह आवश्यक होगा कि क्षतिग्रस्त भाग को या उन भागों को जिनमें मुकमान अलग अलग मात्रा में हुआ हो, गाँव के नक्शे में चिह्नित कर दिया जाय और ऐसे भाग में या ऐसे प्रायिक भाग में हुए मुकमान का अनुमान लगाया जाय। इस दशा में यह भी आवश्यक हो सकता है कि प्रायिक भाग में मिश्र मिश्र फसलों के बीच भी विभेद किया जाय। आपत्ति से प्रभावित प्रत्येक गाँव की दशा में क्लबटर द्वारा मुकमान की उस मात्रा के बारे में निश्चित आदेश दिये जाने चाहिये जिसमें जम गाँव के खेतों को विभाजित किये जाने वाले प्रत्येक वर्ग को मुकमान पहुँचा हो। यदि क्षतिग्रस्त क्षेत्र बहुत विस्तृत हो तो इस प्रयोजन के लिये साधारणतया यह उचित होगा कि गाँवों के समूह बनाये जायें। मुकमान का सविस्तार-हिस्साब लगाने का प्रयत्न करने के पहले यह अत्यावश्यक है कि मुकमान का निश्चयन करने के निमित्त वह तरीका निर्धारित कर दिया जाय जिसके अनुसार गेहों का वर्गीकरण किया गया हो। जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा कर्षु निश्चित कर दिये जाय तो इस प्राधिकारी से नीचे खेतों के किसी प्राधिकारी को एक ही वर्ग के खेतों के बीच मुकमान के अनुमान में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(२) अग्रगण्य जानें वाले वर्गीकरण का निश्चयन करते समय क्लबटर को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि मुकमान के आँकड़े केवल अनुमान पर ही लगाये जा सकते हैं और वर्गीकरण में अत्यधिक सावधानी बरतने से वर्गीकरण का उद्देश्य ही विफल हो सकता है क्योंकि ऐसा करने में सहायता सम्बन्धी विवरण-पत्र तैयार करने में असाधारण विलम्ब होगा जिससे कृषकों को कष्ट पहुँचता है।

(३) मुकमान के अनुमान तैयार करने में क्लबटर को यह ध्यान में रखना चाहिये कि सामान्य फसल गणना वह फसल जिसमें मौसम के दौरान मासुली मुकमान हुआ हो और जो अणुवाद स्वरूप अच्छी फसल न हो, साधारणतया १२-१३ आना फसल समझी जाती है। केवल उन्ही वर्षों में फसल १६ आना मानी जाती है जिनमें फसल को कोई मुकमान नहीं हुआ। ऐसे वर्ष अणुवाद-स्वरूप होते हैं न कि सामान्य। फिर भी सामान्य फसल के बारे में हिदायतों के अनुसार यह धारणा की गई है कि सामान्य फसल १६ आना फसल है अर्थात् फसलों में मुकमान से सामान्य मुकमान से है। जब तक कि सावधानी से काम नहीं लिया जाय

इसके अनुमान का अत्यधिक अनुमान लगाये जाने की सम्भावना है विशेष रूप से उस दशा में
 वर कि नुकसान बहुत अधिक न हुआ हो।

(४) कलक्टरों को चाहिये कि कृषकों को होने वाले नुकसान का अत्यधिक घनावश्यक
 शाखाओं के साथ अनुमान लगाने की मातहत कमचारियों को साधारण प्रवृत्ति को रोकें ताकि
 द्वारा कोई उद्यम करने का अवसर न मिले। सरकार कलक्टरों का ध्यान इस ओर प्रच्छे
 वह बाधित कर देना चाहती है कि नुकसान सम्बन्धी अनुमानों को जांच वरिष्ठ अधिकारी
 का द्वारा पूरी सावधानी से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि अनुमानों में घनावश्यक वृद्धि
 साथ जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि न हो।

३४. 'सामान्य क्षेत्र'—(१) यदि आपत्ति ऐसी किस्म की हो जिससे बोया हुआ क्षेत्र
 कम हो जाय जैसा कि बाढ़ के मानसून से होने वाली वर्षा में कमी होने के कारण होता है,
 तो कृषक को हुए नुकसान का हिसाब लगाते समय, इस प्रकार घट गये क्षेत्र के बारे में अवश्य
 रिपोर्ट दी जानी चाहिये। सामान्य सिद्धान्त यह है कि ऐसा क्षेत्र जो बोया नहीं गया हो किन्तु
 यदि आपत्ति नहीं आती तो बोया जाता, के बारे में यह संकेत आता है कि उसमें १६ अना
 नुकसान हुआ है। यह निश्चय करना स्पष्टतया अवगत बठिन है कि जो क्षेत्र किसी वर्ष में बोये
 नहीं गये हैं उनमें से कौनसे ऐसे हैं जो, यदि परिस्थितियां मिश्र होंगी तो, बोये जाते। यह
 मानसून करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि प्रत्येक भूमि-क्षेत्र के बोये हुए क्षेत्र की
 तुलना उस भूमि-क्षेत्र के किसी सामान्य वर्ष में बोये हुए क्षेत्र से की जाय। इसके लिये यह
 आवश्यक है कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो उस वर्ष की खतौली की सामान्य वर्ष की खतौली से
 विस्तृत तुलना की जाय जो एक वृष्ट सांख्यिक कार्य है और उसमें समय लगता है। बदलती हुई
 सेती वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी काटन-दया उत्पन्न होती है। ऐसा तरीका जिसमें अपेक्षाकृत
 कम परिश्रम की आवश्यकता हो और जो अधिक सीधा हो यह है कि सामान्य वर्ष के सांख्यिक
 तुलना की जाकर सामान्यतः बोये जाने वाले क्षेत्रफल का प्रतिशत निर्दिष्ट कर लिया जाय और
 यह धारणा बनानी जाय कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो उस वर्ष में भीसम के सामान्य होने
 की दशा में प्रत्येक भूमि-क्षेत्र का यही प्रतिशत बोया जाता रहता।

(२) कलक्टर का यह बर्तव्य होगा कि वह निश्चय करे कि आया बोये हुए क्षेत्र में हुई
 कमी के कारण कोई रिपोर्ट दी जानी है और यदि दी जानी है तो यह निश्चय करे कि किस
 वर्ष की सामान्य वर्ष माना जाना चाहिये। यदि आपत्ति होती हो जिसका बोये दूये क्षेत्र पर
 कोई प्रभाव न पड़ा हो प्रथम उसका प्रभाव बहुत कम प्रभाव १० या १५ प्रतिशत से कम हो तो,
 कोई रिपोर्ट नहीं दी जायगी।

३५. प्रारम्भिक रिपोर्ट जो कमिश्नर को भेजी जायगी—(१) ज्योंही कलक्टर आपत्ति
 की विराम तथा उसकी समाप्ति और उस कार्यवाही के बारे में जो इस सम्बन्ध में उसे करनी
 है निश्चय करले वह एक प्रारम्भिक रिपोर्ट कमिश्नर को प्रेषित करेगा। रिपोर्ट में स्थिति का
 दोनो दृष्टियों से, पूर्ण बोधा होगा एक तो यह कि कितना क्षेत्र आपत्ति से प्रभावित हुआ है
 दूसरे यह कि सहायता का अनुमान लगाने की दृष्टि से यह क्षेत्र को विस्तृत वर्गों में विभाजित
 करने का प्रस्ताव रहता है। प्रत्येक वर्ग को पहले नुकसान का अनुमान तथा त्रिज मासों में

१० माना नुकसान हुआ है तो हमसे यह साक्षात् जायगा कि १ एकड़ में ऐसी फसल है जिसको कोई हानि नहीं हुई है ११ एकड़ का कुल नुकसान हुआ है। यह ११ एकड़ का क्षेत्र "समवर्ती कुल हानि" का क्षेत्र है। यह मुनिबन्धन करने के लिये कि कलकटर की खाताओं का पूरी तरह पासन किया गया है, इन इन्फार्मों की जाँच पर्याप्त संख्या में भूमि-अभियोग के निरीक्षणों द्वारा की जानी चाहिये। यह कार्य साधारणतया खतरे में उपलब्ध सूचना से पूरा किया जा सकेगा, लेकिन, उन मामलों में जिनमें गाँव का कुछ हिस्सा छोटे, बाड़ इत्यादि से हानिग्रस्त हो गया हो, नकद से मदद सेना आवश्यक होगा।

१८. निश्चित लगान देने वाले खातामियों के भूमि-क्षेत्रों में सहायता (रिलीफ) की गणना—(१) तत्परचात नीचे दिये गये प्रपत्र में रिलीफ खतौनी संसार की जायगी-रिलीफ खतौनी का उद्देश्य लगान में रिलीफ दिये जाने का ठीक प्रकार हिसाब लगाना है। इस गणना में सबसे पहिले रिलीफ खतौनी के स्तम्भ ५ में प्रत्येक भेज की समान कुल हानि वाले क्षेत्र का इन्फार्म किया जाय और इस स्तम्भ का भोजान लगाया जाकर प्रतिभूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) समवर्ती कुल हानि का क्षेत्र मालूम किया जाना चाहिये।

भूमि-क्षेत्र के कुल बोये हुए क्षेत्र को मालूम करने के लिये स्तम्भ ४ का भी भोजान लगाया जाना चाहिये। यदि क्षेत्र में कमी के कारण कोई नुकसान नहो हुआ हो, तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में हुए नुकसान प्रति खपटा धानों में व्यक्त किया जाता है जिसके लिये 'समवर्ती कुल हानि' वाले क्षेत्र की तुलना भूमि क्षेत्र के उस क्षेत्र के साथ की जायगी जो कि भापति-वर्ष में मौसम पर बोया गया था। इस प्रकार सामान्य उपज या प्रति खपटा धानों में नुकसान प्रकट किया जाता है। नकद लगान की दशा में मौसम पर लगान का समूचा मतालबा स्तम्भ १० में दर्ज किया जाता है और तब उस मौसम पर देय वास्तविक लगान की गणना, पैराग्राफ ३ में बताये गये एवं स्तम्भ ११ में लिखे गये पैमाने के अनुसार की जायगी।

रिलीफ खतौनी

सामान्य खतौनी में क्रम संख्या	कृषक का नाम व उसके पिता का नाम	खसरा नम्बर (सेत का)	क्षेत्र जो बोया गया
१	२	३	४

समान कुल हानि वाला क्षेत्र	मौसम में सामान्य क्षेत्र	क्षेत्र में हुई कमी	क्षेत्र में हुई कुल कमी और "समान कुल हानि" का क्षेत्र
५	६	७	८

मुकदमा खानों में प्रति क्षया	मौसम पर लगान का मताहवा	मौसम पर देय लगान	वित्तिय विवरण
६	१०	११	१२

३६. इन्द्राजों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच—यह बड़े महार की बात है कि हमरा में "समवर्ती कुल हानि" के इन्द्राज की तथा खतीनी में किये गये इन्द्राज तथा गणना की पन्थी प्रकार पूरी पूरी और मुकम्मिल जांच की जाय; कारण कि उन्हीं पर नकद वास्तविक रिलीफ की गाना आधारित है। यद्यपि इन्सपेक्टर लेण्ड रेकार्डस इन्द्राज के सही होने तथा सही हिसाब लगाये जाने के लिये उत्तरदायी होगा तथापि कलक्टर को चाहिये कि तहसीलदार और नामब तहसीलदार द्वारा भी जांच करावे; और उसके लिये उपयुक्त प्रतिशत निश्चित कर दे। सब-डिवीजनल प्रकमर यह देखे कि तहसीलदार तथा अन्य मातहत अधिकारियों द्वारा जो जांच की जाय वह वास्तविक तथा प्रभावकारी हो।

४०. एक-सी क्षति होने के कतिपय मामलों में रिलीफ खतीनी का आवश्यक न होना—यदि किसी गांव में सभी फसलों को एक ही क्षति पहुँची हो तो निस्पन्देह रिलीफ खतीनी तैयार किया जाना आवश्यक है क्योंकि उस दशा में रिलीफ का हिसाब नियम २६ में दी गई सारिणी के आधार पर लगाया जायेगा। परन्तु, अतिवित्त क्षेत्रों को छोड़कर, ऐसी स्थिति बहुत ही कम उपस्थित होती है जब तक कि क्षति बाढ़ के कारण न हो।

४१. शिकमी-आसामियों को रिलीफ—यदि शिकमी-आसामियों का क्षेत्र बहुत ही तो उन्हें भी सहायता उसी अनुपात में दी जा सकती है जिस अनुपात में मुकब-आसामी को दी जाय।

अध्याय ७

अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४२. रसीद बहियाँ और तहसीलदार का उत्तरदायित्व—तहसीलदार सरकारी मुद्रणालय में भेजी गई रसीद बहियों (प्रपत्र-घ) को मय प्रतिपरतों के मुरदित रखने, उन्हें भूमिधारियों को बेचे जाने तथा उनकी प्राप्ति व बिनी का निर्धारित प्रपत्र में हियात्र रगे जाने के लिये उत्तरदायी होगा। यह यह भी देखेगा कि उसके पास हर समय उगकी तहसील की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिये रसीद बहियाँ पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं व यह कि रसीद बहियों के लिये इन्डेण्ट ठीक समय पर भेजे जायें तथा इन्डेण्ट अनुमानित या आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जायें और मुद्रणालय से प्राप्त हुई समस्त रसीद-बहियों और भूमि-धारियों को बेची गई रसीद-बहियों का इन्द्राज मुद्रण ठग रजिस्टर में कर दिया जाय जो कि तदप्रयोजनार्थ रखा गया हो और यह कि प्राप्ति तथा बिनी सम्बन्धी सब इन्द्राज पर

क्षेत्र के बारे में नहीं होगा जो एक गांव से बड़ा हो। प्रत्येक गांव या गांव के हिस्से के लिये एक अलग प्रार्थना-पत्र होगा।

५२. अनुसूचियों को प्रार्थना-पत्र के साथ सगाई जायेगी—प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ दो पड़तों में अनुसूचियों को सगाई जायेगी जिनमें इन नियमों के साथ सगाई प्राप्त "ब" में संश्लेष १ से ६ तक अतिरिक्त विवरण बताये जायेगे जो ऐसे प्रत्येक दोषी (defaulter) व्यक्ति के संबंध में होंगे जिसके विरुद्ध आवेदन कार्यवाही करना चाहता है। यदि दोषी-व्यक्ति एक से अधिक भूमि-खतों के सम्बन्ध में बताया जा देनदार है तो प्रत्येक ऐसा भूमि-क्षेत्र अलग-अलग दिलाया जायगा।

५३. प्रार्थना-पत्र के साथ रसीद यही का प्रस्तुत किया जाना—प्रार्थना-पत्र के साथ, अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों के अंतर्गत मुद्रित एक या अधिक रसीद-बहियों प्रस्तुत करेगा जिनमें बताया की वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रसीद के फार्म मय प्रतिपत्त होंगे।

५४. प्रार्थना-पत्र का सत्यापन—प्रार्थना-पत्र का सत्यापन निम्नलिखित प्रथमा संहिता १९०८ (सं० ५, १९०८) के आर्डर ६ के कूल १५ के अनुसरण में वाद-तत्रो (प्रीडिंग) के समान ही दिया जायगा।

५५. प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही—पेश किये जाने के पश्चात् तुरन्त ही प्रार्थना-पत्र को रखने हेतु एक मिसल (फाइल) खोली जायगी जिसमें विवरण-सूची व आदेश-सूची संलग्न होंगे।

५६. अनुसूचि की कलक्टर द्वारा जांच—कलक्टर, भूमिधारी या पटवारी द्वारा सगाई की वसूली के सम्बन्ध में रखे गये अभिलेख की जांच करके या किनी अन्य उचित तरीके से अनुसूचियों की जांच करेगा और इस बात में अपने ध्यान को धारित करेगा कि 'अभ्यर्षित (claimed) रकम देय है और अनुसूचियों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हे यह आवश्यक समझे। कलक्टर यह भी देखेगा कि स्तम्भ ५ में बनाई हुई ब्याज के तौर पर जो रकम चाही गई है उसको गणना अधिनियम में निर्धारित ब्याज-दर (एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज) के अनुसार ठीक की गई है। स्तम्भ ३ से ६ तक में किये हुए ब्याज की जांच करने के बाद ही उन ऐसे परिवर्तन, जिन्हे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, कलक्टर स्तम्भ ७ में व. र. म दर्ज करेगा जिसे वसूल किया जाना वह जरूर करे।

५७. वसूली करने वाले कर्मचारी वर्ग—कलक्टर, तत्पश्चात् अनुसूचियों को, रसीद बहियों के साथ, तहसीलदार को भेजेगा। तहसीलदार या तो स्वयं बताया की वसूली करेगा अथवा यह काम किसी अन्य अधिकारी को सौंप देगा जो साधारणतया 'नायब-तहसीलदार' या भू-अभिलेख निरीक्षक होगा। बताया, राखने की बताया की तरह, वसूली की जायेगी।

५८. अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग—कलक्टर, वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा।

५९. अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के खर्च की सीमा—नियुक्त किये गये अतिरिक्त कर्मचारी

त्रं की हर्जा साधारणतया मतालवे के ४ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये और किसी भी रूप में प्रतिशत से ज़हाँ बढ़ना चाहिये ।

६०. रसीद दिया जाना—जिस अधिकारी को वसूली का काम सौंपा जाय वह प्रत्येक वही-व्यक्ति को उस रकम को जो उससे वसूल की गई हो एक रसीद उस वही या बहियों में से देना जो कि प्रार्थी द्वारा नियम ५३ के अन्तर्गत पेश की गई हो ।

६१. वसूल की बकाया की रकम का व्यवस्थापन—जिस तहसीलदार ने वसूली की हो, वह अपने द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत वसूल की गई रकम को, प्रार्थी अथवा उसके अधिकृत एजेंट को, यदि वह उपस्थित हो, लिखित रसीद लेकर दे देगा । यदि प्रार्थी या उसका अधिकृत एजेंट उपस्थित न हो, या वसूल शुदा रकम को लेना स्वीकार न करे, अथवा वसूली तहसीलदार या नायब तहसीलदार के अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई हो तो, वसूल शुदा रकम, तहसीलदार के रात्रस्व न्यायालय की अमानत के रूप में ट्रेजरी में जमा करा दी जायेगी जो प्रार्थी को देय होगी और चालान फायल में लगा दिया जायगा । प्रार्थी को अन्तिम भुगतान करने के पहिले, वसूली का वह सर्च जो क्लर्क ने धारा १६० की उप-धारा (५) के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया हो, काट लिया जायेगा और नियम ५२ के अनुसार फॉर्म "ब" में तैयार की हुई द्विपक्षी अनुसूचियों में से एक सूची, जिसके सब स्टम्प्स में इन्द्राज हो गये हों, प्रार्थी को दे दी जायेगी ।

६२. भुगतान की गई रकम का इन्द्राज कंसा चुक में किया जाना—जब कभी रकम प्रार्थी या उसके अधिकृत एजेंट को दी जाय या न्यायालय में जमा कराई जाय तो उसका इन्द्राज कंसा चुक में किया जायगा जिसमें पाने वाले व्यक्ति का नाम तथा रकम बताई जायेगी और उस इन्द्राज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे :

६३. हिसाब का मिलान—क्वाउ टेण्ट प्रप (अ) में एक इंविंटर रहेगा, जिसमें समय समय पर वसूल की गई समस्त रकमें दर्ज की जायेंगी, ऐसी सभी वसूलियों की सूचना अकाउण्टेंट को दी जायेगी ।

६४. रकमों को वसूल करने वाला अधिकारी जब कभी तहसील में घावे या घसुली के बरखात्, यथा सम्भव, शोष, अपनी पेश चुक के इन्द्राज का मिलान अकाउण्टेंट द्वारा रक्के रात्राटर में की हुई प्रविष्टियों से किया जायगा

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

६५. सुदबात व गैर आलेदार आत्मियों परदा निचमी आत्मियों की इच्छान करने की प्रणाली—अधिनियम की धारा १८० के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में, जहाँ ऐसे इच्छामी या निचमी-आत्मियों, जिनकी इच्छान के लिये सुदबात की कार्यवाही दी गई हो, एक

की घोषणा पर तथा जित्त भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस पर विचारणा मया बा ।

	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी	पटेल या सम्बन्धित	, पटवारी
		तारीख.....

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है—

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आपत्ति वेग नहीं हुई है ।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास जो आपत्तियां वेग की गई हैं वे भी प्रस्तुत हैं, जोर भीचे लिये अनुसार हैं—

तारीख.....

१—नाम गांव व तहसील

२—नाम साक्षी (आवेदक) मय बहिदस्त, जाति, उम्र तथा निवाह

३—भूमि का विवरण

४—प्राया आवेदक के पास गांव की आबादी में पहिले से कोई मजदत है या नहीं

५—मोहता (लोकलिटो) का नाम

६—खसरा न० तथा सेन/खेती का नाम

७—भूमि की लम्बाई-चौड़ाई (फीट, इन्चों में)

उत्तर

दक्षिण

पूर्व

पश्चिम

८—कुल क्षेत्रफल (वर्गगज, वर्ग फीट में)

स्वामी चिन्ह

अर्द्ध-स्वामी चिन्ह

९—सोमा के चिन्ह

१०—अभिप्राय जिसके लिए भूमि चाहिए—अर्थात्

पक्का मकान/बच्चा मकान/पाटोड/इकठालिया/नीहरा/बाडा

११—आपत्तियों का विवरण जो प्रस्तुत हुई हों, यदि कोई हों,

या

१२—पटवारी की रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रपत्र—ख-ख

पटवारी की रिपोर्ट

(देखिये नियम ११)

सुरदमा नं०.....

... आवेदन-पत्र, कृपि-कर्मकार अथवा गांव के दस्तकार द्वारा मकान के लिए भूमि दिये जाने हेतु ।

आवेदक का नाम.....
नोटिस दिनांक.....
के सीमान पर तथा जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि पर चिपकीया गया था।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर लेम्बरदार

तारीख

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आपत्तियाँ पैदा नहीं हुई हैं—

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास जो आवेदन-पत्र पैदा हुए हैं वे प्रस्तुत हैं।

पटवारी

तारीख.....

- १— नाम गांव व तहसील
- २— आवेदक का नाम मय बस्तिपत, जाति, उम्र, निवास स्थान
- ३— आया आवेदक के पास गांव की आबादी में पहिले से कोई मकान है या नहीं
- ४— आया आवेदक गांव में कृषि कर्मकार/दस्तकार अर्थात् बुझार, कारपेष्टर, मोबी, बुझार, बुनकर के रूप में काम करना रहा है।
- ५— आया आवेदक गांव..... में पिछले दस या अधिक वर्षों से स्थायी तौर पर रहता रहा है
- ६— मोहल्ला (लोकैलिटी) का नाम
- ७— भूमि की लम्बाई-चौड़ाई (फीट व इन्चों में)
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
- ८— कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
- ९— सीमा के चिन्ह—स्थायी अस्थायी
- १०— अंशप्राय जिसके लिए भूमि चाहिए अर्थात् पक्का मकान/कच्चा मकान/पाटोड/इकठालिया
- ११— आपत्तियों का विवरण जो पैदा हुई हों, यदि कोई हो
- १२— अन्य विवरण
- १३— पटवारी की रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रपत्र—ग

(देखिये नियम १८)

पट्टे अथवा प्रतिपत्रों का नमूना

(देखिये पारा ३२)

हिसाब का विवरण

राजस्थान टिनेसी एक्ट की धारा १३८ तथा उसके अधीन निर्मित राजस्थान टिनेसी (सरकारी) नियमों का नियम ४७

आसामी का नाम मय बल्दियत	भूमि या सम्पत्ति का विवरण ताकि पहिचानी जा सके।	वार्षिक लगान या सायर	लगान या सायर की रकम, यदि कोई हो, जो प्रत्येक वर्ष तथा फसल की बारो निकल रही हो।		व्याज	विशेष विवरण
			वर्ष तथा फसल	रु० पैसे		
१	२	३	४	५	६	७
योग.....						
कुल योग.....						

तारीख.....

न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर—भूमिपारो या एजेंट

प्रपत्र च (नियम ५२)

क्रम संख्या	दोषी (वाकीदार) व्यक्ति का नाम व पता	बकाया लगान जो काविल वसूल है।		व्याज जो दातव्य है	रकम जो वसूल होती है।	रकम जिसे वसूल किया जाना कलक्टर ने मंजूर किया	रकम जो वसूल हुई	विशेष विवरण
		वर्ष	रकम					
१	२	३	४	५	६	७	८	९

नोट—स्तम्भ १ से ६ तक प्रार्थी द्वारा भरे जायेंगे। (२) स्तम्भ ७ से ९ तक कलक्टर द्वारा भरे जायेंगे।

प्रपत्र छ
(नियम ६२)

कैश बुक

1	कम मुद्रा	2	वसुला नाम की- मम क. स. विम प्र	3	रकम और वसूल की वसुली के अर्थ रकम	4	वसुली के अर्थ रकम	5	वसुली के अर्थ रकम	6	रकम जो प्रायो को या उसके अधिकृत एजेंट को दी गई मय तारीख जिसको दो गई	7	रकम जो देवरी से वसा कराई गई मय- तारीख	8	रकम जो देवरी से वसा कराई गई मय- तारीख

प्रपत्र ज
(नियम ६३)

रजिस्टर जिसे एकाउण्टेंट रखेगा

1	विला	2	गाय का नाम	3	नाम शेरक अण्टी	4	कुल रकम जो वसूल होनी है	5	रकम जो वसूल हुई	6	तारीख	7	रकम जो बाकी रही

(२) मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र स्वयं भूमिधारी द्वारा या तो सबडिवीजनल अधिकारी को पेश किया जा सकता है या अधिवृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है या रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है ।

५ धारा २० (२) के अन्तर्गत नोटिस का प्रपत्र—भासामी को धारा २० (२) के अन्तर्गत जारी किया जाने वाला नोटिस प्रपत्र 'अ' में होगा ।

६. सुधारो का मुख्य निदिधत करने में अग्र्य विचारणीय मामले—सबडिवीजनल अधिकारी, सुधारो का मुख्य निदिधत करने में, अधिनियम की धारा २४ में बर्णित मामलों के अतिरिक्त, सुधार किये जाने में भासामी द्वारा दिये गये रुपये व शारीरिक-धन के योगदान को भी ध्यान में रखेगा ।

७. बिलोपित

८. नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र—(१) धारा ३६-क के अन्तर्गत नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ट' में होगा और आवेदन-पत्र को उतनी प्रतिया पेश करेगा जितने व्यक्तियों में नालबट समूल करने का अधिकार निहित हो ।

(२) आवेदन-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को भासामी द्वारा स्वयं या अधिवृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है ।

९. धारा ३६-क को उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस—धारा ३६-क को उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस प्रपत्र "ठ" में होगा और नोटिस की एक प्रति भूमिधारी पर तामील की जायगी ।

१०. धारा ३५-क (२) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र—प्राप्य नालबट समूल करने का अधिकार जिस व्यक्ति में निहित हो उसे देय मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र प्रपत्र 'ड' में पेश किया जायगा और तीन प्रतियों में होगा ।

मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को या तो स्वयं या अधिवृत एजेण्ट के जरिये दिया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है ।

११. नालबट के अधिकार की अवाप्ति का प्रमाण पत्र प्रपत्र "ड" में होगा ।

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८-५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

१२. आवेदन-पत्र के साथ पेश होने वाले दस्तावेज—अधिनियम की धारा ४६ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण होगा—

(१) जिन भूमि-क्षेत्रों को आवेदक लेना चाहता है तथा जिनमें उसने कृषि की है एवं बदले में देना चाहता है, दोनों के ससरा नं०

(२) जिस खतीनी खाते में उक्त सब भूमिक्षेत्र दिये हुए हों उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(३) जिस खेत खाते से वे सब भूमिक्षेत्र सम्बद्ध हों उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(४) विनियम (एक्सचेंज) के आधार

(५) एक विवरण-पत्र जिसमें ऐसे किसी पट्टे (लीज), बंधक, या अन्य अधिभार (incumbrance) का व्योरा जिससे कि आवेदक द्वारा विनियम में दिया जाने वाला भूमिक्षेत्र नरहित हो, तथा पट्टा दाता, बंधक ग्रहीता अथवा अधिभार-स्थापक (incumbrancer) का नाम पत्र पत्र।

(६) यदि भूमिधारी प्रस्तावित विनियम में पक्ष न हो तो उसका नाम पत्र।

१३. नोटिस जारी किया जाना—उपयुक्त आवेदन-पत्र को प्राप्त पर, सहायक कलक्टर, प्रतिपक्ष (opposite parties) को तथा भूमिधारी को और, उस दशा में जब कि, अधिनियम की धारा ५१ के प्रावधान लागू होते हैं, पट्टा-दाता बंधक ग्रहीता, तथा अधिभार-स्थापक को यह कारण प्रकट करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्यों न विनियम के लिये आदेश दे दिया जाय। ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ उस आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि लगाई जायेगी जो कि आवेदक ने पेश किया हो।

१४. आपत्तियों का निवटारा तथा आगे की प्रक्रिया—(१) सहायक कलक्टर आपत्तियों की, यदि कोई, हो, सुनवाई करके निवटारा करेगा और ऐसी और जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा यदि वह संतुष्ट न हो जाय कि विनियम का आदेश दिये जाने के लिये युक्तियुक्त आधार है।

(२) यदि सहायक कलक्टर संतुष्ट हो जाय कि विनियम मंजूर किये जाने के लिये युक्तियुक्त आधार विद्यमान है तो वह विनियम को जाने वाली भूमि का मूल्य मालूम करेगा जिसके निमित्त वह प्रत्येक भूमि-खण्ड के क्षेत्रफल को उसके वापिक लगान—उस भूमि-खण्ड की उस श्रेणी के लगान के अनुसार संगणित किया गया हो—जो धारा २१ के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम रूप से निर्दिष्ट किया गया हो, से गुणा करेगा। मूल्यंकन पर विचार करने के बाद और उस दशा में जब कि धारा ५१ के प्रावधान लागू होते हैं, पट्टे (लीज) बंधक या अन्य भार की जनों घापातों (incidents) पर भी विचार करने के पश्चात्, सहायक कलक्टर, आवेदन को पूर्णतया अथवा अंशतः मंजूर कर सकेगा।

१५. संपान का विभाजन—यदि, अधिनियम की धारा ४९ के अन्तर्गत धार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी भूमिक्षेत्र का केवल एक अंश ही विनियम में मंजूर किया जाय तो, सहायक कलक्टर, उक्त भूमिक्षेत्र के लगान को उक्त अंश तथा अवशिष्ट अंश के बीच विभाजित करेगा।

१६ विनियम के आदेश देने में पालनीय सिद्धान्त—विनियम का आदेश देने में, सहायक कलक्टर निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करेगा—

(१) कि वह भूमि जिसे आवेदक दे, मूल्य में तथा किस्म में अध्यात्मिक उस भूमि के निकटतम तथा समकाल ही जिसे वह प्राप्त करे।

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा ६६ या धारा ९७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र—अधिनियम की धारा ६६ के प्रथम परम्युक्त के अधीन किसी आवेदक आगामी द्वारा या धारा ९७ के अधीन भूमिधारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये एक आवास गृह या पशु-बाड़ा या स्टोर हाउस या कृषि-कार्यों के लिये कोई भव्य निर्माण जो धारा ६६ के प्रथम परम्युक्त में वर्णित अर्द्ध-ध्यास की दूरी के भीतर स्थित भूमिक्षेत्र पर बनाया जाना या गड़ा किया जाना है, की स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस सक्रिय के पटवारी को मार्केन तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उसका भूमिक्षेत्र स्थित है। आवेदन-पत्र प्रपत्र "घ घ" में होगा और जो विवरण उस प्रपत्र में प्रपेक्षित हैं वे दिये जायेंगे।

२५. ख—पटवारी की रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र 'घघ' के भाग २ में, अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेश करेगा।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विमर्श—तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा प्रपत्र "घघ" में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से यह पूछताछ करेगा कि आया नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को यह लिखेगा कि यदि एक महीने के भीतर नगरपालिका की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो यह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा नगरपालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा।

२५. ङ—परिस्थितियां जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास गृह है तो क्या प्रस्तावित आवास गृह भूमि-क्षेत्र पर कृषि-कार्यों के लिये नितान्त प्रावश्यक है।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक खर्चीला है।

(४) आया आवेदक के पास पहिले से भूमि-क्षेत्र का सुविधा पूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या बर्जा रखने के लिये भूमि-क्षेत्र के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

है तो भूमि-क्षेत्र पर ही आवास गृह रखने में क्या खींचरिय है ।

(५) आया गांव की आबादी में आवेदक का कोई आवास गृह है और यदि है तो क्या इति-हासों के लिये भूमि-क्षेत्र पर ही आवास गृह का निर्माण नितान्त आवश्यक है ।

(६) यदि निर्माण, जिसकी स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है, कोई पशु-बाड़ा है तो क्या पशु-बाड़ा/बाड़े पहिले से ही मौजूद हैं और यदि है तो क्या और पशु-बाड़े का निर्माण, आवेदक के पशुओं की सहाया को देखते हुए, आवश्यक है और क्या पशु बाड़े में घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है ।

(७) यदि वह निर्माण, जिसकी स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई स्टोर हाउस है तो क्या भूमि-क्षेत्र पर पहिले से ही स्टोर हाउस मौजूद था या है और यदि है तो क्या कुल वार्षिक पैदावार, जिसके स्टोर किये जाने के लिये स्थान की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए और स्टोर हाउस का निर्माण आवश्यक है और क्या प्रस्तावित स्टोर हाउस द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है ।

(८) यदि वह निर्माण जिसकी स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई आवास-गृह, पशुबाड़ा, या स्टोर हाउस के अलावा कोई निर्माण है तो तहसीलदार यह विचार करेगा कि क्या ऐसा कोई निर्माण, भूमिक्षेत्र को सुविधापूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कच्चे में रखने के लिये आवश्यक है ।

(९) उपर्युक्त खण्ड (१) से (८) तक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

(क) जहां भूमि-क्षेत्र ५० एकड़ से अधिक है तो आवास-गृहों, पशुबाड़ों, स्टोर हाउसों, तथा अन्य निर्माण द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल कुन मिलाकर एक एकड़ से अधिक नहीं होगा और जहां भूमि का क्षेत्रफल पचास एकड़ से अधिक नहीं है तो ऐसे किमी भी सुधारों द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल भूमि के कुल क्षेत्रफल के $\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं होगा, और

(ख) आसामी या भूमिधारी के उपयोग के लिये उसके भूमि-क्षेत्र पर एक से अधिक आवास गृह नहीं होगा ।

२५. ख-परिस्थितियों-जिनमें आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा :—आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा यदि प्रस्तावित निर्माण :—

(१) कोई ऐसा सुधार नहीं है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है ।

(२) उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह धर्मोपेत है, बहुत अधिक खर्चना है या

(३) ऐसा सुधार नहीं है जिसे करने का आवेदक हकदार है ।

२६. आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु :—(१) किसी सुधार पर खर्च की गई रकम का निरवय कराने के लिये आवेदन-पत्र में सुधार की किस्म तथा व्यौरा दिया जायगा और उसके साथ उस आज्ञा की एक प्रति भी होगी जिसके जरिये सुधार किये जाने की स्वीकृति दी गई हो, तथा खर्च की गई रकम का हिस्सा, यथामुम्भव वाउचरों के साथ, शामिल किया जायगा ।

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रायधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा ६६ या धारा ६७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र—अधिनियम की धारा ६६ के प्रथम परगणुक के अधीन जिनके आगेदार आगामी द्वारा या धारा ६७ के अधीन भूमिधारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये एक भागम गृह या पशु-बाड़ा या स्टोर हाउस या कृषि-कामों के लिये कोई अन्य निर्माण जो धारा ६६ के प्रथम परगणुक में वर्णित अर्थ-व्याप्त की दूरी के भीतर स्थित भूमिक्षेत्र पर बनाया जाना या गड़ा किया जाना है, की स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस सक्रिय के पटवारी की मार्फत तहसीलदार के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिनमें उक्तका भूमिक्षेत्र स्थित है। आवेदन-पत्र प्रपत्र "घ घ" में होगा और जो विवरण उस प्रपत्र में प्रोदान है वे दिये जायेंगे।

२५. ख—पटवारी की रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र 'घघ' के भाग २ में, अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेश करेगा।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विमर्श—तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा प्रपत्र "घघ" में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से यह पृष्ठनाद करेगा कि आया नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को यह लिखेगा कि यदि एक महीने के भीतर नगरपालिका की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो यह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा नगरपालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा।

२५. ङ—परिस्थितियां जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास गृह है तो क्या प्रस्तावित आवास गृह भूमि-क्षेत्र पर कृषि-कामों के लिये नितान्त आवश्यक है।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक सर्वांगीण है।

(४) आया आवेदक के पास पहिले से भूमि-क्षेत्र का सुविधा पूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जा रखने के लिये भूमि-क्षेत्र के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

३१. साइसेस— धारा ८४ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट साइसेस 'द' (१) विशेष तथा (२) सामान्य हो सकते हैं जो प्रथम में होंगे।

३२. विशेष साइसेस— (१) विशेष साइसेस वे हैं जो एक महीने में अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किये जाते हैं।

(२) कोई भी विशेष साइसेस जिन्हीं निर्दिष्ट वृक्षों को अथवा वृक्ष-वर्ग को हटाने के लिए मंजूर किया जा सकता है और निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उनमें से किसी के लिए हो सकता है अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं—

[क] भूमिधारी अथवा आसामी, यथास्थिति, को जिन्हीं भी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।

[ख] भूमि अथवा उसकी उपज के प्रसंग में उनमें से किसी की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

[ग] गांव वालों द्वारा अथवा उनकी ओर में किए जाने वाले किसी भी निर्माण-कार्यों में सहयोग देने के लिए।

३३. सामान्य साइसेस— (१) सामान्य साइसेस वे हैं जो एक महीने में अधिक अवधि के लिए जारी किये जाते हैं—

(२) इन नियमों के अन्वय प्रावधानों के अधीन रहने हुए, अधिवासित (occupied) अथवा अनधिवासित (unoccupied) भूमि पर खड़े हुए समस्त वृक्षों को अथवा किसी वृक्ष-वर्ग को हटाने के लिए सामान्य साइसेस नीचे लिखे मामलों में जारी किया जा सकता है—

(क) अधिवासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब साइसेस देने वाले अधिकारी को यह प्रमाणित करके सतुष्ट कर दिया जाय कि उक्तवर्षण वृक्षों को हटाना भूमिधारी या आसामी की कृषि अथवा कृषि-कार्यों के यथास्थिति विस्तार के लिए आवश्यक है।

(ख) अनधिवासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब कि इस प्रकार वृक्ष हटाना।

[१] कृषि के विस्तार के लिए, अथवा

[२] नये वृक्ष लगाने के लिए, या

[३] फलदार वृक्षों की दशा में, जब कि वे बहुत पुराने, खोएँ हो गये हों और उनका क्षीण होना आरम्भ हो गया हो, या

(४) जब कि ऐसे वृक्ष हटाने पड़े उगे हुए हों कि उनसे भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता हो अथवा अन्य प्रकार से भूमि अथवा खड़ी फसलों को यदि कोई हो, क्षति पहुँचती हो।

परन्तु बन्ध (२) (३) और (४) की दशा में, विबीजन के विबीजन फारेस्ट अधिकारी से सर्व सहाह ली जायेगी और उसकी सहाह के अनुसार ही लाइसेंस जारी किया जायेगा। यदि लाइसेंस देने वाला अधिकारी विबीजन फारेस्ट अधिकारी की सहाह से सहमत न हो, तो, बहु उदर्य प्रयत्न कारण लिखते हुए मामले को चीफ कंजर्वेटर फारेस्ट, राजस्थान को राय के लिए प्रेषित करेगा। लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी, चीफ कंजर्वेटर फारेस्ट की राय से राय होगा और उसकी राय के अनुसार ही लाइसेंस जारी किया जायेगा।

३४. विलोपित।

३५. लाइसेंस फीस—(१) विशेष लाइसेंस निःशुल्क जारी किया जायेगा और वह जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए होगा अर्थात् यदि उसमें उनसे कम अवधि लिखी हुई है तो उस कम अवधि के लिए और उसके पुनः नवीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(२) सामान्य लाइसेंस प्रति वृक्ष एक अना रायवा प्रति एकड़ पांच शायर जो भी कम हो, फीस देने पर जारी किया जायेगा।

(३) इस नियम की कोई भी बात, उस दशा में जब कि लाइसेंस समाप्त हो गया हो नया लाइसेंस जारी किये जाने में रुकावट नहीं डालेगी अर्थात् कि नया लाइसेंस पूर्णतया इन नियमों के अनुसार जारी किया जाय।

३६. लाइसेंस जारी करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—(१) लाइसेंस स्वीकार करने के पहिले, लाइसेंस देने वाला अधिकारी उन प्रायारों की जांच करेगा जिन पर आवेदक लाइसेंस लेना चाहता है तथा उनको न्यायोचितता के सम्बन्ध में भी जांच करते और केवल ऐसे वृक्ष या वृक्षों को हटाने की अनुमति देगा जिनका हटाना जाना, दूसरों को हानिग्रह हुए बिना अथवा सामान्य ग्राम अर्थ व्यवस्था को नराव या गड़बड़ किये बिना, आवेदक की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो।

(२) सामान्य लाइसेंस मंजूर करते समय निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखी जायेंगी—

(क) कि प्रस्तावित वृक्ष को हटाना सामान्य जनता के लिए हितकर तथा लाभप्रद सिद्ध होने वाला हो तथा उनकी ईपन व लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने वाला हो तथा आवेदक के हित में हो अर्थात् कि उसका हित जन-हित के प्रतिद्वन्द्व न हो।

(ख) कि प्रस्तावित वृक्षों को हटाये जाने से,

[१] भूमि के अत्यधिक खाली हो जाने की सम्भावना न हो,

[२] भूमि का कटाव होने की सम्भावना न हो,

[३] वृषि अर्थ व्यवस्था के बिगाड़ने की सम्भावना न हो,

३७. लाइसेंस की शर्तें—अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर किये गये प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त यह होगी कि—

(क) वृक्ष लाइसेंस में दिये हुए समय के भीतर और उसकी शर्तों के अनुसार हटाये जायेंगे,

(ख) भ्रष्टा, पड़ोसी, की भूमि, सड़ी फगलों, पाप अप्पुवा पुतों, या मकानों को कोई जति न पहुँचाते हुए हटाये जायेंगे,

३८. साइतेन्स का निरीक्षण—इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये तमरन साइतेन्सों का निरीक्षण किसी भी राजस्व अधिकारी, किसी भी फरिस्ट अधिकारी अथवा पुलित अधिकारी को वद में सब इन्स्पेक्टर पुलित से भीचे वद का न हो, द्वारा किया जा सकेगा और साइतेन्स को वतों का कोई भी उल्लंघन या उते जारी करने में कोई भी अनियमितता उम अधिकारी द्वारा जितने उते पकड़ा है साइतेन्स मंजूर करने वाले अधिकारी के नोटिस में साई जायेगी ।

३९. साइतेन्स रद्द किया जाना—वह प्राधिकारी जो अनियम के अन्तर्गत साइतेन्स जारी करने में सक्षम है, उते किसी भी समय रद्द कर सकेगा जब कि—

[१] साइतेन्सधारी, साइतेन्स की किन्हीं वतों या प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है या नियम ३८ में अपेक्षित रीति से साइतेन्स को निरीक्षण के लिए वेग करने में असफल रहता है ।

[२] बाद में पता लगता है कि साइतेन्सधारी ने, साइतेन्स प्राप्त करने के लिए, तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत किया है ।

४०. साइतेन्स का समर्पण—(१) साइतेन्स, उसकी अवधि समाप्त होने के १५ दिन के भीतर, साइतेन्स मंजूर करने वाले अधिकारी को समर्पण कर दिया जायगा ।

२) साइतेन्स रजिस्टर—साइतेन्सों का एक रजिस्टर प्रपत्र 'द' में प्रत्येक तहसील में रखा जायगा ।

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४१. लगान की दरों का प्रकाशन—लगान दर अधिकारी, लगान की दरों तथा उसके द्वारा धारा १११ से ११३ तक के अधीन तैयार किए गए रेकार्ड के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा, तत्सम्बन्धी आपत्तियों का निपटारा करेगा तथा अपने प्रस्ताव तथा स्वयं द्वारा तैयार किए गए रेकार्ड को, ऐसे संशोधनों के पश्चात् जिन्हे वह उचित समझे, ऐसी रीति से जो कि राजस्थान सेंटिलमेण्ट मैन्युअल (सेंटिलमेण्ट प्राफीसर्स) में ऐसे मामलों के बारे में निर्धारित की जाय, बोर्ड को प्रेषित करेगा ।

कुछ मामलों में लगान सम्बन्धी विवाद

४२. तहसीलदार द्वारा ओष—धारा ११७ (२) में वर्णित आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर, तहसीलदार, आवेदकों की उपस्थिति में सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा । विरुद्ध

पक्ष पर एक नोटिस तारीख करायी जायगी जिसमें उपस्थिति के लिए समय तथा स्थान व्यक्त हों और उस नोटिस के साथ आवेदन की एक प्रतिलिपि होगी। पक्षकारों से ऐसे समूचे साक्ष्य के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा की जायगी जिस पर वे भरोसा रखते हों।

४१. उपरोक्त तारीख पर तहसीलदार विरुद्ध पक्ष से पूछें कर यह निश्चय करेगा कि क्या वह (विरुद्ध पक्ष) दावे को स्वीकार करता है। उस दायर में जब कि विरुद्ध पक्ष दावे को स्वीकार करे, तहसीलदार तदनुसार प्रपना निर्णय दे देगा।

जहां विरुद्ध पक्ष इस प्रकार स्वीकार न करे, तहसीलदार दोनों का सबूत लेख बढ करेगा, दस्तावेजों तथा मौखिक साक्ष्य जो उसके समक्ष पेश की जाय निरीक्षण करेगा तथा राजस्व कागजात में किए हुए दस्तावेज, यदि कोई हों, की भी जांच करेगा और तदनुसार प्रपना निर्णय देगा।

अध्याय ६

धारा १३६-१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४४. सगान का तहसील में जमा कराना—तहसीलदार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें जमा मुदा हर रकम के विषय में नीचे लिखा विवरण होगा—

- (१) जमा मुदा रकम की क्रम सं०
- (२) तारीख जिसको प्राप्त हुई।
- (३) जमा करने वाले का नाम, बन्दिपत, जाति तथा निवास-स्थान।
- (४) अधिनियम की धारा १३६ के अन्तर्गत निर्दिष्ट उस व्यक्ति का नाम, बन्दिपत, जाति तथा निवास-स्थान जिसके पक्ष में जमा कराई गई है।
- (५) रकम जो जमा हुई।
- (६) तारीख जिसको ट्रेजरी में जमा हुई तथा चानाम का नम्बर।

भुगतान

- (७) भुगतान या बापिसी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की क्रम संख्या।
- (८) भुगतान या बापिसी के लिए आवेदन-पत्र की तारीख।
- (९) भुगतान या बापिसी की मात्रा की तारीख।
- (१०) नाम, बन्दिपत, जाति तथा निवास-स्थान उस व्यक्ति का जिसे भुगतान या बापिसी (रिफंड) की जाती हुई।
- (११) रकम जिसके भुगतान को जाता हुई।
- (१२) तारीख जिसको ट्रेजरी से भुगतान या बापिसी की गई।

(१३) राजस्थान जनरल फाइनेन्सल एण्ड एकाउण्ट्स रुस्त के आर्टीकल ३२८ के अन्तर्गत - व्ययगत राशियों (Lapsed) ।

४५. प्रत्येक जमा जुदा राशि को तहसीलदार मयासम्बन्ध बीद्य निष्पत्त्य सरकारी ट्रेजरी में जमा करेगा और ट्रेजरी की रसीद फाइल पर रणी जावेगी ।

४६. जब ट्रेजरी में जमा कराये जाने की तारीख रजिस्टर में दर्ज करदी गई हो, तो तहसीलदार रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक (token) होगा कि रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ सही हैं ।

४७. नियम ४४, ४५ व ४६ के प्रावधानों का पालन हो जाने के बाद तो म्यादालय प्रपत्र "घ" में एक नोटिस जारी करेगा जो नियम ४४ द्वारा निर्धारित रजिस्टर के स्तम्भ ४ में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम होगा ।

४८. किसी जमा के भुगतान के लिए कोई आज्ञा पारित हो जाने पर, राजस्थान जनरल फाइनेन्सल एण्ड एकाउण्ट्स रुस्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक वाउचर उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसके पक्ष में भुगतान के लिए आज्ञा दी गई हो ।

४९. जो रकम दी जानो हो वह प्रत्येक वाउचर में तथा उसकी प्रतिपत्त (काउण्टर फाइल) में तहसीलदार द्वारा स्वयं अपने हाथ से अ की में लिखी जायेगी ।

५०. वाउचर का न० तथा तारीख, भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के रेकार्ड में रसी जायेगी ।

५१. यदि कोई वाउचर उस तारीख से जिसको कि लिखा गया हो भुगतान हेतु पेश नहीं किया जाय तो उसका रपया दिया जाने से इन्कार कर दिया जायगा और एक नया वाउचर (क) मूल वाउचर समर्पित या रद्द किये जाने पर प्रथमा (ख) यदि वाउचर खो गया हो, ट्रेजरी से उसका रपया न दिया जाने का प्रमाण-पत्र तहसीलदार को मिलने पर, लिया जाना चाहिये ।

५२. रद्द किया हुआ प्रत्येक वाउचर ट्रेजरी को भेजा जायगा और मूल वाउचर की प्रतिपत्त पर एक नोट उसे रद्द किये जाने का पता दिया जायगा ।

५३. जब ट्रेजरी से भुगतान कर दिये जाने की सूचना प्राप्त हो तो, भुगतान की तारीख रजिस्टर में लिखी जायेगी और तहसीलदार रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इसका प्रतीक होगा कि भुगतान सम्बन्धी इन्द्राज सही हैं ।

५४. यदि जमा की हुई रकम को लेने के लिए तीन वर्ष तक कोई दावा न करे तो, तहसीलदार जमा कराने वाले व्यक्ति को तलब करेगा और उससे जमा जुदा रकम की वापसी के लिए लिखित आवेदन-पत्र पेश करने का निदेश देगा । आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, और तहसीलदार द्वारा, उस व्यक्ति की पर्याप्त पहिचान कर लिए जाने के बाद जो तजबो पर उपस्थित होता है, तथा जमा कराने वाला होने का दावा करता है, जो प्रक्रिया होगी वह उसी प्रक्रिया के अनुरूप होगी जो कि भूमिधारियों के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में होती है ।

५५. तहसील का पेशकार, अनध्यवित समस्त राशियों का तहसीलदार के नोटिस में लाने के लिए उत्तरदायी होगा; और वह इस प्रयोजनार्थ जनवरी से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक

निधारी के प्रथम सप्ताह में रजिस्टर को निरोधित एवं हस्ताक्षरों के लिए तहसीलदार को देक होता।

५१. ट्रेजरी के नक्शों में किये हुए इन्फ्रा के साथ समय-समय पर आवश्यक भीमान तथा समायेजन किया जायगा।

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

५७. फसल बाटने के समय बाजार में प्रचलित भावों का एक नक्शा, जैसा कि धारा १४७ में निर्दिष्ट है, कसबदार द्वारा, राजस्वयान लेण्ड रेकार्ड्स मैनुयुअल के पैरा २४२ में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तहसील से उसे भेजे गये विवरणों के आधार पर तैयार किया जायगा। इस प्रकार तैयार किये गये नक्शों की एक प्रति प्रत्येक सम्बन्धित तहसील में भेजी जायगी जो कि तहसील के नाटिस बोर्ड पर लगाई जायगी।

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६६, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७ तथा १७८ व प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम।

आसामियों को वेदखुली का नोटिस

५८. आवेदन पत्र की विषय वस्तु—(१) अधिनियम की धारा १६९ के अन्तर्गत तहसीलदार को पता किये जान वाले आवेदन-पत्र में नीचे लिखी बातें होंगी—

- (क) भूमिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास-स्थान
- (ख) आवेदक किस हैसियत से, आसामी को वेदखुली किये जान की मांग करना है मसलन आसामी भू-सम्पत्ति धारक के रूप में, या अनृतकृत कृषान-दर पर अनुदान ग्रहीता के रूप में, अथवा मुख्य आसामी के रूप में जिनके नि भूमि को निवामी पट्टे पर चढाया हो जिनके बदलही चाहता है।
- (ग) आसामी का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान
- (घ) मगान व ध्याज की कुल रकम जिसके लिये दावा किया है मय इस हिसाब के कि प्रत्येक विवरण के सम्बन्ध में बिलती रकम बकाया तथा ध्याज की लगाई गई है।
- (ङ) भूमि-क्षेत्र में समाविष्ट प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल मं० मय क्षेत्रफल और उस तहसील, जिल्ला, गांव, थोक व पट्टी का नाम जिसमें भूमि स्थित है।

[१] आसामी का प्राय, बन्धित, बाँध, तथा निवास-स्थान में खेती-बर्षा सुदकारत आसामी, गैर खातेदार आसामी या शिकमी-आसामी ।

[२] नाम गाँव, तहसील व बिना

[३] नाम पोक व पट्टी

[४] जेत का सतरा नं० मय क्षेत्रफल

[५] भूमि-क्षेत्र का सगरा

[६] आधार जिन पर बेदखली चाही जाती है (धारा १८० के सख (क) से (ग) तक देखिये) तथा

[७] भूमिपारी की निजी-बाबत की मूमि का निरम-वार कुस क्षेत्रफल

६४. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये जायेंगे—

(१) खतोनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें वह मूमि सम्मिलित हो जिसमें बेदखली चाही जाती है ।

(२) सम्बन्धित सेक्टर की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि ।

(३) धारा १८० के सख (ख) या (ग) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में उसके साथ उस पट्टे (सीज) या शिकमी-पट्टे (सब-सीज) की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि होगी जो कि धारा ४५ या धारा ४६, अध्यासक्ति, के अन्तर्गत मंजूर की गई हो ।

(४) धारा १८० के सख (ख) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में, आवेदन-पत्र के साथ, उक्त सख में निर्दिष्ट समयावधि के बारे में गदत गिरदावरी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी और उस सख में निर्दिष्ट पट्टे (सीज) या शिकमी-पट्टे की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल की जायगी ।

(५) आवेदन-पत्र के साथ आवेदक के खाते खतोनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी जिससे आवेदक की सुदकारत को सम्पूर्ण मूमि प्रकट हो सके ।

६५. धारा १८० के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता (नं० ५ ऑक्ट १९०८) के आर्टिकल ६ के रूल १५ के अनुसार प्लोडिग की तरह सरयापित किया जायगा ।

६६. ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसे समस्त व्यक्ति पदा (पार्टी) बनाये जायेंगे जिनकी मूमि सुदकारत के रूप में प्रयाप्त की जाने वाली हो और आवेदक आवेदन-पत्र के साथ उसकी खतोनी प्रतिलिपियाँ शामिल करेगा जितने आसामियों को नोटिस दिया जाना हो ।

६७. यदि आवेदन-पत्र में नियम ६३-६६ में अपेक्षित समस्त बातें पूरी कर दी गई हों तो असिस्टेंट कलक्टर उक्त मूमि में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को प्रपत्र 'म' में नोटिस जारी करेगा ।

६८. नोटिस की तारीख के जिये कीस बही होगी जो कि राजस्व न्यायालय के सम्मनों तथा आदेशिकाओं (प्रोसेस) की तारीख के लिये होती है ।

६९. नोटिस की तारीख अधिनियम की धारा १६७ की उपधारा (९) द्वारा निर्धारित

७०. अक्सिस्टेंट कलक्टर प्रापत्तियों की, यदि कोई हो, अनुवाई करके उनका निर्णय करेगा और यदि वह संतुष्ट हो जाय कि आवेदन-पत्र मंजूर किया जाना चाहिये तो वह आसामी को उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य के लिये मुग्तान किया जाने योग्य, मुखावज को छगणना करेगा और प्राविदित भूमि से या ऐसे भाग से जिसे वह उचित समझे आसामी को वेदना किये जाने की आज्ञा देगा जो कि इस धर्त के अधीन होगी कि आसामी को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया गया मुखावजा उसे अधि के छन्दर मुग्तान कर दिया जाय जो कि अक्सिस्टेंट कलक्टर नियत करे।

७१. यदि मुखावजा अक्सिस्टेंट कलक्टर द्वारा नियत की गई अधि में भ्रदा नहीं किया जाय तो आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जायगा और आसामी को खर्चा दिया जायगा।

७२. लगान का विभाजन—यदि आसामी उसके भूमिक्षेत्र के बँवैत एक भाग से ही वेदनाल किया जाने को हो तो अक्सिस्टेंट कलक्टर वह लगान निश्चित करेगा जो कि बचे हुए भूमि-भाग के लिये आसामी प्रदा करेगा। इस प्रकार देय लगान का समूचे भूमि क्षेत्र के लिये पहिले दिये जाने वाले लगान के साथ वही अनुपात होगा जो कि आसामी के कब्जे में रही हुई अवशिष्ट भूमि का भूखावन समूचे भूमि क्षेत्र के क्षेत्रफल के साथ रखता है।

अध्याय १३

अधिनियम की धारा १७६-१८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय वेदखली के लिये उपाय (दादरसी)

७३. अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नलिखित बातें होंगी—

- (१) आसामी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, तथा निवास-स्थान तथा किस्म आसामी;
- (२) नाम गाँव, तहसील व जिला;
- (३) नाम थोक व पट्टी;
- (४) भूमिधारों का नाम, उसके पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान;
- (५) अन्य व्यक्ति जो इसमें बन्धा किये हुए हो, उसका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास-स्थान;
- (६) क्षेत्रों के संख्या संख्या;
- (७) क्षेत्रों का क्षेत्रफल;
- (८) भूमि का आधिक संगान, तथा
- (९) वेदखली या बँवैत हटने की तारीख।

७४. आवेदन, आवेदन-पत्र के साथ उसकी सतनी ही प्रतिष्ठितियाँ शामिल करेगा जिन्हें भूमिधारों तथा बँवैत रहे हुए अन्य व्यक्तियों पर नोटिस सोपीने किया जाता है।

स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उठाने का जो पक्ष है, सिविल न्यायालय द्वारा उन स्थितियों की उप-स्थिति के लिये जिनके बीच में उक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है मोटिस जारी करने के लिये धादेतिका-गुल्क दाखिल करने के लिये कहेगा और रेकार्ड को सिविल न्यायालय को प्रेषित करने की आज्ञा में यह दर्ज करेगा कि उक्त धादेतिका-गुल्क बगूल कर लिया गया है। धादेतिका-गुल्क कोर्ट फीम स्टाम्प के हू में लिया जायगा।

८८. पक्षों को मोटिस—जहाँ सिविल न्यायालय में रेकार्ड इग केम के साथ प्राप्त हो कि धादेतिका गुल्क उस न्यायालय में जमा करा लिया गया है जिसने रेकार्ड भेजा है तो, सिविल न्यायालय दोनों पक्षों को, अपने द्वारा गुनवाई के लिये नियत प्रथम तारीख के लिये बिना गुल्क मोटिस जारी करेगा।

८९. सिविल न्यायालय को प्रेषण—जहाँ स्वामित्व के अधिकार सम्बन्धी कोई तनकीह अधिनियम की धारा २२९ (१) के अधीन राजस्व न्यायालय द्वारा काम की जाय तो उक्त न्यायालय मुकदमे के समूचे कागजात को डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा और डिस्ट्रिक्ट जज तुरन्त ही उसे सक्षम सिविल न्यायालय को उस तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा।

९०. रजिस्टर मुकदमे में इन्ड्राज—अहमद सिविल कोर्ट की कागजात भेजने की तारीख रजिस्टर मुकदमे में साल स्याही से स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज करेगा। जब रेकार्ड सिविल कोर्ट से उक्त तनकीह पर निर्णय के साथ वापिस प्राप्त हो तो, रेकार्ड की वापिसी की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर मुकदमे में साल स्याही से स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज की जायगी।

९१. कागजात का नस्यो 'क' और नस्यो 'ख' में वर्गीकरण—रेकार्ड को अमिलेलागार में भेजने के पहिले अहमद न्यायालय, फाइल के कागजात को जिनमें वे भी शामिल हैं जो सिविल न्यायालय ने बढ़ाये हैं, वर्गबद्ध करेगा 'नस्यो क' और नस्यो 'ख' में रखेगा और उस वर्गीकरण के अनुसार सिविल न्यायालय से वापिस प्राप्त हुई फाइल को सामान्य सूची में दर्ज किये हुए प्रत्येक कागज पर नोट करेगा।

९२. सिविल न्यायालय द्वारा प्रेषण—अधिनियम की धारा २४२ के अधीन, टिन्सेली सम्बन्धी प्रश्न के निर्णय के लिये रेकार्ड प्राप्त होने पर, कलक्टर तुरन्त ही उसे उपयुक्त राजस्व न्यायालय को उक्त तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा।

९३. प्रेषण रजिस्टर में इन्ड्राज—रेकार्ड प्राप्त होने पर, अहमद नियम ९४ के अन्तर्गत रखे हुए रजिस्टर में उसका इन्ड्राज तुरन्त करेगा और रेकार्ड पर रजिस्टर का क्रमांक लिख देगा। जब रेकार्ड वापिस सिविल न्यायालय को, राजस्व न्यायालय के निर्णय के साथ, भेजा जाय तो रेकार्ड को वापिस भेजे जाने की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर के स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज की जायगी।

९४. प्रेषण रजिस्टर—अधिनियम की धारा २४२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए कागजात के लिए, एक प्रेषण रजिस्टर प्रत्येक सहायक कलक्टर के न्यायालय में रखा जायगा जो कि नीचे लिखे प्रपत्र में होगा—

प्रेषण क्रमांक	सिविल कोर्ट की फाइल पर मुकदमे का नं०	नाम सिविल कोर्ट, जिसने प्रेषण किया है	जिला व गांव	पक्षों के नाम
१	२	३	४	५

नाम मुकदमा मय कानून की धारा	रेकार्ड मय प्रेषण के प्राप्त होने की तारीख	रेकार्ड को मय निर्णय के वापिस भेजने की तारीख	विशेष विवरण
६	७	८	९

६५. प्रेषण फाइल—(क) सिविल कोर्ट के रेकार्ड में, जब कि वह राजस्व न्यायालय में हो, बढ़ाये गये कागजात 'नरयो क' और 'नरयी ख' में वर्गीकृत नहीं किए जायेंगे बल्कि अलग 'प्रेषण फाइल' के रूप में रखे जायेंगे। किन्तु प्रत्येक कागज पर क्रमांक लिख दिया जायगा जब कि उसे प्लाई इण्डेक्स में दर्ज किया जाय और प्रेषण फाइल में रखा जाय।

(क) जब राजस्व न्यायालय अपना निर्णय दे दे तो 'प्रेषण फाइल' तुरन्त ही सिविल न्यायालय के रेकार्ड में जोड़ दी जायगी और इस प्रकार तैयार किया गया रेकार्ड मय निर्णय के, उस सिविल न्यायालय को वापिस कर दिया जायगा जिससे प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था।

१६. प्रेषण को माहवारी नकशों में घटाया जाना—सिविल न्यायालयों से प्राप्त हुए प्रेषण, मुकदमों की प्रगति सम्बन्धी माहवारी रिपोर्ट में बलग बताये जायेंगे जो कि राजस्व न्यायालयों द्वारा कलक्टर को भेजी जाती है और मुकदमों के दायर होने तथा निवटारा होने सम्बन्धी विवरण-पत्र में भी बताये जायेंगे।

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

६७. शपथ-पत्र के अनुसार शपथ लेना—द्विती राजस्व न्यायालय या अधिकारी के सामने पेश किया जाने वाला प्रत्येक शपथ-पत्र तदर्थ नियुक्त किये गये धोप कमिश्नर के समक्ष शपथ लेने के बाद पेश किया जायगा।

६८. फीस—शपथ-पत्र के सरवापन के लिये फीस एक रुपया होगी।

६९. व्यक्तिओं तथा इयानों का पूरा विवरण दिया जाना—शपथ-पत्र में उनके अनुसार शपथ लेने वाले व्यक्ति का ऐसा सम्पूर्ण विवरण होगा जिससे उसकी पहिचान मसी नॉसि की या उसके उदाहरणार्थ, उसका नाम, उसके पिता का नाम, धर्म, समाज में उसका दर्जा या पद, पेशा, पंथा, व्यवसाय अथवा व्यापार, और उसका वास्तविक निवास-स्थान शपथ-पत्र में

मेरे यह बयान सत्य है, इसमें कोई भी बाज सुनाई नहीं गई है और इसका कोई भी अंश मिया नहीं है।"

प्रपत्र भू (जे)

(देमिये नियम ४-रेवेन्यू बोर्ड)

सातेदारी अधिकार के प्रोद्भूत होने तथा मुघार-कायों में अधिकारों के लिये मुघावजे के दावे का विवरण-पत्र ।

श्यायालय.....सबडिवीजनस अधिकारी.....जिला.....
सातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने तथा मुघार-कायों में अधिकार होने का दावा ।

महोदय,

जैसा कि राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की धारा २० की उपधारा (१) तथा टिनेसी (राजस्व मण्डल) नियम ४ द्वारा अपेक्षित है, मैं अपने गुरुवार के आसामी/निकामी आसामी द्वारा (क) सातेदारी अधिकार प्रोद्भूत कर लेने तथा (ख) मुघार-कायों में अधिकारों के लिये मुझे देय मुघावजे का दावा प्रस्तुत करता हूँ ।

२—भूमिधारी तथा आसामी का विवरण निम्नलिखित है,—

(१) नाम, बन्धियत, आयु, तथा पूरा पता—भूमिधारी (दावेदार)

(२) नाम, बन्धियत, आयु तथा पूरा पता गुरुवार-आसामी/निकामी आसामी जिसे अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं ।

(३) नाम गांव व नाम तहसील

(४) खेत नं०

(५) खसरा नं० व नाम खेत, यदि कोई हो,

(६) सिंचित या असिंचित

(७) मिट्टी की किस्म

(८) ठीक क्षेत्रफल जिसमें धारा १९ के अधीन अधिकार प्रोद्भूत हुए ।

(९) विगत बन्दोबस्त में उसकी स्वीकृत लगान-दर जबवा यदि धारा २३ की उपधारा

(१) का खण्ड (ख) लागू होता है तो, विगत बन्दोबस्त में तरसदख भूमि के लिये अज्ञात पड़ोस में स्वीकृत लगान-दर ।

(१०) सातेदारी अधिकारों के लिये प्रस्तावित मुघावजे की रकम ।

(११) मुघार-कायों का शरीर जिनमें आसामी को अधिकार प्रोद्भूत हुए ।

(१२) वर्ष जिसमें मुघार-कार्य किया गया ।

(१३) जिस समय मुघार-किया गया उस समय उसकी लागत ।

(१४) मुघार-कार्य की वर्तमान स्थिति ।

(१५) मुधार-कार्य से नूमि को अगले दस वर्षों में किस हद तक लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

(१६) मुधार-कार्यों में अधिकारों के लिये अध्यापित मुआवजे की रकम।

(१७) कुल मुआवजे की रकम जो दोनों के लिये अध्यापित की गई है।

(१८) विशेष विवरण

हस्ताक्षर

प्रपत्र ज (के)

(दक्षिण नियम ५-रेवेन्यू बोर्ड)

प्रपत्र-नोटिस जो धारा २० की उप-धारा (२) के अधीन होगा।

नोटिस

न्यायालय.....सबडिवीजनल अधिकारी.....ज़िला.....मुकदमा न.
.....नम् १९६.....

श्री.....पुत्र.....निवासी.....घावेदक
बनाम
.....विपक्षी

सातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाने के कारण मुआवजे के दावे का विवरण चूंकि उपरोक्त घावेदक ने, जैसा कि राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ (राज. अधिनियम ३, सन् १९५५) की धारा २० की उप-धारा (१) तथा राजस्थान टिनेसी (राजस्व मण्डल) नियम १९५५ के नियम ५ द्वारा अपेक्षित है, सातेदारी अधिकार तथा तुम्हारे द्वारा किये गये मुधार-कार्यों में अधिकार प्रोदभूत हो जाने के कारण उसे देय मुआवजे के लिये दावा विवरण सहित पेश किया है, अतः तुमको एतद्वारा तब किया जाता है कि इस न्यायालय में या तो स्वयं ध्यातगत या अपने वकील जिसे मुकदमे के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी गई हो, एवं जो इस मुकदमे में सब प्रदनों का उत्तर दे सके अथवा जिसके साथ ऐसा व्यक्ति हो जो मुकदमे की पूरी जानकारी रखता हो और सब प्रदनों का उत्तर दे सके, के मार्फत, तारीख.....की हाजिर हो (तारीख ऐसी नियत की जायगी ताकि घासामी की कम से कम तीस दिन मिन जायं जिनमें वह अपनी प्राप्तियां पेश कर सके)। साथ में मुआवजे के दावे के विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है और यदि तुम, इस विवरण-पत्र में दिये हुए व्योरे की सही नहीं मानते हो तो तुमको, उपयुक्त तारीख पर, उन समस्त दस्तावेजों को जिन पर तुम अपने दावे के समर्थन हेतु मरौसा रखना चाहते हो, पेश करने का आदेश दिया जाता है।

सूचित हो कि उपयुक्त तारीख पर तुम्हारे उपस्थित न होने पर, मुकदमा तुम्हारी अनुपस्थिति में गुना जाकर खसका निर्णय कर दिया जायगा।

प्रपत्र ड (एन)

(वेगिये नियम १०-रेवे्यू बोर्ड)

अधिनियम की धारा ३६-क के अंतर्गत नोटिस का उत्तर ।

ग्यायालय.....एत, डी, डी.....त्रिका

मुकदमा नंसन् १९९

श्री.....वहद.....आवेदक

बनाम

श्री.....वहद.....बिपत्ती

नालबट अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र
महोदय.

आपके नोटिस दिनांक.....के उत्तर में, मैं एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि
मैं आवेदन-पत्र का नीचे लिखे आधारों पर प्रतिवाद नहीं करना चाहता हूँ—

(आधार बतलाये जायं)

मैं मुभावजे का दावा करता हूँ और त्रिका विवरण नीचे दिया जाता है ।

धारा ३६-क के अंतर्गत नालबट प्राप्त करने हेतु मुभावजे का दावा ।

१-आवेदक अर्थात् उस व्यक्ति का जो भूमिधारी से मित्र है और जिनमें नालबट
अधिकार निहित है, नाम.....वहदियतजाति.....उम्र..... तथा
निवास स्थान..... ।

२-आवेदक (नालबट की प्राप्ति के लिये) का नामवहदियत
जाति.....उम्रतथा निवास स्थान.....

३-भूमिधारी का नाम.....वहदियत.....जाति.....उम्र.....तथा
निवास स्थान.....

४-उस भूमि का विवरण जिसमें आवेदक अपना खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाने
का दावा करता है-नाम गांव, पोस्ट व पट्टी, नाम तहसील, सबडिवीजन तथा जिला,
खसरा नं०, खेत/खेतों का नाम, यदि कोई हो तथा दोनफल (बीघों) में ।

५-यदि नालबट नकद में वसूल किया जाता हो तो रकम जो पिछले पांच वर्षों में बढ़ा
की गई ।

६-यदि नालबट जिम्मे में वसूल की जाती है तो उपज की मात्रा जो पिछले २० वर्षों में
नालबट के रूप में दी गई ।

७-बुल भवधि जिसके दौरान आवेदक को उस कुए में नालबट प्रोदभूत हुआ है जिसके
बारे में दावा किया गया है ।

८-कुए का ध्यौरा-प्रर्षात्

[१] नाम कुआ, खसरा नं. जिसमें स्थित है।

[२] निर्माण का समय

[३] वर्तमान स्थिति

[४] क्षेत्रफल जो सामान्य वर्ष में सिंचित होता है (बीघों/एकड़ों में)

[५] ऐसे कुए की वर्तमान निर्माण-लागत ध्यूसत।

[६] कुए की उपयोगिता को प्रायामी सम्भावित अवधि।

९-विशेष विवरण।

हस्तांतर.....बहद.....जाति.....निवास स्थान..... (दावेदार)

प्रपत्र द (श्री)

(देखिये नियम ११-रेवेन्यू बोर्ड)

घारा ३६-ए के अन्तर्गत नालबट के हस्तांतरण का प्रणाम-पत्र.....के
म्यायालय में।

मुकदमा नं.....सन् १९६

.....पुत्र.....दावेदक

बनाम

.....पुत्र.....प्रतिपक्ष।

यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(१) श्री.....पुत्र.....जाति.....घायु..... निवासी.....तहसील
.....जिला.....ने सारोख.....क्ष नीचे वर्णित कुए के संबंध में नालबट का अधिकार
प्राप्त किया है।

(२) यह कि उक्त घासामी एक मुरत राशिकिस्तों में जो.....क्ष की होगी तथा
प्रत्येक.....तारीख को देय होगी, मुआवजे के रूप में.....क्ष. (शर्तों में)रूपये को
नालबट के अधिकार के स्वामी को देने के लिये जिम्मेदार होगा।

(३) यह कि मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया है घासामी, मुआवजे
की रकम का किस्तों में, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान करने को सहमत ही
गया है और उक्त मुआवजा, भूमिदोत्र तथा सपख पर, अगार तथा राजस्व के पदचान् प्रभार
(charge) रहेगा। आसामी तब तक भूमि-क्षेत्र को हस्तान्तरित करने के लिये सहमत नहीं होगा
जब तक कि मुआवजे की उपरोक्त कुन रकम का पूरा भुगतान न कर दिया गया हो।

कुए का विवरण

१-चोक या पट्टी सहित गांव का नाम

घोषणा दिनांक.....के प्रसंग में नीचे लिखे अनुसार निवेदन है,

(१) कि मैं नीचे वर्णित भूमि का तातेदार आसामी / मुदवारत का आसामी/गैर तातेदार आसामी / गिकमी आसामी वा और मेरे अधिवास की अधि.....बर्ष थी ।

(२) कि मैं इस भूमि को राज्य सरकार/.....(भूमिधारी) से लेकर धारण करता हूँ ।

(३) कि उस इसाके में वर्ष.....में भयकर मूणा/घरान.....(नाम विपत्ति) पड़ा था । अथवा कि मुझे.....कारणों से गांव छोड़ना पड़ा था तथा अपने कुटुम्ब तथा मवेशी आदि को साथ लेकर.....(स्थान) को जाना पड़ा था ।

(४) कि जब मुझे मालूम हुआ कि विपत्ति का समय निकल चुका है और सामान्य स्थिति पैदा हो गई है मैं अपने गांव को तारीख.....को या आगवास की तारीख को वापिस आ गया ।

(५) कि गांव में बाहर जाने की मेरी तारीख अनुमानित.....थी ।

(६) कि यह आवेदन-पत्र घोषणा की तारीख / प्रकाशन की तारीख में एक वर्ष की अधि के भीतर है ।

(७) कि मेरी इस धारणा के समर्थन में कि मैंने गांव छोड़ पड़ोस ऊपर सख्त (३) में वर्णित व्यापक विपत्ति/वारणों से छोड़ा था, मैं निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ और तारीख सुनवाई को अपने गवाह पेश करूंगा ।

दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण

अतः प्रार्थना है कि मुझे पुनःस्थापित किया जाकर भूमि मुझे वापिस दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय । जो कि तारीख वापिसी तक मुझे काबिल वगूल लगान की बकाया रकम, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, परित्या-गअधि को शामिल करते हुए, भदा करने की दत होगी ।

भूमि का विवरण

- १-नाम गांव मय नाम थोक व पट्टी
तहसील.....जिला.....
- २-खसरा नं. तथा खेत/खेतों के नाम
- ३-क्षेत्रफल बीघो/एकड़ों में
हस्ताक्षर.....
- ४-वार्षिक लगान
तारीख.....
आसामी



प्रपत्र-क क (आर. आर.)

(देखिये नियम २५-क)

भाग-१

राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की धारा-६६-६७ के अन्तर्गत अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में वर्णित सुधार कार्य करने की मजूरी।
सेवा में,

तहसीलदार

तहसील.....

(पटवारी सफिल न०.....के माफत)

श्रीमान्,

मैं जैसा कि राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की धारा ६६ के प्रथम परन्तुक तथा राज. टिनेसी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम १९५५ के नियम २५-क द्वारा भ्रषेसित है, एतद्वारा, सुधार-कार्य जिसका विवरण नीचे दिया गया है, करने की मजूरी प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता हूँ :-

१. नाम आवेदक, मय बहिद्वयत .व.पता

२. स्थिति (खातेदार आसामी/भूमिधारी/जागीरदार/अमीनदार/बिस्वेदार.....

३. भूमि का विवरण

(क) नाम गांव

(ख) खसरा नं०

(ग) क्षेत्रफल (एकड़)

४. भूमि की सहर्तया कस्बा.....की नगरपालिका सीमाओं से दूरी

५. सुधार-कार्य जिसके लिये मजूरी चाही जाती है, का विवरण—

(क) खसरा नं०.....जिसमें सुधार कार्य किया जाता है।

(ख) सुधार कार्य का ठीक किस प्रकार करने का मकान/पशुघाड़ा/स्टोर हाऊस/अन्य निर्माण

(ग) विवरण, क्षेत्रफल जिसमें सुधार कार्य होगा, सम्बाई, चौड़ाई

(घ) सुधार कार्य की अनुमानित लागत

६. अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में वर्णित किस प्रकार के विद्यमान सुधार का नम्बर तथा विवरण।

७. यदि भूमि में रहने का मकान बनाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र है तो

(क) आया आवेदक के पास गांव की आबादी में रहने का मकान है, यदि ऐसा है तो आबादी से उस खसरा नं० की दूरी जिसमें रहने का मकान बनाने का विचार है—

(ख) गांव की आबादी की छोड़कर, भूमि के आसपास क्या आवेदक की कोई इमारत

या निर्माण मौजूद है (अग्निपत्र की धारा ५ के अन्तर् (१६) के अन्तर् (१६) की धारा सं० (४))

(ग) आया उग मकान में खिंचे बनाने का विचार है तब स्वयं रहेगा ।

८. यदि भूमि में पट्टा बनाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र है तो

(क) मौजूदा पट्टाओं, यदि कोई हो, की संख्या व विवरण

(ख) आवेदक के पास मुक्त मवेशी जितनी है संख्या.....

९. यदि भूमि में स्टोर हाउस बनाने का विचार है तो.....

(क) मौजूदा स्टोर हाऊसों की संख्या व विवरण

(ख) भूमि की पिछले तीन वर्षों में हुई कुल उन्नयन

(ग) मौजूदा समय में उपज कहां घोर होने लगी जाती है तथा

(घ) दोनफस जितमें स्टोर बनाया जायगा

हस्ताक्षर.....

सत्यापन

मैं सरयनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि उपयुक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैंने सत्य बात कही है और किसी भी तथ्य को दबाया या छुपाया नहीं है ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

भाग २

पट्टावारी की रिपोर्ट

यह आवेदन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नाम)..... पट्टावारी सिकिल.....को दिनांक को प्राप्त हुई थी ।

२. ऊपर भाग १ में दिये गये विवरणों की जांच खसरा सम्बन्ध..... को खरीफ रबी के इन्द्राज से प्रौर जमाबन्दी (खेचट खतीनी) सम्बन्ध.....से करली गई है और सही पाई गई है अथवा अयुक्त बातें सही नहीं हैं ।

३. आवेदक खातेदार आसामी/भूमिधारी/जागीरदार/अमीनदार/बिस्वेदार है और भाग १ की धारा सं० ३ में बतलाई गई भूमि में श्रुति करता है या उस भूमि में खेती नहीं करता है के द्वारा खेती की जा रही है ।

४. उसके पास भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) में निवास-गृह है जिसमें.....भूमि विरी हुई है और वह भूमि कुल भूमि क्षेत्र (होल्डिंग) के.....भाग के बराबर है ।

५. उसका गांव की आबादी में निवास गृह है जो भूमि क्षेत्र से.....की दूरी पर है या उसका गांव की आबादी में कोई निवास गृह नहीं है ।

६. उसके पास अपनी भूमि (होल्डिंग) को सुविधापूर्वक/लाभप्रद तरीके से उपयोग या अधिधारण में लाने के लिये अपनी भूमि के पास, गांव की आबादी को छोड़कर, मकान है/कोई मकान नहीं है ।

७. वहां पर.....पशुवाड़े हैं जिनका कुल क्षेत्रफल.....है जो भूमि का.....भाग है अथवा भूमिक्षेत्र में कोई पशुवाड़ा नहीं है ।

८. रजिस्टर माल शुमारी के अनुसार आवेदक के पास कुल.....पशु हैं ।

९. (क) भूमि में..... स्टोर हाउस है जिनका क्षेत्रफल.....है जो भूमि के.....भाग के बराबर है या भूमि में कोई स्टोर हाउस नहीं है ।

(ख) जिसवारों, मिलान खसरो तया अन्य रेकार्ड के अनुसार आवेदक की भूमि की अनुमानित वार्षिक उपज.....मन है जिसके लिये स्टोर हाउस की आवश्यकता है ।

सहस्रीलवार को प्रस्तुत है ।

तारीख.....

हस्ताक्षर
पटवारी सक्ति

प्रपत्र ब (एस)

(देखिये नियम ३१)

अधिनियम की धारा ८४ (५) के अन्तर्गत लाइसेंस

क्रमांक	तारीख	सामान्य या विशेष	लाइसेंसधारी का नाम मय पूरा पता
१	२	३	४
अवधि	वेड़ जिन्हें हटाये जाने की या भूमि जिसे साफ लिये जाने की अनुमति दी गई संबंधा या क्षेत्रफल किन्म या सीमाएँ		विशेष विवरण विशिष्ट परिस्थिति
५	६	७	८

भूमि-का-विवरण

नाम गाँव	नाम थोक व पट्टी	खसरा नं० खेतों के	क्षेत्रफल (बीघों/ एकड़ों में
१	२	३	४

जमा की हुई रकम का ब्यौरा

वर्ष जिसकी किराँते/बढ़ी हुई रकम है।	रकम	तारीख जिसकी जमा की गई
तारीख.....	तहसीलदार.....	तहसील.....

प्रपत्र म (यू)

(देखिये नियम ६० रेवेन्यू बोर्ड)

धारा १९९ के अन्तर्गत (भूमिधारी द्वारा) धासामी को नोटिस-बाबत लगान का भुगतान करने अथवा भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने।

न्यायालय तहसीलदार.....तहसील.....जिला.....

मुकदमा नं०.....सन् १९६

श्री.....(विवरण व निवास स्थान).....भावेदक (भूमिधारी)

बनाम

श्री.....(विवरण व निवास स्थान).....विपक्षी

सेवा में,

(नाम, विवरण व निवास स्थान).....धासामी

चूँकि उपरोक्त स्थिति ने जो कि स्वयं को आपका भूमिधारी बहूता है, एक भावेदन-पत्र हम न्यायालय में पेश किया है जिसमें नीचे बखित लगान की बकाया के भुगतान के लिये धीरे भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने का नोटिस आपको दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

धीरे चूँकि नीचे बखित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया के रु०.....घर के जिम्मे उपरोक्त भूमिधारी को बाबिल भुगतान बतये जाते हैं, अतः आपकी नोटिस दिया जाता है कि, इस नोटिस की तामील से तीस दिनों के अन्दर, लगान की बकाया के रुपये प्रदा करो या हाजिर होकर उग दावे को स्वीकार करो अथवा उसका प्रतिवाद करो। ऐसा न करने की दशा में, भावेदन-पत्र की, आपकी अनुपस्थिति में, मुनवाई को जाकर उगदा निर्णय किया जायगा।

न्यायालय तहसीलदार तहसील जिला

मुकदमा नं० सन् १९६६

सरकार बनाम विवरण व निवास स्थान विपक्षी

सेवा से,

नाम, विवरण व निवास स्थान (घासापी)

चूंकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सगान की बकाया के तुम्हारे जिम्मे ६० सरकार को मुग्तान योग्य है, तुमको, इस नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर बकाया की रकम अदा करने का अथवा उपस्थित होकर उसको स्वीकार करने या उसका प्रतिवाद करने का नोटिस दिया जाता है। ऐसा न करने की दशा में आवेदन-पत्र की मुनवाई तथा निर्णय तुम्हारी अनुपस्थिति में किया जायगा।

हिसाब का व्यौरा

वर्ष तथा किरत	खसरा नं०	लगान काबिल मुग्तान	सगान जो दे दिया गया है	बकाया	ध्याज	विरोध विवरण
१	२	३	४	५	६	७
योग				कुल योग		

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	ब्लॉक व पट्टी	खसरा नं० सेठ नं०	क्षेत्रफल बीघा/एकड़
१	२	३	४	५	६
क्षेत्रों की संख्या					कुल क्षेत्रफल

भूमि के सम्बन्ध में सगान की किरतें, जो नविष्य में अदा की घटा करनी हैं, इस प्रकार हैं—

भूमि का लगान जो नविष्य में अदा किया जायगा।

रबी की किरत

बाज दिनांक सन् को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से

जायी किया गया।

न्यायालय की मुहर

सरोक्ष की किरत

हस्ताक्षर

(तहसीलदार)

तारीख सन् १९६६

प्रपत्र प-५(बी)

(देखिये नियम ६० रेवे. बोर्ड)

लगान की बकाया के निमित्त चित्री डिको के अगतगत देय रकम के भुगतान के लिये या भुगतान न करने की दशा में वेदखली का आतामी को धारा १७४ के अधीन

नोटिस

- न्यायालय.....(स्थान).....मुकदमा नं०.....तन् १९९.....
श्री.....(चिवरण व पता).....डिक्रीदार (भूमिपारी)
बनाम
श्री.....(चिवरण व पता).....निर्णीत ऋणी (आतामी)

सेवा में—

(नाम, चिवरण तथा निवाग स्थान)

चूंकि उपरोक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को तुम्हारा भूमिपारी बताता है, इस न्यायालय में लगान की बकाया के निमित्त एक डिक्री का निष्पादन कराने का आवेदन-पत्र पेश किया है जिसमें तुम्हारे नाम एक नोटिस तुम्हारे जिम्मे आती निकल रही रकम को भुगतान करने या भुगतान न करने की दशा में तुम्हें वेदखली लिये जाने की प्रायश्ना की है।

और चूंकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया तथा नीचे दिये गये खर्च के रु०.....तुम्हारे द्वारा उपयुक्त भूमिपारी को देय होने का दावा किया गया है, एतद्द्वारा तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि, नोटिस की तारीख से दो महीने के अन्दर, उपरोक्त रकम न्यायालय में जमा करो अथवा रकम जमा न करने की दशा में कारण बताओ कि तुम्हें तुम्हारी भूमि से क्यों न वेदखली कर दिया जाय और यह भी बताओ कि यदि तुम्हारी वेदखली का आदेश जारी कर दिया जाय तो क्या तुम्हारे द्वारा किये गये किसी सुधार-कार्य के लिये तुम कोई सुझावों का दावा करते हो। ऐसा न करने की दशा में तुम्हें नीचे वर्णित भूमि से वेदखली किये जाने का आदेश जारी किया जायगा,—

हिसाब का चिवरण

वर्ष व किस्त	लगान जो देना है	लगान जो दे दिया गया	बकाया	व्याज	डिक्री द्वारा स्वीकृत खर्च	विशेष चिवरण
१	२	३	४	५	६	७

योग

कुल योग

भूमि का विवरण

जिना	सहसील	गांव	पोक व पट्टी	खसरा नं० (खेत)	क्षेत्रफल (खेत) बीघा/एकड़
१	२	३	४	५	६

खेतों की संख्या.....

कुल क्षेत्र फल.....

आज दिनांक.....सन् १९६६ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....सन् १९६६

.....पद

न्यायालय की मुहर

प्रपत्र-२-(डबल्यू)

(देखिये नियम ६० रेवे० बोर्ड)

अवैध हस्तान्तरण अथवा सिकमी-पट्टी पर देने के कारण वेदसही के विरुद्ध कारण अतलाने का आसामी को धारा १७५ के अन्तर्गत

नोटिस

.....के न्यायालय.....(स्थान).....मुकदमा नं.....सन् १९६६

श्री.....(विवरण व पता).....आवेदक (भूमिपारी)

बनाम

श्री.....(विवरण व पता).....आसामी

घोर

श्री.....(नाम, विवरण तथा निवास स्थान).....

.....

.....

देवामें,

(नाम विवरण, निवास स्थान).....

चूंकि उपयुक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को तुम्हारा भूमिपारी.....
राजस्थान टिनेसी अधिनियम १९५५ की धारा १७५ के अन्तर्गत मुझे.....

मेरी की मुम संख्या....

हुन होना.....

आज दिनांक..... सगु १९९..... की मेरे हस्ताक्षर व म्यायालय की मुहर ने जारी किया गया ।

तारीख..... मुहर म्यायालय हस्ताक्षर.....

पद.....

प्रश्न—य (पार्क)

(देखिये नियम १७-रेवे. बोर्ड)

अधिनियम की धारा १८१ के अंतर्गत मुदवान के आसामी/गैर आनेदार आसामी/राकमी-आसामी को बेदखली का नोटिस

आयालय सहायक कलक्टर..... जिला..... मुकदमा नं..... १९९

श्री..... (नाम, विवरण व पता)—आवेदक (भूमिधारी)

उवा मे,

(नाम, विवरण व पता) आसामी

चूंकि उपयुक्त भूमिधारी ने राजस्वान टिनेसी अधिनियम, १९५५ की धारा १८० के अंतर्गत नीचे दिये गये आधारों पर, तुम्हे तुम्हारी नीचे बंणित भूमि से बेदखल किये जाने का आवेदन-पत्र पेश किया है, यह नोटिस बेदखली तुम्हारे नाम अधिनियम की धारा १८१ की उपधारा (३) के प्रावधानों के अनुसार में जारी किया जाता है। तुम्हे इसके जरिये सूचित किया जाता है कि—

(क) यदि तुम बेदखली का विरोध करना चाहते हो तो तुम, इस नोटिस को तुम पर लागू होने से तीस दिन के अन्दर, इसका प्रतिवाद करो, और

(ख) यदि इस नोटिस की तारीख से तीस दिन के अन्दर तुम उपस्थित होकर बेदखली के दायित्व को स्वीकार कर लेते हो तो तुम पर किसी खर्च का भार नहीं होगा। सूचित हो कि, उपयुक्त अधि के अन्दर उपस्थित न होने की दशा में, बेदखली का आदेश तुम्हारे खिलाफ पारित किया जायगा।

बेदखली के आधार

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	चोक व पट्टी	खसरा नं०	क्षेत्रफल (खेत)	भूमि का खतान
१	२	३	४	५	६	७

खेतों की कुल सं. _____

कुल क्षेत्रफल _____

आज दिनांक सन् १९६९ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया

तारीख

हस्ताक्षर

.. मुहर न्यायालय

पद

प्रपत्र स. (जड़) (देखिये नियम ७८ रेवे. बोर्ड)

अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत नोटिस

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला मुकदमा नं० सन् १९६९

श्री (नाम, विवरण व पता) आवेदक (आसामी)

बनाम

श्री (नाम, विवरण व पता) विपक्षी (भूमिपारी)

बौर

श्री (नाम, विवरण व पता) विपक्षी (धर्मित जो सब

बन्ना किये हुए है)

शेष में—

(नाम, विवरण तथा पता) विपक्षी

यू कि उपरोक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को श्री का आसामी बनाता है, इस न्यायालय में धारा १८६ के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किये जाने का इस आधार पर आवेदन-पत्र देना किया है कि उसे नीचे वर्णित भूमि से बेदखल/बन्ना विहीन

(क) अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विधि विहित रीति के प्रतिहन, या

(ख) अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, कर दिया गया है, घत: यह नोटिस तुम को अधिनियम की अनुसूची द्वारा की उपचार (२) ।

